

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

**ECGC Limited** 



निर्यात ऋण बीमा एवं व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना।



To excel in providing export credit insurance and trade-related services.



भारतीय निर्यात बाज़ार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।



To support the Indian export industry by providing cost-effective insurance and trade-related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilization of available resources.





ई सी जी सी लिमिटेड



एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई – 400021 CIN: U74999MH1957GOI010918 आई आर डी ए आई पंजीकरण सं. 124



Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021 CIN: U74999MH1957GOI010918 IRDAI Regn. No. 124

कंपनी सचिव	श्रीमती स्मिता वि. पंडित
COMPANY SECRETARY	Smt. Smita V. Pandit
नियुक्त बीमांकिक	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा
APPOINTED ACTUARY	Smt. Priscilla Sinha
संयुक्त संविधिक लेखा परीक्षक JOINT STATUTORY AUDITORS	मेसर्स ए बी एम एंड एसोरि सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं 10501

मेसर्स ए बी एम एंड एसोसिएट्स एल एल पी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 105016W/W-100015

M/s. abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No.105016W/W-100015

मेसर्स एस एन के एंड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 109176W **M/s. SNK & Co.** Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W

बैंकर्स BANKERS

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) आई डी बी आई बैंक Union Bank of India (Erstwhile Corporation Bank) IDBI Bank

.....

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

A P	Leone	ANARA
क्र.सं. S. No.	विषय–वस्तु / CONTENTS	पृष्ठं सख्या Page No.
1.	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2.	alteo प्रबंधन	08
۷.	Senior Management	00
3.	निष्पादन विशेषताएँ–पिछला दशक	09
0.	Performance Highlights - The Past Decade	00
4.	अध्यक्ष का संबोधन	11
	Chairman's Message	
5.	निदेशकों की रिपोर्ट	18
	Directors' Report	
6.	कंपनी शासन	38
	Corporate Governance	
7.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व	66
	Corporate Social Responsibility	
8.	प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण	78
	Management Discussion and Analysis	
9.	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण	
	Audited Financial Statements	
(i)	राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता एवं तुलन पत्र	147
	Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet	
(ii)	वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15)	154
	Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	
(iii)	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16)	169
	Significant Accounting Policies (Schedule 16)	
(iv)	लेखागत टिप्पणियाँ (अनुसूची 17)	179
	Notes to Accounts (Schedule 17)	
(v)	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात	208
	Key Analytical Ratios	
(vi)	अर्जन एवं भुगतान खाता	213
	Receipts & Payments Account	
10.	प्रबंधन रिपोर्ट	216
	Management Report	
11.	नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	220
	Comments of CAG	
12.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	221
	Auditor's Report	
13.	सेवा तंत्र	237
	Service Network	



# ई सी जी सी लिमिटेड

1

# निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



श्री एम रोंथित्तनाथन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड, कार्यकारी निदेशक – कार्यपालक Shri M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited Functional Director-Executive



**श्री सुनीत जोशी** कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड कार्यकारी निदेशक – कार्यपालक

Shri Sunil Joshi Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited Functional Director-Executive



श्री अमिताभ कुमार, भा रा से संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (16 नवंबर 2021 तक) सरकार द्वारा नामित – गैर कार्यपालक निदेशक Shri Amitabh Kumar, IRS Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India (Up to November 16, 2021) Government Nominee Non-Executive Director



64th Annual Report - 2021-2022

# निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



**श्री विपुल बंसल, भा प्र से** संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, (16 नवंबर 2021 से) सरकार द्वारा नामित – गैर कार्यपालक निदेशक

Shri Vipul Bansal, IAS Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India (From November 16, 2021) Government Nominee Non-Executive Director



**श्री के राजारामन, भा प्र से** अपर सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (18 अक्टूबर 2021 तक) सरकार द्वारा नामित – गैर कार्यपालक निदेशक

Shri K. Rajaraman, IAS Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India (Up to October 18, 2021) Government Nominee Non-Executive Director



श्रीमती अपर्णा भाटिया, भा आ से आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (16 नवंबर 2021 से) सरकार द्वारा नामित – गैर कार्यपालक निदेशक Smt. Aparna Bhatia, IES Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India (From November 16, 2021) Government Nominee Non-Executive Director



9ी शिरीष चन्द्र मुर्मू कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैक गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Shri Shirish Chandra Murmu Executive Director, Reserve Bank of India Non-Official Non-Executive Independent Director



# ई सी जी सी लिमिटेड

# निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



श्री डेविड रस्किला<br/>प्रबंध निदेशकभारतीय निर्यात आयात बैंक (भारतीय एक्ज़िम बैंक)<br/>(31 मई 2021 तक)गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकShri David Rasquinha<br/>Managing Director,<br/>EXIM Bank of India<br/>(Up to May 31, 2021)Non-Official Non-Executive Independent Director



श्रीमती हर्षा खंगारी<br/>प्रबंध निदेशकभारतीय निर्यात आयात बैंक (भारतीय एक्ज़िम बैंक)<br/>(23 सितंबर 2021 से)गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकSmt. Harsha Bangari<br/>Managing Director,<br/>EXIM Bank of India<br/>(from September 23, 2021)Non-Official Non-Executive Independent Director



श्री देवेश श्रीवास्तव अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जीआईसी री गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Shri Devesh Srivastava Chairman-cum-Managing Director GIC Re Non-Official Non-Executive Independent Director



श्री शरद कुमार सराफ अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईज़ेशन्स (28 जून 2021 तक) गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक Shri Sharad Kumar Saraf President, Federation of Indian Export Organisations (up to June 28, 2021) Non-Official Non-Executive Independent Director



64th Annual Report - 2021-2022

11

# निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS



**डॉ ए. शक्तितवेल** अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईज़ेशन्स (09 आगस्त 2021 से) गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक **Dr. A. Sakthivel** President, Federation of Indian Export Organisations (From August 09, 2021) Non-Official Non-Executive Independent Director



**श्री अभित कुमार अग्रवाल** (03 नवंबर 2021 से) गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक **Shri Amit Kumar Agarwal** (From November 03, 2021) Non-Official Non-Executive Independent Director



**श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा** (11 नवंबर 2021 से) गैर आधिकारिक गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक **Smt. Pratibha Kushwaha** (From November 11, 2021) Non-Official Non-Executive Independent Director



# ई सी जी सी लिमिटेड

# वरिष्ठ प्रबंधन / Senior Management



श्री एम. सेंथिलनाथन / Shri M. Senthilnathan अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / Chairman-cum-Managing Director



श्री सुनील जोशी / Shri Sunil Joshi कार्यपालक निदेशक / Executive Director



श्री सी.एन.ए. अन्बरासन / Shri C.N.A. Anbarasan कार्यपालक निदेशक / Executive Director



श्री परमदीप लाल ठाकुर Shri Paramdeep Lal Thakur



श्री निर्दोष चोपड़ा Shri Nirdosh Chopra

#### 1. श्री बलबीर सिंह मान

- 2. श्री एन. सुब्रमणियन
- 3. श्री अभिषेक कुमार जैन
- 4. श्री आर. के. पांडियन
- 5. श्री कुमार अंशुमन
- 6. श्री गौरव अंशुमन
- 7. श्री यशवंत बी. ब्रीद
- 8. श्रीमती अर्पिता सेन

9. श्री वाईं. सुधीर

#### महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS



श्री ईशनाथ झा Shri Ishnath Jha



श्रीमती स्मिता वि. पंडित Smt Smita V. Pandit

Shri Y. Sudheer

8



Shri Sristiraj Ambastha



Shri Anand Singh



श्री सुबीर कुमार दास Shri Subir Kumar Das



श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा Smt Priscilla Sinha

10. श्री सुभाष चन्द्र चाहर	Shri Subhash Chandra Chahar
11. श्री नीरज गुप्ता	Shri Niraj Gupta
१२. श्री आर. महालिंगम	Shri R. Mahalingam
13. श्री राजेश जमनानी	Shri Rajesh Jhamnani
14. श्री राहुल	Shri Rahul
15. श्री रंगराव तु. हांडे	Shri Rangarao T. Hande
16. श्री सचिन खन्ना	Shri Sachin Khanna
17. श्री शशांक बाजपेयी	Shri Shashank Bajpai
(मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी)	(Chief Information Security Officer)



श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ



श्री आनंद सिंह



#### 64th Annual Report - 2021-2022

## निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

								(₹ करो	ड़ में) (₹ i	in Crore)
वर्ष / YEAR	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
संरक्षित कारोबार मूल्य /	VALUE OF E	USINESS (	COVERED							
अल्पावधि पॉलिसियॉॅं*/** Short Term Policies*/**	269272.00	241934.17	215021.77	198872.00	1,77,349.00	1,72,788.00	135871.97	1,33,983.00	131344.00	126100.00
अल्पावधि ई सी आई बी***/**** Short Term ECIB***/****	345676.00	354200.12	341826.72	455267.00	4,56,684.00	4,48,604.00	127534.80	1,38,555.00	138150.00	133251.00
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	3896.97	6667.25	4757.37	5787.00	7,415.57	6,027.26	5979.06	7,652.00	9762.80	10160.00
कुल / Total	618844.97	602801.54	561605.86	659926.00	641448.57	627419.26	269385.83	280190.00	279256.00	269512.00
प्रीमियम आय / PREMIU	IM INCOME									
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	485.45	429.99	405.17	412.26	367.95	359.99	382.99	383.87	388.57	360.68
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	600.84	603.78	644.78	806.83	843.21	881.07	910.64	942.29	869.68	751.72
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	20.33	28.51	25.52	28.45	29.25	26.56	27.10	36.24	45.48	44.85
कुल / Total	1106.62	1062.28	1075.47	1,247.54	1,240.41	1,267.62	1320.73	1362.40	1303.73	1157.25
प्रदत्त दावें / CLAIMS PAI	D									
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	237.91	284.87	146.77	168.13	136.70	206.85	127.32	126.98	109.29	113.69
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	443.42	761.87	261.64	813.39	1131.47	655.50	995.52	462.85	639.55	396.61
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	5.87	-	-	31.79	14.99	22.99	-	-	148.65	38.20
कुल / Total	687.20	1046.74	408.41	1,013.31	1,283.16	885.34	1122.84	589.83	897.49	548.50
की गयी वसूलियाँ / REC	OVERIES MA	DE								
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	16.53	9.77	10.21	21.47	18.55	9.77	7.80	9.61	5.76	7.40
अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB	93.44	107.53	156.17	129.36	166.39	109.76	106.06	142.52	144.53	104.71
मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers	0	0.17	0.06	-	0.67	19.14	0.18	8.02	8.02	8.42
कुल / Total	109.97	117.47	166.44	150.83	185.61	138.67	114.04	160.15	158.31	120.53

olc: \* इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संक्षारित कारोबार का मूल्य, वित्तीय वर्ष 2010–11 तक प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित औसत हानि सीमा, अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य हैं।

Note: \* Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

\*\* कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो. मू. सकल हानि सीमा (ए एल एल) का 20 गुना लिया गया है क्योंकि ए एल एल से निर्यात पण्यावर्त (ई टी) अनुपात 5% तक होता है जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता है। जो. मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01/04/2017 से प्रभावी है। विवरण कों तुलनात्मक बनाने के लिए 01/04/2016 से 31/03/2017 तक के आकड़ों की पुनर्गणना की गई है।

\*\* The RV for customised MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL), the reason being under customized policies, the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 1.4.2017. To make the comparison equitable, the figure w.e.f 1.4.2016 to 31.03.2017 has also been reworked.

\*\*\* वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं उसके बाद बैकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित है तथा वित्त वर्ष 2010–11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया कों दर्शाती है।

\*\*\* Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

\*\*\*\* ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान भा रि बैं से प्राप्त आकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण एवं चार के कारक से गुणन किया गया है।

\*\*\*\* The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.



# ई सी जी सी लिमिटेड

# निष्पादन विशेषताएँ / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2021-2022

# उत्पाद समूह वितरण Product Group Distribution



ईसीआईबी-अल्पावधि बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि / ECIB-ST: Export Credit Insurance for Banks-Short Term

पॉलिसी-अल्पावधि / Policy-ST: Policy-Short Term

एम. एल. टी. : मध्यम एवं दीर्धावधि / MLT: Medium and Long Term



64th Annual Report - 2021-2022

# अध्यक्षीय संबोधन -2021-22 CHAIRMAN'S MESSAGE - 2021-22



श्री एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Shri M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director

#### वैश्विक अर्थव्यवरुथा

विकसित तथा विकासशील देशों में कोरोनावायरस के विभिन्न प्रकारों के उभरने के कारण आरंभ में सचेतता के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 से सुधार आरंभ हो गया। महामारी से प्रेरित मंदी के उपरांत विश्व भर के देशों में आई मांगों में वृद्धि वर्ष 2021 के अंत तक जारी रही। जबकि वर्ष 2022 का आरंभ काफी प्रोत्साहक रहा परंतु यूक्रेन-रूस संघर्ष के कारण वस्तु एवं ईधन मूल्य मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप विकास की गति धीमी पड गयी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (जुलाई 2022) के पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2022 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरते हुए बाज़ारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में क्रमशः 2.5 प्रतिशत एवं 3.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2022 के दौरान सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में 7.4 प्रतिशत की उच्चतम विकास दर के साथ भारत द्वारा सर्वोत्तम विकास दर दर्ज

#### **Global Economy**

The global economy started recovering in 2021 albeit on a cautionary note initially in view of the emergence of different strains of the coronavirus in the developed as well as the developing countries. The sharp growth fuelled by the pent-up demand in countries across the globe subsequent to the pandemic-induced slowdown has continued till the end of 2021. While the beginning of the year 2022 was on a strong note, the growth momentum was lost as a result of commodity and fuel price inflation due to the Ukraine-Russia conflict.

As per the forecast by the International Monetary Fund's (IMF) World Economic Outlook (July 2022), the global economy is projected to grow by 3.2% in 2022. Advanced Economies and Emerging Market and Developing Economies are envisaged to grow at 2.5 percent and 3.6 percent respectively in 2022. India is expected to record one of the highest growth rates among all Emerging Economies at 7.4 percent



10.00

किए जाने का अनुमान है एवं इसके द्वारा एशिया में विकास के नेतृत्व की संभावना है। विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में अंतरराष्ट्र ीय व्यापार में व्यापक योगदान की संभावना है।

#### विश्व व्यापार

वस्तुओं एवं सेवाओं में 27.6 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ विश्व व्यापार वृद्धि काफी उत्साह वर्धक रही एवं इसमें पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 के दौरान 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। सभी अर्थव्यवस्थाओं में एक समान वृद्धि के साथ व्यापारिक निर्यात कुल 21.7 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के रहे।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का अनुमान है कि, वर्ष 2022 में विश्व विविध वस्तु व्यापार की मात्रा में 3.0% वृद्धि संभावित है (जो की इसके द्वारा किए गए पूर्व के पूर्वानुमान की तुलना में 4.7% कम है)। तथापि बढ़ते हुए भू–राजनीतिक संघर्षों के कारण इन आंकड़ों में एवं अधिक गिरावट संभावित है। चल रहे वर्तमान संकट में , परिवहन क्षेत्र जिसमें कंटेनर शिपिंग एवं यात्री हवाई परिवहन शामिल है, सहित सेवा व्यापार का भी प्रभावित होने की संभावना है।

देशों द्वारा सामना की जा रही सभी कठिनाइयों के बावजूद, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इससे वैश्वीकरण के महत्व को कम नहीं आँका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विश्व भर को एकजुट करने एवं वैश्विक समृद्धि तथा व्यापार वृद्धि करने हेतु शांति व सद्भाव की भूमिका का लंबे समय के लिए विशेष महत्व होगा। व्यापार वृद्धि का समर्थन करने वाली आर्थिक एवं राजनीतिक उदारवादिता को बढ़ावा देने वाले संकेंद्रित प्रयास सभी के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस संबंध में निर्यात ऋग एजेंसियों (ईसीए) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय है।

#### व्यापार में निर्यात ऋग बीमाकर्ताओं का सहयोग

सार्वजनिक ई सी ए एवं निजी बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ऋग एवं निवेश बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ (बर्न यूनियन – बी यू) के अनुसार निर्यात ऋग बीमा उद्योग द्वारा वर्ष 2021 के दौरान सीमापारीय वैश्विक व्यापार एवं निवेश में 2.36 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की नयी बीमा रक्षा प्रदान की गयी जो कि सीमापारीय वैश्विक व्यापार के 13% अधिक है, इसके अतिरिक्त निर्यात व्यापार के समर्थन हेतु कुल 64 बिलियन अम रीकी डॉलर की घरेलू रक्षाएं यथा निर्यात कार्यकारी पूंजी, प्रदान की गयी। ये आंकड़े वर्ष 2020 के दौरान 11% एवं वर्ष 2019 के दौरान 12% की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं। यह वृद्धि, विश्व व्यापार में क्रमिक सुधार एवं सीमापारीय व्यापार में स्थिरता तथा विभिन्न देशों के संबन्धित सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का परिणाम है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि ऋग बीमाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध किए गए समर्थन के बिना व्यापार में in 2022 and will spearhead the growth in Asia. International trade will contribute a major part of growth in the world economy.

#### **Global Trade**

World trade in goods and services also showed promise with numbers of 27.6 trillion dollars and registering a growth of 10.1 percent in 2021 over the previous year. Merchandise exports totalled to 21.7 trillion dollars with a uniform growth across all economies.

The World Trade Organization (WTO) estimates that, world merchandise trade volume is likely to grow by 3.0% in 2022 (down from its previous forecast of 4.7%). However, there may be a further downward revision in these figures due to rising geopolitical conflicts. Amid the ongoing crisis, services trade will also take a hit including the transportation sector, which covers container shipping and passenger air transport.

Despite all the difficulties being faced by the countries, it is imperative to state that the significance of globalization should not be undermined. Additionally, the role of peace and harmony to unite the world and promote global prosperity and trade is non-negotiable in the long run. Focused efforts in fostering economic and political resilience in supporting the trade growth will go a long way in increasing prosperity for all. The role played by Export Credit Agencies (ECAs) in this regard is noteworthy.

#### Export Credit Insurers support to trade

The information gathered by the International Association of Credit and Investment Insurers (Berne Union – BU) representing both the public ECAs and private insurers depicts that in 2021, the Export Credit Insurance industry provided new insurance covers supporting USD 2.63 trillion of cross-border trade and investment which is more than 13% of the cross-border global trade, plus an additional USD 64 billion domestic covers i.e. cover for export working capital finance, etc., in support of outbound trade. These figures show an increase of 11% over 2020 and 12% over 2019. The growth can be attributed to a gradual rebound and stabilization in cross-border trade and various measures taken by the respective governments in the countries. Considering the fact that without the support provided by the credit

# 12

# ई सी जी सी लिमिटेड

यह वृद्धि संभव नहीं थी , विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा उनके राष्ट्रीय ईसीए को पर्याप्त पूंजी एवं अन्य स्रोतों से समर्थित किया गया।

वर्ष 2020 के दौरान ईसीए द्वारा कुल नौ बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के दावों की अदायगी की गयी है जो कि वर्ष 2020 की तुलना में 6% एवं वर्ष 2019 के दौरान की गयी दावा अदायगियों की तुलना में 17% अधिक है। अल्पावधि के अधीन किए गए दावे न्यून रहे जबकि मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार (एम एल टी) में अदा किए गए दावे अधिकांश परिवहन क्षेत्र (2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर) से संबन्धित रहे जो कि मध्यम व दीर्घावधि क्षेत्र (एम एल टी) के अधीन कुल जावक के 50% है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप ही भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गयी।

#### भारत : अर्थव्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक शर्तों में 8–8.5% की वृद्धि अनुमानित है। निजी क्षेत्र निवेश, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के समर्थन में सरकार द्वारा किए जाने वाले पहलों एवं सुसंगठित वित्तीय प्रणाली से वर्ष के दौरान सुव्यवस्थित वृद्धि का अनुमान है।

सुदृढ़ विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों, बढ़ते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों एवं सुदृढ़ निर्यात निष्पादन का सम्मिलन वर्ष 2022– 23 के दौरान संभावित वैश्विक उथलपुथल के विरुद्ध एक मजबूत दीवार साबित होंगे।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारत का विविध वस्तु व्यापार में सरकार द्वारा निर्धारित 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य की तुलना में 417.81 बिलियन अमरीकी डॉलर की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गयी। यह निष्पादन पेट्रोलियम, सूती यार्न, टेक्सटाइल, रसायन एवं इंजीनिरिंग माल जैसे उत्पादों के निर्यातों के कारण संभव हो पाया।

इसी समय भारत के विविध वस्तु आयात भी बढ़ कर 610.22 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंचे, जो कि मुख्य रूप से कचा तेल, कोयला, सोना एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयातों के कारण हुआ।

#### कंपनी का निष्पादन

देश का प्रमुख ईसीए होने के कारण , ईसीजीसी देश से किए जाने वाले विदेश व्यापार के संवर्धक की अपनी भूमिका में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा कई पहलुओं में उत्कृष्ट परिणाम दर्ज किए गए है। पिछले वर्ष 1062.28 करोड़ रु की सकल प्रीमियम आय ( जी पी आई ) तुलना में इस वर्ष , कोविड पूर्व वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 1075.47 करोड़ रु की तुलना में एवं पिछले

#### 64th Annual Report - 2021-2022

insurers, a major portion of growth in trade would not have materialised, the governments in various countries supported their national ECAs with adequate capital and other resources.

The claims paid by the ECAs were a little more than USD nine billion which was 6% more than in 2020 and almost 17% higher than the claims in 2019. The claims paid under the short term remained low, while in the MLT business, the claims were highly concentrated in the transportation sector (USD 2.2 billion), which accounted for over 50% of the total outgo under MLT. In line with the global trend Indian Economy and international trade recorded impressive growth in FY 2021-22.

#### India: Economy & International Trade

The Indian economy is projected to grow in real terms by 8-8.5% in FY 2022-23. The private sector investment, the initiatives by the government in support of international trade and the robust financial system are poised to pave the way for a strong performance during the year.

A combination of healthy foreign exchange reserves, increasing foreign direct investment, and strong export performance is expected to provide an effective cushion against the projected global headwinds in 2022-23.

During FY 2021-22, India's merchandise exports soared to a record high of US\$417.81 billion outpacing the government's target of US\$400 billion. The performance was mainly driven by an increase in exports of products like petroleum, cotton yarn, textiles, chemicals and engineering goods. At the same time, Indian merchandise imports also surged at US\$610.22 billion, mainly driven by rise in imports of crude, coal, gold and electronics.

#### **Company's Performance**

As the premier ECA of the nation, ECGC is committed to excel in its role of promoting outbound trade from the country. The Company recorded excellent results in many aspects. The achievement in terms of Gross Premium Income (GPI) at Rs.1106.62 crore compared to Rs.1062.28 crore in the previous year resulted in reversing the negative growth trend in GPI in the last five FYs as well as in surpassing the pre-Covid FY 2019-20 GPI of Rs.1075.47 crore.

In the FY 2021-22, the value of exports supported by the Company increased to Rs.6.19 lakh crore from



10.00

पाँच वित्तीय वर्षों की प्रतिकूल वृद्धि वाली प्रवृत्ति को समाप्त करते हुए बढ़ कर 1106.62 करोड़ रु पर पहुंची।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी द्वारा समर्थित निर्यातों का मूल्य पिछले वर्ष 6.03 लाख करोड़ रु की तुलना में बढ़ कर 6.19 लाख करोड़ रु हुआ। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान समग्र रूप से कंपनी द्वारा भारत के विविध वस्तु व्यापार के 20% व्यापार समर्थित रहे एवं निर्यातकों को जारी रक्षाओं के अधीन समर्थित कारोबार पिछले वर्ष के 2.42 लाख करोड़ रु की तुलना में 11% बढ़ कर 2.70 लाख करोड़ रु हुआ।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 687.00 करोड़ रु के दावों की अदायगी की गयी। निर्यातकों को कुल 238.00 करोड़ रु के दावों की अदायगी की गयी जबकि बैंकों को कुल 449.00 करोड़ रु के दावों की अदायगी की गयी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान दावों की अदायगी में कंपनी के निष्पादन में सुधार हुआ एवं इसके द्वारा निर्यातकों से प्राप्त कुल 533 दावों में से 417 दावों की अदायगी की गयी जो कि निर्यातकों से प्राप्त दावों की कुल संख्या के 78% दावों की अदायगी को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी का दावा प्रावधान 6,993 करोड़ रु रहा। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष अर्जित 588 करोड़ रु के कर पूर्व लाभ की तुलना में इस वर्ष कुल 1161 करोड़ रु का लाभ अर्जित किया गया। इस वर्ष के दौरान निवल लाभ पिछले वर्ष 460.00 करोड़ रु की तुलना में 90% की वृद्धि को को दर्शाते हुए , 875.00 करोड़ रु रहा। दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी की निवल मालियत ( नि मा ) , दिनांक 31 मार्च 2021 तक कुल 6,365 करोड़ रु की तुलना में 7,841 करोड़ रु रही।

#### अन्य उपलब्धियां

पुनर्गठन प्रक्रिया के भाग के रूप में कंपनी के सेवा तंत्र को दिनांक 1 अप्रैल 2021 से समेकित किया गया। कंपनी द्वारा वेबिनर / वर्ष के उत्तरार्ध में ऑफलाइन बैठकों एवं भौतिक बैठकों के जरिये ग्राहक जागरूकता पहलों को जारी रखा गया। वर्ष के दौरान कंपनी का मोबाइल ऍप भी आरंभ किया गया।

कंपनी सर्वोत्तम कंपनी शासन प्रथाओं का पालन करती है एवं उसे कंपनी शासन पर सार्वजनिक उपक्रम विभाग ( डी पी ई ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार "उत्कृष्ट" की श्रेणी में रखा गया है। प्रभावपूर्ण सेवाएँ प्रदान करने की प्रथा को जारी रखते हुए कंपनी अपने परिचालनों में निष्पक्षता,पारदर्शिता एवं जवाबदेहीता हेतु निरंतर तत्पर है। कंपनी द्वारा नियंत्रण एवं आवश्यक संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक मानदंडों के अनुपालन हेतु कई प्रणालियाँ लागू की गयी है। कंपनी निर्यात संवर्धन हेतु अपनी Rs.6.03 lakh crore. Overall, the Company supported around 20% of India's merchandise exports during FY 2021-22 and the business supported under covers issued to exporters, increased by more than 11% to Rs. 2.70 lakh crore compared to Rs. 2.42 lakh crore supported during the previous year.

The total claim paid by the Company during the FY 2021-22 was Rs.687 crore. Claims amounting to Rs. 238 crore were paid to exporters, while claims amounting to Rs. 449 crore were paid to banks. The Company improved its performance under claim payment to exporters during FY 2021-22, wherein the Company paid 417 claims out of the 533 claims received from the exporters, indicating a 78% payout in terms of the number of claims received from exporters.

The Company's claim provision as of 31<sup>st</sup> March 2022 was Rs.6,993 crore. The Company has achieved a profit before tax of Rs.1161 crore compared to Rs.588 crore in the previous year. The net profit for the year stood at Rs.875 crore reflecting an increase of 90% from the previous year level of Rs.460 crore. The Net worth (NW) of the Company as of 31<sup>st</sup> March, 2022 was Rs.7,841 crore as against Rs. 6,365 crore as of 31<sup>st</sup> March, 2021.

#### **Other Achievements**

As part of the reorganization exercise, the service network of the Company was consolidated w.e.f. April 1, 2021. The Company continued its customer awareness initiatives through webinars/ offline meetings and physical meetings during the later part of the year. During the year, a Mobile App of the Company was also launched.

The Company adheres to the best corporate governance practices and has been rated as 'Excellent' as per the DPE guidelines on Corporate Governance. While continuously improving its process for efficient delivery of services, the Company strives to ensure fairness, transparency and accountability in its operations. The Company has put in place systems to keep a check and comply with relevant statutory and regulatory norms as required. The Company reiterates its commitment to the cause of export promotion and continues to pursue excellence in service to the export fraternity. The Company as part of its corporate social responsibility actively contributes to

# ई सी जी सी लिमिटेड



भूमिका को गंभीरता से लेती है एवं निर्यातक समुदाय को उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में अपनी सहभागिता के रूप में स्वस्थ्य , शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण एवं स्वच्छ भारत जैसे कई क्षेत्रों में अपनी पहलों के रूप में हिस्सा ले रही है।

कंपनी को उसकी सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए निरंतर पुरस्कृत किया जा रहा है। इस संबंध में कंपनी के प्रधान कार्यालय एवं विभिन्न शाखा कार्यालय जैसे ठाणे, लुधियाना, पानीपत , जालंधर, इंदौर, विशाखापट्टनम, कोची, सेलम, बेंगलुरु शाखा कार्यालय एवं दक्षिण क्षेत्र – ॥ को गृह मंत्रालय एवं उनके संबन्धित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।

#### आभार

कंपनी बोर्ड में सभी निदेशकों के योगदान के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करती है। वर्ष के दौरान बोर्ड में श्री विपुल बंसल, श्रीमती अपर्णा भाटिया, सुश्री हर्षा बंगारी, डॉ. ए. शक्तिवेल, श्री अमित कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती प्रतिभा शामिल किए गए। वर्ष के दौरान अमिताभ कुमार, श्री के. राजारामन, श्री शरद कुमार सराफ एवं श्री डेविड रसकिन्हा का बोर्ड में कार्यकाल समाप्त हुआ। मैं कर्मियों के उत्कृष्ट योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता हूं जो कि कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के मुख्य कारणों में एक है। मुझे विश्वास है कि कर्मियों की प्रतिबद्धता एवं शानदार टीम वर्क भविष्य के लिए शुभ संकेत साबित होगी।

#### जय हिन्द।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

healthcare, education, women and child welfare and Swachh Bharat initiatives, in many regions across the country.

The Company continues to receive accolade for effective implementation of the Official Language Policy by all the Branch offices, Regional offices and the Head office. In this regard, the Head Office and various branch offices of the Company such as Thane, Ludhiana, Panipat, Jalandhar, Indore, Vishakhapatnam, Kochi, Salem, Bengaluru Branch office & Southern Region – II have been awarded by the Ministry of Home Affairs and the respective Town Official Language Implementation Committees.

#### Acknowledgements

The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the Board. Shri Vipul Bansal, Smt. Aparna Bhatia, Ms. Harsha Bangari, Dr. A. Sakthivel, Shri Amit Kumar Agarwal and Smt. Pratibha Kushwaha joined the Board during the year. Shri Amitabh Kumar, Shri K. Rajaraman, Shri Sharad Kumar Saraf and Shri David Rasquinha ceased to be on the Board during the year. I place on record my appreciation for the excellent contribution from employees which is one of the strong reasons for the robust performance. I am sure the commitment of the employees and stellar team work augurs well for the future.

#### Jai Hind.

**एम. सेंथिलनाथन** अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director



ई सी जी सी लिमिटेड



6

फियो, श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा, स्वतंत्र निदेशक, श्री सी. एन. ए. अन्बरासन, कार्यपालक निदेशक, श्री ईशनाथ झा, महाप्रबंधक एवं श्रीमती स्मिता पंडित, महाप्रबंधक द्वारा श्री बी. वी. आर. सुब्रम हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, श्रीमती अपर्णा भाटिया, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, डॉ ए. शक्तिवेल, अध्यक्ष ECGC conducted its 64th AGM on 05.09.2022. The shareholders approved a record dividend of Rs.276.50 crore for the FY 2021-22. The dividend ण्यम, भा प्र से, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार एवं श्री शशांक प्रिया, एस एस एंड एफ ए को लाभांश का चेक प्रदान करते हुए।

A. Sakthivel, President, FIEO, Smt. Pratibha Kushwaha, Independent Director, Shri C. N. A. Anbarasan, Executive Director, Shri. Ishnath Jha, General

Manager and Smt. Smita Pandit, General Manager.

cheque was handed over to Shri B. V. R. Subrahmanyam, IAS, Commerce Secretary, Government of India and Shri Shashank Priya, SS&FA by Shri M. Senthilnathan, Chairman-cum-Managing Director, Smt. Aparna Bhatia, Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Dr.

210

1



17

.....



-----

# निदेशकों की रिपोर्ट **DIRECTORS' REPORT**

#### माननीय सदस्यगण,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) के निदेशकगण, सहर्ष 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम के साथ, कंपनी की 64वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

#### वित्तीय विशेषताएँ

आपके कंपनी की वित्तीय परिलब्धियाँ, समीक्षाधीन वर्ष के लिये निम्नलिखित हैं:

		(₹ करोड़ में)
विवरण	2021-22	2020-21
पण्यावर्त (सकल प्रीमियम)	1106.62	1062.28
वित्तीय प्रभार, कर, मूल्यहास/परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीआईटीडीए)	1167.56	594.75
घटाएं : वित्तीय प्रभार	_	_
मूल्यह्रास/परिशोधन से पूर्व लाभ(पीबीटीडीए)	1167.56	594.75
घटाएं : मूल्यह्रास	6.70	6.65
कराधान से पूर्व निवल लाभ (पीबीटी)	1160.86	588.10
कराधान हेतु प्रावधान	285.70	127.79
कराधान के पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	875.16	460.31

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹687.20 करोड़ की तुलना में कंपनी द्वारा कुल ₹1046.74 करोड़ के दावों की अदायगी की गई है। पुनर्बीमाकर्ताओं के हिस्से, वसूलियों एवं प्रावधानों के समयोजन के उपरांत वहन किये गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹884.52 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 में घटकर ₹546.19 करोड़ हो गए। वित्तीय वर्ष 2021–22 में निवेश एवं अन्य आय पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1019.22 करोड़ के मुक़ाबले 7.97% की वृद्धि सहित ₹1100.46 करोड़ हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित सकल प्रीमियम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹1062.28 करोड़ के मुकाबले 4.17% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1106.62 करोड़ रही। पुनर्बीमा रियायत का समायोजन एवं असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वित्तीय वर्ष 2021– 22 हेतु शुद्ध अर्जित प्रीमियम बढ़कर ₹882.16 करोड़ हो गया, जबकि ₹827.31 करोड़ की तुलना में 6.63% की वृद्धि दर्ज की गई थी।

#### Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 64th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2022.

#### **FINANCIAL HIGHLIGHTS**

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

		(₹ In Crore)
Particulars	2021-22	2020-21
Turnover (Gross Premium)	1106.62	1062.28
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation / Amortization (PBITDA)	1167.56	594.75
Less : Finance Charges	-	-
Profit Before Depreciation / Amortization (PBTDA)	1167.56	594.75
Less : Depreciation	6.70	6.65
Net Profit Before Taxation (PBT)	1160.86	588.10
Provision for Taxation	285.70	127.79
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	875.16	460.31

During the FY 2021-22, the total amount of claims paid by the Company was ₹687.20 crore against ₹1046.74 crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim decreased for the FY 2021-22 to ₹546.19 crore against ₹884.52 crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹1100.46 crore in FY 2021-22 from ₹1019.22 crore in the previous FY reflecting a growth of 7.97%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2021-22 was ₹1106.62 crore against ₹1062.28 crore during the previous FY registering a growth of 4.17%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2021-22, increased to ₹882.16 crore, against ₹827.31 crore for the previous FY registering growth of 6.63%.





#### 64th Annual Report - 2021-2022

#### लाभ एवं विनियोजन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, परिचालन से कुल आय पिछले वित्त वर्ष में ₹1405.51 करोड़ की तुलना में ₹1484.98 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में ₹159.10 करोड़ के मुकाबले ₹684.88 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कर पूर्व लाभ (पी बी टी) पिछले वित्तीय वर्ष में ₹588.10 करोड़ की तुलना में ₹1160.86 करोड़ रहा। आयकर एवं पूर्व अवधि समायोजन के लिए ₹285.70

#### **PROFITS AND APPROPRIATIONS**

During the FY 2021-22, total income from operations was ₹1484.98 crore against ₹1405.51 crore in the previous FY. During the FY 2021-22, the Company posted an Operating Profit of ₹684.88 crore against ₹159.10 crore in the previous FY. During the FY 2021-22, Profit Before Tax (PBT) was ₹1160.86 crore, against ₹588.10 crore in the previous FY. After providing ₹285.70 crore towards



करोड़ प्रदान करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में विनियोग के लिए उपलब्ध कर पश्चात लाभ (पी ए टी) पिछले वित्तीय वर्ष में ₹460.31 करोड़ के मुकाबले ₹875.16 करोड़ रहा।

#### लाभांश

निदेशक मंडल सहर्ष, ₹276.50 करोड़ की राशि के, ₹100 प्रत्येक के 39,50,00,000 इक्विटी शेयरों पर ₹7 प्रति इक्विटी शेयर के पूर्ण एवं अंतिम लाभांश की अनुशंसा करते है। कुल लाभांश ₹276.50 करोड़ है जो ₹875.16 करोड़ के पी ए टी के 31.59% के अदायगी अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।

#### प्रारक्षित निधियाँ

बोर्ड द्वारा, दिनांक 25 मई 2022 को सम्पन्न अपनी 436 वीं बैठक के दौरान ₹598.66 करोड़ की राशि को सामान्य प्रारक्षित निधियों में अंतरित करना प्रस्तावित किया गया।

#### अदावी लाभांश का निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष में अंतरण

पिछले वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का अदत्त / अदावी लाभांश घोषित एवं भुगतान न किए जाने की कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

#### शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की निवल मालियत ₹7840.88 करोड़ (दिनांक 31 मार्च 2021 तक ₹6365.22 करोड़) थी जिसमें ₹3950 करोड़ चुकता शेयर पूंजी (वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2021-22 was ₹875.16 crore, against ₹460.31 crore in the previous FY.

#### DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹7 per Equity Share on the 39,50,00,000 Equity Shares of ₹100 each, amounting to ₹276.50 crore. The total dividend amounts to ₹276.50 crore representing a pay-out ratio of 31.59% of the PAT of ₹875.16 crore.

#### RESERVES

The Board, at its 436<sup>th</sup> Meeting, held on May 25, 2022, proposed to transfer ₹598.66 crore to General Reserve.

#### TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

#### SHARE CAPITAL

As of March 31, 2022, the Company's Net Worth was ₹7840.88 crore (₹6365.22 crore as on March 31, 2021), comprising Paid-up Share Capital of ₹3950 crore (including ₹760 crore received from the Central



पूँजीवर्धन के रूप में केंद्र सरकार से प्राप्त ₹760 करोड़ सहित) की चुकता शेयर पूंजी एवं ₹3890.88 करोड़ के प्रारक्षण एवं अधिशेष शामिल है।

#### क. प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपनी किसी भी प्रतिभूति की पुनर्खरीद नहीं की गई है। Government by way of fresh infusion of capital during FY 2021-22) and Reserves and Surplus of ₹3890.88 crore.

#### a. BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

#### b. SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares



#### ख. उद्यम इक्रिटी

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के उद्यम इक्विटी शेयर जारी नहीं किए गए।

#### ग. बोनस शेयर

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए।

#### घ. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

#### कंपनी के बहिर्नियम

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

#### शोधन-क्षमता मार्जिन

भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) द्वारा निर्धारित शोधन–क्षमता अनुपात 1.5 के मानदंड की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2022 को कंपनी का शोधन–क्षमता अनुपात 30.05 रहा, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	2021-22	2020-21
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित	238.91	298.41
शोधक्षमता मार्जिन(आर.एस.एम.)		
(रु. करोड़ों में)		

20

during the year under review.

#### c. BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

#### d. EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

#### **MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY**

During the FY 2021-22 there was no change in the Memorandum of Association of the Company.

#### SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2022 is 30.05 against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.5. The details are as under:

Particulars	2021-22	2020-21
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ in crore)	238.91	298.41

# ई सी जी सी लिमिटेड

उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए.एस.एम.) (रु. करोड़ों में)	7178.75	5745.67
शोधक्षमता अनुपात	30.05	19.25
(कुल ए.एस.एम./आर.एस.एम.)		

#### अधिकतम देयता

कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) वह देयता होती है जिसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार किसी भी समय कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत, बीमांकन किया जा सकता है, इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. के–11015/2/2021–ई एंड एम डी ए–डी ओ सी के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी की अधिकतम देयता को ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,50,000 करोड़ कर दिया गया। दिनांक 31 मार्च 2022 तक अधिकतम देयता ₹103879.89 करोड़ रही।

#### नये उत्पाद का प्रारम्भ

वित्त वर्ष 2021–22 में कंपनी द्वारा कोई भी नया उत्पाद आरम्भ नहीं किया गया है।

#### निवेश

कंपनी के निवेश आईआरडीए के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

#### प्रबंधन व्यय

संबंधित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए के 29.19% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत रूप में 27.74% (पिछले वर्ष 27.60%) रहे।

			(र कराड़ म)		
विविध समूह / कॉर्पोरेट					
भारत में बीमाकर्ताओं द्वारा बीमांकित कुल सकल प्रीमियम का भाग	प्रीमियम	प्रीमियम का प्रतिशत	स्वीकृत व्यय		
प्रथम	200.00	35.00%	70.00		
अगला	150.00	30.00%	45.00		
शेष	756.62	27.50%	208.07		
भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम	1106.62		323.07		
स्वीकृत व्यय का %			29.19		

#### राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एन ई आ ईए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) व उच्च मूल्य की परियोजनाओं के लिए ऋग जोखिम रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट के पास ₹4,155.08 करोड़

#### 64th Annual Report - 2021-2022

Available Solvency Margin (ASM) (₹ in crore)	7178.75	5745.67
Solvency Ratio (Total ASM / RSM)	30.05	19.25

#### MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, has been enhanced from ₹1,00,000 crore to ₹1,50,000 crore by the Government of India vide OM No. K-11015/2/2021-E&MDA-DoC dated 09<sup>th</sup> March, 2022. The ML as of March 31, 2022 was ₹103879.89 crore.

#### INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2021-22, no new product was introduced by the Company.

#### INVESTMENT

(∌ क्रजेट में)

The investments of the Company are in conformity with the guidelines of the IRDAI.

#### MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2021-22 stood at 27.74% (previous FY 27.60%) against the IRDAI norm of 29.19%.

(₹ In croro)

		(	( in crore)		
Miscellaneous Group / Corporate					
Part of the total Gross Premium of the insurer written in India	Premium	Percentage of Premium	Allowable Expenses		
First	200.00	35.00%	70.00		
Next	150.00	30.00%	45.00		
The Balance	756.62	27.50%	208.07		
Total Written Premium in India	1106.62		323.07		
% of Allowable Expenses			29.19		

#### NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA) TRUST

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) / project exports which are desirable from the



# ई सी जी सी लिमिटेड

# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

की बीमांकन राशि उपलब्ध रही। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹80,000 है जिसके 25% अर्थात ₹20,000 करोड़ की राशि कंपनी द्वारा जारी एम.एल.टी. रक्षाओं हेतु प्रारक्षित की गयी है। 52 देशों में कुल ₹43,444 करोड़ के मूल्य सहित 213 परियोजनाओं का समर्थन करने वाले 329 point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹4,155.08 crore as of March 31, 2022. The underwriting capacity of the Trust is ₹80,000 crore of which 25% amounting to ₹20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by



रक्षाओं के संबंध में 14,063 करोड़ रुपये के जोखिम को एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000 करोड़ की शेष 75% राशि अर्थात ₹60,000 करोड़ का एन ई आई ए ट्रस्ट (बी सी–एन ई आई ए) की खरीदार साख योजना के लिए निर्धारित किया गया है। दिनांक 31मार्च 2022 तक ट्रस्ट ने श्रीलंका, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम, युगांडा एवं मॉरिटानिया देशों में ₹17,756 करोड़ मूल्य की 27 परियोजनाओं के लिए ₹24,721 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 27 खरीदार साख रक्षा जारी किए हैं। भारत सरकार, ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापक है एवं ईसीजीसी प्रबंध एजेंसी है।

#### निदेशक मण्डल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन के सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल के पास है। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर–कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, चार अंशकालिक निदेशक अर्थात श्री अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री के. राजारामन, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री डेविड रसकिन्हा, प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक; एवं श्री शरद कुमार सराफ, अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ ई आई ओ) का निदेशक के रूप में कंपनी में कार्यकाल समाप्त हुआ। श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्रीमती अपर्णा भाटिया, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक the Company on risk sharing basis. Risk to the extent of ₹14,063 crore, in respect of 329 covers supporting 213 projects with a total value of ₹43,444 crore in 52 countries, has been shared with NEIA Trust. The balance 75% of ₹80,000 crore amounting to ₹60,000 crore is earmarked for the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31, 2022, the Trust has issued 27 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹24,721 crore for 27 projects of value ₹17,756 crore in the countries Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D' Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname, Uganda and Mauritania. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

#### **BOARD OF DIRECTORS**

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are Non-Executive Directors. All Members of the Board including the Chairman-cum-Managing Director (CMD) and Executive Director (Policy Matters) are appointed by the President of India.

During the FY 2021-22, four Part-Time Directors viz. Shri Amitabh Kumar, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Shri K. Rajaraman, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; Shri David Rasquinha, Managing Director, Export-Import Bank of India; and Shri Sharad Kumar Saraf, President, Federation of Indian Export Organisations (FIEO) ceased to be Directors of the Company. Shri Vipul



मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय में अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में; तथा सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात–आयात बैंक; डॉ. ए. शक्तिवेल, अध्यक्ष, एफ आई ई ओ; श्री अमित कुमार अग्रवाल; एवं श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अंशकालिक गैर–कार्यपालक निदेशकों के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया।

इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, बोर्ड में अंशकालिक निदेशकों के तेरह पदों में से पांच पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार के साथ की जा रही है

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक को पुनर्निर्वाचित/पुनर्नियुक्त नहीं किया गया था।

#### निदेशकों की नियुक्ति,पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबन्धित कंपनी की नीति

कंपनी के सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति / निष्कासन, योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) एवं (4) के प्रावधान तथा निदेशकों की स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने एवं पारिश्रमिक एवं आय परिलब्धियों पर नीति की संस्तुति करने से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते है। अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मंडल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

#### वार्षिक प्रतिफल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी का मसौदा कंपनी की वेबसाइट (**www.ecgc.in)** के कॉर्पोरेट प्रशासन अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

#### स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक की घोषणा

दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर लागू स्वतंत्र निदेशकों एवं महिला निदेशक (ओं) की नियुक्ति से संबंधित धारा 149 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया।

#### समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा पांच बोर्ड बैठकें आयोजित की गई।

## लेखा परीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

#### Bansal, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry; Smt. Aparna Bhatia, Economic Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as part-time Government Directors; and Ms. Harsha Bangari, Managing Director, Export-Import Bank of India; Dr. A. Sakthivel, President, FIEO; Shri Amit Kumar Agarwal; and Smt. Pratibha Kushwaha as Part-Time Non-Executive Directors were inducted on the Board during the FY 2021-22.

As of date of this report, five of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected/re-appointed during the year under review.

#### COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS' APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(2), (3) and (4) of the Companies Act, 2013 related to the appointment/ removal of Directors, formulating the criteria for determining the qualifications, positive attributes and independence of Directors and recommending the policy on remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other officers of the Company and other considerations in formulating the policy for remuneration are not applicable to the Company being a Government Company and hence the Company has not devised any policy related to the appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

#### ANNUAL RETURN

The draft of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 of the Companies Act, 2013 is available under the Corporate Governance section of the website of the Company (<u>www.ecgc.in</u>).

# DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS AND WOMAN DIRECTOR

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors and Woman Director(s) applicable to Public Limited Company are fully complied with except the appointment of a Woman Director on the Board from October 01, 2020 to September 22, 2021.

# NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had conducted Five Board Meetings during the financial year under review.

# DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Members:



#### 64th Annual Report - 2021-2022

क्रम. सं.	निदेशकों के नाम
1	श्री देवेश श्रीवास्तव (दिनांक 21/01/2020 से सदस्य के रूप में एवं दिनांक 15/07/2021 से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)
2	श्री विपुल बंसल (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3	श्रीमती अपर्णा भाटिया (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू (दिनांक 10/01/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5	सुश्री हर्षा बंगारी (दिनांक 23/09/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6	डॉ. ए. शक्तिवेल (दिनांक 09/08/2021 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
7	श्री अमिताभ कुमार (दिनांक 20/11/2020 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 16/11/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
8	श्री के. राजारामन (दिनांक 08/08/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 18/10/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
9	श्री शरद कुमार सराफ (दिनांक 22/07/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 28/06/2021 से सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)
10	श्री डेविड पॉल रस्किना (दिनांक 07/08/2019 से सदस्य के रूप में नियुक्त) (दिनांक 31/05/2021 से अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में सेवाकाल समाप्त)

एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली लेखा परीक्षा समिति की उपरोक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री देवेश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), श्री शिरीष चंद्र मुर्मू, सुश्री हर्षा बंगारी, शामिल है, जो बहुमत बनाते है।

कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है। शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए है। कंपनी द्वारा, सहकर्मियों तथा कंपनी के हितों से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया गया है।

#### वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सतर्कता मामलों का विवरण:

दिनांक	दिनांक 01/04/2021 से	निपटान	शेष
01/04/2021 के	31/03/2022 तक सतर्कता	किया	
अनुसार प्रारंभिक शेष	संबन्धित प्राप्त हुए मामले	गया	
01	07	08	कोई नही

# ई सी जी सी लिमिटेड

Sr. No.	Name of the Directors
1	Shri Devesh Srivastava (appointed as a Member since 21/01/2020 and as the Chairman since 15/07/2021)
2	Shri Vipul Bansal (appointed as a Member since 16/11/2021)
3	Smt. Aparna Bhatia (appointed as a Member since 16/11/2021)
4	Shri Shirish Chandra Murmu (appointed as a Member since 10/01/2020)
5	Ms. Harsha Bangari (appointed as a Member since 23/09/2021)
6	Dr. A. Sakthivel (appointed as a Member since 09/08/2021)
7	Shri Amitabh Kumar (appointed as a Member since 20/11/2020) (ceased to be a Member since 16/11/2021)
8	Shri K. Rajaraman (appointed as a Member since 08/08/2018) (ceased to be a Member since 18/10/2021)
9	Shri Sharad Kumar Saraf (appointed as a Member since 22/07/2019) (ceased to be a Member since 28/06/2021)
10	Shri David Paul Rasquinha (appointed as a Member since 07/08/2019) (ceased to be the Chairman and Member since 31/05/2021)

The above composition of the Audit Committee headed by an Independent Director consists of Independent Directors viz. Shri Devesh Srivastava (Chairman), Shri Shirish Chandra Murmu, Ms. Harsha Bangari and Dr. A. Sakthivel, who form the majority.

The Company has established a vigilance mechanism and oversees, through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided contact details of the Chairman of the Audit Committee to employees for reporting issues concerning the interests of employees and the Company.

#### Details of the vigilance cases for the FY 2021-22:

Opening balance as on 01.04.2021	Vigilance cases received during 01.04.2021 to 31.03.2022	Disposed off	Balance
01	07	08	NIL

#### सहायक कंपनियाँ , संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी,संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

#### जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

#### भारत सरकार (भा.स.) के साथ समझौता ज्ञापन

#### (स.ज्ञा.)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए जाते है। विभिन्न वित्तीय एवं गैर–वित्तीय मापदंडों के आकलन के आधार पर, कंपनी के प्रदर्शन को वित्तीय वर्ष 2019–20 में 'अच्छा' एवं वित्त वर्ष 2020– 21 में 'बहुत अच्छा' के रूप में दर्ज किया गया है। वित्त वर्ष 2021– 22 के लिए कंपनी के प्रदर्शन को 'उत्कृष्ट' के रूप में मूल्यांकन किए जाने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स.ज्ञा. मापदंडों के अंतर्गत कंपनी द्वारा लक्ष्य एवं उपलब्धि के साथ निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रदर्शन						
क्र. सं	मापदंड का नाम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि		
1	परिचालन से राजस्व	रु.करोड़ में	1450	1484.98		
2	संपत्ति कारोबार अनुपात	%	16.78	11.71		
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ई बी आई टी डी ए	%	32.21	58.89		
4	निवल मालियत पर प्रतिफल	%	8.81	12.32		
5	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	9.24	14.81		
6	प्रति शेयर आय	रु.	17.58	25.59		
7	जोड़े गए नए खरीदारों की संख्या	संख्या	16389	17616		

इसके अलावा, कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित सभी 'अनुपालन मानकों' का भी पालन किया गया है।

#### संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020–21की ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षत लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में 11 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की गई।

#### कर्मचारियों का विवरण

पूर्णकालिक निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:

#### 64th Annual Report - 2021-2022

# SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint Venture or Associate Company.

#### DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Good" in FY 2018-19, FY 2019-20, and "Very Good" in FY 2020-21. The performance of the Company is expected to be rated as "Excellent" for the FY 2021-22. The details of MOU parameters for the FY 2021-22, along with the target and achievement by the Company under these parameters are submitted as under:

Performance under MoU for FY 2021-22							
S. No.	Name of Parameter	ameter Unit		Achieve- ment			
1	Revenue from Operations	Rs. In cr.	1450	1484.98			
2	Assets Turnover Ratio	%	16.78	11.71			
3	EBITDA as a percentage of Revenue	%	32.21	58.89			
4	Return on Net worth	%	8.81	12.32			
5	Return on Capital Em- ployed	%	9.24	14.81			
6	Earning per Share	Rs.	17.58	25.59			
7	Number of New Buyers added	Number	16389	17616			

Further, the Company has also complied with all the 'Compliance parameters' stipulated under the MOU for FY 2021-22.

# PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd., Mumbai, for the FY 2020-21, along with Audited Accounts and Comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and Rajya Sabha on February 11, 2022, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

#### PARTICULARS OF EMPLOYEES

Particulars of the employees who were in receipt of remuneration in excess of remuneration drawn by the Whole-Time Director are provided below:



. . . .

#### Ф.

क्र	विवरण	कर्मी का नाम
सं.		
1.	नाम	श्रीमती प्रिसिल्ला सिन्हा
	कर्मी का पदनाम:	नियुक्त बीमांकिक (मप्र संवर्ग के समांतर)
2.	प्राप्त परिलब्धि:	रु. वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹90,19,049/–रु
3.	रोज़गार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथा:	संविदा पर, निश्चित अवधि के लिए नियुक्त
4.	कर्मी की योग्यता एवं अनुभव:	सांख्यिकी में स्नातक एवं सांख्यिकी में स्नातकोत्तर फेलो, इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुरीज इन इंडिया डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट , एन आई आई टी डिप्लोमा इन एक्चुरियल टेक्नीक्स, इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्चुरीज, यू के
5.	रोज़गार के आरम्भ की तारीख;	दिनांक 18.04.2019 से संविदा आधार पर रोज़गार का आरम्भ
6.	कर्मी की आयु;	55
7.	कम्पनी में नियुक्ति के पहले इस प्रकार के कर्मी का पिछला रोज़गार;	जी आई सी
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ में परिभाषा के भीतर इस प्रकार के कर्मी द्वारा धारित इक्विटी शेयर; एवं	कुछ नहीं
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का सम्बन्धी है एवं यदि हाँ तो इस प्रकार के निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम दर्शायें	नहीं

#### ख.

क्र सं.	विवरण	कर्मी का नाम
1.	नाम कर्मी का पदनाम:	श्री शशांक बाजपेयी मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी– सीसो (उमप्र संवर्ग के समांतर)
2.	प्राप्त परिलब्धि:	रु. वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹48,00,000/–रु
3.	रोज़गार की प्रकृति, संविदा पर अथवा अन्यथाः	संविदा पर, निश्चित अवधि के लिए नियुक्त

26

# ई सी जी सी लिमिटेड

## Α.

. . . .

Sr No.	Details	Name of the Employee
1.	Name Designation of the employee:	Smt. Priscilla Sinha Appointed Actuary (at par with rank of GM)
2.	Remuneration received:	₹90,19,049/-in FY 2021-22
3.	Nature of employment, whether contractual or otherwise:	Appointment is contractual on a fixed term basis.
4.	Qualifications and experience of the employee:	B.Sc in Statistics and M.Sc in Statistics. Fellow, Institute of Actuaries in India. Diploma in System Management, NIIT. Diploma in Actuarial Techniques, Institute of Actuaries, UK.
5.	Date of commencement of employment;	Commencement of employment on contractual basis on 18.04.2019
6.	The age of such employee;	55
7.	The last employment held by such employee before joining the Company;	GIC
8.	The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and	NIL
9.	Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager:	No

#### В.

υ.		
Sr No.	Details	Name of the Employee
1.	Name	Shri Shashank Bajpai
	Designation of the employee:	Chief Information Security Officer -CISO (at par with rank of DGM)
2.	Remuneration received:	₹48,00,000 in FY 2021-22
3.	Nature of employment, whether contractual or otherwise:	Appointment is contractual on a fixed term basis

Ù.

64th Annual Report - 2021-2022

4.	कर्मी की योग्यता एवं अनुभवः	आईएसबी हैदराबाद से साइबर गवर्नेंस में एक्जिक्युटिव मास्टर्स सर्टिफिकेट (वर्ष 2019) सीडेक हैदराबाद से सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (वर्ष 2012) पुणे विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई) (वर्ष 2011) प्रमाणन: ईसी-काउंसिल से प्रमाणित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीसीआईएसओ)(2018) जीसीएचक्यू , यूके से प्रमाणित इंसिडेंट प्लानिंग एंड रिसपोंस(2018) आईएसएसीए से प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सीआईएसएम) (2013)	4.	Qualifications and experience of the employee:	Executive Master's Certificate in Cyber Governance from ISB Hyderabad (Year 2019) Post Graduate Diploma in System Software & Security from CDAC Hyderabad (Year 2012) Bachelor of Engineering (B.E.) from University of Pune (Year 2011) Certifications: Certified Chief Information Security Officer (CCISO) from EC-Council (2018) Certified Incident Planning and Response from GCHQ U.K. (2018) Certified Information Security Manager (CISM) from ISACA (2013)
5.	रोज़गार के आरम्भ की तारीख ;	दिनांक 01.08.2019 से संविदा आधार पर रोज़गार का आरम्भ	5.	Date of commencement of employment;	Commencement of employment on contractual basis on 01.08.2019
6.	कर्मी की आयु;	35	6.	The age of such employee;	35
7.	कम्पनी में नियुक्ति के पहले इस प्रकार के कर्मी का पिछला रोज़गार;	एसीकेओ साधारण बीमा लिमिटेड	7.	The last employment held by such employee before joining the Company;	ACKO General Insurance Limited
8.	उक्त नियम (2) की धारा (iii) के अर्थ में परिभाषा के भीतर इस प्रकार के कर्मी द्वारा धारित इक्विटी शेयर; एवं	कुछ नहीं	8.	The percentage of equity shares held by the employee in the Company within the meaning of clause (iii) of sub-rule (2) above; and	NIL
9.	क्या इस प्रकार का कर्मचारी कम्पनी के किसी निदेशक अथवा प्रबंधक का सम्बन्धी है एवं यदि हाँ तो इस प्रकार के निदेशक अथवा प्रबंधक का नाम दर्शायें	नहीं	9.	Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager:	No

#### ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए, मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में, महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक ग्राहक सेवा कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीति के अनुसार, किसी अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों को दोहराया जाना है तो इसकी समीक्षा एक उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021–22 तक स्वतंत्र समीक्षा समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के पूर्व पांच बार वर्ष शिकायतों पर विचार किया जाता था। शिकायत के निवारण में लगने वाले समय को कम करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण

#### **CUSTOMER CARE MECHANISM**

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office in Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority in case the earlier decision is to be reiterated. Till the FY 2021-22 the complaints were dealt with five times before being placed to the Independent Review Committee. In order to reduce the turnaround time to redress the complaint, the Board of the Company



# ई सी जी सी लिमिटेड

नीति संशोधित कर निवारण तंत्र को चार स्तरीय बनाया गया है। अब शिकायत का निवारण विभिन्न अधिकारीयों / समितियों द्वारा चार बार

किया जाएगा। सर्वोच ग्राहक शिकायत निवारण समिति में प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल है एवं यह कंपनी के विरुद्ध किसी भी ग्राहक की शिकायत हेत् सर्वोच आतंरिक अपीलीय प्राधिकरण है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की आठ बैठकें हुई एवं 14 मामलों का निपटान किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एक चार सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति (आई आर सी) का भी पूनर्गठन किया



प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड CMD, ECGC Limited addressing exporters at Northern Regional Export Awards of Council of Leather Exports

गया, जिसमें न्यायपालिका, बैंकिंग, विदेश व्यापार एवं ऋग बीमा के क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनकी वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एक बैठक हुई एवं ए सी जी सी द्वारा लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में निर्यातक ग्राहकों की शिकायतों के सम्बन्ध में 6 मामलो का निपटान किया experts from the fields of Judiciary, Banking, Foreign Trade and Credit Insurance, which met once during the FY 2021-22 and disposed off 6 cases pertaining to grievance of the exporter customers in respect of decision by the ACGC. The Company is linked to the

गया। कंपनी आई आर डी ए आई के केंद्रीकृत एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी हुई है, जहां ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर सकते हैं एवं अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पॉलिसीधारकों के पास अब अपनी संबंधित शिकायतों को सीधे या तो सी आई जी एम एस पर अथवा कंपनी वेबसाइट के माध्यम की से दर्ज करने का विकल्प है। इसके अलावा, कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक



वाणिज्य महोत्सव के दौरान निर्यातकों को संबोधित करते क्षेत्रीय प्रबंधक, उ क्षे का Regional Manager, NRO addressing exporters during Vanijya Mahotsav

सुधार विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) द्वारा संचालित शिकायत निवारण प्रणाली से भी जुड़ी हुई है। of Administrative Reforms, Government of India at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

had revised the Customer Grievance Redressal policy to make the mechanism a four stage one. The complaint will now be dealt with

four times by different officials/Committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office. is the highest in- house Appellate Authority for any customer complaint against the Company. The Committee met eight times and disposed off 14 cases during the FY 2021-22. The Company has a fourmember Independent Review Committee (IRC) consisting of external

Centralized Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDAI, where customers can directly log on and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the CIGMS or through the Company's website. In addition, the Company is also linked to the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department



#### ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी (लेखा) नियमों, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसरण में वांछित सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

#### विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के विदेशी मुद्रा अर्जन ₹56.03 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹39.09 करोड़) रहे जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹2.30 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष ₹1.95 करोड़) रहा।

#### नियुक्त बीमांकक

कंपनी ने भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से दिनांक 18.04.2019 से पूर्ण–कालिक नियुक्त बीमांकिक (ए ए) अनुबंधित किया।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान एक अलग बीमांकिक विभाग की स्थापना की गयी, जो कि बीमांकिक कार्यों में नियुक्त बीमांकक (ए ए) की सहायता करता है जैसे "उपगत पर रिपोर्ट न किया गया" (आई बी एन आर)/ "उपगत पर पर्याप्त रिपोर्ट न किए गए" (आई बी एन ई आर) दावा अनुम ानों, आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्ट, अनुमानित दावा लागत वित्तीय स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट, आर्थिक पूँजी गणना, उत्पाद मूल्य निर्धारण एवं समीक्षा आदि कार्य। नियुक्त बीमांकिक रिपोर्ट एवं पर्यवेक्षण कंपनी के समग्र जोखिम प्रबंधन नीति के निर्धारण में सहायक होते है। नियुक्त बीमांकिक अपने कार्य आई आर डी ए आई (ए ए) विनियम 2017 के अधीन जारी प्रावधानों के दिशानिर्देशों के अनुसरण में ही कार्य करते हैं।

#### सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 29 सितम्बर 2021 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसका संज्ञान दिनांक 18 नवंबर 2021 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में लिया गया तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए संस्तुति के अनुसार सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 18 नवम्बर 2021 को सम्पन्न 63 वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल ने अपने शेयरधारकों को प्राधिकृत किया है कि वे, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

#### 64th Annual Report - 2021-2022

# PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

#### FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year 2021-22 is ₹56.03 crore (₹39.09 crore in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the Financial Year 2021-22 is ₹2.30 crore (₹1.95 crore in the previous Financial Year).

#### APPOINTED ACTUARY

A full-time Actuary was appointed on a contract basis by the Company with approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) effective from 18.04.2019.

A separate 'Actuarial Department' was set up in the FY 2012-13, which provides support to the Appointed Actuary (AA) in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product pricing and review etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company. The Appointed Actuary functions in accordance with the "IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2017.".

#### STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2021-22 vide their letter dated September 29, 2021, the same was taken on record by the Board at its meeting held on November 18, 2021 and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 63rd AGM held on November 18, 2021 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office, Regional Offices and Branch Offices of the Company for the FY 2021-22 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2021-22 has



संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

#### लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

10.00

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल है, जो व्यवसाय के स्वरूप एवं इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय अथवा कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल है। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है। मेसर्स ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म पंजीकरण संख्या 105016W/W–100015 तथा मेमर्स एस एन के एंड कंपनी सनदी लेखाकार, मुम्बई, फर्म पंजीकरण संख्या 109176W भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2021–22 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक है। शेयरधारकों को लेखा परीक्षा के रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

## भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट के रूप में भाग एवं संलग्नक बनेगी।

#### कंपनी शासन

कंपनी का कंपनी शासन दर्शन सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निर्धारणों का समय पर अनुपालन करना तथा उचित कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण एवं उसका कड़ाई से अनुपालन करना है। आर एस पाडिया एंड एसोशिएट्स, कंपनी सचिव पेशेवर (एफ सी एस 6804, सी ओ पी 7488) से प्राप्त सर्टिफिकेट, कंपनी शासन की रिपोर्ट के साथ विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है (अनुलग्नक।)

#### सचिवीय लेखा परीक्षा

मेसर्स ए. लखोटिया एंड कंपनी (पूर्व में अभिषेक लखोटिया एंड कंपनी के नाम संचालित), सचिवीय लेखा परीक्षक (एफ सी एस 9082, सीओपी 10547) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (फॉर्म नंबर एम आर–3) (अनुलग्नक II) दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक महिला निदेशक की गैर– नियुक्ति के संबंध में गैर–अनुपालन एवं आई आर डी ए आई के साथ विवरणी दाखिल करने में दो विलम्बों की सूचना दी। इस पर प्रबंधन का प्रति उत्तर निम्नानुसार है: been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

#### **AUDITORS' REPORT**

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. abm & associates LLP, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 105016W/ W-100015 and M/s. SNK & Co., Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 109176W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2021-22. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

#### COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

Comments of the C&AG shall be forming part of the Directors' Report as an addendum to the same.

#### **CORPORATE GOVERNANCE**

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound corporate governance practices. A detailed Corporate Governance Report along with Certificate from R. S. Padia & Associates, Practicing Company Secretary (FCS 6804, COP 7488), on corporate governance is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report **(Annexure I)**.

#### SECRETARIAL AUDIT

The Secretarial Audit Report of the Company (Form No. MR-3) for the Financial Year 2021-22 received from M/s A. Lakhotia & Co. (formerly known as Abhishek Lakhotia & Co.), Secretarial Auditor (FCS 9082, COP 10547) (Annexure II) reported non-compliance with regard to non-appointment of Woman Director from October 01, 2020 to September 22, 2021 and two delays in filing of returns with the IRDAI. The observations and the response of the Management thereto are given below:



# ई सी जी सी लिमिटेड

	64 <sup>th</sup> Annua	Repor	t - 2021-2	022
--	------------------------	-------	------------	-----

क्र. सं.	पर्यवेक्षण	प्रबंधकीय प्रतिक्रिया
1.	आई आर डी ए आई को अर्धवार्षिक तकनीकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने में उनतीस दिनों का विलम्ब;	अप्रैल-सितंबर 2021 की अवधि के लिए तकनीकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 18 नवंबर, 2021 को सम्पन्न हुई बैठक में निदेशक मण्डल को प्रस्तुत कर बाद में आई आर डी ए आई के साथ दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप 29 दिनों की देरी हुई। वर्तमान कोविड – 19 महामारी की स्थिति के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत अंतराल के भीतर बोर्ड की बैठक दिनांक 18 नवंबर 2021 को देरी से बुलानी पड़ी।
2	आई आर डी ए आई बी ए पी मॉड्यूल के अंतर्गत लेखा डेटा के तिमाही अपलोर्डिंग में अठारह दिनों का विलंब	आई आर डी ए आई के बी ए पी मॉड्यूल पर छमाही खातों के लिए डेटा को अपलोड करने की नियत तिथि 14 नवंबर 2021 थी (आई आर डी ए आई द्वारा कोविड – 19 की दूसरी लहर के कारण अर्धवार्षिक खातों के विवरण वाले अन्य अनुपालन की तिथि को 14 नवंबर 2021 से बढ़ाकर दिनांक 29 नवंबर 2021 तक कर दिया गया था)। वर्तमान कोविड – 19 महामारी की स्थिति के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमत अंतराल के भीतर बोर्ड की बैठक दिनांक 18 नवंबर 2021 को देरी से बुलानी पड़ी। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद सनदी लेखाकार द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2021 को सम्पन्न बैठक में निदेशक मण्डल के उचित अनुमोदन के साथ आई आर डी ए आई के बी ए पी मॉड्यूल पर खातों का डेटा अपलोड किया गया था।
3	दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा (1) का साथ गैर–अनुपालन	कंपनी द्वारा जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक महिला निदेशक की नियुक्ति की गई थी, जो दिनांक 23 सितंबर, 2021से प्रभावी हैं। उसके बाद बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा (1) के प्रावधानों के अनुरूप है।

इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता

S. No.	Observation	Management response
1.	Delay in filing half yearly Technical Audit report to IRDA by twenty nine days;	Technical Audit report for the period April-September, 2021 was submitted to the Board of Directors at its meeting held on November 18, 2021 and subsequently filed with the IRDAI, which has resulted into a delay of 29 days. The prevailing COVID-19 pandemic situation necessitated convening the Board Meeting with a delay on November 18, 2021 but within the gap permitted as per the provisions of the Companies Act, 2013.
2.	Delay in quarterly uploading of Accounts data under IRDAI BAP module by eighteen days	
3.	Non-Compliance with sub section (1) of Section 149 of Companies Act, 2013 with respect to appointment of Women Director from 01 <sup>st</sup> October, 2020 till 22 <sup>nd</sup> September, 2021	The administrative ministry had appointed a Woman Director w.e.f. September 23, 2021 after rigorous follow-up by the Company. The composition of the Board is in compliance with the provisions of sub section (1) of Section 149 of the Companies Act, 2013 thereafter.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT



#### l. उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम)

10.00

देश में जून 2021 के दौरान कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर चरम पर थी। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान प्रतिबंधों को लागू किया था एवं मार्च 2022 तक इन प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से धीरे–धीरे वापस ले लिया गया था।

कड़े संधि शर्तों के बावजूद, पुनर्बीमाकर्ता कारोबारी माहौल में बढ़ते जोखिम की स्थिति में भी जोखिम को कम करने के लिए तैयार हैं। इन घटनाक्रमों के प्रभाव का आकलन किया जाना अभी शेष है एवं कंपनी किसी भी प्रतिकूल स्थिति को प्रबंधित करने एवं उस पर काबू पाने के लिए आश्वस्त है।

#### ॥. अंधेरी प्रॉपर्टी का अद्यतन

#### कार्यालय परिसर

- निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को सम्पन्न अपनी 398 वीं बैठक के दौरान कार्यालय भवन के लिए, सी पी डबल्यू डी से दिनांक 26.05.2015 के पत्र में वर्णित य111,24,12,901/- के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त हेतु ही ईसीजीसी एवं केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सी पी डबल्यू डी) के मध्य दिनांक 06.06.2016 को हमारे अंधेरी प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सम झौता ज्ञापन (स झा) पर हस्ताक्षर किए गए।
- समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 7 के अनुसार, सी पी डब्ल्यू डी ने जमा की किश्तों की मांग की थी एवं तदनुसार, कंपनी ने अब तक कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत जमा राशि के रूप में ₹111,24,12,901 का कुल भुगतान किया है।
- ठेकेदार, सैम इंडिया बिल्टवेल प्रा लिमिटेड, ने दिनांक 30 मार्च, 2017 से कार्यालय भवन के लिए निर्माण कार्य शुरू किया। पूर्ण किए गए कार्य का प्रतिशत 98% (सिविल) एवं 95% (ई एंड एम कार्य) है। कंपनी ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एम सी जी एम) से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिफ्रकेट (ओ सी) प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
- 4. निदेशक मंडल ने 07 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी 422 वीं बैठक में, अंधेरी साइट पर नए कार्यालय भवन के लिए कारखाने से बने नॉक–डाउन कार्यालय मॉड्यूलर फर्नीचर की खरीद एवं स्थापना के लिए ₹926.62 लाख के प्रारंभिक लागत अनुमान को मंजूरी दी। यह सी पी डब्ल्यू डी को सूचित किया गया था एवं इसके लिए कंपनी तथा सी पी डब्ल्यू डी द्वारा 26 सितंबर, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के खंड बी (3) एवं सी पी डब्ल्यू डी से प्राप्त अनुरोध के अनुसार, कंपनी ने स्वीकृत अनुमान के 100% अग्रिम जमा के रूप में ₹926.62 लाख जमा किए हैं।

# ई सी जी सी लिमिटेड

#### I. Enterprise Risk Management (ERM)

The second wave of the Covid-19 pandemic had peaked during June 2021 in the country. The Government of India had implemented restrictions during the year and these restrictions were gradually withdrawn in a phased manner by March 2022. The export trade is on path to recovery due to various stimulus measures implemented by the Government to support the export sector.

The reinsurers are willing to underwrite risk even in the face of increasing risk in business environment, though with stringent treaty conditions. The impact of these developments, is yet to be quantified and the Company is confident of managing and overcoming any adverse situation.

#### II. Update of Andheri Property

#### Office premises

- The Board of Directors had at its 398th meeting held on 15.07.2015 approved construction of the office building at a preliminary estimate of ₹111,24,12,901/- as per the estimation given by CPWD vide their letter dated 26.05.2015. The Memorandum of Understanding (MoU) for the same had been signed between ECGC and Central Public Works Department (CPWD) on 06.06.2016 for construction of office building at Andheri plot.
- In terms of Clause No. 7 of MoU and based on the requests of CPWD, the Company has, so far, made a total payment of ₹111,24,12,901/- being 100% deposit towards construction of the office building.
- The contractor, Sam India Builtwell Pvt. Ltd. started the construction work for the office building from 30.03.2017. Percentage of work completed is 98% (civil) and 95% (E & M works). The Company is in the process of obtaining Occupancy Certificate (O.C.) from the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM).
- 4. The Board of Directors, at its 422<sup>nd</sup> meeting held on 07.08.2019 approved preliminary cost estimate of ₹926.62 lakh for purchase and installation of factory-made knock-down office modular furniture for the new office building at Andheri site. This was communicated to CPWD, and an MOU for the same was also signed by the Company and CPWD on 26.09.2019. As per Clause B (3) of the MOU and request received from CPWD, the Company has released ₹926.62 lakh being 100% advance deposit of the estimation approved.



#### आवासीय परिसर

- निदेशक मंडल द्वारा 07 नवंबर, 2016 को सम्पन्न अपनी 405 वीं बैठक में ₹73,95,80,728 के प्रारंभिक अनुमान पर एक आवासीय परिसर के निर्माण को मंजूरी दी गई।
- ईसीजीसी एवं सी पी डब्ल्यू डी ने कंपनी के आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए 10 जनवरी, 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- कंपनी ने 30 जनवरी, 2017 को ₹73,95,80,728 की अनुमानित प्रारंभिक लागत के 10% की प्रारंभिक जमा राशि के रूप में सी पी डब्ल्यू डी को ₹7,39,58,073 का भुगतान किया।
- सी पी डब्ल्यू डी ने आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए निविदा जारी की थी। निविदा 28 दिसंबर, 2017 को खोली गई।
- कंपनी को मुंबई महानगर निगम (एम सी जी एम) से दिनांक 02 दिसंबर, 2017 का पत्र सं. उकए/116/इझ/(डश्रि.उशश्रश्र) ङजघए/- 337 प्राप्त हुआ, जिसमें आर डी डी पी-2034 (मई 2016) में 9.15 मीटर डी पी रोड (विकास योजना) को प्लॉट के भीतर बनाए रखते हुए व आर एच.2.1 (अस्पताल), आर ओ एस 1.1 (सार्वजनिक खुली जगह) का आरक्षण रद्द करने की सूचना दी गई थी।
- 6. उपरोक्त घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व में ले-आउट के लिए दिया गया अनुमोदन अमान्य हो गया। नतीजतन, पांच आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ठेका देने के लिए चयनित बोली को सी पी डब्ल्यू डी द्वारा वापस ले लिया गया एवं हमारे अनुरोध पर सी पी डब्ल्यू डी ने जमा भुगतान वापस कर दिया।
- 7. डी पी रोड के लिए आरक्षण अस्पताल एवं सार्वजनिक खुले स्थान के सामान्य उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया था। चूंकि अस्पताल एवं सार्वजनिक खुली जगह के लिए आरक्षण खाली कर दिया गया था, डी पी रोड के लिए आरक्षण का कोई उद्देश्य नहीं था एवं इस हिस्से के लिए भी आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए था। कंपनी ने उपरोक्त डी पी रोड को आरक्षित करने के लिए 14 दिसंबर, 2017 के पत्र संख्या ईसीजीसी/ एपीडीसी/245/2017 के माध्यम से शहरी विकास विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
- 8. शहरी विकास विभाग के साथ जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने 12 मार्च 2021 की अधिसूचना संख्या टीपीबी-432/सीआर-20/2021/यूडी-11 के तहत प्लॉट से डीपी रोड 9.15 मीटर को हटाने की मंजूरी दी।
- 9. आर्किटेक्ट्स ने पहले सूचित किया था कि एम सी जी एम द्वारा लागू

#### 64th Annual Report - 2021-2022

#### **Residential premises**

- The Board of Directors had at its 405th meeting held on 07.11.2016 approved construction of a residential complex at a preliminary estimate of ₹73,95,80,728/-
- 2. ECGC and CPWD signed an MOU on 10.01.2017 for construction of the Company's residential buildings complex.
- The Company made a payment of ₹7,39,58,073/to CPWD towards initial deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹73,95,80,728/- on 30.01.2017.
- CPWD had floated a tender for construction of Residential Building complex. The tender was opened on 28.12.2017.
- The Company received letter No. CHE/116/ BP/ (Spl.Cell) LOKE/337 dated 02.12.2017 from the Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM), informing de-reservation of RH.2.1 (Hospital), ROS 1.1 (Public Open Space), while retaining the reservation for 9.15 meter DP Road (Development Planning) in RDDP-2034 (May 2016) within the plot.
- In view of the above development the earlier approval given for lay-out became invalid. Consequently, the bid selected for award of contract for construction of five residential buildings was withdrawn by CPWD and as per our request CPWD refunded to us the deposit payment made to them.
- 7. The reservation for the DP road was provided for the general purpose of approach to hospital and public open space. As the reservation for hospital and public open space has been vacated, reservation for DP Road does not serve any purpose and dereserving should be made applicable rightfully for this portion also. The Company submitted its representation to the Government of Maharashtra through the Urban Development Department vide letter No. ECGC/APDC/245/2017 dated 14.12.2017, for de-reserving the subject DP Road in question.
- After vigorous follow up with the Urban Development Department, the Government of Maharashtra has sanctioned the deletion of DP Road 9.15 meter from the plot vide Notification No.TPB-432/CR-20/2021/UD-11 dated 12.03.2021.



10.00

पलोर स्पेस इंडेक्स (एफ एस आई) को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया था कि कंपनी आवासीय भवनों की योजना की समीक्षा कर सकती है एवं एम सी जी एम द्वारा अनुमोदन के लिए योजना प्रस्तुत करने से पहले फ्लैटों की संख्या / क्षेत्र में वृद्धि सहित आवश्यक संशोधनों को समायोजित किया जा सकता है। तदनुसार, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट्स ने हमारी आवश्यकताओं के आधार पर तीन संशोधित ले आउट प्रस्तुत किए। सी पी डब्ल्यू डी के परामर्श से, कंपनी ने विकास के लिए पांच भवनों में 154 फ्लैटों के लिए लेआउट के साथ योजना को अंतिम रूप दिया। आगे की प्रगति को सक्षम करने के लिए आर्किटेक्ट्स को अतिरिक्त विनिर्देशों की समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

#### यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड

- कंपनी द्वारा अंधेरी संपत्ति में कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के अनुबंध को समाप्त किए जाने के बाद कंपनी यूनिटी इंफाप्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में शामिल रही है। जबकि यूनिटी इंफ्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, प्रोजेक्ट कॉन्ट्वैक्टर ने कंपनी पर ₹23,02,81,857 का दावा प्रस्तुत किया है, 30 जून 2015 को, कंपनी ने ₹31,63,42,930 के मुआवजे का दावा किया है।
- 2. यूनिटी इंफाप्रोजेक्ट्स ने जून 2017 में नेशनल कंपनी लॉ दिब्यूनल (एन सी एल टी) के समक्ष दिवाला के लिए दायर किया था एवं एन सी एल टी ने 'मोराटोरियम' का आदेश पारित किया था। यूनिटी इंफ्फ्राप्रोजेक्ट्स एवं कंपनी के बीच मध्यस्थता में पिछली सुनवाई 20 दिसंबर, 2017 को हुई थी। यूनिटी इंफ्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर लगाए गए स्थगन को देखते हुए, मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी एवं 'स्टे' अभी भी जारी है। एन सी एल टी में पिछली सुनवाई 05 अप्रैल 2022 को हुई थी एवं यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स के दिवालिया होने पर आदेश सुरक्षित है। मध्यस्थता कार्यवाही में आदेश एन सी एल टी के आदेश के बाद पारित किया जाएगा।

# एचसीएल से संबंधित लंबित मध्यस्थता मामले का अद्यतनः

- कंपनी द्वारा मध्यस्थता के अंतर्गत ₹25,52,48,342.96 एवं ब्याज का दावा प्रस्तुत किया है एवं एच सी एल द्वारा ₹146,98,02,403 एवं ब्याज का एक प्रति दावा प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 14 सितम्बर 2018 को मध्यस्थता प्रक्रिया की आरंभिक सुनवाई थी।
- इस मामले में साक्ष्य दाखिल करने, गवाहों की परीक्षा एवं जिरह, मौखिक दलीलें एवं दोनों पक्षों की ओर से लिखित दलीलें

100 100

100 100

# ई सी जी सी लिमिटेड

9. The Architects had informed earlier that the applicable Floor Space Index (FSI) has been revised upwards by the MCGM. They had suggested that the Company may review the residential building plans and the required modifications including increase in number/area of flats can be accommodated before submitting the plan for approval by the MCGM. Accordingly, the Project Architects submitted three revised lay-outs based on our requirements. In consultation with CPWD, the Company finalized the plan with layout for 154 flats in five buildings for development. The Architects have been advised to review the additional specifications to enable further progress.

#### Unity Infraprojects Ltd.

- The Company has been involved in an arbitration proceeding initiated by Unity Infraprojects Limited after the contract for construction of office and residential buildings in Andheri property was terminated by the Company. While Unity Infraprojects Limited, Project Contractor submitted a claim on the Company to the tune of ₹ 23,02,81,857/-, on 30.06.2015, the Company has claimed a compensation of ₹31,63,42,930/-.
- 2. Unity Infraprojects had filed for insolvency before the National Company Law Tribunal (NCLT) in June 2017 and the NCLT had passed an Order of 'Moratorium'. The last hearing in the arbitration before Justice V.C. Daga between Unity Infraprojects and the Company was held on 20.12.2017. In view of the moratorium imposed on Unity Infraprojects Limited, the arbitration proceeding was stayed and the stay is still continuing. The last hearing in the NCLT was held on 05.04.2022 and Order upon insolvency of Unity Infraprojects is reserved. The Order in arbitration proceedings shall be passed after the order of the NCLT.

#### <u>Update of pending arbitration matter pertaining to</u> <u>HCL:</u>

- The Company has filed a claim of ₹25,52,48,342.96 plus interest and HCL has filed a counter claim of ₹146,98,02,403/- plus interest. The first preliminary hearing of the arbitration proceedings was held on 14.09.2018.
- 2. The filing of evidence, examination and cross examination of witnesses, oral arguments and Written Submissions of Final arguments on

पूरी कर ली गई हैं। वर्तमान में मध्यस्थता निर्णय, मध्यस्थता न्यायाधिकरण की ओर से प्रतीक्षित है।

 मध्यस्थता निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हो, कंपनी उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें निर्णय आया है, हेतु उचित लेखांकन समायोजन करेगी।

#### सूचना प्रौधोगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम का अद्यतन

कंपनी एवं एच सी एल के बीच मध्यस्थता कार्यवाही का तर्क चरण मार्च 2021 में पूरा हो गया था, एवं अंतिम लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मध्यस्थता निर्णय प्रतीक्षित है।

मध्यस्थता निर्णय के आधार पर,यदि आवश्यक हो, कंपनी उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें निर्णय आया है, हेतु उचित लेखांकन समायोजन करेगी।

# कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को विकसित एवं कार्यान्वित करने से संबंधित विवरण

कंपनी निर्यात ऋग जोखिम बीमा कारोबार में है एवं यह आई आर डी ए आई के साथ गैर जीवन बीमा कंपनी के रूप में पंजीकृत है। निर्यात त्रग्रा जोखिम का समूहन कारोबार की प्रकृति में ही निहित है। कंपनी ने, उपक्रम व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित कर अपने आतंरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के ज़रिये कंपनी के जोखिम प्रोफ्फ़ाईल का नियमन के लिए अपने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की। जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कंपनी सदैव ही अपने कारोबार के सभी पहलुओं में विवेकपूर्ण सीमा के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त भारत सरकार से पर्याप्त पुनर्बीमा/सहायता प्राप्त करने के लिए तत्पर है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एमब सी) कंपनी के कारोबार के जोखिम प्रोफ्फ्राइल को प्रभावित करने वाली विवेकपूर्ण सीमा एवं विकासों के लिए जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करती है। कंपनी द्वारा एक निवेश पोर्टफ्फोलियो बनाया गया है जिसमें शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों की निधियों का विवरण है। निवेश जोखिमों का प्रबंधन विविध उद्योग एवं प्रतिभूतियों में इस प्रकार निवेश के ज़रिये किया जाता है कि जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेश में अधिकाधिक अर्जन हो एवं नकदी जोखिम न्यूनतम हो। बोर्ड की निवेश समिति द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है। कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) नीति का पालन किया जाता है एवं मॉनिटर किया जाता है। ए एल एम स्थिति की सूचना तिमाही आधार पर बोर्ड की आर एमब सी को रिपोर्ट की जाती है। कंपनी ने बाहरी परामर्शदाताओं की सहायता से इसे एवं अधिक गतिशील बनाने के लिए इसके जोखिम प्रबंधन कार्यों में सुधार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की है।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

behalf of both the Parties have been completed in the matter. Currently, the arbitration is pending for final award by Tribunal.

 Based on the arbitration award, the Company will make appropriate accounting adjustments, if required during the relevant FY in which the award is given.

#### Update on Information Technology Implementation Program

The arguments stage of the arbitration proceedings between the Company and HCL was completed in March 2021, and the submission of final written arguments is completed. The Arbitration Award is awaited.

Based on the arbitration award, the Company will make appropriate accounting adjustments, if required, during the relevant FY in which the award is given.

#### STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish an enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management, the Company endeavours to obtain adequate reinsurance from reinsurers and support from the Government of India, in addition to implementing exposure norms for prudential limits in its business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises of Shareholders' and Policyholders' funds. The investment risks are managed by investing across industries and securities, to ensure that liquidity risks are minimized with optimum return on the investment and are monitored by the Investment Committee of the Board. The Company also follows the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis. The Company has initiated action to further improve its risk management functions to make it more dynamic with the help of external consultants.


कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कृपया अनुलग्नक III देखें।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का ब्यौरा

शून्य।

## संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

सामान्य रूप से कारोबार में उचित दूरी के आधार पर की गयी संविदाओं अथवा समझौते अथवा अंतरण के विवरण:

एन ई आई ए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट की देखरेख करता है। कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) इस ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी तथा अप्रनि इसके अध्यक्ष हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए 5% प्रीमियम आय का हकदार है। ईसीजीसी द्वारा वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन किया जा रहा है।

## निदेशकों का दायित्व वक्तव्य

अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते है एवं ये सुनिश्चित करते हैं कि–

- (क) कंपनी ने आवश्यक तथ्यों से विचलन, यदि कोई हो तो, पर उचित स्पष्ठीकरणों के साथ वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है।
- (ख) दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के कार्यो को सही एवं उचित रूप से प्रस्तुत एवं दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ को प्रदर्शित करने के लिए निदेशकों ने उचित लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें नियमित रूप से लागू किया है तथा तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं अनुमान किये है;
- (ग) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के बचाव तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमित्ताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में निदेशकों ने यथेष्ट तथा पर्याप्त सावधानी बरती है;
- (घ) निदेशकों ने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखांकन 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' आधार पर किया;
- (ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है एवं प्रभावी रूप से काम कर रहा है; तथा,
- (च) निदेशको नें सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र की रचना की है तथा यह तंत्र यथोचित है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।

# ई सी जी सी लिमिटेड

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Please refer to Annexure III.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil.

# PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

The NEIA Trust is a Public Trust formed by Government of India. ECGC is administering the Trust. CMD is the Chairman of the Trust and Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee. ECGC is entitled to 5% of premium income to meet administrative expenditure. ECGC has been managing the Trust since 2006.

#### DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that –

- (a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;
- (b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2022;
- (c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2022, on a 'going concern' basis;
- (e) The Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- (f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

#### आभार

निदेशक मंडल अभिलिखित रूप से, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, बाह्य मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग एवं विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी के सतत सहयोग एवं मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों एवं विकास में विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैकों एवं पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों एवं ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशकगण एफ़्फ्र आई ई ओ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औधोगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण अभिलिखित रूप में, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों एवं समर्थन के लिए, धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत निष्ठ एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया एवं कंपनी को इसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

> निदेशक मण्डल एवं उनकी ओर से कृते एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक डी आई एन 07376766

स्थान : मुंबई दिनांक : मई 25, 2022

#### 64th Annual Report - 2021-2022

#### ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Department of Economic Affairs, Department of Expenditure, Department of Financial Services and Department of Public Enterprises, Ministry of Finance; Ministry of External Affairs, Government of India; Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI); The Comptroller & Auditor General of India; Reserve Bank of India, NITI Aayog and offices of the Indian Embassies and High Commissions in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are grateful to Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the Rating Agencies and Debt Collection Agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors thank and place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils, Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisations and Insurance Brokers. The Directors place on record, their thanks to the Auditors for the valuable advice and support received from time to time. The Directors express their deep sense of appreciation to all officers and staff who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

# For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director DIN 07376766

Place: Mumbai Date: May 25, 2022



# कंपनी शासन CORPORATE GOVERNANCE

#### कंपनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, बीमांकन पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा नीतियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रही है। सभी नीतियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक अथवा नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी है।

### निदेशक मंडल

निदेशक मंडल रणनीतियां एवं नीतियां का निर्माण करता है तथा सा-वधिक रूप से कंपनी के निष्पादन की समीक्षा करता है। कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम (ए ओ ए) के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो एवं वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निद– ेशक (पॉलिसी मामले) /कार्यपालक निदेशक (परिचालन) / वरिष्ठतम कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम तेरह अन्य निदेशक हों जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े व्यक्ति शामिल होते हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान तिथि तक, बोर्ड में तेरह में से पांच अंशकालिक निदेशकों के पद रिक्त है। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशकों तथा गैर–कार्यपालक निदेशकों का ईष्ठ्तम संयोजन है। स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने बोर्ड को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की सम्बंधित पक्ष अंतरण (आर पी टी)

ई सी जी सी लिमिटेड

#### Annexure I

# ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to the Government of India-owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the financial year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/ procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and ethical responsibilities.

#### **BOARD OF DIRECTORS**

The Board of Directors formulates strategies, policies and reviews the performance of the Company periodically. The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association (AOA) of the Company. Articles 57 and 63 of the AOA provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior-most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. The Company being a Government Company, the appointment of Directors is being done by the Government of India. As of date, five of the thirteen positions of the Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

The Board of Directors has an optimum combination of Executive/ Functional Directors and Non-Executive Directors. The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per DPE Guidelines) have submitted their disclosure to the Board that they fulfil all the requirements so as to qualify for their appointment as an Independent Director under the provisions of the Companies Act, 2013.





नीति यह सुनिश्चित करती है कि सामान्य तथा साधारण व्यापार सम्बंधी सभी सम्बन्धित पक्ष अंतरण लेखा परीक्षा समिति एवं / अथवा बोर्ड के ध्यानार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाते है। बोर्ड के सदस्यों तथा मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों (के एम पी) द्वारा किसी भी सम्विदा में, जिससे वह सम्बंधित है, अपने रुझान का प्रकटन आवश्यक है।

बोर्ड जोखिम प्रबंधन योजना की सावधिक पुनरीक्षा करता है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उपचारात्मक कार्यवाही करता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों की योग्यता सहित नाम, नियुक्ति की तारीख तथा श्रेणीयाँ जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया किया गया है, का विवरण सारणी 1 के अंतर्गत निम्नलिखित है: The Board-approved Related Party Transactions (RPT) Policy of the Company ensures that all related party transactions in the normal and ordinary course of business are brought to the notice/approval of the Audit Committee and/or Board. The Board Members as well as Key Managerial Personnel (KMP) are required to declare their interest in all the contracts in which they are interested.

The Board periodically reviews and takes remedial action to implement the risk management plan.

The name of Directors on the Board during the Financial Year 2021-22 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in Table 1 below:

सारणी 1 / Table 1

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि (दि/मा/व) Date of Appointment on Board (DD/MM/YYYY)	श्रेणी Category
1.	श्री एम. सेंथिलनाथन, अध्यक्ष-सह- प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Shri M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited	बी एससी, एम बी ए B.Sc., MBA	30/12/2015 29/04/2020 से प्रभावी अप्रनि 30/12/2015 CMD w.e.f. 29/04/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole-Time Director)
2	श्री विपुल बंसल, आई ए एस Shri Vipul Bansal, IAS	बी.कॉम, सी ए B.Com, CA	16/11/2021	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3	श्रीमती अपर्णा भाटिया, आईईएस Smt. Aparna Bhatia, IES	अर्थशास्त्र में नातकोत्तर, एम. फिल. Post Graduate in Economics, M. Phil.	16/11/2021	गैर-कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
*4	श्री शिरीष चंद्र मुर्मू , कार्यपालक निदेशक, आर बी आई Shri Shirish Chandra Murmu, Executive Director, RBI	एम एस सी, सी ए आई आई बी M.Sc., CAIIB	10/01/2020	गैर-कार्यपालक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*5	सुश्री हर्षा बंगारी, एमडी, एक्ज़िम बैंक Ms. Harsha Bangari, MD, Exim Bank	बीकॉम, सी ए B.Com, CA	23/09/2021	पदेन गैर–कार्यपालक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*6	श्री देवेश श्रीवास्तव, अ.प्र.नि., जी.आई.सी. Shri Devesh Srivastava, Chairman, GIC	एम एस सी (भौतिकी), पी जी डी बी एम M.Sc.(Physics), PGDBM	21/01/2020	पदेन गैर–कार्यपालक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non- Government Director
*7	डॉ. ए. शक्तिवेल, अध्यक्ष, फियो Dr. A. Sakthivel, President, FIEO	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा Diploma in Automobile Engineering	09/08/2021	पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non- Government Director





# 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

Ϊ₽

# ई सी जी सी लिमिटेड

क्र स Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of the Directors	योग्यता Qualification	निदेशक मण्डल में नियुक्ति की तिथि (दि/मा/व) Date of Appointment on Board (DD/MM/YYYY)	श्रेणी Category
*8	श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	वाणिज्य में स्नातकोत्तर Post Graduate in Commerce	03/11/2021	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
*9	श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	मानविकी में स्नातकोत्तर Post Graduate in Humanities	11/11/2021	गैर-कार्यपालक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
10	श्री सुनील जोशी कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले), ईसीजीसी लिमिटेड Shri Sunil Joshi, Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	एम एस सी (भौतिकी) M.Sc. (Physics)	09/07/2020	कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक) Functional Director (Whole- Time Director)
11	श्री अमिताभ कुमार, भा.रा. से. Shri Amitabh Kumar, IRS	एम बी ए, एल एल बी MBA, LL.B	20/11/2020 (दिनांक 16/11/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ती) 20/11/2020 (Ceased to be a Director w.e.f. 16/11/2021)	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
12	श्री के. राजारामन, भा प्र से Shri K. Rajaraman, IAS	बी टेक., एम बी ए (वित्त प्रबंधन)। एम ए (अर्थशास्त्र) B.Tech., M.B.A (Fin Mgt.), M.A (Economics)	08/08/2018 (दिनांक 18/10/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ती) 08/08/2018 (Ceased to be a Director w.e.f. 18/10/2021)	गैर कार्यकारी अंशकालिक, सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
13*	श्री शरद कुमार सराफ़ अध्यक्ष,एफ.आई.ई.ओ Shri Sharad Kumar Saraf, President, FIEO	आई आई टी मुंबई से इलेक्ट्रौनिक इंजीनियर Electronics Engineering from IIT Bombay	22/07/2019 (दि.28/06/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 28/06/2021)	पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director
14	श्री डेविड पॉल रस्किना, एम डी, एक्जिम बैंक Shri David Paul Rasquinha, MD, Exim Bank	प्रबंधन में स्नातकोत्तर Post Graduate in Business Management	22/07/2019 (दि.31/05/2021 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Director w.e.f. 31/05/2021)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर- सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Executive Part-Time Non-Government Director

\* गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

\* Non-Official (Independent) Directors



## नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय:-

## 1. श्री विपुल बंसल

श्री विपुल बंसल 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। दिनांक 01 नवंबर से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने वित्त एवं रक्षा सहित भारत सरकार के कई मंत्रालयों में कार्य किया है। वह वर्तमान में निर्यात संवर्धन (रत्न एवं आभूषण, सेवाएं), विदेश व्यापार (एल ए सी, एस टी, एस ए / सार्क / ईरान), एस ई जेड, समझौता ज्ञापन, व्यापार वित्त एवं परियोजना विकास देख रहे हैं।

श्री बंसल ने 2001 में अपनी चार्टर्ड एकाउंटेंसी पूरी की है। वह श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र है, जहां उन्होंने 1998 में वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की।

वे दिनांक 16 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

## 2. श्रीमती अपर्णा भाटिया

श्रीमती अपर्णा भाटिया 1996 बैच की भारतीय आर्थिक सेवा की अधिकारी हैं। वह वर्तमान में वित्त मंत्रालय में सलाहकार (द्विपक्षीय सहयोग) के रूप में तैनात हैं। श्रीमती भाटिया पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने 1996 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर एवं उसके बाद एम. फिल पूरा किया।

वे दिनांक 16 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुई।

#### 3. सुश्री हर्षा बंगारी

सुश्री हर्षा बंगारी भारतीय निर्यात–आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) की प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले वह इंडिया एक्ज़िम बैंक की उप प्रबंध निदेशक, मुख्य महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी थीं।

सुश्री बंगारी वर्ष 1995 में इंडिया एक्ज़िम बैंक में कार्यग्रहण किया, वह वित्तीय क्षेत्र में 27 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक वित्त संव्यवसायिक हैं एवं उन्हें बैंक के सभी उत्पादों को कवर करने वाले कार्यों में बैंक की प्रक्रियाओं एवं व्यावसायिक नीतियों का गहन ज्ञान है, बॉर्डर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के साथ–साथ रिस्क मैनेजमेंट, क्लाइंट सर्विसिंग एवं लायबिलिटी साइड मैनेजमेंट, जिसमें ट्रेजरी फंक्शंस एवं विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऋग पूंजी बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त क्षेत्रों में उनकी रुचि है, जहां उन्हें 14 वर्षों से अधिक का परिचालन अनुभव है।

सुश्री बंगारी वाणिज्य स्नातक एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट है।

वे दिनांक 23 सितंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुई।

## ४. डॉ. ए. शक्तिवेल

डॉ. ए. शक्तिवेल फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष है एवं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ए ई पी सी ) के दक्षिणी क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। साढ़े तीन दशकों से अधिक के अनुभव के

## 64th Annual Report - 2021-2022

#### **BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTORS:-**

#### 1. Shri Vipul Bansal

Shri Vipul Bansal is an Indian Administrative Services officer of 2005 batch. Prior to his appointment as the Joint Secretary in the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry since November 01, 2021 he has served in several ministries of the Government of India, including Finance and Defence. He is presently looking after Export Promotion (Gems & Jewellery, Services), Foreign Trade (LAC, ST, SA/SAARC/IRAN), SEZ, MOU, Trade Finance and Project Development Cell.

Shri Bansal has completed his Chartered Accountancy in 2001. He is an alumnus of Sri Ram College of Commerce, University of Delhi, where he completed his Bachelor's degree in Commerce in 1998.

He joined as a Director on the Board of the Company on November 16, 2021.

#### 2. Smt. Aparna Bhatia

Smt. Aparna Bhatia is an Indian Economic Services officer of 1996 batch. She is presently posted as Adviser (Bilateral Cooperation) in the Ministry of Finance. Smt. Bhatia is an alumnus of Punjab University, where she completed her Post-Graduation in Economics in 1996 and M. Phil thereafter.

She joined as a Director on the Board of the Company on November 16, 2021.

#### 3. Ms. Harsha Bangari

Ms. Harsha Bangari is the Managing Director of the Export-Import Bank of India (India Exim Bank). Prior to this she was the Deputy Managing Director, Chief General Manager and Chief Financial Officer of India Exim Bank.

Having joined the India Exim Bank in 1995, Ms. Bangari is a seasoned finance professional with experience of more than 27 years in the financial sector and has thorough knowledge of the Bank's processes and business policies across functions, covering all products of the Bank including cross-border project financing as well as Risk Management, Client Servicing and Liability side management, including Treasury Functions and Foreign Currency Resources. Her areas of interest include international debt capital markets and international project finance, where she has an operational experience of more than 14 years.

Ms. Bangari is a Bachelor of Commerce and a Chartered Accountant.

She joined as a Director on the Board of the Company on September 23, 2021.

#### 4. Dr. A. Sakthivel

Dr. A. Sakthivel is the President of the Federation of Indian Export Organisations (FIEO) and also the Southern



साथ एक दूरदर्शी व्यापार एवं उद्योग नेता, डॉ शक्तिवेल ने मार्गदर्शक, परामर्शदाता, राष्ट्रवादी, परोपकारी एवं मानवतावादी दृष्ठिकोण के रूप में अपने नाम के साथ कई पथ–प्रदर्शक पहल की है। निर्यातकों के मुद्दों के कट्टर समर्थक, डॉ शक्तिवेल ने पहले भी फियो, ए ई पी सी एवं तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को शीर्ष अधिकारी के रूप में सेवा दी है एवं भारत में निर्यात क्षेत्र के विकास में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से एम एस एम ई एस के लिए, एवं देश भर में एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उनकी सेवा रही है। तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संस्थापक – अध्यक्ष के रूप में, तिरुपुर से निर्यात के विकास में उनके अपार योगदान ने तिरुपुर को क्लस्टर विकास के लिए एक संघ के रूप में मान्यता देकर वैश्विक मानचित्र पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डॉ. ए. शक्तिवेल के पास ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री है एवं युवाओं को निर्यातक बनने के लिए प्रेरित करने हेतु उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए वर्ष 2011 में भारथियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (माननीय कारण) से सम्मानित किया गया है। डॉ. ए. शक्तिवेल को निर्यात क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में 'पद्मश्री' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

वे दिनांक 09 अगस्त, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

#### 5. श्री अमित कुमार अग्रवाल

श्री अमित कुमार अग्रवाल कुमार इंटरनेशनल के प्रबंध भागीदार एवं लघु उद्योग भारती, मुरादाबाद के पूर्व अध्यक्ष है। वह धातु हस्तशिल्प निर्यात व्यवसाय सहित समाज सेवा में भी है।

श्री अग्रवाल वर्ष 1993 में रोहिलखंड विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं।

वे दिनांक 03 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुए।

#### **6. श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा**

श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा कंपनी की स्वतंत्र निदेशक हैं। वह प्रतिभा समाजोत्थान विकास समिति में प्रबंधक हैं एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।

श्रीमती कुशवाहा वर्ष 2010 में नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद से मानविकी में स्नातकोत्तर हैं।

वे दिनांक 11 नवंबर, 2021 को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में शामिल हुई।

#### निदेशकों हेतु परिचायक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर, नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास (आई आर डी ए आई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम/विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपलनों की सूची के तथा उनके

# ई सी जी सी लिमिटेड

Region In-Charge of the Apparel Export Promotion Council (AEPC). A visionary Trade and Industry leader with an experience of well over three-and-a-half decades, Dr. Sakthivel has several path breaking initiatives added to his name as Guide, Mentor, Nationalist, Philanthropist and Humanist approach. A staunch votary of exporters issues, Dr. Sakthivel has earlier also served FIEO, AEPC and Tirupur Exporters' Association as their top functionary and played a vital role to help the growth of exports sector in India, especially for MSMEs, and his service has been well recognized both across the country and internationally. As the Founder-President of Tirupur Exporters' Association, his immense contribution to the growth of exports from Tirupur has played a key role in bringing Tirupur on the global map by getting it recognized as an association for cluster development.

Dr. A. Sakthivel holds a Diploma in Automobile Engineering and he has also been conferred Degree of Doctor of Literature (honoris causa) from the Bharathiyar University, Coimbatore in the year 2011 for his pivotal role in inspiring and motivating youngsters to become exporters. Dr. A. Sakthivel was conferred 'Padma Shri' award in the year 2009 by the Government of India in recognition of his exceptional service to the export sector.

He joined as a Director on the Board of the Company on August 09, 2021.

#### 5. Shri Amit Kumar Agarwal

Shri Amit Kumar Agarwal is the Managing Partner of Kumar International and the Past Chairman of the Laghu Udyog Bharti, Moradabad. He is in the business of metal handicraft exports and also in social service.

Shri Agarwal is a post graduate in Commerce from Rohilkhand University in the year 1993.

He joined as a Director on the Board of the Company on November 03, 2021.

#### 6. Smt. Pratibha Kushwaha

Smt. Pratibha Kushwaha is an Independent Director of the Company. She is the Manager at the Pratibha Samajothan Vikas Samiti and is also a social worker.

Smt. Kushwaha is a post graduate in Humanities from Nehru Gram Bharti, Allahabad in the year 2010.

She joined as a Director on the Board of the Company on November 11, 2021.

# DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/rules/regulations including the Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance



द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौपे जाते हैं। निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं तथा कंपनी का प्रबंधन, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों , कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों /विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों/भारत सरकार, जैसे राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एन आई ए), भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई आर डी ए आई), स्टेंडिंग कॉन्फ्फ्रेंस ऑफ्फ्र पब्लिक एंटरप्राइजेज़ (स्कोप), इंडियन इंस्टीट्रयूट ऑफ्फ कॉर्पोरेट अफ्फ्रेयर (आई आई सी ए), लोक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है।

सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कंपनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से कंपनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत बोर्ड/ समिति की बैठकों के दौरान अवगत कराया जाता हैं

समय–समय पर विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण की तिथियों पर निदेशकों के पूर्व–व्यवसाय/व्यस्त कार्यक्रम के कारण, कंपनी वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों को छोड़कर किसी भी निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान नर्ही कर सकी है:–

### 64th Annual Report - 2021-2022

Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) applicable guidelines. Relevant Disclosures are taken from the Director. The Management of the Company familiarises the new Director with the Company, its operations, important policies and processes followed by various sectors/departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. The Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board-related practices and orientation programmes etc. conducted by various Institutes of repute like National Insurance Academy (NIA), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Department of Public Enterprises (DPE) etc.

All Directors are regularly updated on the various provisions related to corporate governance and other applicable rules and regulations of the Company during the Board/Committee meetings as per the internal training policy for the Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of the Directors on the dates of training organised by various Institutions from time-to-time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during FY 2021-22 as follows:

क्र. सं. Sr. No.	पद Designation	निदेशक का नाम Name of the Director	दिए गए प्रशिक्षण का विवरण (विषय एवं तिथि) Details of Training Imparted (Subject and Date)
1.	गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक Non-Official (Independent) Director	श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal डॉ. ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	<ul> <li>28 जनवरी, 2022 को सीपीएसई के नवनियुक्त गैर-सरकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम।</li> <li>Orientation Program for capacity building of newly appointed Non-Official Directors of CPSEs on January 28, 2022.</li> <li>22 दिसंबर 2021 को सीपीएसई के नवनियुक्त गैर-सरकारी निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम।</li> <li>Orientation program for capacity building of Directors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on December</li> <li>22, 2021.</li> <li>21 - 23 सितंबर, 2021 से सामान्य एवं स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम।</li> <li>Orientation Program for Non-Executive Directors of General and Standalone Health Insurance Companies from September 21 - 23, 2021.</li> </ul>
		श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	22 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम। Orientation program for capacity building of Directors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) on December 22, 2021.



ई सी जी सी लिमिटेड

क्र. सं. Sr. No.	पद Designation	निदेशक का नाम Name of the Director	दिए गए प्रशिक्षण का विवरण (विषय एवं तिथि) Details of Training Imparted (Subject and Date)
		श्री एस सी मुर्मू Shri S. C. Murmu	21 – 23 सितंबर, 2021 से सामान्य एवं स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए ऑनलाइन अभिविन्यास कार्यक्रम। Online Orientation Program for Non-Executive Directors of General and Standalone Health Insurance Companies from September 21 - 23, 2021.
2	गैर–कार्यकारी सरकारी निदेशक Non-Executive Government Director	श्री के राजारामन Shri K. Rajaraman	14–16 जून, 2021 से सामान्य एवं स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के गैर–कार्यकारी निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम। Orientation Program for Non-Executive Directors of General and Standalone Health Insurance Companies from June 14- 16, 2021.

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, श्री अमित कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा ने 07 से 09 अप्रैल, 2022 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफ्फ्रेयर्स (आईआईसीए) द्वारा आयोजित "बिल्डिंग बैटर बोर्ड" पर तीन दिवसीय मास्टर क्लास में भी भाग लिया।

## वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों अथवा कोविड – 19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा दी गई छूट के अनुसार निदेशक मंडल को प्रत्येक वर्ष कम से कम चार बार बैठकें इस तरह से करने की आवश्यकता होती है कि कोई बैठकों के बीच 120 दिनों या ऐसी विस्तारित अवधि का अंतर हो जो बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच हस्तक्षेप न करे।

कंपनी सभी निदेशकों को नोटिस, एजेंडा एवं नोट्स टू एजेंडा भेजती है जो भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी बोर्ड बैठक में सचिवीय मानकों के अनुपालन में प्रकृति में संपूर्ण हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के अनुसार, कंपनी निदेशकों को वीडियो कॉन्प्रेंसिंग/अन्य ऑडियो–विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा प्रदान करती है ताकि वे चाहें तो बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पांच बैठकें हुई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण नीचे **सारणी 2** में दिया गया है: During the FY 2022-23, Shri Amit Kumar Agarwal and Smt. Pratibha Kushwaha also attended a three-day Master Class on Building better Board conducted by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) from April 07 – 09, 2022.

# DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2021-22

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days or such extended period shall intervene between two consecutive meetings of the Board, pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013 or the relaxations granted by the Government of India on account of the Covid-19 pandemic. The Company sends to all Directors notices, agenda and notes to agenda which are exhaustive in nature in compliance with Secretarial Standards on Board Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India. Pursuant to Section 174 of the Companies Act, 2013, the Company provides video conferencing/ Other Audio-Visual Means (OAVM) facility to the Directors to enable them to participate in the Board/ Committee meetings, if they so desire. Five meetings were held during the FY 2021-22. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2021-22 are furnished below in Table 2:

able 2:

क्रम संख्या Sr. No.	बैठक संख्या Meeting Number	बैठक की तारीख (दि/मा/व) Date of the Meeting (DD/MM/YYYY)	बोर्ड संख्या Board Strength	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors present
1.	431	16/07/2021	6	6
2.	432	10/08/2021	7	7
3.	433	18/11/2021	10	7
4.	434	10/02/2022	10	8
5.	435	23/03/2022	10	8



### 64th Annual Report - 2021-2022

45

 बोर्ड की बैठक एवं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण क्रमशः सारणी 3 एवं सारणी 4 में दिया गया है।

Details of attendance of the Directors at the Board Meeting and Annual General Meeting are furnished below in Table 3 and Table 4 respectively.

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

## DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS

						सारणी –	3 / Table 3:
निदेशकों के नाम Name of the Director	निदेशन की प्रकृति Nature of Director-ship	मण्डल में पद Designation in the Board	<sup>ৰী</sup> ठक तिथि 16/07/2021 Meeting dated 16/07/2021	बैठक तिथि 10/08/2021 Meeting dated 10/08/ 2021	बैठक तिथि 18/11/2021 Meeting dated 18/11/2021	बैठक तिथि 10/02/2022 Meeting dated 10/02/2022	ਕੈਰक तिथि 23/03/2022 Meeting dated 23/03/2022
श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	कार्यकारी निदेशक Executive Director	अध्यक्ष (पूर्णकालिक) Chairman (Whole-Time)	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Govt. Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Govt. Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent	अनुपस्थित Absent
सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivastava	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present
डॉ. ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	अनुपस्थित Absent	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री अमित कुमार अग्रवाल Shri Amit Kumar Agarwal	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा Smt. Pratibha Kushwaha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	पूर्णकालिक निदेशक Whole-Time Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present	उपस्थित Present
श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Govt. Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री के. राजारामन Shri K. Rajaraman	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Govt. Director	उपस्थित Present	उपस्थित Present	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

# ई सी जी सी लिमिटेड

## वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

### DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING

1

सारणी -4 / Table 4

निदेशकों के नाम Name of the Directors	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Directorship	बोर्ड में पदनाम बोर्ड में पदनाम Designation in the Board	18 नवंबर, 2021 को आयोजित 63र्यी वार्षिक आम बैठक 63 <sup>rd</sup> Annual General Meeting held on November 18, 2021
श्री एम. सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष (पूर्ण कालिक)	उपस्थित
Shri M. Senthilnathan	Executive Director	Chairman (Whole-Time)	Present
श्री विपुल बंसल	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित
Shri Vipul Bansal	Non-Executive Director	Govt. Director	Present
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित
Smt. Aparna Bhatia	Non-Executive Director	Govt. Director	Absent
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित
Shri S.C. Murmu	Non-Executive Director	Independent Director	Absent
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित
Ms. Harsha Bangari	Non-Executive Director	Independent Director	Absent
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
Shri Devesh Srivastava	Non-Executive Director	Independent Director	Present
डॉ. ए. शक्तिवेल	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
Dr. A. Sakthivel	Non-Executive Director	Independent Director	Present
श्री अमित कुमार अग्रवाल	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
Shri Amit Kumar Agarwal	Non-Executive Director	Independent Director	Present
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित
Smt. Pratibha Kushwaha	Non-Executive Director	Independent Director	Present
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित
Shri Sunil Joshi	Executive Director	Whole-Time Director	Present
श्री अमिताभ कुमार	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं
Shri Amitabh Kumar	Non-Executive Director	Govt. Director	NA
श्री के. राजारामन	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं
Shri K. Rajaraman	Non-Executive Director	Govt. Director	NA
श्री शरद कुमार सराफ	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
Shri Sharad Kumar Saraf	Non-Executive Director	Independent Director	NA
श्री डेविड पॉल रस्किना	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
Shri David Paul Rasquinha	Non-Executive Director	Independent Director	NA

## निदेशकों द्वारा ३१ मार्च, २०२२ तक धारित अन्य निदेशकों का विवरण नीचे तालिका ५ में दिया गया है।

# DETAILS OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THE DIRECTORS AS OF MARCH 31, 2022 ARE FURNISHED BELOW IN TABLE 5

सारणी −5 / Table 5

निदेशकों के नाम Name of the Directors	अन्य धारित निदेशक पद <sup>*</sup> No. of other Directorships held *
श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	0
श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	4
श्रीमती अपर्णा भाटिया Smt. Aparna Bhatia	0
श्री एस.सी. मुर्मू Shri S.C. Murmu	0



$\sim$ $\cdot$ $\cdot$	- 4
	nited
<u> </u>	

निदेशकों के नाम Name of the Directors	अन्य धारित निदेशक पद <sup>*</sup> No. of other Directorships held *
सुश्री हर्षा बंगारी	0
Ms. Harsha Bangari	
श्री देवेश श्रीवास्तव	5
Shri Devesh Srivastava	
डॉ. ए. शक्तिवेल	6
Dr. A. Sakthivel	
श्री अमित कुमार अग्रवाल	0
Shri Amit Kumar Agarwal	
श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा	0
Smt. Pratibha Kushwaha	
श्री सुनील जोशी	0
Shri Sunil Joshi	
श्री अमिताभ कुमार	1
(16/11/2021 तक)	
Shri Amitabh Kumar	
(up to 16/11/2021)	
श्री क राजारामन	1
(18/10/2021 तक)	
Shri K. Rajaraman	
(up to 18/10/2021)	5
श्री शरद कुमार सराफ	C
(28/06/2021 तक) Shri Sharad Kumar Saraf	
(up to 28/06/2021)	
श्री डेविड पॉल रस्किना	0
(31/05/2021 तक)	U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
Shri David Paul Rasquinha	
(up to 31/05/2021)	

<sup>\*</sup>निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कंपनियों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक

\*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013

## लेखापरीक्षा समिति - संरचना एवं उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 09/08/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। 31/03/2022 तक, कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में छह गैर–औपचारिक शामिल हैं। दिनांक 31 मई 2021 से प्रभावी श्री डेविड रस्किना के कार्यकाल की समाप्ति के कारण श्री देवेश श्रीवास्तव को 15 जुलाई 2021 को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कंपनी की कंपनी सचिव श्रीमती स्मिता पंडित लेखा समिति की सचिव है।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के सम्पूर्ण लेखा परीक्षा कार्य का पर्यवेक्षण करना एवं निर्देशन उपलब्ध करवाना है, जैसे कि कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना एवं भारत के महालेखा परीक्षक एवं सांविधिक/ बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। मण्डल द्वारा लेखा परीक्षा समिति

# AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company has been re-constituted on 09/08/2021, 23/09/2021 and 16/11/2021 during the FY 2021-22. As of 31/03/2022, the Audit Committee of the Company comprises of six Non-Executive Directors. Shri Devesh Srivastava was appointed as the Chairman of the Audit Committee w.e.f. July 15, 2021 on cessation of the Directorship of Shri David Rasquinha w.e.f. May 31, 2021. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company



10.00

के संदर्भ की शर्तों, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 177, भारत के बीमाकर्ताओं के लिए आईआरडीएआई के दिशानिर्देश, एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी मामलों को कवर करती है, का अनुमोदन किया गया।

 वर्ष 2021–22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठके

 15/07/2021,10/08/2021,16/11/2021,
 08/02/2022 एवं 22/03/2022 हुई। लेखा परीक्षा समिति की

 बैठकों में सदस्यों की उपस्थिती की जानकारी सारणी 6 में दी गयी है:

# ई सी जी सी लिमिटेड

and C&AG of India. The Board approved Terms of Reference of the Audit Committee covers all matters specified under Section 177 of the Companies Act, 2013, IRDAI Guidelines for Corporate Governance for insurers in India and the Department of Public Enterprises Guidelines for Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises.

The Audit Committee met five times, on 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 and 22/03/2022 during the FY 2021-22. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished below in **Table 6**:

सारणी −6 / Table 6

						1	
निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	बैठक तिथि 15/07/ 2021 Meeting dated 15/07/ 2021	बैठक तिथि 10/08/ 2021 Meeting dated 10/08/ 2021	बैठक तिथि 16 / 11 / 2021 Meeting dated 16/11/ 2021	बैठक तिथि 08/02/ 2022 Meeting dated 08/02/ 2022	बैठक तिथि 22/03/ 2022 Meeting dated 22/03/ 2022
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Devesh Srivastava	Non-Executive Director	Independent Director	Present	Present	Present	Present	Present
श्री विपुल बंसल	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri Vipul Bansal	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Present	Present	Absent
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Smt. Aparna Bhatia	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Present	Present	Absent
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri S.C. Murmu	Non-Executive Director	Independent Director	Absent	Present	Present	Present	Absent
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Ms. Harsha Bangari	Non-Executive Director	Independent Director	NA	NA	Absent	Present	Present
डॉ. ए. शक्तिवेल	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Dr. A. Sakthivel	Non-Executive Director	Independent Director	NA	Present	Present	Present	Present
श्री अमिताभ कुमार	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri Amitabh Kumar	Non-Executive Director	Govt. Director	Present	Absent	NA	NA	NA
श्री के. राजारामन	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri K. Rajaraman	Non-Executive Director	Govt. Director	Absent	Present	NA	NA	NA
श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Ras- quinha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

#### निवेश समितिः संरचना एवं उपस्थिती

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की निवेश समिति 09/09/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को पुनर्गठित हुई। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निवेश समिति की कुल पाँच बैठकें 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 एवं 22/03/2022 को हुई। निवेश समिति की बैठकों के सदस्यों की उपस्थिती **सारणी 7** में दर्शाई गयी है:

# INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company was reconstituted on 09/09/2021, 23/09/2021 and 16/11/2021 during the FY 2021-22. The Investment Committee met five times, on 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 and 22/03/2022 during the FY 2021-22. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in **Table 7:** 



### 64th Annual Report - 2021-2022

						सारण	गी −7 / Table 7
निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	बैठक तिथि 15/07/ 2021 Meeting dated 15/07/ 2021	बैठक तिथि 10/08/ 2021 Meeting dated 10/08/ 2021	बैठक तिथि 16/11/ 2021 Meeting dated 16/11/ 2021	बैठक तिथि 08/02/ 2022 Meeting dated 08/02/ 2022	<sup>ষ্বী</sup> ठक तिथि 22/03/ 2022 Meeting dated 22/03/ 2022
श्री एम. सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri M. Senthilnathan	Executive Director	Chairman	Present	Present	Present	Present	Present
श्री विपुल बंसल	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri Vipul Bansal	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Absent	Present	Absent
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Smt. Aparna Bhatia	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Present	Present	Absent
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri S.C. Murmu	Non-Executive Director	Independent Director	Absent	Present	Absent	Present	Absent
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Ms. Harsha Bangari	Non-Executive Director	Independent Director	NA	NA	Absent	Present	Present
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Devesh Srivastava	Non-Executive Director	Independent Director	Present	Present	Present	Present	Present
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Sunil Joshi	Executive Director	Whole-Time Director	Present	Present	Present	Present	Present
श्रीमती प्रिसिला सिन्हा	एए	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Smt. Priscilla Sinha	AA	Member	Present	Present	Present	Present	Present
श्री निर्दोश चोपड़ा	सीएफ़ओ एवं सीआरओ	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Nirdosh Chopra	CFO & CRO	Member	Present	Present	Present	Present	Present
श्री यशवंत ब्रीद	सीआईओ	सदस्य	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Yashwant Breed	ClO	Member	NA	NA	Present	Present	Present
श्रीमती अर्पिता सेन	सीआईओ	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Smt. Arpita Sen	ClO	Member	Present	Present	NA	NA	NA
श्री अमिताभ कुमार	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri Amitabh Kumar	Non-Executive Director	Govt. Director	Present	Absent	NA	NA	NA
श्री के. राजारामन	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri K. Rajaraman	Non-Executive Director	Govt. Director	Absent	Absent	NA	NA	NA
श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA				

सीआरओ – मुख्य जोखिम अधिकारी, सीएफओ – मुख्य वित्तीय अधिकारी, सीआईओ – मुख्य निवेश अधिकारी, एए – नियुक्त बीमांकक

# पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति - संरचना एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति का 09/08/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को पुनर्गठन हुआ। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति की पाँच बैठकें 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 एवं 22/03/2022 को हुई। पॉलिसीधारकों के हित संरक्षण समिति की बैठक के सदस्यों की उपस्थिती की जानकारी **सारणी 8** में दर्शाई गयी है। CRO – Chief Risk Officer, CFO – Chief Financial Officer, CIO – Chief Investment Officer, AA – Appointed Actuary

#### POLICYHOLDERS' INTERESTS PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interests Protection Committee of the Company was re-constituted on 09/08/2021, 23/09/2021 and 16/11/2021 during the FY 2021-22. The Policyholders' Interests Protection Committee met five times, on 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 and 22/03/2022 during the FY 2021-22. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interests Protection Committee Meetings are furnished below in **Table 8**:



# ई सी जी सी लिमिटेड

						सारण	ਜੈ −8 / Table 8
निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	बैठक तिथि 15/07/ 2021 Meeting dated 15/07/ 2021	बैठक तिथि 10/08/ 2021 Meeting dated 10/08/ 2021	बैठक तिथि 16/11/ 2021 Meeting dated 16/11/ 2021	बैठक तिथि 08/02/ 2022 Meeting dated 08/02/ 2022	<sup>ষ্বী</sup> ठक तिथि 22/03/ 2022 Meeting dated 22/03/ 2022
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर – कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित
Shri Devesh Srivastava	Non-Executive Director	Chairman	Present	Present	Present	Absent	Present
श्री एम. सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	सदस्य	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri M. Senthilnathan	Executive Director	Member	Present	Present	Present	Present	Present
श्री विपुल बंसल	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri Vipul Bansal	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Absent	Present	Absent
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri S.C. Murmu	Non-Executive Director	Independent Director	Absent	Present	Absent	Present	Absent
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Ms. Harsha Bangari	Non-Executive Director	Independent Director	NA	NA	Absent	Present	Present
डॉ. ए. शक्तिवेल	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Dr. A. Sakthivel	Non-Executive Director	Independent Director	NA	Present	Present	Present	Present
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Sunil Joshi	Executive Director	Whole-Time Director	Present	Present	Present	Present	Present
श्री अमिताभ कुमार	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri Amitabh Kumar	Non-Executive Director	Govt. Director	Present	Absent	NA	NA	NA
श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA				
श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA				

## जोखिम प्रबंधन समिति - संरचना एवं उपस्थिति

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 एवं 22/03/2022 को जोखिम प्रबंधन समिति की पांच बार बैठक हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की जानकारी **सारणी 9** में दर्शाई गयी है:

50

# RISK MANAGEMENT COMMITTEE – COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company was re-constituted on 23/09/2021 and 16/11/2021 during the FY 2021-22. The Risk Management Committee met five times, on 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 and 22/03/2022 during the FY 2021-22. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings are furnished below in **Table 9**:

सारणी	-9/	Table	9
-------	-----	-------	---

निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	बैठक तिथि 15/07/ 2021 Meeting dated 15/07/ 2021	बैठक तिथि 10/08/ 2021 Meeting dated 10/08/ 2021	बैठक तिथि 16/11/ 2021 Meeting dated 16/11/ 2021	बैठक तिथि 08/02/ 2022 Meeting dated 08/02/ 2022	बैठक तिथि 22/03/ 2022 Meeting dated 22/03/ 2022
श्री एम. सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri M. Senthilnathan	Executive Director	Chairman	Present	Present	Present	Present	Present
श्री विपुल बंसल	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri Vipul Bansal	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Absent	Present	Absent

## 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	बैठक तिथि 15/07/ 2021 Meeting dated 15/07/ 2021	बैठक तिथि 10/08/ 2021 Meeting dated 10/08/ 2021	बैठक तिथि 16/11/ 2021 Meeting dated 16/11/ 2021	बैठक तिथि 08/02/ 2022 Meeting dated 08/02/ 2022	बैठक तिथि 22/03/ 2022 Meeting dated 22/03/ 2022
श्रीमती अपर्णा भाटिया	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Smt. Aparna Bhatia	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Present	Present	Absent
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri S.C. Murmu	Non-Executive Director	Independent Director	Absent	Present	Absent	Present	Absent
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Ms. Harsha Bangari	Non-Executive Director	Independent Director	NA	NA	Absent	Present	Present
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Devesh Srivastava	Non-Executive Director	Independent Director	Present	Present	Present	Present	Present
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Sunil Joshi	Executive Director	Whole-Time Director	Present	Present	Present	Present	Present
श्री अमिताभ कुमार	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri Amitabh Kumar	Non-Executive Director	Govt. Director	Present	Absent	NA	NA	NA
श्री के. राजारामन	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri K. Rajaraman	Non-Executive Director	Govt. Director	Absent	Present	NA	NA	NA
श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA				

## नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

एक सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति एवं नियुक्ति की शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि, मण्डल नें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 09/08/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को इसका पुनर्गठन किया गया।वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एनआरसी की कोई बैठक नहीं हुई। एनआरसी के सदस्यों की जानकारी **सारणी 10** में दर्शाई गयी है।

#### NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

ECGC Ltd. being a Government Company, the appointment and the terms and conditions of appointment (including remuneration), of the Whole-time Directors are decided by the Government of India. However, the Board has constituted a Nomination and Remuneration Committee and it was re-constituted on 09/08/2021, 23/09/2021 and 16/11/2021 during the FY 2021-22. No meeting of the NRC was held during the FY 2021-22. The details of the Members of the NRC are furnished below in **Table 10**.

51

सारणी -	10	1	Table	10
---------	----	---	-------	----

निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि (तिथि/माह/वर्ष) Date of appointment as Member (DD/MM/YYYY)
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष( 18 / 11 / 2021 से प्रभावी)	23/09/2021
Ms. Harsha Bangari	Non-Executive Director	Chairman (w.e.f. 18/11/2021)	
श्री विपुल बंसल	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	16/11/2021
Shri Vipul Bansal	Non-Executive Director	Govt. Director	
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	10/01/2020
Shri S.C. Murmu	Non-Executive Director	Independent Director	
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	21/01/2020
Shri Devesh Srivastava	Non-Executive Director	Independent Director	
डॉ. ए. शक्तिवेल	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	09/08/2021
Dr. A. Sakthivel	Non-Executive Director	Independent Director	
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	09/07/2020
Shri Sunil Joshi	Executive Director	Whole-Time Director	

# ई सी जी सी लिमिटेड

निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि (तिथि/माह/वर्ष) Date of appointment as Member (DD/MM/YYYY)
श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	सरकारी निदेशक Govt. Director	20/11/2020(16/11/2021 से सदस्यता समाप्ति) 20/11/2020 (Ceased to be a Member w.e.f. 16/11/2021)
श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्यता समाप्ति) 22/07/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 28/06/2021)
श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	अध्यक्ष Chairman	07/08/2019 (31/05/2021 से अध्यक्षता एवं सदस्यता समाप्ति) 07/08/2019 (Ceased to be the Chairman and Member w.e.f. 31/05/2021)

ईसीजीसी 100% भारत सरकार (भा स) के स्वामित्व वाली कंपनी है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशनिर्देशों के अनुपालन के साथ वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की सिफ्फ़ारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा के अनुसार की जाती है। बोर्ड आईआरडीएआई को सूचित करने सहित ऐसी सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड में लेता है एवं आरओसी के साथ पास आवश्यक प्रपत्र भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा (गैर–कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में) नियुक्त किया जाता है एवं वे किसी भी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। गैर–कार्यकारी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र सचिवों) को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं वे ((i) भारतीय रिजर्व बैंक (ii) एक्जिम बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (iii) सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक (iii) सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं (iv) के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक की श्रेणी के अधीन नियुक्त निदेशकों को छोड़कर भारतीय सामान्य बीमा निगम) सरकार के निर्देशों/सांविधिक नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार होते है (कंपनी ने 23 नवंबर, 2021 से प्रभावी बैठक शुल्क को प्रति बोर्ड बैठक के लिए ₹20,000 एवं प्रति सदस्य प्रत्येक समिति बैठक के लिए ₹10,000 में संशोधित किया है)।

कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं दिया है। कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी गैर–लेखक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था। ईसीजीसी लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान एवं भत्ते भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।

## कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं धारणीय विकास (एसडी) पर बोर्ड की समिति:

कंपनी की सीएसआर एवं एसडी परियोजनाओं/गतिविधियों की निगरानी के लिए कंपनी के सीएसआर एवं एसडी पर एक समिति का गठन किया गया है। इसे वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 09/08/2021, 23/09/2021 एवं 16/11/2021 को पुनर्गठित किया गया। श्री ECGC is a 100% Government of India (GOI)-owned Company. Appointment of all Directors including the Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per recommendation of the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry in compliance with the Department of Public Enterprises guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with the ROC including informing IRDAI. Remuneration of the Whole Time Directors is fixed by the GOI.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Directors) by the Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration/sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors (Independent Directors) are appointed by the GOI and they (excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India (ii) Chairman/ Managing Director of EXIM Bank (iii) Chairman/Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India) are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/ statutory rules and regulations (the Company has revised the sitting fee to ₹20,000 per Board Meeting and ₹10,000 for each Committee Meeting per Member effective from November 23, 2021).

The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. None of the Non-Executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the FY 2021-22. The Pay Scales and allowances of Officers and Staff of ECGC Ltd. are approved by the GOI.

#### COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD):

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on 09/08/2021, 23/09/2021 and 16/11/2021 during the FY 2021-22. Shri



एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, 29/04/2020 से समिति के अध्यक्ष है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 एवं 22/03/2022 को सीएसआर एवं एसडी समिति की पांच बार बैठक हुई। सीएसआर एवं एसडी पर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे सारणी 11 में दिया गया है।

### 64th Annual Report - 2021-2022

M. Senthilnathan, CMD is the Chairman of the Committee w.e.f. 29/04/2020.

The Committee on CSR & SD met five times, on 15/07/2021, 10/08/2021, 16/11/2021, 08/02/2022 and 22/03/2022 during the FY 2021-22. The details of the attendance of the Members at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in Table 11.

सारणी - 11 / Table 11

निदेशक के नाम Name of the Director	निदेशक पद की प्रकृति Nature of Director-ship	समिति में पदनाम Designation in the Committee	बैठक तिथि 15/07/ 2021 Meeting dated 15/07/ 2021	बैठक तिथि 10/08/ 2021 Meeting dated 10/08/ 2021	बैठक तिथि 16/11/ 2021 Meeting dated 16/11/ 2021	बैठक तिथि 08/02/ 2022 Meeting dated 08/02/ 2022	बैठक तिथि 22/03/ 2022 Meeting dated 22/03/ 2022
श्री एम. सेंथिलनाथन	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri M. Senthilnathan	Executive Director	Chairman	Present	Present	Present	Present	Present
श्री विपुल बंसल	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri Vipul Bansal	Non-Executive Director	Govt. Director	NA	NA	Absent	Present	Absent
श्री एस.सी. मुर्मू	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित	उपस्थित	अनुपस्थित
Shri S.C. Murmu	Non-Executive Director	Independent Director	Absent	Present	Absent	Present	Absent
सुश्री हर्षा बंगारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Ms. Harsha Bangari	Non-Executive Director	Independent Director	NA	NA	Absent	Present	Present
श्री देवेश श्रीवास्तव	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Devesh Srivastava	Non-Executive Director	Independent Director	Present	Present	Present	Present	Present
डॉ. ए. शक्तिवेल	गैर – कार्यकारी निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Dr. A. Sakthivel	Non-Executive Director	Independent Director	NA	Present	Present	Present	Present
श्री सुनील जोशी	कार्यकारी निदेशक	पूर्णकालिक निदेशक	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
Shri Sunil Joshi	Executive Director	Whole-Time Director	Present	Present	Present	Present	Present
श्री अमिताभ कुमार	गैर – कार्यकारी निदेशक	सरकारी निदेशक	उपस्थित	अनुपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
Shri Amitabh Kumar	Non-Executive Director	Govt. Director	Present	Absent	NA	NA	NA
श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA				
श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	गैर – कार्यकारी निदेशक Non-Executive Director	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA				

# निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, स्वतंत्र निदेशकों का बोर्ड एवं बैठकें

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05/06/2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के बोर्ड के सदस्यों का प्रदर्शन संबंधी मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है तो अधिनियम की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए बोर्ड, समिति एवं स्वतंत्र निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन प्रणाली, जो कि बोर्ड रिपोर्ट में आवश्यक होती है, को छूट दी गयी है। कंपनी का मूल्यांकन

## PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS, THE BOARD AND MEETING OF THE INDEPENDENT DIRECTORS

The requirement relating to performance evaluation of Board Members under Section 178(2) of the Companies Act, 2013 is exempted for Government Companies vide circular dated 05/06/2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). The provisions of Section 134(3) (p) of the Act which requires mentioning the manner of formal evaluation of the Board, Committees and individual Directors, in the Board Report is also exempted for the Government Companies, if Directors are evaluated by



वित्तीय एवं गैर–वित्तीय लक्ष्यों के लिए अंको/महत्व के साथ सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से किया जाता है। हमारा उत्पादकता से जुड़ा एकमुश्त प्रोत्साहन (पीएलएलआई) इस तरह के मूल्यांकन में संबंधित मंत्रालय द्वारा प्राप्त अंकों/ग्रेड पर आधारित है।

डीपीई ने दिनांक 20/06/2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक से कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा को वापस ले लिया गया। एमसीए ने दिनांक 05 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्दिष्ट गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं सरकारी कंपनियों के अध्यक्ष के मूल्यांकन तंत्र को भी छूट दी थी।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, डीपीई के दिशानिर्देशों की आवश्यकतानुसार (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20/06/2013) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 18/11/2021 को अन्य बातों के साथ–साथ, सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का आकलन करने के लिए, डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार 18/11/2021 को स्वतंत्र अधिवेशनों की बैठक हुई। कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के बीच जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से एवं उचित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है।

## साधारण बैठक

गत तीन वर्षों में सम्पन्न हुई साधारण बैठकों की जानकारी **सारणी 12** में दी गयी है:

# ई सी जी सी लिमिटेड

the Administrative Ministry. The Company's evaluation is done through annual Memorandum of Understanding (MOU) with the Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weight for financial and non-financial targets. Our Productivity-Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is based on marks/ grade obtained in such evaluation by the respective Ministry.

The DPE vide OM dated 20/06/2013 has withdrawn review of the performance of the Chairperson of the Company after taking into account the views of all the Directors, from the purview of separate meeting of Independent Directors. The MCA had, vide circular dated July 05, 2017 also exempted evaluation mechanism of Non-Independent Directors and Chairperson of Government Companies as specified in Schedule IV to the Companies Act, 2013.

During the FY 2021-22, the Independent Directors met on 18/11/2021 as per the requirement of DPE guidelines (Office Memorandum dated 20/06/2013), inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

#### **GENERAL MEETINGS**

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in **Table 12**:

सारणी 12/ Table 12

क्र. सं. Sr. No.	वित्तीय वर्ष Financial Year	वा सा बैठकों की सं No. of AGM	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	पारित विशेष संकल्पों की सं, यदि कोई हो तो No. of Special Resolutions passed, if any
1	2018-19	विशेष साधारण बैठक EGM	दिसंबर 07, 2018, 1500 बजे December 07, 2018, 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	10
2	2018-19	61	26 अगस्त, 2019 1500 बजे August 26, 2019 1500 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL
3	2019-20	62	24 नवंबर, 2020 1500 बजे November 24, 2020 1500 Hrs.	पंजीकृत कार्यालय, मुंबई Registered Office, Mumbai	कुछ नहीं NIL
4	2020-21	63	नवंबर 18, 2021, 1600 बजे November 18, 2021,1600 Hrs	उद्योग भवन, नई दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi	कुछ नहीं NIL



## व्यापार आचार संहिता एवं नैतिकता

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यवसाय आचरण एवं नैतिक संहिता निर्धारित की है, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है <u>(www.ecgc.in)</u>।

#### प्रकटीकरण

कंपनी व्यापार के सामान्य क्रम में किए गए संव्यवहार को छोड़कर किसी भी निदेशक, प्रबंधन अथवा उनके सम्बन्धियों अथवा कंपनी एवं फर्म इत्यादि के साथ, जिसमें वो या तो प्रत्यक्ष अथवा उनके सम्बन्धी निदेशक अथवा भागीदारों के रूप में हित प्राप्त करते हैं, किसी भी भौतिक अथवा वित्तीय संव्यवहार में शामिल नहीं है। बोर्ड ने 23/03/2022 को 'संबंधित पार्टी संव्यवहार पर नीति' के अंतर्गत आरपीटी पर संशोधित नीति को अपनाया। कंपनी ने संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण पर भारतीय लेखा मानक – 24 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं एवं सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुसार संबंधित पार्टीयों के साथ संव्यवहार के विवरण को प्रकट किया है।

व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए संव्यवहार को छोड़कर, व्यक्तिगत फर्मों, कंपनियों एवं संगठनों को कोई भुगतान नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के निदेशक कोई हित प्राप्त करते हैं:

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन एवं इसके न्यूनीकरण के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनकी समय–समय पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है।

बोर्ड समय–समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है एवं साथ ही कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के मामलों को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करता है।

कंपनी ने एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है जो प्रत्येक कर्मचारी को, किसी भी स्तर पर होने वाले अस्वीकार्य/अनैतिक व्यवहार एवं/अथवा कदाचार की किसी घटना, जो उसके संज्ञान में आती है, के बारे में, बिना किसी भय अथवा चिंता के, सुरक्षित महसूस करने में सक्षम बनाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित को छोड़कर, किसी भी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा, भूमि के विभिन्न क़ानूनों से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था:

 महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम, 1958: स्टैम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ने अपने पत्र दिनांक 06/01/2015 के द्वारा 07/04/2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500/- के स्टैम्प शुल्क का भुगतान न करने पर ₹4,46,710/- (रुपये चार लाख छियालीस हजार सात सौ

## 64th Annual Report - 2021-2022

## CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

#### DISCLOSURE

The Company has not entered into any material financial or commercial transactions with the Directors or the Management or their relatives or the companies and firms, etc., in which they are either directly or through their relatives interested as Directors and/ or Partners except transactions carried out in the ordinary course of business. On 23/03/2022 the Board adopted the revised policy on RPT under the nomenclature 'Policy on Related Party Transactions'. The Company has disclosed details of transactions with related parties as per the disclosure requirements of Indian Accounting Standard – 24 on Related Party disclosures and the exemption granted to the Government Companies.

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business:

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Board periodically reviews compliance report of all laws applicable to the Company as well as steps taken by the Company to rectify instances of non-compliances.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/ unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except the following:

 The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State has, vide its letter dated 06/01/2015, imposed a penalty of ₹4,46,710/-(Rupees four lakhs forty-six thousand seven hundred ten only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract



## ई सी जी सी लिमिटेड

दस मात्र) का जुर्माना लगाया था।

हालांकि, कंपनी ने 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के उप महानिरीक्षक को दंड से छूट के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया है एवं इस मामले को संबंधित प्राधिकारी के साथ शीघ निर्णय के लिए लगातार पालन किया जा रहा है। अपील बहस की तारीख तक लंबित है एवं मामले में सुनवाई की अगली तारीख 25 मई, 2022 है।

2. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 – ईसीजीसी द्वारा दिनांक 09.08.2016 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जारी आदेश एवं उसके पश्चात क्षेत्रीय पीएफ़्फ आयुक्त (सी एंड आर), मुंबई द्वारा दिनांक 18.11.2016 को जारी अदेशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़्फ़ओ) द्वारा सितंबर 2010 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए (अगस्त 2017 से शुरू हुए आकस्मिक कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफओ के साथ नियमित पीएफ्फ अंशदान के साथ) ईसीजीसी कर्मचारी भविष्यनिधी ट्रस्ट से कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन को हस्तांतरित कर दिया गया एवं पीएफ अंशदान के दोनों शेयरों अर्थात नियोक्ता एवं आकस्मिक श्रमिकों की ओर से सदस्य के योगदान को उनकी संबंधित स्थान पर अगस्त, 2010 को प्रेषित किया।

> सहायक पी एफ आयुक्त द्वारा ई पी एफ व एम पी अधिनियम के अधीन कंपनी को दिनांक 10.04.2017 को, दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति हेतु धारा 14 वी के अधीन ₹24,27,917/- एवं ₹43,18,042 /- की अदायगी हेतु समन जारी किए गए।। ए पी एफ, ई पी एफ ओ के समक्ष अंतिम सुनवाई दिनांक 07 जून 2019 को हुई जिसमे विस्तृत प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07 जून 2019 को सुनवाई की गयी एवं आदेशों को सुरक्षित रखा गया।

- 3. कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना 1976 एपीएफसी, ईपीएफओ ने अधिनियम की धारा 14बी (एवं धारा 7क्यू के तहत ब्याज के भुगतान का आदेश) के अंतर्गत कंपनी को निम्नलिखित अवधि के दौरान विलम्बित प्रेषणों के लिए दिनांक 12.03.2019 (जिसमें 10.04.2017 के समन के लिए ब्याज एवं जुर्माना भी शामिल है) को तीन नोटिस जारी किए थे।
- (i) जुलाई 1989 से फरवरी 1996 तक उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानी एवं ब्याज सहित) ₹1,94,395/–
- (ii) मार्च 1996 से अगस्त 2010 तक उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानि एवं ब्याज सहित) ₹1,32,20,020/-

56

100

agreement entered with Project Contractor, Unity Infraprojects Limited on April 07, 2012.

However, the Company has represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. The appeal is pending as of date for arguments and next date of hearing in the matter is May 25, 2022.

2. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 - ECGC while executing the order dated 09.08.2016 issued by the Regional Provident Fund Commissioner-I and further order dated 18.11.2016 issued by the Regional PF Commissioner (C&R), Mumbai, Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) had transferred the PF Contribution in respect of Casual workers from ECGC Employees' Provident Fund Trust to EPFO for the period from September 2010 to July 2017 (with regular PF Contribution with EPFO in respect of casual workers started from August 2017 onwards) and remitted both the shares of PF Contribution i.e. Employer and Member contribution on behalf of casual workers from the date of their respective engagements to August, 2010.

A Summons dated 10.04.2017 was issued to the Company by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s.7Q of EPF & MP Act for payment of interest on PF Contribution for ₹24,27,917/- and ₹43,18,042/being damages u/s.14B for damages for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017. The last hearing before APFC, EPFO was conducted on June 07, 2019 in which a detailed submission was made. The hearing was concluded on June 07, 2019 and the orders are reserved.

- Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 - APFC, EPFO has issued three notices to the Company dated 12.03.2019 (which also includes the interest and Penalty towards Summons dated 10.04.2017) Under Section 14B of the Act (and order of payment of Interest under Section 7Q) for belated remittances made during the following period:
- July 1989 to February 1996 Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,94,395/-
- (ii) March 1996 to August 2010 Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹1,32,20,020/-

100

(iii) सितंबर 2010 अगस्त 2016 तक – उक्त अवधि के लिए कुल राशि (हानि एवं ब्याज सहित) ₹81,69,947/– नोटिस की कुल राशि (हानि व ब्याज सहित) ₹2,15,84,362/– अंतिम सुनवाई सहायक भविष्य निधि आयुक्त (ए पी एफ सी), ई पी एफ ओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष हुई। दिनांक जुलाई 31, 2021 के ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ के आदेशानुसार कंपनी द्वारा ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ को देय हानि (₹59,67,524/–) एवं ब्याज (₹1,03,19,685/–) का कुल ₹1,62,87,209/– का समेकित भुगतान कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत रिपोर्ट किए गए पीएफ योगदान के लिए विलंबित प्रेषण के कारण गैर–अनुपालन को सुधारा गया है एवं एपीएफसी, ईपीएफओ के अंतिम आदेश का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है।

## लेखा परीक्षित खातों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना

कंपनी के वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लेखापरीक्षित खातों को 11 फरवरी, 2022 को वैधानिक आवश्यकताओं के संबंध में अनुपालन के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया क्योंकि 100% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति एवं भारत सरकार की ओर से नामांकित सात अन्य व्यक्तियों के पास है।

## शेयरधारकों की जानकारी

- (क) वार्षिक साधारण बैठक: 64 वीं वार्षिक सामान्य बैठक को बजे किया जाना निश्चित किया गया है।
- (ख) मार्च 31, 2022 को शेयरधारिता पद्धति: कंपनी पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी द्वारा जारी 39,50,00,000 शेयर ₹100 प्रत्येक भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ सदस्यों सहित भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में है।
- (ग) पत्राचार के लिए पता: श्रीमती स्मिता वि. पंडित, कंपनी सचिव, ई सी जी सी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021. Email: <u>cs@ecgc.in</u>.

### संचार के माध्यम

 वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट <u>www.ecgc.in</u> में "हमारे बारे में" भाग के अंतर्गत वित्तीय परिणामों के लिए भिन्न भाग हैं। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के अनुकूल एवं डाउनलोड करने योग्य रूप में भी उपलब्ध है

100 100

100

10 10

#### 64th Annual Report - 2021-2022

(iii) September 2010 to August 2016 - Total Amount (including damages and interest) for the period is ₹81,69,947/-

Total amount (including damages and interest) of the notices received is ₹2,15,84,362/-.

The last hearing before Assistant Provident Fund Commissioner (APFC), EPFO, Ministry of Labour & Employment, Government of India concluded on July 02, 2021. As per the order of APFC, EPFO dated July 31, 2021, the Company has made a consolidated payment of ₹1,62,87,209/comprising of damages (₹59,67,524/-) and interest (₹1,03,19,685/-) payable to the office of APFC, EPFO. Non-Compliance due to delayed remittance towards PF contribution reported under Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been rectified and final order from APFC, EPFO has been complied with by the Company.

# PLACING OF AUDITED ACCOUNTS BEFORE THE PARLIAMENT

The audited accounts for FY 2020-21 of the Company were tabled before both the Houses of Parliament on February 11, 2022, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

#### SHAREHOLDERS' INFORMATION

- (a) **Annual General Meeting:** The 64<sup>th</sup> Annual General Meeting is scheduled to be held at 1800 hours on September 05, 2022 in New Delhi.
- (b) Shareholding Pattern as of March 31, 2022: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 39,50,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.
- (c) Address for Correspondence: Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. Email: <u>cs@ecgc.in.</u>

#### MEANS OF COMMUNICATION

Website: The Company's website viz., <u>www.ecgc.in</u> contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.

- वित्तीय परिणाम: कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट <u>www.ecgc.in</u> पर वार्षिक, अर्ध–वार्षिक एवं त्रैमासिक परिणाम नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है, को सदस्यों एवं इसके पात्र अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। अनुबंध IV में दी गई प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

#### निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

एम. सेंथिलनाथन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डीआईएन 07376766

स्थानः मुंबई दिनांकः मई 25, 2022

 Financial Results: The annual, half-yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website <u>www.ecgc.in</u>.

ई सी जी सी लिमिटेड

 Annual Report: The Annual Report, containing, inter alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report placed at Annexure IV forms part of the Directors' Report.

#### For and on behalf of the Board of Directors

M. Senthilnathan

Chairman-cum-Managing Director DIN 07376766

Place: Mumbai Date: May 25, 2022

100.00



# घोषणा

बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। 64th Annual Report - 2021-2022

#### Declaration

The Members of the Board and Senior Management Personnel have affirmed compliance of the Code of Conduct for Board Members and Senior Management Personnel for the Financial Year ended on March 31, 2022.

कृते

एम. सेंथिलनाथन

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

डी आई एन 07376766

Sd/-M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director DIN 07376766

Place: Mumbai Date: May 25, 2022

स्थान: मुंबई दिनांक: मई 25, 2022

## कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र

में, स्मिता वि. पंडित एतद्ववारा प्रमाणित करती हूं कि कंपनी ने समय–समय पर संशोधित बीमा कंपनी के लिए शासन गवर्नेंस दिशानिर्देशों का पालन किया है एवं कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

#### CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time-to-time and nothing has been concealed or suppressed.

स्मिता वि. पंडित कंपनी सचिव Smita V. Pandit Company Secretary

स्थान: मुंबई दिनांक: मई 25, 2022 Place: Mumbai Date: May 25, 2022



# **R.S. PADIA & ASSOCIATES** COMPANY SECRETARIES

## **CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE FOR F.Y. 2021-22**

To, The Members ECGC Limited, 10<sup>th</sup> Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai – 400021.

- I have examined the compliance conditions of Corporate Governance by ECGC Limited (the "Company") CIN. U74999MH1957GO1010918 in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 read with Guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Undertakings on May 14, 2010 for the Financial Year 2021-22. The Company is a Government of India Enterprise with full equity participation from Government of India.
- 2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. My examination was limited to procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Company.
- 3. On the basis of my examination of the records produced and the explanations and information furnished, I certify that the Company has maintained proper records and complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the DPE Guidelines 2010 on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> March 2022.
- 4. I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: Mumbai Date: 21.05.2022 UDIN: F006804D000360014 For R.S. Padia & Associates Company Secretaries RAJSHREE SWADHIN PADIA CS Rajshree Padia FCS: 6804. COP: 7488

Address: B1, 601, Greenland CHSL, J B Nagar, Andheri East, Mumbai - 400059. Email: <u>rajshreecs@hotmail.com</u>. (M): 9819164904



# A Lakhotia & Co. Practicing Company Secretary

412, 4th Floor, Falcon Court, Damoji Patil Wadi, Mulund, Mumbai, Maharashtra-81. HP : +91 9322420337 Email: info@alandco.in, web: www.alandco.in

### Form MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

#### FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2022

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members, ECGC LIMITED Express Towers, 10th Floor, Nariman point, Mumbai 400021.

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **ECGC LIMITED** (hereinafter called "the Company") bearing CIN: U74999MH1957GOI010918. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31**<sup>st</sup> **March**, **2022** ('Audit Period') has complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the Financial Year ended on 31<sup>st</sup> March, 2022 according to the provision of:

- i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder (not applicable as the Company is unlisted);
- Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- iv. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder (not applicable as the Company is unlisted);



A Lakhotia § Co. Practicing Company Secretary

- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
  - a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (not applicable as the Company is unlisted);
  - b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading Regulations, 2015 (not applicable as the Company is unlisted);
  - c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (not applicable as the Company is unlisted);
  - d. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 (not applicable as the Company is unlisted);
  - e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 **(not applicable as the Company is unlisted)**;
  - f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client (not applicable as the Company is unlisted);
  - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 **(not applicable as the Company is unlisted);** and
  - h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (not applicable as the Company is unlisted)
  - **vi.** We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliance under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.

We are of the opinion that management has complied with the following laws specifically applicable to the Company:

- a) Insurance Act 1938 and Insurance (Amendment) Act, 2015;
- b) IRDA Act, 1999 and Rules made thereunder;
- c) Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines, 2010;
- d) The Sexual Harassment of Woman at Workplace Act, 2013.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India;
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreements- entered by the Company with Stock Exchanges (Not applicable as the Company is unlisted).



A Lakhotía & Co. Practícíng Company Secretary

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above except the following:

- 1. Delay in filing half yearly Technical Audit report to IRDA by twenty nine days;
- 2. Delay in quarterly uploading of Accounts data under IRDAI BAP module by eighteen days;
- 3. Non-Compliance with sub section (1) of Section 149 of Companies Act, 2013 with respect to appointment of Women Director from 01<sup>st</sup> October, 2020 till 22<sup>nd</sup> September, 2021.

#### I further report that,

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and in certain events at shorter notice and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the Meeting and for meaningful participation at the Meeting.

Majority decision is carried through unanimous resolution while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

Based on the representation and explanation given to me I further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations & guidelines.

I further report that during the reporting period, following changes took place in the Management:

- 1. Cessation of Shri David Rasquinha from directorship with effect from 31<sup>st</sup> May, 2021;
- Cessation of Shri Sharad Kumar Saraf from directorship with effect from 28<sup>th</sup> June, 2021;
- Appointment of Dr. A. Sakthivel as an Independent Director with effect from 09th August, 2021;
- Appointment of Shri. Anand Singh as Key Managerial Person with effect from 16th August, 2021;
- Appointment of Shri. Yashwant B. Breed as the Chief Investment Officer (CIO) and Key Managerial Person with effect from 09<sup>th</sup> September, 2021;
- Cessation of Smt. Arpita Sen as Key Managerial Person with effect from 09<sup>th</sup> September, 2021;
- Appointment of Smt. Harsha Bangari as an Independent Director with effect from 23<sup>rd</sup> September, 2021;
- 8. Cessation of Shri K. Rajaraman as Government Nominee Director with effect from 18<sup>th</sup> October, 2021;



ई सी जी सी लिमिटेड

A Lakhotia § Co. Practicing Company Secretary

 Appointment of Shri. Amit Kumar Agarwal as an Independent Director with effect from 03<sup>rd</sup> November, 2021;

- 10. Appointment of Smt. Aparna Bhatia as Government Nominee Director with effect from 16<sup>th</sup> November, 2021;
- 11. Appointment of Smt. Pratibha Kushwaha as an Independent Director with effect from 11<sup>th</sup> November, 2021;
- 12. Appointment of Shri. Vipul Bansal as Government Nominee Director with effect from 16<sup>th</sup> November, 2021;
- 13. Cessation of Shri Amitabh Kumar as Government Nominee Director with effect from 16<sup>th</sup> November, 2021;

#### For, A Lakhotia & Co.

ABHISHEK LAKHOTIA

Date: 19.05.2022 Place: Mumbai **Abhishek Kumar Lakhotia** M No. :9082 C.P No:10547 UC No: S2011MH170500 P.R No:594/2019 UDIN: F009082D000348071

**Note:** This report is to be read with my Annexure 'A' of even date which are annexed and forms an integral part of this report.



A Lakhotia § Co. Practicing Company Secretary

#### 'ANNEXURE - A'

My Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter:

#### Management Responsibility:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

#### Auditors Responsibility:

2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records and other legal compliances as declared by the Company. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

#### Disclaimer :

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Date: 19.05.2022 Place: Mumbai



Abhishek Kumar Lakhotia M No. : 9082 C.P No. :10547 UC No. : S2011MH170500 P.R No: 594/2019 UDIN: F009082D000348071



10.00

# ई सी जी सी लिमिटेड

#### अनुलग्नक III

# कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें पूर्ण की गई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन एवं सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।

कंपनी ने 2014 में सीएसआर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को अपनाया है एवं बोर्ड द्वारा सीएसआर नीति को अनुमोदित किया गया है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की निगरानी के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹10,85,79,139/– की राशि का व्यय किया गया।

कंपनी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, राजगढ़, मध्य प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹300 लाख की प्रतिबद्धता की एवं दस प्रस्तावों को मंजूरी दी, जैसे कि प्रोजेक्ट बाला – 100 स्कूलों में लर्निंग एड (बीएएलए) पेंटिंग, 400 आंगनवाड़ी में गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना। केंद्र (एडब्ल्यूसी), जिला अस्पताल



ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान दिया गया। ECGC Limited contributing to Armed Forces Flag Day Fund under CSR initiative

Annexure III

ANNUAL REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

The Company has adopted the revised guidelines issued by the Department of Public Enterprise (DPE) on CSR in 2014 and has a Board-approved CSR policy. A CSR Committee of the Board has been constituted to monitor the CSR initiatives of the Company. An aggregate amount

> of ₹10,85,79,139/- was spent on CSR Activities of the Company during FY 2021-22.

> The Company made a commitment of ₹300 lakh for FY 2021-22 for Aspirational District, Rajgarh, Madhya Pradesh and approved ten proposals viz. Project BALA -Building As Learning Aid (BALA) Paintings in 100 schools, Providing Activity Based Learning materials in 400 Anganwadi Centres (AWCs), Waste Collection Vehicle for District Hospital,

के लिए अपशिष्ट संग्रह वाहन, 1200 आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में शैक्षिक खेल, ग्रीन हाउस खेती, जवाहर नवोदय स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब के लिए कक्ष का निर्माण, एनीमिया में कमी के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, मूलभूत साक्षरता एवं ग्रेड 3–5 के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में संख्या (एफएलएन), महिलाओं की सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा के लिए वनरोपण एवं स्ट्रीट लाइट के लिए वृक्षारोपण अभियान एवं छात्रावासों के लिए खिडकी मच्छरदानी प्रदान करना।

कंपनी ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के माध्यम से एम–वार्ड प्रोजेक्ट अर्थात मुंबई में एम–पावर लाइब्रेरी एवं स्टडी सेंटर, एम–वार्ड को बदलने के लिए अपना समर्थन जारी रखा है। एम–पावर अपने छात्रों को सभी स्ट्रीम (कला, विज्ञान, वाणिज्य) की पाठ्यपुस्तकों के साथ एक पुस्तकालय प्रदान करता है। इसमें एम पीएससी, यूपीएससी, नीट, आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए किताबें है। पुस्तकालय न केवल छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि इसमें सामान्य पढ़ने एवं सीखने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए पत्रिका एवं जर्नल सदस्यता, कई Educational games in 1200 Anganwadi Centres (AWCs), Green House Farming, Construction of Room for Atal Tinkering Lab in Jawahar Navodaya School, Training to ASHA workers for Anaemia reduction, Foundational Literacy & Numeracy (FLN) in all primary schools for Grades 3-5, Plantation drive for afforestation and streetlights for women safety and road safety and Providing Window Mosquito Nets for Hostels.

The Company has continued its support to Transforming M-Ward Project i.e. M-Power Library and Study Centre in Mumbai, M-Ward through the Tata Institute of Social Sciences (TISS). M-Power offers its students a library stocked with textbooks of all stream (Arts, Science, Commerce). It has books to aid preparation for competitive examinations like MPSC, UPSC, NEET, etc. The library not only caters to satisfy the academic needs of the students but also includes magazine and journal subscription, newspapers in multiple languages and collection of fiction to foster general reading and learning habits. Under these programs, the TISS continues



भाषाओं में समाचार पत्र एवं कथाओं का संग्रह भी शामिल है। इन कार्यक्रमों के तहत, TISS प्रतियोगी परीक्षाओं, कंप्यूटर शिक्षा, संवादी अंग्रेजी, करियर मार्गदर्शन, जीवन कौशल शिक्षा आदि के लिए कोचिंग जारी रखता है।

चार परियोजनाएं जैसे स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाने एवं रोकथाम के लिए जागरूकता एवं स्क्रीनिंग, वर्ली (मुंबई में कुपोषण रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम), अन्ना भाऊ साठे नगर (मुंबई) में कुपोषण रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, माहुल गांव में मातृ एवं बाल स्वास्थ्य एवं पोषण (मुंबई) वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी, कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से किए गए थे एवं ये 2021–22 के दौरान विस्तारित किए गए है। कंपनी ने मुंबई में डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिसवांटेज इन सोसाइटी (डीईईडीएस) द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास, आतिथ्य एवं खुदरा व्यापार में बधिर युवाओं के प्रशिक्षण पर परियोजनाओं का समर्थन करना जारी रखा।

कंपनी ने वर्ष के दौरान विवेकानंद केंद्र के माध्यम से परियोजनाओं,

ओडिशा में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट एवं उत्तर पूर्व में चिकित्सा गतिविधियों का समर्थन किया।

कंपनी ने कार्यान्वयन भागीदार आकार के साथ मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई के कलिना परिसर में 'स्मार्ट वर्मी कम्पोस्ट सिस्टम प्लांट' का निर्माण किया। कंपनी श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भक्तिवेदांत अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान, मीरा रोड, ठाणे जिले को दवाओं एवं उपभोग्य सामग्रियों की सहायता दे रही है। यह अस्पताल ठाणे एवं



ईसीजीसी लिमिटेड सीएसआर पहल के अंतर्गत स्वच्छ गंगा कोष में योगदान दे रहा है। ECGC Limited contributing to Clean Ganga Fund under CSR initiative

पालघर जिलों के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी रोजवनम ट्रस्ट, मदुरै के माध्यम से मदुरै में वृद्धों एवं बेघरों के लिए हेल्प–होम को अपनी सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी द्वारा अनुमोदित मोखदा के आदिवासी बेल्ट में अनिरुद्ध आपदा प्रबंधन अकादमी की पुनर्वास परियोजना को 2021–22 के दौरान जारी रखा गया। सीकेएस फाउंडेशन (सीकेएसएफ), जो उत्तराखंड में वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए समर्पित है; वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उत्तराखंड में सीकेएस फाउंडेशन के शिक्षा एवं पुस्तकालय केंद्रों के लिए परियोजना का समर्थन किया गया है। वंचित विकलांग व्यक्तियों, अनाथों एवं निराश्रितों को परोपकारी सेवा प्रदान करने में लगी 'वॉयस ऑफ वर्ल्ड' के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। स्नेहालय के केयरिंग फ्रेंड्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के आवर्ती खर्चों के लिए स्नेहालय, अहमदनगर, महाराष्ट्र को भी सहायता प्रदान की

#### 64th Annual Report - 2021-2022

with the coaching for competitive exams, computer education, conversational English, career guidance, life skill education etc.

Four projects viz. Awareness and Screening for detection and prevention of breast and cervical cancer, Malnutrition prevention and control program at Worli (Mumbai), Malnutrition prevention and control program at Anna Bhau Sathe Nagar (Mumbai), Maternal and child health and nutrition at Mahul Village (Mumbai) were undertaken through implementing agency, Concern India Foundation during FY 2020-21 and extended during 2021-22 have been completed. The Company continued to support projects on skill development, training of deaf youth in hospitality and retail trade, implemented by Development Education Empowerment of Disadvantage in Society (DEEDS) in Mumbai.

The Company supported the projects, Mobile Medicare Unit in Odisha and Medical activities in North East through Vivekananda Kendra during the year.

> The Company, along with the implementing partner Aakar constructed "Smart Vermi Compost System Plant" the Kalina at campus of the Mumbai University, Mumbai. The Company continued its support with the medicines and consumables to the Bhaktivendanta Hospital Research Institute, & Mira Road, Thane District through Sri Chaitanya Seva Trust. This hospital provides its services to rural

and tribal areas of Thane and Palghar districts. Further, the Company continued its support to Help-Home for the Aged & Homeless at Madurai through Rojavanam Trust, Madurai. Rehabilitation Project of Aniruddha Academy of Disaster Management in tribal belt of Mokhada approved by the Company during FY 2020-21 was continued during 2021-22. CKS Foundation (CKSF), which is dedicated to the education & empowerment of underserved and marginalized communities in Uttarakhand; project has been supported towards the education and library centres of CKS Foundation in Uttarakhand during FY 2021-22. A project for "Voice of World" engaged in providing philanthropic service to underprivileged differently-abled persons, orphans and destitute has been approved. Support has also been extended to Snehalaya, Ahmednagar, Maharashtra for recurring expenses of Snehalaya's Caring Friends Hospital and



गई है। कंपनी द्वारा शिक्षित नेत्रहीन व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए "ब्लाइंड ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इंडिया" को "गरीब नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार" के उद्देश्य से जॉ सॉफ्टवेयर ब्रेल एम्बॉसर समर्थित 12 कम्प्यूटर सेट, 'वॉक सेफली' कार्यक्रम के अंतर्गत 738 आर्थिक रूप से गरीब नेत्रहीन सदस्यों को फोल्डिंग कैन एवं आर्थिक रूप से गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को "दृष्टिहीनता से बचाने के लिए" 19 व्यक्तियों Research Centre. The Company also extended its support to "Blind Organization of India" for providing 12 computer sets and jaws software with braille embosser for vocational training of educated blind persons with a focus on "Employment for Poor Blind Persons", Folding canes to 738 economically poor blind members under "Walk Safely" programme and 25 eye cataract surgeries

की 25 आंखों की मोतियाबिंद सर्जरी की सहायता दी गयी। कंपनी ने आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि एवं अत्यधिक गरीबी से भर्ती मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान (निमहंस)-बेंगलुरु संस्थान को सहायता प्रदान की। कंपनी ने भारत के एसओएस चिल्डन विलेज को दूसरे वर्ष के लिए अपना समर्थन जारी रखा जो कि एसओएस चिल्डून विलेज गुवाहाटी स्थानों पर एक घर के लिए है, जो माता-पिता के



सीकेएस फाउंडेशन को चेक प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड CMD, ECGC Limited presenting cheque to CKS Foundation towards supporting education and library centres in Uttarakhand under CSR initiative

बिना बच्चों को दीर्घकालिक, उच्च गुणवत्ता, परिवार–आधारित देखभाल प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। कंपनी ने परिचय फ्फ्राउंडेशन, दिल्ली – संयुक्त राष्ट्र एसडीजी लक्ष्य 8 के अंतर्गत महिला बुनकर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने की एक पहल – परियोजना शीर्षक – परिणीति, स्थान मनियाबंधा गांव, अथागढ़, ओडिशा, को भी सहायता दी। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लूर – तमिलनाडु ने सीएमसी वेल्लूर में अस्पताल मुफ्त बिस्तर योजना के लिए 30 आर्थिक रूप से वंचित कैंसर रोगियों को सहायता देने का अनुरोध किया है। कंपनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है एवं सीएमसी वेल्लूर को समर्थन दिया है। कंपनी ने शिक्षा सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत – अमचा घर, उत्तान, भायंदर, जिला ठाणे को भी सहायता दी है। कंपनी ने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन (सीपीएए) मुंबई के सीएसआर प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से गरीब कैंसर रोगियों को उपचार प्रदान करना है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से भारतीय रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ) में ₹84.50 लाख का योगदान दिया गया। नमामि गंगे परियोजना के तहत 'स्वच्छ गंगा कोष' में ₹71.50 लाख का योगदान दिया गया।

#### 1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

i. संगठन में अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए अपने व्यवसाय को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से निरंतर संचालित करने के लिए सभी स्तरों पर एक बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।

100

and needy persons to "SAVE THEM FROM The BLINDNESS". Company supported National Institute of Health Mental and Neuro Sciences (NIMHANS) Bengaluru, towards treatment for patients admitted from economically poor background and extreme poverty. The Company continued its support for second year to SOS Children's Villages of

of 19 economically poor

India which is for one home at SOS Children's villages Guwahati locations, a program to provide long term, high quality, family-based care to children without parents. The Company also extended its support to Parichay Foundation, Delhi - an initiative to empower women weaver Self Help Groups (SHGs) under United Nations SDG Goal 8 - Project title - Parineeti, location Maniabandha village, Athagarh, Odisha. Christian Medical College, Vellore - Tamil Nadu has requested to extend support to 30 economically disadvantaged cancer patients for the Hospital Free Bed Scheme at CMC Vellore. The Company has approved the proposal and extended support to CMC Vellore. The Company also supported Education support programme - Amcha Ghar, Uttan, Bhayander, Dist. Thane. The Company supported CSR Proposal of Cancer Patients Aid Association (CPAA) Mumbai which aims at providing treatment to economically poor cancer patients.

Further, a contribution of ₹84.50 lakh was made to the Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) towards Welfare of Ex-Servicemen of the Indian Defence Services through the Kendriya Sainik Board. A contribution of ₹71.50 lakh was made to the 'Clean Ganga Fund' under the Namami Gange Project.

#### 1. Brief outline of the CSR Policy of the Company:

i. To ensure an increased commitment at all levels, in the organization, to operate its business in an economically, socially and environmentally sustainable manner, while recognizing the interests

# ई सी जी सी लिमिटेड

- ii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रमों को हाथ में लेना जो अपने विभिन्न कार्यालयों में एवं आसपास के समुदायों को लाभान्वित करते हैं जो स्थानीय लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण को बढ़ाते हैं।
- समाज के कमजोर, कम विशेषाधिकार प्राप्त एवं हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाने वाली गतिविधियों को लागू करना।
- iv. अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच कंपनी के लिए सद्भावना एवं गौरव उत्पन्न करना एवं एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक एवं सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

## 2. सीएसआर समिति की संरचनाः

of all its stakeholders.

- To directly/indirectly take up programs that benefit the communities in and around its various offices that enhance quality of life and well-being of the locals.
- iii. To implement activities that empower weaker, less privileged and marginalized sections of the society.
- iv. To generate, through its CSR initiatives, goodwill and pride for the Company among stakeholders and help reinforce a positive and socially responsible image of the Company as a corporate entity.

#### 2. Composition of CSR Committee:

क्रमांक S. No	निदेशक का नाम Name of the Director	पदनाम Designation	सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि (तिथि/माह/वर्ष) Date of appointment as a Member (DD/MM/YYYY)	उपस्थित बैठकों की संख्या/कुल संख्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure
1	श्री एम सेंथिलनाथन Shri M. Senthilna- than	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड Chairman-cum-Managing Director, ECGC Limited	29/04/2020	5/5
2	श्री विपुल बंसल Shri Vipul Bansal	सह सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India	16/11/2021	1/3
3	श्री शिरीष चंद्र मुर्मु Shri Shirish Chandra Murmu	कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक Executive Director, Reserve Bank of India	10/01/2020	2/5
4	सुश्री हर्षा बंगारी Ms. Harsha Bangari	प्रबंध संचालक, भारतीय निर्यात-आयात बैक Managing Director, Export-Import Bank of India	23/09/2021	2/3
5	श्री देवेश श्रीवास्तव Shri Devesh Srivas- tava	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, भारतीय सामान्य बीमा निगम Chairman-cum-Managing Director, General Insurance Corporation of India	21/01/2020	5/5
6	डॉ. ए. शक्तिवेल Dr. A. Sakthivel	अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ President, Federation of Indian Export Organizations	09/08/2021	4/4
7	श्री सुनील जोशी Shri Sunil Joshi	कार्यकारी निदेशक (पॉलिसी मामलें), ईसीजीसी लिमिटेड Executive Director (Policy Matters), ECGC Limited	09/07/2020	5/5
8	श्री अमिताभ कुमार Shri Amitabh Kumar	सह सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India	20/11/2020 (16/11/2021 से सदस्य नहीं) 20/11/2020 (Ceased to be a member w.e.f. 16/11/2021)	1/2
9	श्री शरद कुमार सराफ Shri Sharad Kumar Saraf	अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ President, Federation of Indian Export Organisations	22/07/2019 (28/06/2021 से सदस्य नहीं) 22/07/2019 (Ceased to be a member w.e.f. 28/06/2021)	0/0
10	श्री डेविड पॉल रस्किना Shri David Paul Rasquinha	प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक Managing Director, Export-Import Bank of India	07/08/2019 (31/05/2021 से सदस्य नहीं) 07/08/2019 (Ceased to be a Member w.e.f. 31/05/2021)	0/0



## 64th Annual Report - 2021-2022

- वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट: <u>www.ecgc.in</u> पर किया जाता है।
- कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं
- कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014
   के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में अलग रखी गई उपलब्ध राशि का विवरण एवं वित्तीय वर्ष के लिए अलग रखी जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ में)
01	2021-22	कुछ नहीं	कुछ नहीं

- 6. कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹434.11 करोड़
- (क) कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹8.68 करोड़, सीएसआर के लिए आवंटित बजट ₹8.70 करोड़

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः **शून्य** 

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि: यदि कोई हो: शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग): ₹8.70 करोड़।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि:

# ई सी जी सी लिमिटेड

- 3. The web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company: <u>www.ecgc.in</u>
- The details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report): Not Applicable
- Details of the amount available for set-off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:

S. No.	Financial year	Amount available for set-off from preceding financial year (in ₹)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in ₹)
01	2021-22	NIL	NIL

- 6. Average net profit of the Company: ₹434.11 crore
- 7. a) Two percent of average net profit of the Company:

₹8.68 crore, Budget allotted for CSR ₹8.70 crore

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years: **Nil** 

(c) Amount required to be set-off for the financial year: if any: **Nil** 

(d) Total CSR Obligation for the financial year (7a+7b+7c): ₹8.70 crore.

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ में) Total amount spent for the Financial	अव्ययित राशि (₹ में) Amount unspent (in ₹)					
	अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि Total Amount transferred to Unspent CSR Account		अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि Amount Transferred to any fund specified under Schedule VII			
Year (in ₹)	राशि Amount	हस्तांतरण की तिथि Date of transfer	कोष का नाम Name of the fund	राशि Amount	हस्तांतरण की तिथि Date of transfer	
822.51 लाख 822.51 lakh	38.56 लाख 38.56 lakh	29-04-2022	स्वच्छ भारत कोष Swachh Bharat Kosh	8.93 लाख 8.93 lakh	11-05-2022	

- (ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: परिशिष्ट देखें।
- (ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: परिशिष्ट देखें।
- (घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि ₹1.38 लाख
- (ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित एवं वितरित कुल राशि ₹**870 लाख**
- (छ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि ₹822.51 लाख
- (ज) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रमांक	विवरण	राशि ₹ में	
(i)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹8.68 करोड़ (सीएसआर ₹8.70 करोड़ के लिए आवंटित बजट)	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	₹8.22 करोड़	
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि	शून्य	
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य	
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि ((iii)-(iv))	शून्य	

- (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:
- ₹38,56,000/- वर्तमान में चल रही परियोजनाओं से संबंधित है (यूसीएसआर खाते में स्थानांतरित) एवं
- ₹8,93,195/- प्रशासनिक व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना गतिविधियों के लिए आवंटित बजट के तहत कम व्यय के कारण शेष राशि से संबंधित है। (स्वच्छ भारत कोष में स्थानांतरित)
- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

## 64th Annual Report - 2021-2022

- (b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year: **Refer Appendix.**
- (c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: Refer Appendix.
- (d) Amount spent on Administrative overheads **₹1.38** lakh
- (e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: **NIL**
- (f) Total amount allocated and disbursed for the Financial Year **₹870 lakh**
- (g) Total amount spent for the Financial Year ₹822.51 lakh
- (h) Excess amount for set-off, if any

S. No.	Particular	Amount in ₹	
(i)	Two percent of average net profit of the Company	, J	
(ii)	Total amount spent for the financial year	₹8.22 crore	
(iii)	Excess amount spent for the financial year	NIL	
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	NIL	
(v)	Amount available for set-off in succeeding financial years ((iii)-(iv))	NIL	

- 9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:
- ₹38,56,000/- pertains to ongoing projects (Transferred to UCSR A/c) and
- ₹8,93,195/- pertains to balance amount due to lower expenses under budget allocated for administrative expenses and Swachata Action Plan Activities. (Transferred to Swachh Bharat Kosh)
- (b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year (s):


## 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

72

## ई सी जी सी लिमिटेड

क्र. सं.	परियोजना	परियोजना	वित्तीय वर्ष जिसमें	परियोजना	परियोजना के	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के	शेष	परियोजना की
Sr. No.	आई डी Project ID	का नाम Name of the project	परियोजना शुरू की गई थी Financial Year in which the project was commenced	अवधि Project duration	लिए आवंटित कुल राशि Total Amount Allocated for the project	में परियोजना पर खर्च की गई राशि	अंत में खर्च की गई संचयी राशि	प्रतिबद्धता Balance commitment	स्थिति (पूर्ण/चल रही) Status of the Project (completed/ On-going)
1	स्वास्थ्य एवं शिक्षा Health & Education		2020-21	एक वर्ष One year	30000000	15270000	30000000	0.00	चल रही है Ongoing
2	स्वास्थ्य Health	15.05.2020 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित पिछले वर्ष की प्रतिबद्धता Commitment of previous year approved by Board on 15.05.2020	2020-21	एक वर्ष One year	4703000	0	3438000	1265000	चल रही है Ongoing
3	स्वास्थ्य Health	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट-भक्तिवेदांत अस्पताल, पालघर, महाराष्ट्र Sri Chaitanya Seva Trust- Bhaktivedanta Hospital, Palghar, Maharashtra	2020-21	एक वर्ष One year	960000	480000	960000	0.00	पूर्ण Completed
4	स्वास्थ्य Health	विवेकानंद केंद्र–एनई : चिकित्सा गतिविधियां Vivekanand Kendra -NE : Medical Activities	2020-21	एक वर्ष One year	2090000	0	836000	1254000	चल रही है Ongoing
5	स्वास्थ्य Health	विवेकानंद केंद्र: ओडिशा: मोबाइल मेडिकेयर यूनिट Vivekanand Kendra: Odisha : Mobile Medicare Unit	2020-21	एक वर्ष One year	1613109	0	645600	967509	चल रही है Ongoing
6	स्वास्थ्य Health	कंसर्न इंडिया फ्फ्राउंडेशन: स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, वर्ली, मुंबई की शीघ पहचान एवं रोकथाम के लिए जागरूकता एवं स्क्रीनिंग Concern India Foundation: Awareness and Screening for early detection and prevention of Breast and Cervical Cancer, Worli, Mumbai	2020-21	एक वर्ष One year	1969128	910634	1969128	0.00	पूर्ण Completed
7	स्वास्थ्य Health	कंसर्न इंडिया फ्फ्राउंडेशन: कुपोषण निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम, वर्ली, मुंबई Concern India Foundation: Malnutrition Prevention and Control Program, Worli, Mumbai	2020-21	एक वर्ष One year	1837644	837507	1837644	0.00	पूर्ण Completed
8	स्वास्थ्य Health	कंसर्न इंडिया फ्फ्राउंडेशन: कुपोषण निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम – अन्नाभाऊ साठे नगर, मुंबई Concern India Foundation: Malnutrition Prevention and Control Program - Annabhau Sathe Nagar, Mumbai	2020-21	एक वर्ष One year	1041240	521470	1041240	0.00	দুর্ <mark>গ</mark> Completed
9	स्वास्थ्य Health	केसर्न इंडिया फफ़ाउंडेशनः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण, माहुल, मुंबई Concern India Foundation: Maternal and Child Health and Nutrition, Mahul, Mumbai	2020-21	एक वर्ष One year	2059180	959580	2059180	0.00	पूर्ण Completed

. . . .

#### 64th Annual Report - 2021-2022

क्र. सं. Sr. No.	परियोजना आई डी Project ID	परियोजना का नाम Name of the project	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंदित कुल राशि Total Amount Allocated for the project	खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि Cumulative amount spent at the end of the reporting Financial year	शेष प्रतिबद्धता Balance commitment	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/चल रही) Status of the Project (completed/ On-going)
		अनिरुद्ध आपदा प्रबंधन अकादमी, खार, मुंबई – मोखदा पुनर्वास Anirudda Academy of Disaster Management, Khar, Mumbai - Mokhada Rehabilitation	2020-21	एक वर्ष One year	2659000	1733800	2659000	0.00	पूर्ण Completed
11		रोजवनम ट्रस्ट, मदुरै Rojavanam Trust, Madurai	2020-21	एक वर्ष One year	1760000	704000	1760000	0.00	<sup>पूर्ण</sup> Completed
12	शिक्षा Education	टेक्नोक्राफ्ट इंडस्टीज प्राइवेट के माध्यम से शांडी सेवा निधि लिमिटेड Shanti Seva Nidhi thru Technocraft Industries Pvt. Ltd.	2020-21	एक वर्ष One year	3472000	0	1277500	2194500	चल रही है Ongoing
		कुल / Total			54164301	21416991	48483292	5681009	

- 10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई अथवा अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: लागू नहीं
- 11. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है: देखें 9 (ए)

(निर्दोष चोपड़ा)	(एम. सेंथिलनाथन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी	सीएसआर समिति के अध्यक्ष एवं
-	प्रबंध निदेशक

#### सी एस आर दायित्व विवरण

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति को अपनाया है एवं उसकी अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित सी एस आर नीति है। कंपनी की सी एस आर गतिविधियां स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चित करना, पर्यावरण, सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, विकलांगों के लिए सेवाओं को मजबूत करना एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के समर्थन से संबंधित है। सी एस आर गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुकरण में है।

> (एम. सेंथिलनाथन) सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष डीआईएन 07376766

स्थान : मुंबई दिनांक: मई 25, 2022

- 10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year: Not applicable
- Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135 (5): Refer 9 (a)

(Nirdosh Chopra) Chief Financial Officer (M. Senthilnathan) CMD & Chairman of the CSR Committee

#### **CSR RESPONSIBILITY STATEMENT**

The Company has adopted the CSR Policy as per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises and has a Board-approved CSR Policy. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differentlyabled and support to Scheduled Tribe community. The implementation and monitoring of the CSR activities is in compliance with the CSR objectives and Policy of the Company.

> (M. Senthilnathan) CEO & Chairman of the CSR Committee DIN 07376766

Place: Mumbai Date: May 25, 2022



## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

À.

ई सी जी सी लिमिटेड

1

अनुलग्नक IV का परिशिष्ट **Appendix to Annexure III** वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर किए गए सी एस आर साशि के व्यय का विवरण:

г					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	н Name	विवेकानंद केंद्र Vivekanand Kendra	सी के एस फाउंडेशन CKS Founda- tion	स्नेहालय Snehalaya	एस ओ एस चिल्डेन्स विलेज SOS Chil- dren's village	জিলো কল্পিক্ কার্যালেয District Collector's office
	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की पद्धति Mode of Imple- mentation Through Implement- ing Agency - CSR Regn No.	CSR00005526	CSR0009044	CSR00001248	CSR0000692	NA
	कार्यान्वयन की पद्धति - प्रत्यक्ष ( हॉ / नही ) Mode of Imple- tion-Di- rect (YES/ NO)	ㅋñ NO	नहीं NO	नहीं NO	नहीं NO	지 전 N
	धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीए- सआर खाते में अंतरित Amount trans- ferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6)	1,600,000	902,500	841,500	512,000	1
	चालू वित्त वर्ष के दौरान टयय की Amount spent in the FY(In Rs.)	0	2707500	841500	100000	3000000
	परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	160000	3610000	1683000	1512000	3000000
cial year	मरियोजना की अवधि(म हीनों में) Project Dura- tion (In Months)	12	12	12	12	6
s for the finan	साज्य District	गुवाहाटी Guwahati	देहारादून Dehradun	अहमदनगर Ahmed- nagar	गुवाहाटी Guwahati	राजगढ Rajgarh
ojects for	परियोजना का स्थान- राज्य Location of the Proj- ect-State	परियोजना – आसाम Project: Assam	परियोजना – उत्तराखंड Project: Uttarakhand	ਧਵਿਬ਼ोजना – ਸहाराष्ट्र Project: Ma- harashtra	परियोजना – आसाम Project: Assam	परियोजन्ता – मध्य प्रदेश Project: Pradesh
ing pro	<del>전</del> 웹테러ਧ 삶 ( [편 <sup>/</sup> / Hocal Area (YES/ NO)	ਜहੀ NO	नही NO	ਜਵੀ NO	नही NO	NO
inst ongo	अनुस्ची VII में जल्लिखियों की सूची Item from the list of Activities in Sched- ule VII	स्वा <del>र</del> ध्य Health	शिक्षा Education	स्वास्थ्य Health	शिक्षा Education	स्वास्थ्य, शिक्षा, पो– घण, महिला संशक्तिकरण Health, Beducation, Women Empower- ment
Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:	परियोजना का नाम Name of the Project or Activity	विवेकानंद केंद्र – उत्तर पूर्व – एक्स रे मशीन एवं आपातकालीन जनरेटर की खरीद Vivekanand Kendra – North East -Pur- chase of X ray machine & emergency generator	सी के एस फफाउंडेशन, उत्तराखंड – बोर्ड द्वारा अनुमोदित (शिक्षा)** CKS Foundation, Uttarakhand – ap- proved by Board (education)**	स्नेहालय, अहमदनगर Snehalaya, Ahmedanagar	एस ओ एस चिल्ड <del>ेन</del> ्स विलेज ऑफ़ इंडिया – गुवाहाटी के गाँव में SOS Children's village of India – village at Guwahati location	आकांक्षी जिला – राजगढ, मध्य प्रदेश – स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पतालों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना Aspirational District – Rajgarh, Madhya Pradesh -providing various facilities to school, aanganwadi, hospitals
Detail	<mark>ک</mark> نه ۲.۶	~	2	ო	4	ىي ا

. ..

1

. . . . .

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

. . . . .

.....

नाम Name	डी ई डी एस DEEDS	ৰ্বাযম্য ऑफ्फ बर्ल्ड Voice of World	भारत का नेत्रहीन संगठन Blind Organi- sation of India	निमहंस NIMHANS	विवेकानंद केंद्र Vivekanand Kendra
कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से की पद्धति Mode of Imple- mentation Through Implement- ing Agency - CSR Regn No.	CSR0000703	CSR00003390	CSR00003325	CSR0006218	CSR00005526
하[편국 4] 하] 보롱[취 - ਸਟ 4 ( 힌 / 파란티 ) Mode of Imple- tion-Di- tion-Di- rect (YES/ NO)	<del></del>	ਜਜ਼ੀ NO	नहीं NO	नहीं NO	
धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीए- साआर खाते में अंतरित Amount trans- ferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6)	-	-	-	-	
चालू वित्त वर्ष के दौरान ट्यय की Amount spent in the FY(In Rs.)	1050000	100000	2335343	1000000	4700000
परियोजना के लिए आबंटित साशि Amount allocated for the project	1050000	100000	2335343	1000000	4700000
परियोजना की अवधि(म होनों में) Project Dura- tion (In Months)	12	12	12	36	2
साज्य District	ਸੁਂਕਵ Mumbai	कोलकाता Kolkata	मुंबई Mumbai	बंगलोर Bangalore	सम्बलपुर, तिनसुकिया, Sambalpur, Tinsukia, Varanasi
मरियोजना का स्थान - साज्य Location of the Proj- ect-State	দধিযাস্লন্য – महाराष्ट्र Project: Ma- harashtra	परियोजना – पश्चिम बंगाल Project: West Bengal	ਧਵਿਬ਼ोजना – ਸहाराष्ट्र Project: Ma- harashtra	परियोजना – कर्नाटक Project: Karnataka	परियोजना– अप्तेक्ष्म एवं अरुणाचल प्रदेश Project: Odissa, Assam & Arunachal Pradesh
स्थानीय क्षेत्र (हॉ/) नही) Local Area NO)	हाँ YES	नहीं NO	<sub>हाँ</sub> YES	नहीं NO	ㅋñ NO
अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधिध्यों की सूची Item from the list of Activities in Sched- ule VII ule VII	स्वास्थ्य Health	पोषण Nutrition	शिक्षा एवं स्वास्थ्य Education & Health	स्वास्थ्य Health	থিখেলা Education
परियोजना का नाम Name of the Project or Activity	समाज में पिछड़े वर्ग का विकास शिक्षा अधिकारिता (डीईईडीएस), मुंबई Development Education Empower- ment of the Disadvantaged in Society (DEEDS), Mumbai	बॉयस ऑफ वर्ल्ड, कोलकाता Voice of World, Kolkata	भारत का नेत्रहीन संगठन, मुंबई Blind Organisation of India, Mumbai	निमहंस, बैंगलोर NIMHANS, Bangalore	विवेकानंद केंद्र – उत्तर पूर्व – आनंदालय (शिक्षा) बोर्ड द्वारा Vivekanand Kendra – North East -Anandalaya (education) by Board
S o स.भ	Q	2	8	6	10



64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

76

ई सी जी सी लिमिटेड

नाम Name	दक्षिण सुंदरम जनकल्याण संघ South Sunda- ram Jankalyan Sangh	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट Sri Chaitnaya Seva Trust	परिचय फाउंडेशन, दिल्ली Parichay Foundation, Delhi	अमचा घर Amcha Ghar	क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज Christian Medi- cal College	कैंसर रोगी सहायता संघ Cancer Patient Aid Associ- ation	
कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से को पद्धति Mode of Imple- mentation Through Implement- ing Agency - CSR Regn No.	CSR0000189	CSR00001017	CSR00002652	CSR0000102	CSR00001924	CSR0000926	
कार्यान्वयन को पद्धति - प्रत्यक्ष ( हॉ / नही ) Mode of Imple- menta- tion-Di- rect (YES/ NO)							
धारा 135 (6) के अनुकरण में परियोजना के लिए अव्ययित सीए- साआर खाते में अंततित Amount trans- ferred to Unspent CSR Account for the project as per section 135(6)	-	-	-	-	-	-	3,856,000
चालू वित्त वर्ष के दौरान ट्यय की Amount spent in the FY(In Rs.)	160000	96000	1200000	2300000	450000	450000	64644343
परियोजना के लिए आबंटित राशि Amount allocated for the project	160000	96000	1200000	2300000	450000	45000	68500343
परियोजना की अवधि(म होनों में) Project Dura- tion (In Months)	12	12	12	12	12	12	
साज्य District	24 परगना 24 Parga- nas	ਰਾਹੇ Thane	<sub>कट्टक</sub> Cuttack	ठाणे Thane	वेस्लोर Vellore	मुंबई Mumbai	
मरियोजना का स्थान- साज्य Location of the Proj- ect-State	परियोजना – पश्चिम बंगाल Project: West Bengal	परियोजना – महाराष्ट्र Project: Ma- harashtra	परियोजना – ओडिशा Project: Odisha	परियोजना – महाराष्ट्र Project: Ma- harashtra	परियोजना – तमिलनाडु Project: Tamil Nadu	परियोजना – महाराष्ट्र Project: Ma- harashtra	
स्थानीय क्षेत्र (हॉं/ ⊤नहीं) Local Area NO)	ਜहੀ NO	<sub>हाँ</sub> YES	ਜहੀ NO	<sub>हाँ</sub> YES	ਜहੀ NO	हॉ YES	
अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविध्यों की सूची athe list of Activities in Sched- ule VII	सुरक्षित पेय जल Safe drink- ing water	स्वास्थ्य Health	महिला संशक्तिकरण Women Empower- ment	शिक्षा Education	स्वारूध्य Health	स्वारूध्य Health	कुल Total
परियोजना का नाम Name of the Project or Activity	दक्षिण सुंदरम जनकल्याण संघ (एसए– सजेएस) – सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में सुरक्षित पेयजल के लिए हैंडपंप की स्थापना South Sundaram Jankalyan Sangh (SSJS) – Installation of hand pump for safe drinking water at Sundarban, West Bengal	श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट – भक्तिवेदांत अस्प– ताल एवं अनुसंधान संस्थान, मीरा रोड, ठाणे, महाराष्ट्र Sri Chaitnaya Seva Trust – Bhaktive- danta Hospital & Research Institute, Mira Road, Thane, Maharashtra	परिचय फाउंडेशन, दिल्ली – परिणीति परियोजना – मनियाबंधा गांव, अधागढ़, ओडिंशा Parichay Foundation, Delhi – Parineeti Project – Maniahbandha Village, Athagarh, Odisha	शिक्षा सहायता कार्यक्रम– अमचा घर, उत्तान, जिला। ठाणे, महाराष्ट्र Education support programme-Amcha Ghar, Uttan, Dist. Thane, Maharashtra	सी एम सी वेल्लूर एसोसिएशन – पेशेंट केयर CMC Vellore Association -Patient Care	केंसर रोगी सहायता संघ मुंबई Cancer Patient Aid Association Mumbai	
<u>ک</u> به عز ب <i>ط</i>	11	12	13	14	15	16	

64th Annual Report - 2021-2022

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यक्रम पर किए गए सी एस आर राशि के व्यय का विवरण Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year

क्र. सं. Sr. No.	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से की जाने वाले गतिविधि Item from the list of Activities in Schedule VII	परियोजना का नाम Name of the Project or Activity	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नही) Local Area (YES/NO)	परियोजना का स्थान- राज्य Location of the Project-State	राज्य District	चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि Amount spent in the financial year (In Rs.)	कार्यान्वयन की पद्धति – प्रत्यक्ष ( हाँ / नही) Mode of Implementa- tion-Direct (YES/NO)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन की पद्धति Mode of Implemen- tation Through Im- plementing Agency – CSR Regn No.	नाम Name
1	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन Environmental sustainability, Eco- logical balance	मुंबई विश्वविद्यालय, कलिना– स्मार्ट वर्मी कम्पोस्ट सिस्टम परियोजना Mumbai University, Kalina- Smart Vermi compost System project	हाँ Yes	परियोजना महाराष्ट्र Project - Ma- harashtra	मुंबई Mumbai	1500000	नहीं No	CSR00014555	आकार AAKAR
2	सेना कल्याण Army welfare	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए एफ एफ डी एफ) Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF)	नहीं No	नई दिल्ली New Delhi	नई दिल्ली New Delhi	8450000	नहीं No	CSR00005526	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड Kendriya Sainik Board
3	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण Conservation of Natural Resources	स्वच्छ गंगा कोष (सी जी एफ) Clean Ganga Fund (CGF)	नहीं No	नई दिल्ली New Delhi	नई दिल्ली New Delhi	7150000	नहीं No	लागू नहीं NA	नमामी गंगे परियोजना Namami Gange Project
4	स्वच्छता कार्य योजना Swachhta Action Plan	स्वच्छता कार्य योजना Swachhta Action Plan	नहीं No	गैर-परियोजना : अखिल भारतीय Non-Project: All India	अखिल भारतीय All India	368799	नहीं No	लागू नहीं NA	ईसीजीसी के शाखा कार्यालयों के माध्यम से Through Branch Offices of ECGC
						17468799			

एम. सेंथिलनाथन सीएसआर समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष डीआईएन 07376766 M. Senthilnathan CEO & Chairman of the CSR Committee DIN 07376766

स्थान: मुंबई दिनांक: मई 25, 2022

Place: Mumbai Date: May 25, 2022



## 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

## ई सी जी सी लिमिटेड

## प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

#### वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

10.00

कोविड – 19 महामारी ने वर्ष 2020 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मंदी के दौर में धकेल दिया था। निरंतर टीकाकरण कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में श्रमिकों के निरंतर प्रयासों ने उसके बाद लगातार कोविड – 19 लहरों के प्रभाव का सामना करने में मदद की। सरकारों ने, मंदी के जवाब में, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों में ढील दी, जिससे अधिकांश व्यावसायिक इकाइयों को इस अभूतपूर्व झटके से बचने में मदद मिली।

वर्ष 2020 में मंदी का सामना करने के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह वृद्धि सभी अर्थव्यवस्थाओं में एक समान थी, जिसमें उभरते बाजार एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 5.2 प्रतिशत की दर से नीतिगत उपायों में ढील दी गई। कोविड – 19 संक्रमण की रुक– रुक कर आने वाली लहरों को अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को कम किए बिना कुशलतापूर्वक समाप्त कर दिया।

वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्व व्यापार में भी 27.6 ट्रिलियन डॉलर की संख्या दिखी एवं पिछले वर्ष की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। व्यापारिक निर्यात कुल 21.7 ट्रिलियन डॉलर था एवं सभी अर्थव्यवस्थाओं में समान वृद्धि दर्ज की गयी थी।

हालांकि, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए रुकी हुई मांग तथा अर्थव्यवस्था में धन के सरल प्रवाह के कारण जल्द ही वस्तुओं की कीमतों एवं मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। वैश्विक मूल्य एवं आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने भी वृद्धि में योगदान दिया तथा इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां सीधा विकास, मुद्रास्फीति को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। वर्ष 2021 के अंत तक, विश्व अर्थव्यवस्था में यह महसूस किया गया कि यह जल्द ही एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है एवं मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने वालें उपायों की शुरुआत की गई।

संक्रमण की बाद की लहरों की शक्ति कम होने पर दुनिया भर की सरकारों ने आर्थिक नीतियों पर अधिकतम ध्यान देने की मांग की। हालाँकि, फरवरी 2022 में उत्पन्न होने वाली भू–राजनीतिक संघर्ष ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि स्थिति को जल्द से जल्द दूर नहीं किया जा सकता है। मुद्रास्फीति एवं अवरुद्ध वृद्धि के बने रहने की संभावना है एवं देशों के बीच खंडित संबंधों के कारण वैश्वीकरण का टूटना भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी कि पिछली आधी सदी में किए गए अच्छे कार्यों का सफाया न हो एवं समग्र सद्भाव बनाए रखा जा सकें । विश्व व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्रीयकृत प्रयास ऐसा करने में एक लंबा सफर तय करेंगे।

#### <u>अन्लग्नक IV</u>

#### Annexure IV

#### **GLOBAL ECONOMY AND TRADE**

The COVID-19 pandemic had pushed the economies worldwide into a recessionary phase in 2020. Sustained vaccination programs and the continued efforts of workers in the healthcare sector helped withstand the impact of successive COVID-19 waves thereafter. The governments, in response to the slowdown, eased fiscal and monetary policies which helped a majority of business units survive this unprecedented shock.

After suffering a contraction in 2020, the world economy rebounded with a growth rate of 6.1 per cent. This growth was uniform across all economies with Emerging Market and Developed Economies recording a growth of 6.8 per cent and Advanced Economies coming in at 5.2 per cent on the back of the easing policy measures. Intermittent waves of COVID-19 infection were ridden out by the economies efficiently without curtailing their business activities.

World trade in goods and services also showed promise with numbers of 27.6 trillion dollars and registering a growth of 10.1 per cent over the previous year. Merchandise exports totalled 21.7 trillion dollars and there was uniform growth across all economies.

However, the pent-up demand for all goods and services and the flow of easy money into the economy soon led to an increase in commodity prices and inflation. The disruptions in the global value and supply chain contributed to the increase as well and resulted in a sticky situation where the docile growth was not able to keep up with the stubborn inflation. The world economies have, by the end of 2021, realized that it could soon be a major issue at hand and initiated measures to rein in inflation.

With the subsequent waves of infection losing their potency, the economic policies demanded maximum attention from the governments across the world. However, geopolitical disturbances emanating in February 2022 have ensured that the situation may not be remedied anytime soon. Inflation and stagnating growth are here to stay and the breakdown of globalisation due to fractured relations between countries may not bode well for the future. It will require a collective effort on the part of all economies to ensure that the good work done over the last half a century is not wiped out and the overall harmony is maintained. Focused efforts towards boosting world trade will go a long way in doing that.



#### परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के अनुसार वर्ष 2022 एवं 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 3.6 प्रतिशत विस्तार होने का अनुमान है। इन अनुमानों को कुछ हद तक स्थिर रखने वाले वाले व्यापक आर्थिक कारकों के कारण है, जिसका आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर में मंदी का एक एवं दो साल की अवधि तक बने रहने की संभावना है, जो अज्ञात एवं उभरते हुए रूपों के कारण कोविड – 19 संक्रमण की बाद की लहरों के कारण और अधिक तेजी आ सकती है।

वर्ष 2021 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ एवं उभरती हुई एवं विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में क्रमशः 3.3 प्रतिशत एवं 3.8 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2022 में क्रमशः 2.4 प्रतिशत एवं 4.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि संभावित है। भारत के 2022 में सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 8.2 प्रतिशत की उच्चतम विकास दर दर्ज करने की उम्मीद है एवं एशिया में विकास का नेतृत्व करेगा। वर्ष 2022 में वस्तुओं की वर्तमान कीमतों से प्रोत्साहित होकर मध्य पूर्व एवं मध्य एशिया के 4.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2022 में लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि यूरोप में उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 2.9 प्रतिशत तक अनुबंधित होने की उम्मीद है।

विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी को दर्शाते हुए, वर्ष 2022 में विश्व वस्तु व्यापार में पांच प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आयात 5.6 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है एवं वे उभरते एवं विकासशील बाजारों के लिए एक लक्षित बाजार के रूप में उभरेंगे जिनके निर्यात में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। ईधन निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं एवं उनसे जुड़े उद्योगों को सबसे अधिक लाभ होगा क्योंकि वर्ष 2022 में उनके निर्यात में 8.8 प्रतिशत एवं आयात में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

वर्ष 2022 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 5.7 प्रतिशत एवं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 8.7 प्रतिशत की अपेक्षित मुद्रास्फीति दर के साथ गति रोध होने की संभवना है। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति को सख्त करना पहले ही शुरू हो चुका है एवं आने वाले समय में अधिक उन्नत एवं उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुकूल होने की संभावना है। वर्ष 2021 में कोविड–19 के बाद कई देशों में वृद्धि प्रभावशाली रही है एवं वर्तमान वर्ष उन सभी के लिए एक परीक्षा होगी। पिछले दो वर्षों के दौरान जैविक एवं सतत विकास पर काम करने वाले देशों को इस दबाव का सामना करने एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई दुनिया में प्रवेश कराने के कारक के रूप में आदर्श के रूप से रखा जाएगा। 64th Annual Report - 2021-2022

#### OUTLOOK

As per the International Monetary Fund (IMF), the global economy is projected to expand by around 3.6 per cent in 2022 & 2023. These projections have been dialed down due to the macroeconomic factors showing a certain degree of stickiness which will have a long-lasting effect on economic growth. The world is looking at another two-year period of slowdown which may further be exacerbated by subsequent waves of COVID-19 infection due to unknown and emerging variants.

Advanced Economies and Emerging Market and Developing Economies are envisaged to grow at 3.3 per cent and 3.8 per cent respectively in 2021 with growth moderating to 2.4 per cent and 4.4 per cent respectively in 2022. India is expected to record one of the highest growth rates among all Emerging Economies at 8.2 per cent in 2022 and will spearhead the growth in Asia. The Middle East and Central Asia are expected to grow at 4.6 per cent in 2022 buoyed by the prevailing commodity prices. Elsewhere, Latin America and the Caribbean are predicted to grow at 2.5 per cent in 2022 while the emerging and developing economies in Europe are expected to contract by 2.9 per cent.

The volume of world merchandise trade is expected to increase by five per cent in 2022, reflecting the slowdown across the world economies. Imports in Advanced Economies are expected to grow to the tune of 5.6 per cent and they will emerge as a target market for the emerging and developing markets whose exports are expected to grow by 3.8 per cent. Fuel exporting economies and their associated industries stand to benefit the most since their exports are expected to grow by 8.8 per cent and imports by 10 per cent in 2022.

With an expected inflation rate of 5.7 per cent in Advanced Economies and 8.7 per cent in Emerging and Developing Economies in 2022, the road ahead is tough and full of speed breakers. Monetary policy tightening has already started in a few Advanced Economies and more Advanced and Emerging & Developing Economies are expected to follow suit in the coming period. The post-COVID-19 growth in 2021 had been impressive in many countries and this year will be a test for all of them. Countries that have worked on organic and sustainable growth during the last two years would be ideally placed to withstand this pressure and usher the global economy into a brave new world.



## ई सी जी सी लिमिटेड

0

## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022



तूतिकोरिन शाखा द्वारा साउथ इंडियन बैंक, ओवरसीज़शाखा को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to South Indian Bank, overseas branch by Tuticorin Branch



कोलकाता शाखा द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दावे का भुगतान किया गया। Claim Paid to Union Bank of India, by Kolkata Branch

夏 夏夏夏



बेंगलुरु शाखा द्वारा परिधान निर्यातक को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to Garments Exporter by Bangalore Branch

80

1

#### 64th Annual Report - 2021-2022



पश्चिम दिल्ली शाखा द्वारा मेसर्स श्री भारत इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to M/s Shree Bharat International Pvt Ltd. by West Delhi Branch



नरीमन पॉइंट शाखा द्वारा मेसर्स भालचंद्रम क्लोदिंग लिमिटेड को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to M/s Bhalchandram Clothing Ltd. by Nariman Point Branch



## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

## ई सी जी सी लिमिटेड



पंजाब नेशनल बैंक, ओवरसीज ब्रांच, पानीपत को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to Punjab National Bank, Overseas Branch, Panipat



बैंक ऑफ बड़ौदा, वेरावल शाखा को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to Bank of Baroda, Veraval Branch



### 64th Annual Report - 2021-2022

#### भारतीय निर्यात

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत का कुल निर्यात (व्यापार एवं सेवाएं) 669.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹49,89,696 करोड़) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 34.50 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान कुल आयात 756.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹56,38,174.02 करोड़) होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47.80 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत का व्यापारिक निर्यात 419.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹31,29,096.2 करोड़) रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 291.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹21,59,043.22 करोड़) था, जिसमें प्रति वर्ष 43.8 डॉलर के संदर्भ में प्रतिशत एवं रुपये के संदर्भ में 44.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

वर्ष 2021–22 में अप्रैल–मार्च की अवधि के लिए व्यापारिक आयात का कुल मूल्य 611.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹45,63,803.96 करोड़) था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 394.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹29,15,957.7 करोड़) था, जो डॉलर एवं रुपये के लिहाज से क्रमश: 55.13 फीसदी एवं 56.51 फीसदी की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2021–22 के अप्रैल–मार्च अवधि के लिए कुल व्यापार घाटा 87.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹6,48,477.9 करोड़) रा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के समान अवधि में 14.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,04,326.6 करोड़) का घाटा हुआ था।

#### कंपनी के परिचालनों की समीक्षा

#### अल्पावधि निर्यात ऋग बीमा पॉलिसीयां

निर्यात प्राप्य अल्पावधि निर्यात ऋग बीमा पॉलिसीयां – एस टी–पॉलिसी) के लिए कंपनी के रक्षा का लाभ उठाने वाले विशिष्ट निर्यातकों की संख्या दिनांक 31 मार्च 2022 तक 6711 रही, जबकि दिनांक 31 मार्च 2021 को 7372 थी। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किए गए 12391 की तुलना में जारी एवं नवीनीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋग बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या 10940 थी। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक लागू एस टी–पॉलिसीयों की संख्या 10292 थी, जिसमें कुल अधिकतम देयता (एम एल) ₹47,465.60 करोड़ रही, जबकि 11280 पॉलिसीयां लागू की गई थीं एवं कुल एम एल ₹46,073.08 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च 2021 तक लागू पॉलिसीयों की संख्या में 8.76% की गिरावट एवं कुल एम एल में 3.02% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान जारी की गई नई पॉलिसीयों की कुल संख्या 3390 थी, जिनमें से 960 सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) पॉलिसीयां थीं।

#### INDIAN EXPORTS

During the financial year 2021-22, India's overall exports (Merchandise and Services) is estimated at US\$ 669.65 billion (₹49,89,696 crore), exhibiting a positive growth of around 34.50 per cent over the same period last year. Overall imports during this period are estimated at US\$ 756.68 billion (₹56,38,174.02 crore), reflecting a positive growth of 47.80 per cent over the same period last year.

India's merchandise exports for the financial year 2021-22 stood at US\$ 419.65 billion (₹31,29,096.2 crore) as against US\$ 291.81 billion (₹21,59,043.22 crore) over the same period last year, registering a positive growth of 43.8 per cent in dollar terms and 44.9 per cent in rupee terms.

The total value of merchandise imports for the period April-March 2021-22 was US\$ 611.89 billion (₹45,63,803.96 crore), as against US\$ 394.44 billion (₹29,15,957.7 crore) during the same period previous year registering a positive growth of 55.13 per cent and 56.51 per cent in the dollar and rupee terms respectively.

Taking merchandise and services together, the overall trade deficit for the period April - March 2021-22 was US\$ 87.03 billion (₹6,48,477.9 crore) as compared to the deficit of US\$ 14.06 billion (₹1,04,326.6 crore) in the same period last year.

#### **OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS**

# SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The number of distinct exporters availing the Company's cover for export receivables (Short-Terms Export Credit Insurance Policies – ST-Policy) was 6711 as of 31st March, 2022 as against 7372 as of 31st March, 2021. During the Financial Year (FY) 2021-22, the total number of Short-Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed was 10940 compared to 12391 issued during the previous FY 2020-21. The number of ST-Policies in force as of 31st March, 2022 was 10292 with a total Maximum Liability (ML) of ₹47,465.60 crore as against 11280 policies in force with a total ML of ₹46,073.08 crore as of 31<sup>st</sup> March, 2021, showing a decline of 8.76% in the number of policies in force and growth of 3.02% in the total ML in force. The total number of fresh policies issued during the year was 3390 out of which 960 were Whole Turnover (WT) policies.

The share of distinct exporters belonging to the 'Small Exporter' (i.e. exporter with policy covers with ML less than or equal to ₹40 crore) category, holding the Company's policy products in the total number of distinct exporter clients is 97.06% as of 31<sup>st</sup> March, 2022 as



## <u>64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022</u>

## 'लघू निर्यातक' से संबंधित विशिष्ट निर्यातकों (अर्थात पॉलिसी रक्षा के साथ निर्यातक, जिन्हें ₹40 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर एम एल के साथ रक्षा प्राप्त है) का हिस्सा, कंपनी के पॉलिसी उत्पादों को अलग-अलग निर्यातक ग्राहकों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31

मार्च 2021 को 97.06% की तुलना में 31 मार्च 2022 को 97.95% है।

दिनांक 31 मार्च 2022 तक कुल प्रभावी पॉलिसियों में घोषणा आधारित जैसे पोतलदान (व्यापक जोखिम) (एस सी आर) पॉलिसियां, निर्यात पण्यावर्त पॉलिसियां (ई टी पी), सेवा पॉलिसियां, लघु निर्यातक पॉलिसियां (एस ई पी), खरीदारवार पॉलिसियां, परेषण पॉलिसियां आदि 52.37% पर एक बडा हिस्सा साबित हुई। दिनांक 31 मार्च, 2022 को लागू घोषणा-आधारित पॉलिसीयों की कुल संख्या 29400 करोड़ के कुल एम

एल के साथ 5390 थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को 29100 करोड़ रुपये के कुल एम एल के साथ 5911 रही, जबकि घोषणा-आधारित पॉलिसीयों की संख्या में 8.81% की गिरावट आई साथ ही कुल एम एल में 1.03% की वृद्धि दर्ज की गई। 60 दिनों की औसत ऋग अवधि के साथ 391720 पोतलदानों की घोषणा की गई। वित्तीय वर्ष 2021-

2022 के अंत में , जोखिम आधारित पॉलिसियों जैसे बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी, एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी, सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (बहु खरीदार), सू प्रौ समर्थ सेवा पॉलिसी (विशिष्ट ग्राहक), का 47.63% की हिस्सेदारी रही। 31 मार्च 2022 के दौरान प्रभावी पॉलिसियों जैसे एम पी ई बी, एस बी ई पी, एम आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि 31 मार्च 2021 तक ₹18066 करोड रु की अधिकतम देयता के साथ प्रभावी 4902 पॉलिसियों की तुलना में ₹16,973 करोड़

रु के 5369 पॉलिसियाँ प्रभावी रहीं जो कि संख्या में 8.70% की गिरावट एवं औसत अधिकतम देयता में 6.43% की वृद्धि को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अल्पावधि-पॉलिसीयों के अंतर्गत किया गया कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹2,41,934.18 रक्षित करोड़ की तुलना में ₹2,69,272.90 करोड़ था, जिससे 11.30% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय 13.61 % की वृद्धि दर्ज करते हुए यह पिछले वर्ष ₹427.45 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹485.63 करोड़ हो गई।

84

against 97.95% as of 31st March 2021.

Declaration-based policies viz. Shipment Comprehensive Risk (SCR) Policies, Export Turnover Policies (ETP), Services Policies, Small Exporters Policies (SEP), Buyer Wise Policies, Consignment Policies etc. continued to

> the policies of in force as at of FY the end 2021-22. The total number declarationof based policies in force as of 31st March, 2022 was 5390 with aggregate an of ₹29400 ML crore as against 5911 with an

Policy,

Policy

Policy

Customer),

Customer)

47.63%

**Enabled Services** 

**Enabled Services** 

had a share of

policies in force

as at the end of

FY 2021-22. The

total number of

of

IT-

IT-

etc.

the

(Multi-

(Specific

maintain a larger

share at 52.37%

aggregate ML of ₹29100 crore as of 31st March, 2021 while the declaration-based policies in force declined by 8.81% in number, the aggregate ML increased by 1.03%. The number of shipments declared was 391720 with an average credit period of 60 days. Exposure-based policies like Multi Buyer Exposure Policy, Single Buyer Exposure

exposure-based shipment policies in force as of 31st March, 2022 viz. MBEP, SBEP, MITES, SITES etc. was 4902 with an aggregate ML of ₹18066 crore as against 5369 with an aggregate ML of ₹16973 crore as of 31st March, 2021, reflecting decline of 8.70% in number and growth of 6.43% in aggregate ML.

Total business covered under the ST-Policies during the FY 2021-22 was ₹2,69,272.90 crore, as against ₹2,41,934.18 crore during the previous year, thereby registering a growth of 11.30%. The premium income





### ई सी जी सी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹237.91 करोड़ के कुल 537 दावों की अदायगी की गई जो की पिछले वर्ष 2020–21 के ₹284.47 करोड़ के 573 दावों की तुलना में है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अल्पावधि – पॉलिसी के अंतर्गत ₹16.54 करोड़ की वसूली की गई, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹9.78 करोड़ थी, जो 69.12% की वृद्धि को दर्शाती है।

#### ग्राहक विशिष्ट रक्षाएं

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन कि जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए आई द्वारा दो अनुमोदित अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण under ST-Policies was ₹485.63 crore during the FY 2021-22 as against ₹427.45 crore in the previous FY, registering a growth of 13.61%. The total number of claims paid under ST-Policies during FY 2021-22 was 537 amounting to ₹237.91 crore as against 573 claims amounting to ₹284.87 crore during the previous FY 2020-21.

64th Annual Report - 2021-2022

Recovery under ST-Policy was ₹16.54 crore during the FY 2021-22 as against ₹9.78 crore during the previous year, reflecting growth of 69.12%.

#### **CUSTOMER-SPECIFIC COVERS**

The Company had, with the approval of Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor-made to suit specific requirements of the policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured

समाहित होते हैं जिसे "आधार" पॉलिसी माना जाता है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹10,072.60 करोड़ की अधिकतम देयता/ सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल ) के साथ 426 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में ₹10,694.50 करोड़ की अधिकतम देयता/



by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having predominant the features of one product which is considered as the base policy.

During the FY 2021-22, 367 customized policies were issued/ renewed with a total Maximum Liability/

सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 367 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियां जारी की गई। 31 मार्च 2022 तक, पिछले वर्ष दिनांक 31 मार्च 2021 के ₹6,090.83 करोड़ रु अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 176 सी एस सी पॉलिसियों की तुलना में ₹6440.50 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 183 सी एस सी पॉलिसियां सक्रिय रहीं। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹116.21 करोड़ की तुलना में 124.30 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹28.84 करोड़ की तुलना में कुल ₹48.11 करोड़ के दावों का भूगतान किया गया।

### बैकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋग बीमा (ई सी आई बी) रक्षाएं

वर्ष के दौरान भी कोविड – 19 के कारण बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात

Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹10,072.60 crore as against 426 customized policies issued with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹10,694.50 crore during the previous year. As of March 31<sup>st</sup>, 2022, 183 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹6440.50 crore as against 176 CSC policies in force with ML/ALL of ₹6,090.83 crore as of 31<sup>st</sup> March, 2021. Annual premium income under CSC policies was ₹124.30 crore during the FY 2021-22 as against ₹116.21 crore during the previous year. During the FY 2021-22, claims paid under customized policies increased to ₹48.11 crore from ₹28.84 crore during the previous year.

# SHORT-TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

Covid-19 pandemic continued to have its adverse impact on Short Term Export Credit Insurance for Banks (ST ECIB) business during the year. However, the Company



## 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

10.00

## ई सी जी सी लिमिटेड

त्रण बीमा (ई सी आई बी) कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव जारी रहा। तथापि, कंपनी को हुई कारोबार हानि के कारण हुई आय में कमी को कुछ हद तक पूरा किया गया एवं प्रीमियम आय पिछले वर्ष के स्तर तक पहुंची। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 0.49% could make up for the lost business and overall achievement in terms of premium income was almost equal to the previous year. The premium earned under ST ECIB for the FY 2021-22 was ₹600.84 crore (previous year ₹603.77 crore), registering a decline of 0.49%

की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹600.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹603.77 करोड़) की कुल प्रीमियम आय रही। यह वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी क्षेत्रों से वर्ष के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम के 54.29% है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान बैंकों को अदा किये गए दावों की संख्या 143 रही एवं दावों के मूल्य 443.42 करोड़ रु रहे। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दावों की अदायगी के लिए ली गयी औसत अवधि 73.99 दिन रही। वर्ष के दौरान वसूलियां ₹93.44 करोड़ रु रहीं।

जारी की गई विभिन्न ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा

रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद (ए डी पी) तथा एकल रक्षाओं के लिए बैंकों द्वारा सूचित अनुसार उच्चतम बकाया राशि (एच ए ओ) के आधार पर की जाती है, औसतन ₹86,419 करोड़ (₹88,550 करोड़) रहा। वर्ष के दौरान दिनांक 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत संरक्षित खातों की संख्या पिछले वर्ष 31 मार्च 2021 के 15520 की तुलना में 13568 रही। इस रक्षा के अंतर्गत कुल 9051 विभिन्न निर्यातकों (पिछले वर्ष 9535) को रक्षा प्रदान की गई जिसमें से 96.66% छोटे निर्यातक (यथा-ऐसे निर्यातक खाते जिन पर मंजूर सीमा 80 करोड़ रु या उससे कम थी) थे। यह अनुमान है कि पिछले वर्ष ₹3,54,200 करोड़ रु की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹3,45,676 करोड़ मूल्य के निर्यात त्रग्रा अग्रिमों पर रक्षा प्रदान की गयी। यह अनुमान आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किये गए। ये अनुमान भा रि बैं तथा 90 दिनों के अल्पावधि निर्यातों के अधीन कारोबार चक्र की गणना के आधार पर किये गए हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए चार के घटक को कंपनी द्वारा संरक्षित बकाया निर्यात ऋग से गुणित कर की गयी है। संपूर्ण पण्यावर्त ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को तीन वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर तथा रक्षा के प्रतिशत को छह वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया। जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया। बैंकों एवं

86

100 100



over the previous year. ST ECIB premium accounted for 54.29% of the aggregate premium of the Company for the FY 2021-22. The number and value of claims paid stood at 143 and ₹443.42 crore respectively for the FY 2021-22. The average number of days taken for claim payment was 73.99 days in FY 2021-22. The recovery made during the year was ₹93.44 crore. The total outstanding covered by the Company under the various ECIB covers issued. taken as the Average Daily Products (ADP) for the Whole Turnover (WT)

covers and the Highest Amount Outstanding (HAO) under individual covers, reported by banks to ECGC aggregated to ₹86,419 crore (Previous year ₹88,550 crore). The number of accounts covered under the schemes during the year as of 31st March, 2022 stood at 13568 compared to 15,520 as of 31st March, 2021. A total of 9051 (Previous Year-9,535) distinct exporters of which more than 96.66% are Small Exporters (i.e. Exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹80 crore) have been supported through the covers. It is estimated that export credit advances worth ₹3,45,676 crore has been supported during this year compared to ₹3,54,200 crore in the previous year. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that the business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value. The premium rates under Whole Turnover (WT) ECIB covers are fixed based on the three year claim premium ratio and percentages of cover are determined on the six year claim premium ratio. Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of the Gems, Jewellery and Diamond sector in view of the high claim premium ratio with an objective of

ई सी जी सी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे (जी जे डी) जैसे उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों के संबंध में जोखिम कम करने वाले उपाए जारी रखे गए।

#### मध्यम एवं दीर्घावधि व्यापार समीक्षा

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) कारोबार से प्रीमियम आय पिछले वर्ष के 28.51 करोड़ रुपये की तुलना में 64th Annual Report - 2021-2022

protecting the interest of ECGC as well as that of banks.

#### MEDIUM-AND LONG-TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long-Term (MLT) business, for the FY 2021-22 stood at ₹20.32 crore as against ₹28.51 crore in the previous year. One claim of ₹5.87 crore was paid to Punjab National Bank during the FY 2021-22. The top five countries in which



20.32 करोड़ रुपये रही। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक को ₹5.87 के एक दावे का भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान शीर्ष पांच देशों इथियोपिया, मंगोलिया, बुर्किना फासो, नाइजर एवं माली में कंपनी ने प्रमुख व्यवसाय का जोखिम अंकन किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, एमएलटी परियोजना निर्यातकों को पिछले वित्तीय वर्ष में जारी 39 ऋग बीमा पॉलिसी की तुलना में 19 ऋग बीमा पॉलिसी जारी की गई, जिसमें उनके द्वारा प्रारम्भ किए गए विभिन्न परियोजनाओं पर राजनीतिक एवं व्यापक जोखिमों को रक्षित किया गया। रक्षा प्रदान किए गए प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, विद्युत पारेषण एवं वितरण, जल विद्युत उपकरण एवं पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति आदि शामिल थे। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान बैंकों को निर्यात ऋग बीमा (ईसीआईबी) के अंतर्गत जारी की गई रक्षा की संख्या पिछले वर्ष के 65 की तुलना में 39 रही। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विदेशी निवेश बीमा योजना एवं क्रेता ऋग योजना के अंतर्गत कोई रक्षा जारी नहीं की गयी।

#### राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) ट्रस्ट

एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार (भा स) द्वारा मध्यम एवं लंबी अवधि के निर्यात (एमएलटी) / परियोजना निर्यात के लिए ऋण जोखिम कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है, the Company has underwritten major business during the FY 2021-22 were Ethiopia, Mongolia, Burkina Faso, Niger and Mali.

During the FY 2021-22, 19 credit insurance policies were issued to MLT project exporters as against 39 in the previous financial year, covering political and comprehensive risks on various projects undertaken by them. The major sectors covered were infrastructure projects, Power Transmission & Distribution, Hydro Power Equipment and Supply of Capital Goods etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2021-22 was 39 as against 58 in the previous year. No covers were issued under the Overseas Investment Insurance scheme and the Buyer's Credit scheme during the FY 2021-22.

#### NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA) TRUST

The NEIA Trust has been established by the Government of India (GOI) with the objective of ensuring availability of credit risk cover for Medium and Long-Term exports (MLT) / project exports which are desirable from the point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹4,155.08 crore as of March 31, 2022. The underwriting capacity of the Trust is ₹80,000



## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

जो राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय हैं। 31 मार्च, 2022 तक ट्रस्ट के पास ₹4,155.08 करोड़ का बीमांकन कोष है। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹80,000 करोड़ है जिसमें से 25% राशि ₹20,000करोड़ को जोखिम साझा करने के आधार पर कंपनी द्वारा जारी एमएलटी रक्षाओं को सहायता देने के लिए निर्धारित किया गया है। 52 देशों में ₹43,444 करोड़ के कुल 213 परियोजनाओं को सहायता करने के लिए 329 रक्षाओं पर कुल ₹14,063 करोड़ के जोखिम को एनईआईए ट्रस्ट के साथ साझा किया गया है। ₹80,000करोड़ का शेष 75% राशि अर्थात ₹60,000करोड़ एनईआईए ट्रस्ट (बीसी–एनईआईए) की खरीदार ऋग योजना के लिए निर्धारित किया गया है। मार्च 31,2022 तक, ट्रस्ट ने श्रीलंका, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, तंजानिया, सेनेगल, crore of which 25% amounting to ₹20,000 crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company on risk sharing basis. Risk to the extent of ₹14,063 crore, in respect of 329 covers supporting 213 projects with a total value of value ₹43,444 crore in 52 countries, has been shared with NEIA Trust. The balance 75% of ₹80,000 crore amounting to ₹60,000 crore is earmarked for the Buyer's Credit scheme of the NEIA Trust (BC-NEIA). As of March 31,2022, the Trust has issued 27 Buyer's Credit covers with an aggregate Maximum Liability of ₹24,721 crore for 27 projects with a total value of ₹17,756 crore in Sri Lanka, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Senegal, Iran, Maldives, Cote D' Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname,



ईरान, मालदीव, कोटे डी आइवर, घाना, कैमरून, सूरीनाम, युगांडा एवं मॉरिटानिया में ₹17,756 करोड़ मूल्य की 27 परियोजनाओं के लिए ₹24,721 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 27 खरीदार ऋग रक्षा जारी किए हैं। भारत सरकार ट्रस्ट का एकमात्र व्यवस्थापनकर्ता है एवं ईसीजीसी इसकी प्रबंधन एजेंसी है।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी करती है। कंपनी ट्रस्ट द्वारा अर्जित गारंटी शुल्क आय का 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में प्राप्त करती है एवं वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट से अपने प्रबंधन शुल्क के रूप में ₹3.27 करोड़ प्राप्त किए।

#### फैक्टरिग

#### पूर्ण फैक्टरिंग योजना (एफ एफ एफ एस)

निदेशक मंडल ने 13 मई 2014 को हुई अपनी बैठक में मुख्य रूप से

Uganda and Mauritania. The GOI is the sole settlor of the Trust and ECGC is the managing agency.

The trust is managed by the Company. The Company receives 5% of guarantee fee income earned by the Trust as the management fee. During the year the Company received ₹3.27 crore as its management fee from the Trust.

#### FACTORING

#### Full Fledged Factoring Scheme (FFFS)

The Board of Directors had at its meeting held on 13th May 2014 approved the Full-Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the year 2021-22 the Company has approved six proposals



## ई सी जी सी लिमिटेड

एमएसएमई निर्यातकों के लिए पूर्ण फैक्टरिंग योजना (एफ एफ एफ एस) को मंजूरी दी थी। वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने चार निर्यातकों को लाभान्वित करने वाले छह प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹5.02 करोड़ की राशि के 21 बिलों की तुलना में 24 बिलों को ₹6.61 करोड़ की राशि के रूप में फैक्टर किया गया है, जो व्यापार मूल्य में 32% की वृद्धि दर्शाता है।

#### फैक्टर्स को रक्षा

फैक्टरिंग कंपनियों को उनके द्वारा फैक्टर किए गए निर्यात प्राप्तियों के संबंध में गैर–भुगतान के जोखिम का सामना करना पड़ता है, इस कारण से कि आयात फेक्टर कभी–कभी उपलब्ध नहीं होता है या महंगा होता है।

निदेशक मंडल एवं आईआरडीएआई के उचित अनुमोदन के साथ, कंपनी ने अपने एमएसएमई निर्यातक–ग्राहकों से संबंधित निर्यात बिलों के लिए फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैकों को जारी किए जाने वाले निर्यात प्राप्तियां (फैक्टर रिस्क) इंश्योरेंस एग्रीमेंट रक्षा की शुरुआत की है।

"निर्यात प्राप्य (कारक का जोखिम) बीमा समझौता" यह उत्पाद फैक्टर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों की रक्षा के लिए है, जिसमें उनके द्वारा निर्यातकों को 'फैक्टरिंग' के माध्यम से दिया गया वित्त खरीदार के

जोखिमों एवं राजनीतिक जोखिमों के कारण अप्राप्त रहता है। कंपनी ने अभी तक इस उत्पाद के अंतर्गत कारोबार आरम्भ नहीं किया है।

#### निवेश

31 मार्च, 2022 तक, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट बॉन्ड, इक्विटी शेयरों, सावधि जमा आदि में निवेश शामिल निवेश पोर्टफोलियो 31 मार्च, 2021 को ₹13,332.03

एईपीसी के सहयोग से निर्यातक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन Exporters' outreach program in association with AEPC

करोड़ की तुलना में ₹14,804.59 करोड़ रही, जो ₹1,472.56 करोड़ यानी 11.05% की वृद्धि दर्शाता है। निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि अतिरिक्त पूंजी के प्रवाह एवं निवेश से उत्पन्न अधिशेष के कारण हुई।

कंपनी ने निवेश के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 45% की तुलना में अनिवार्य श्रेणी के तहत निवेश 70.20 फीसदी रहा। 31 मार्च, 2022 तक, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित अधिकतम 15% की नियामक सीमा की तुलना में कंपनी के पास 'स्वीकृत निवेश के अलावा' के रूप benefitting four exporters. During the Financial Year (FY) 2021-22, 24 bills have been factored amounting to ₹6.61 crore as against 21 bills amounting to ₹5.02 crore during the previous year showing a growth of 32% in the business value.

64th Annual Report - 2021-2022

#### **Cover to Factors**

Factoring companies face risk of non-payment in respect of export receivables factored by them without recourse due to the reason that import factor is sometimes not available or is expensive.

With the due approvals of the Board of Directors and IRDAI, the Company has introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors / Financial Institutions / Banks for the export bills factored by them pertaining to their MSME exporter-clients.

The product, Export Receivables (Factor's Risk) Insurance Agreement is meant to protect Factors / Financial Institutions / Banks wherein the finance extended by them to the exporters by way of 'Factoring' the bill,

> remains unrealized owing to buyer's risks and political risks. The Company is yet to commence business under the product.

#### INVESTMENTS

As of March 31, 2022, the investment portfolio comprising of investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹14,804.59 crore as against ₹13,332.03

crore as of March 31, 2021, showing an increase of ₹1,472.56 crore, i.e. a growth of 11.05%. The growth in the investment portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from the investments.

The Company has complied with all the regulatory requirements in respect of investments. Investment under mandatory category stood at 70.20% as against minimum of 45% prescribed by the IRDAI. As of March 31, 2022, the Company has exposure of only 1.81%



## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट <u>– 2021–2022</u>

10.00

में वर्गीकृत उपकरणों में केवल 1.81% का जोखिम है। इसके अलावा, कंपनी के कुल ऋग पोर्टफोलियो में से 93.95 प्रतिशत निवेश सरकारी प्रतिभूतियों एवं एएए रेटिंग वाले डिबेंचर में है, जबकि आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 65% की नियामक सीमा है।

निवेश संचालन से उत्पन्न आय (निवेश की बिक्री पर लाभ सहित)

ई सी जी सी लिमिटेड

in instruments classified as "Other than Approved Investments", as against regulatory limit of maximum 15% prescribed by the IRDAI. Further, out of the Company's total debt portfolio, 93.95% of investments are in Government Securities and debentures rated AAA, as against regulatory limit of minimum 65% prescribed

वित्त वर्ष 2021-22 में बढकर ₹1,090.80 करोड़ हो गई, जो वित्त 2020-21 वर्ष में ₹1,012.45 करोड थी. जिसमें 7.74% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान निवेश आय में वृद्धि मुख्य रूप से ऊपर बताए गए निवेश पोर्टफोलियो के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) में वृद्धि के कारण हुई। वित्त वर्ष 2021-22



बांद्रा शाखा द्वारा मेसर्स बोरोसिल रिन्यूएबल को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to M/s Borosil Renewables Ltd by Bandra Branch

by the IRDAI.

Income generated investment from operations (including profit on sale of investments) increased to ₹1.090.80 crore FY 2021-22 in ₹1.012.45 from crore in FY 2020-21, recording an increase of 7.74%. Increase in the investment income during the year was

के लिए निवेश पर प्राप्त आय पिछले वर्ष के 8.52% के मुकाबले 8.12% थी। कंपनी के निवेश संचालन मुख्य रूप से दावा भुगतानों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने एवं जोखिम एवं प्राप्ति के बीच समझौताकारी समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता है।

#### खरीदार बीमांकन

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बीयूडी) की भूमिका विभिन्न मानदंडों के आधार पर समग्र ऋग सीमा निर्धारित करके एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खरीदारों पर ठोस बीमांकन निर्णय सुनिश्चित करना है। विभाग विभिन्न ऋण सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर नवीनतम ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त करता है एवं उनका विश्लेषण करता है।

सिस्टम–जनरेटेड डेटा एवं स्कोरकार्ड रेटिंग के आधार व खरीदारों के संव्यवहार की रिपोर्ट एवं समीक्षा के आधार पर समग्र ऋग सीमा तय की जाती है।

विदेशी खरीदारों पर समग्र साख सीमा का निर्धारण स्कोर कार्ड आधारित सीमा के आधार पर किया जाता है। विभिन्न ऋग सूचना एजेंसियों से खरीदारों पर प्राप्त रिपोर्ट को, जैसा कि ऊपर उल्लिखित गया है कि, बीमांकन करने के उद्देश्य से डिजिटलाइज़ किया गया है ताकि सिस्टम में अधिकारियों को जानकारी प्राप्त हो सके।

महामारी की स्थिति के दौरान, लॉकडाउन के बाद के चरण में निर्यातकों को समय पर पर्याप्त ऋग सीमा अनुमोदन प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए गए थे, जिससे खरीदारों के स्कोरकार्ड जल्दी एवं समय पर तैयार करने में mainly due to increase in the Asset Under Management (AUM) of the Investment portfolio, as mentioned above. The yield on investment for the year FY 2021-22 was 8.12% as against 8.52% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

#### **BUYER UNDERWRITING**

The role of the Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to ensure sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various parameters and taking into account the business requirements. The department obtains and analyses the latest credit information reports on buyers from various Credit Information Agencies. Based on the reports and review of the transactional behavior of buyers on the basis of system-generated data and the scorecard rating, overall credit limits are decided on overseas buyers with the score card based suggested limits serving as a guiding post.

Reports received on buyers from different credit information agencies, as mentioned above, are digitalized to make it accessible in the system to the officials for the underwriting purpose.

During the pandemic situation in the post lockdown phase, efforts were made to grant adequate credit limit approvals in timely manner to the exporters. In this



मदद मिली एवं साथ ही ऋण सीमा के त्वरित निर्णयों के लिए खरीदार बीमांकन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त कार्मिकों को तैनात किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020–21 में महामारी की स्थिति के दौरान एक राहत उपाय के रूप में, निर्यातकों से ऋण सीमा के आवेदनों के regard a few changes were made in the Application Software, which facilitated quicker and timely preparation of scorecards of the buyers and also additional manpower was deployed to Buyer Underwriting activities for quicker credit limit decisions. Further, as a relief measure

लिए स्थिति पूछताछ शुल्क नहीं लिया गया था एवं ऋण सीमा आवेदनों एवं संबंधित दस्तावेजों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने पर जोर दिए बिना इलेक्ट्रॉनिक मोड में आवेदन स्वीकार किए गए थे। इन दिशानिर्देशों को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भी जारी रखा गया था, जो COVID–19 की पुनरावृत्ति से प्रभावित था।

वित्त वर्ष 2021–22 में प्राप्त ऋण सीमा आवेदनों की संख्या पिछले वर्ष के 31,286 की तुलना में 27,582 रही। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान,



कोची शाखा द्वारा साउथ इंडियन बैंक, कन्नूर शाखा को दावे का भुगतान किया गया। Claim paid to South Indian Bank, Kannur Branch, by Kochi Branch

during pandemic the situation in the FY 2020-21, exporters were not charged the status enquiry fee for credit limit applications and applications were accepted in electronic mode without insisting on physical submission of credit limit applications and related documents. These guidelines were continued even during the FY 2021-22 which too was marred by the periodic recurrence of COVID-19 waves.

The number of credit

विदेशी खरीदारों के लिए निर्धारित कुल समग्र सीमा पिछले वर्ष के ₹53,706 करोड़ की तुलना में ₹52,769 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के डेटाबेस में जोड़े गए नए खरीदारों की संख्या 12259 खरीदारों की पिछले वर्षों की उपलब्धि की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए 17,616 थी।

लघु अवधि पॉलिसी व्यापार प्रीमियम में नए खरीदारों की संख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

#### देश बीमा

देश बीमांकन में राजनीतिक एवं आर्थिक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन एवं अधिकता का निर्धारण किया जाता है। यह गंतव्य देशों में व्यापार जोखिम के स्तर की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देशों के जोखिमों का आकलन एवं मूल्यांकन देश बीमा विभाग द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास एक इन–हाउस उद्देश्यपरक स्कोरिंग प्रणाली है जो 'ए 1' (महत्वहीन जोखिम), 'ए 2' (कम जोखिम), 'बी 1' (मध्यम रूप से कम जोखिम), 'बी2' (मध्यम जोखिम), 'सी1' (मध्यम रूप से उच्च जोखिम), 'सी2' (उच्च जोखिम) एवं 'डी' (अत्याधिक जोखिम) के सात श्रेणी वर्गीकरण पर देशों के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा एवं मानचित्रण करती है। स्कोरिंग प्रणाली राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापार जोखिमों सहित कई मानदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है। limit applications received in FY 2021-22 was 27,582 as against 31,286 in the previous year. During the FY 2021-22, the aggregate Overall Limits fixed on foreign buyers was ₹52,769 crore compared to ₹53,706 crore in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2021-22 was 17,616 registering a growth of more than 40 per cent compared to previous years achievement of 12,259 buyers.

The strong growth in number of new buyers added a supported thirteen percent growth in short terms policy business premium.

#### **COUNTRY UNDERWRITING**

Country Underwriting deals with the identification, evaluation and measurement of political and economic risks. It is an important tool for monitoring the business exposure levels in the destination countries. The assessment and evaluation of the countries' risks are carried out by the Country Underwriting Department.

The Company has an in-house objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries on a seven-fold classification of 'A1' (Insignificant risk), 'A2' (Low Risk), 'B1' (Moderately Low Risk), 'B2' (Moderate Risk), 'C1' (Moderately High Risk), 'C2' (High Risk) and 'D' (Very High Risk). The scoring system evaluates countries based on a host of parameters, including political,



#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

## 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

इस प्रकार प्राप्त कंट्री रेटिंग का प्रीमियम दर, रक्षा के प्रकार के निर्धारण एवं रक्षा की शर्तों, एवं निर्यात गंतव्यों पर संव्यवहार को बीमांकन करने की क्षमता के माप पर प्रभाव पड़ता है। अल्पावधि (ST) एवं मध्यम एवं दीर्घ अवधि (MLT) के अंतर्गत देशों की रेटिंग के लिए, विशिष्ट फैक्टर एवं उनसे संबन्धित सभी आवश्यक जानकारियों सहित, अलग स्कोरिंग मॉडल मौजूद है।

देशों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा वार्षिक, अर्ध–वार्षिक एवं, यदि आवश्यक हो, तो नवीनतम आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर की जाती है।

#### देश जोखिम वर्गीकरण

#### वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के दौरान :

- क) कंपनी द्वारा समीक्षा किए गए देशों की कुल संख्या 239 थी।
- ख) 31.03.2022 तक देश के जोखिम वर्गीकरण का सारांश इस प्रकार है:

economic and trade risks. The country rating so arrived has an impact on the premium rate, determination of type and terms of cover, and measurement of the capacity to underwrite transactions on export destinations. Separate scoring models, with distinct factors and their relative relevance, are in place for the rating of countries under Short-Term (ST) and Medium-&-Long Term (MLT).

A review of the risk classification of countries is carried out on a yearly, half-yearly and, if necessary, on ad-hoc basis taking into account the latest economic and political developments.

#### **Country Risk Classification**

#### During the FY 2021-22:

- a) The total number of countries reviewed by the Company stood at 239.
- b) The summary of country risk classification as of 31.03.2022 is as follows:

	ए1 A1	ए2 A2	बी1 B1	बी2 B2	सी 1 C1	सी2 C2	डी D	कुल Total
अल्पावधि ST	63	52	44	39	17	14	10	239
मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी ) MLT	62	57	46	34	19	12*	9	239

\*दिनांक 09.08.2019 से पाकिस्तान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) से बाहर है।

\*Pakistan is off-cover under MLT w.e.f. 09/08/2019



# 🧧 ई सी जी सी लिमिटेड



1

#### 64th Annual Report - 2021-2022

11



CMD, ECGC Limited addressing meeting on Export Finance and Project Exports in the presence of Hon'ble CIM Shri Piyush Goyal



डीजीएफटी और एफ़ आई ई ओ के साथ निर्यातक बैठक का आयोजन किया गया। Exporter meet was conducted with DGFT and FIEO.



'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत निर्यात संवर्धन कार्यक्रम Export Promotion Programmes under 'Azadi Ka Amrit Mahotsav'



## 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

#### देश रक्षा

इसके अतिरिक्त, 239 देशों को खुली रक्षा श्रेणी, प्रतिबंधित रक्षा

श्रेणी–I (जहां परिक्रामी सीमाएं सामान्य रूप से एक वर्ष के लिए मान्य हैं) एवं प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी–II (जहां मामला– दर–मामला आधार पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) के अंतर्गत रखा गया है ताकि इन देशों में जोखिम की प्रभावी निगरानी की जा सके। 31.03.2022 तक, 206 देशों को खुली रक्षा में, 23 को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी– I में एवं

10 को प्रतिबंधित रक्षा श्रेणी- 11 में रखा गया है।

#### देश जोखिम सीमा

देश जोखिम सीमा (सीईएल) वाणिज्यिक एवं राजनीतिक दोनों जोखिमों के अंतर्गत किसी भी समय किए गए निर्यात के लिए किसी देश पर कंपनी द्वारा स्वीकार की जाने वाली कुल देयता निर्धारित करती है। कंपनी ने नवंबर 2020 में अल्पावधि पॉलिसी व्यवसाय के अंतर्गत सीईएल के निर्धारण के लिए अपने मानदंडों की समीक्षा की। सीईएल में संशोधन कंपनी की जोखिम क्षमता एवं सभी 239 देशों के लिए देश के जोखिम वर्गीकरण में परिवर्तन के कारकों को निर्धारित करता है। सीईएल की वार्षिक एवं साथ ही जरूरत के आधार पर, जब अचानक पारिस्थितिक– राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर किसी देश की जोखिम रेटिंग में बदलाव होता है, समीक्षा की जाती है।

#### पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी ने मध्यम एवं दीर्घ अवधि रक्षाओं सहित सम्पूर्ण व्यवसार के लिए जीआईसी री से अनिवार्य 5% पुनर्बीमा (क्यूएस) रक्षा सहित भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं (एफआरबी) एवं क्रॉस बार्डर पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) से लघु अवधि पॉलिसी को 19.24% (स्कोर 6%, जीआईसी 6%, हनोवर 4% एवं सीसीआर 3.24%) तक बढ़ाने एवं लघु अवधि ईसीआईबी को 8.85% (एससीओआर 3%, जीआईसी रु 1.5%, हनोवर रु 3% एवं सीसीआर रु 1.35%) तक बढ़ाने के लिए आनुपातिक (कोटा शेयर– क्यूएस) संधि की थी। इसके अतिरिक्त लघु अवधि के अंतर्गत बड़े जोखिमों के अंतर्गत अतिरिक्त हानी की रक्षा की व्यवस्था भी इन्ही पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा की गई थी।

#### जोरिवम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन की सीमा में कंपनी द्वारा किए गए जोखिम अंकन के समग्र स्तर की पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण एवं हस्तांतरण शामिल है। जोखिम प्रबंधन गतिविधियां कंपनी को अपनी बीमांकन नीति एवं इसके रक्षा की शर्तों, जोखिम मूल्यांकन, नियामक आवश्यकताओं, वित्तीय व्यवहार्यता एवं दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायता करती है। Restricted Cover Category-II.

#### **Country Exposure Limit**

The Country Exposure Limit (CEL) sets the aggregate liability that the Company accepts on a country for the exports made at any point in time under both commercial and political risks. The Company reviewed its criteria for determining the CEL under ST Policy business in November 2020. The modification in the CEL determines the risk appetite of the Company and factors in changes in the country risk classification for all 239 countries. The CEL is reviewed annually as well as on a need basis i.e. when there is a change in the risk rating of a country based on sudden eco-political changes.

#### REINSURANCE

For the FY 2021-22 the Company had a Proportional (Quota Share – QS) Reinsurance treaty to the extent of 19.24% for Short- Term Policy (SCOR 6%, GIC Re 6%, Hannover Re 4% and CCR Re 3.24%) and 8.85% for Short Term ECIB (SCOR 3%, GIC Re 1.5%, Hannover Re 3% and CCR Re 1.35%) from Indian Reinsurers, Foreign Reinsurer Branches (FRB) and Cross-Border Reinsurers (CBR) along with the obligatory 5% reinsurance (QS) cover from GIC Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks under Short-Term (both Policy and ECIB covers) were also arranged with the same reinsurers.

#### **RISK MANAGEMENT**

The scope of Risk Management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by the Company. The risk management activities help the Company decide its underwriting policy and the terms of its cover, risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long-term sustainability. The existing organization structure and practices that have evolved over more than six decades incorporate fundamental structures

## ई सी जी सी लिमिटेड

#### **Country Cover**

Further, the 239 countries are placed under the Open Cover Category, Restricted Cover Category-I (where

> limits revolving are approved normally valid for a year) and Restricted Cover Category-II (where Specific Approval is given on a case-tocase basis) for effective monitoring of exposures in these countries. As 31.03.2022, 206 of countries are placed Open Cover, 23 in Cover in Restricted Category-I and 10 in



#### 64th Annual Report - 2021-2022

### **ECGC** Limited

वर्तमान संगठन संरचना एवं प्रथाएं जो छह दशकों से अधिक समय में विकसित हुई है मौलिक संरचनाओं को शामिल करते हैं जो कि जोखिम कार्यों में बनाए जा सकते हैं। कंपनी ने 2011 में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड पेश किए एवं निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग एवं देश के लिए निश्चित जोखिम सीमा तय की। एक पोर्टफोलियो के जोखिम का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, बैंकों को जारी किए गए सम्पूर्ण कारोबार रक्षा के अंतर्गत रत्न, आभूषण एवं हीरा क्षेत्र के लिए नवीनतम निर्यात ऋग सीमाओं पर अस्थायी निलंबन की शुरुआत करके एवं देश जोखिम सीमा तय करने के लिए मानदंड पेश करके जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया था। कंपनी की बैंकों के लिए सम्पूर्ण कारोबार निर्यात ऋग बीमा (डब्ल्यूटी–ईसीआईबी) योजना के अंतर्गत रत्न, आभूषण एवं हीरे (जीजेडी) खातों को रक्षित करने के लिए बीमांकन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है एवं इसे अप्रैल 2022 से प्रारम्भ किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने अल्पावधि पॉलिसियों एवं एवं मध्यम एवं दीर्घकालिक निर्यात संव्यवहार के अंतर्गत खरीदारों/ साखपत्र खोलने वाले बैंकों पर जोखिम सीमा के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को संशोधित किया। इसके जरिये अल्पावधि ईसीआईबी योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत निर्यातक/समूह निर्यातक के अंतर्गत जोखिम सीमाओं एवं उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों की भी समीक्षा की गयी। कंपनी अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन संरचना के माध्यम से जोखिम प्रोफाइल को विनियमित करने के लिए एक उद्यम–व्यापी सूचना प्रणाली स्थापित कर रही है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई है एवं इसके दायरे को एवं बढ़ाया गया है।

कंपनी सूचना एवं साइबर सुरक्षा जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने पर केंद्रित है। कंपनी ने मजबूत सुरक्षा नियंत्रण लागू किए हैं एवं एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) ढांचा स्थापित किया है। कंपनी ने एक सुपरिभाषित व्यापार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) ढांचा भी स्थापित किया है।

#### वसूली

अल्पावधि ईसीआईबी: वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भुगतान किए गए दावों एवं लंबित दावों पर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की ₹107.53 करोड़ तुलना में ₹93.44 करोड़ की राशि की वसूली की गई। that can be built upon in the risk function. The Company introduced prudential risk management norms in 2011 and fixed exposure limits for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process.

During FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of cover on fresh export credit limits to the Gems, Jewellery and Diamond Sector under WT covers issued to banks and also by introducing criteria for fixing Country Exposure limits. The underwriting guidelines for covering Gem, Jewellery and Diamond (GJD) accounts under the Whole-Turnover-Export Credit Insurance for Banks (WT-ECIB) scheme of the Company have been modified and will be implemented from April 2022.

During FY 2021-22, the Company further modified the prudential norms for Exposure Limits on Buyers/LC opening banks under Short Term Policies and Medium and Long- Term export transactions. It also reviewed the exposure limits under individual exporter/group exporter under Short- Term ECIB schemes and the exposure norms for industry sector. The Company is establishing an enterprise-wide information system to regulate the risk profile through its internal risk management framework. The Risk Management Policy has been reviewed and the scope of Company's risk management is further enhanced.

The Company is focussed on effectively managing the Information & Cyber Security Risks. The Company has implemented robust security controls and established a comprehensive Information Security Management System (ISMS) framework. The Company has also established, a well-defined Business Continuity Management System (BCMS) framework.

#### RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2021-22, a sum of ₹93.44 crore was recovered against claims paid and pending for recovery compared to ₹107.53 crore, for the same period, in the previous FY.

95

अल्पावधि पॉलिसी: पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की ₹9.77 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों से ₹16.54 करोड़ की वसूली की गई।

मध्यम एवं दीर्घ अवधि पॉलिसी: पिछले वर्ष की ₹16.87 लाख की वसूली की तुलना में वित्त

100 100



ST Policy: A sum of ₹16.54 crore was recovered from claims paid and pending for recovery under Short -Term Policies during the FY 2021-22 compared to ₹9.77 crore for the same period in the previous FY.

MLT Policy: During the FY 2021-22, there was

100

## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

## ई सी जी सी लिमिटेड

वर्ष 2021–22 के दौरान भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों के अंतर्गत 'शून्य' वसूली हुई।

### पॉलिसी एवं ईसीआईबी के अधीन वसूली में सुधार के लिए की गई पहल:

#### पॉलिसी

नई ऋग वसूली एजेंसियों (डीसीए) को सूचीबद्ध किया जा रहा है एवं पॉलिसीधारक जो चूक की रिपोर्ट करते हैं उन्हें डीसीए के साथ मामलों को चूक चरण में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे वसूली में सुधार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

#### ईसीआईबी

प्र का द्वारा सभी मामलों की निगरानी की जा रही है एवं ऐसे मामलें जहां बैंकों द्वारा वसूली की जानकारी साझा नही की जा रही है अथवा मांगी गयी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है उन मामलों का हमारे वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके निपटान किया जा रहा है।

#### सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)

कंपनी ने अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के सुधार परियोजना के साथ विकास एवं एकीकरण चरण में प्रगति की है। जारी की गई सेवाओं का उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) शुरू हो गया है। संशोधित योजना के अनुसार, स्माइल परियोजना की 99 सेवाओं को जून 2022 तक एकीकृत परीक्षण के लिए जारी किए जाने की उम्मीद है।

कंपनी के मोबाइल एप्लिकेशन को बुनियादी सुविधाओं के साथ सफफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जिससे ग्राहक पॉलिसी कवर विवरण, देश वर्गीकरण, बीएसएएल–खरीदार जानकारी, बीएसएएल–इंटरनेशनल बैंक विवरण, क्रेता पर सक्रिय सीमाएं, लंबित ऋण सीमा आवेदन, लंबित दावों की स्थिति, एवं पोतलदान घोषणा की जानकारी, तय किए गए दावों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इस एप्लिकेशन में उन्नत विशेषताओं का कार्य प्रक्रिया में है।

#### विपणन एवं जनसंपर्क

राष्ट्रीय विपणन विभाग (एन एम डी) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार व इससे संबंधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की ज़िम्मेदारी शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण करना है। यह विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ निष्पादन को भी मॉनिटर करता है। प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा कार्यालयों /विभागों के साथ कंपनी के कारोबार निष्पादन की समीक्षा भी करता है जिसकी अध्यक्षता अप्रनि द्वारा की जाती है।

कंपनी द्वारा अपने मूल कारोबार पर ध्यान देते हुए ,कई निर्यात संवर्धन परिषदों, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (फियो), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ आई सी सी आई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि के साथ निर्यात ऋग जोखिम बीमा गतिविधियों को भी जारी रखा है ।

विपणन प्रयासों में विस्तार हेतु, निर्यातकों एवं बैंकरों के लिए बीमा शिक्षा / जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कौशल विकास a "NIL" recovery against claims paid and pending for recovery as against the recovery of ₹16.87 lakh in the previous FY.

# Initiative taken to improve recovery under Policy and ECIB:

#### Policy

Fresh Debt Collection Agencies (DCAs) are being empanelled and the Policyholders who report defaults are encouraged to place the cases with DCAs at the default stage itself as this can have a positive impact on improving the recoverability.

#### ECIB

The cases are monitored from HO and in such cases where the banks are not sharing recoveries or information sought is not being provided, the cases are pursued by follow up with the bank senior officials by our senior management.

#### **INFORMATION TECHNOLOGY (IT)**

The Company has progressed with its Enterprise Resource Planning (ERP) revamp project to Development and Integration Phase, and the User Acceptance Testing (UAT) of the released services has started. As per the revised plan, the 99 services of the SMILE Project are expected to be released for Integrated Testing by June, 2022.

The mobile application of the Company has been successfully launched with basic features enabling the clients to access Policy Cover details, Country Classification, BSAL-Buyer information, BSAL-International Bank details, Active limits on the Buyer, Pending Credit limit applications, Decided Claims information, Pending Claims status, and Shipment Declaration information etc. The development of advanced features is underway.

#### MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) is responsible for the marketing, advertising, publicity and related activities of the Company.

The Division bears the responsibility of fixing business targets for branches and monitoring the performance vis-à-vis the targets fixed under various parameters. The Division holds reviews of the business performance of the Company with the Regional/Branch/Department heads which is presided over by the CMD.

The Company, besides focussing on its core business of export credit risk insurance works in close coordination with export promotion agencies like Export Promotion Councils (EPCs), Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII), etc.



कार्यक्रम, कॉर्पोरेट ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट भी की गई। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा ग्राहकों को पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों सहित मुख्य अनुपालनों पर शिक्षित करने के उद्देश्य से 260 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। सेवा तंत्र के जरिए 6000 से अधिक ग्राहकों एवं संभाव्य ग्राहकों से निजी रूप से भेंट की गई। विभिन्न व्यपार संगठनों जैसे फिफ्रयो, सी आई आई, आई सी सी, आई एम सी इत्यादि के साथ 80 से अधिक बैठकें आयोजित की गई।

प्रमुख समाचार पत्रों जैसे इकोनोमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड इत्यादि की वैबसाइट पर कंपनी के विज्ञापन प्रदर्शन के जरिए सक्रिय रूप से डिजिटल मार्केटिंग भी की गई । कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल एप जारी की गई जो कि माइगोव, एंडरोइड एवं एपल स्टोर पर उपलब्ध है।

#### कॉर्पोरेट योजना

कॉर्पोरेट योजना की अवधारणा को संसाधनों– वित्तीय, जनशक्ति एवं प्रबंधकीय को योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने हेतु निर्दे शित करना है । कॉर्पोरेट योजना कंपनी के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान उसके लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा है। इसमें योजना में कंपनी का स्वाट विश्लेषण एवं कंपनी के निष्पादन की समीक्षा, विदेशी समकक्षों से तुलना, कारोबार प्रवृत्तियाँ एवं अगले पाँच वर्षों के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय अनुमान शामिल है। अनुमानों में मुख्य रूप से कंपनी की प्रीमियम आय में वृद्धि, जोखिम मूल्य कवरेज, दावे के भुगतान एवं कंपनी के विभिन्न व्यवसाय खंडों में वसूली एवं तदनुसार वित्तीय परिणाम शामिल है। कंपनी ने योजना अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार की है।

#### वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

ऋण बीमा उत्पादों के विपणन एवं वितरण को मजबूत करने एवं भारत में ऋण बीमा की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय विपणन विभाग ( एन एम डी) द्वारा 31 मार्च 2022 तक 170 ब्रोकरों को पैनलबद्ध किया गया है। इस चैनल को मजबूत करने तथा इसमें एवं अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी है। एन एम डी, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान ब्रोकरों के लिए<u>कार्यशालाओं का आयोजन करता</u> As a part of marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, skill development programmes, personal visits to clients and potential clients were also undertaken. During the financial year, the Company conducted more than 260 meetings to educate the customers about the major compliance procedures including policy terms and conditions. Personal visits to more than 6000 customers and potential customers were undertaken in the service network. There were more than eighty meetings conducted in association with trade bodies viz. FIEO, CII, ICC, IMC etc.

Digital marketing was actively undertaken through display of the Company's advertisements on websites of prominent newspapers such as Economic Times, Mint, Business Standard etc. The Company also launched its Mobile App for its customers which is currently available on MyGov, Android and Apple App Store.

#### CORPORATE PLAN

The concept of a Corporate Plan was introduced to direct the resources-financial, manpower and managerialin a planned and systematic manner. The Corporate Plan is a road map of the Company for the next five years and strategies to achieve its goal. The plan also outlines the Company's SWOT analysis and discusses the performance of the organization, comparison with the overseas counterparts, business trends, global and national environment and projections for the next five-year period. The projections broadly encompass the Company's growth in premium income, risk value coverage, claims pay out and recoveries anticipated under its different product groups and the resultant projection of financial results. Annual achievement visà-vis the plan helps the Company in reviewing and improving the business strategies. The Company has drawn up its strategies to achieve the plan projections.

है. ये कार्यशालाएं हमारी पॉलिसियों की जानकारी देने, उन्हें बाजार में ईसीजीसी की रक्षाओं के प्रभावी विपणन में सक्षम बनाती हैं जिससे ये निर्यातों के प्रभावपूर्ण संवर्धन में सहायक होती हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान ब्रोकरों द्वारा लाये गए कारोबार के ज़रिये कुल ₹140.86 करोड़ का प्रीमियम अर्जन किया गया जो कि ₹485.46 करोड़ के अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय का 29.01% है।



ईसीजीसी लिमिटेड ने सीएसआर पहल के अंतर्गत दृष्टिवाधित व्यक्तियों के कल्याण के लिए ब्लाइंड ऑर्गनिजेशन ऑफ इंडिया में योगदान दिया है। ECGC Limited has contributed to Blind Organization of India for the welfare of blind persons under the CSR initiative.

#### ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of credit insurance products and to increase penetration of credit insurance in India, the National Marketing Division (NMD) has empanelled more than 170 brokers and one Corporate Agent (Bank) as of March 31, 2022. Continuous efforts are being made to strengthen and expand this channel further. NMD and Regional/Branch Offices

#### 64th Annual Report - 2021-2022

## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

### कॉर्पोरेट सामजिक दायित्व (सीएसआर) पहल तथा संधारणीय विकास (एस डी)

कंपनी द्वारा सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई गई है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष का, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कंपनी के सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चियन,

पर्यावरण, संधारणीय विकास, महिला सशक्तिकरण, दिव्यान्गों के लिए सेवाओं की उपलबद्धता तथा आदिवासी समुदाय को सहायता शामिल है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की सी एस आर गतिविधियों के लिए लगभग ₹10.86 करोड़ व्यय किये गए। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, पहले ही आरंभ की गई परियोजनाओं



on credit terms.

ईसीजीसी लिमिटेड सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत एसओएस चिल्ड्रन विलेज की सहायता कर रहा है। ECGC Limited supporting SOS Children Villages under CSR Activity.

के लिए ₹0.38 करोड़ रु का यू एस एस आर खाते में आबंटन किया गया तथा स्वच्छ भारत कोष में ₹0.09 करोड़ का योगदान दिया गया।

सी एस आर गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में जिलाधीश कार्यालय, राजगढ़, मध्यप्रदेश (महत्वकांक्षी जिला), टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस); विवेकानंद केंद्र, स्नेहालय एस ओ एस चिल्ड्रेन विलेज ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ वर्ल्ड, डेवलपमेंट एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज इन सोसाइटी (डीड्स), कंसर्न इंडिया फाउंडेशन, शांति सेवा निधि, रोजावनम ट्रस्ट, श्री चेतन्य सेवा ट्रस्ट, आकार–मुंबई विश्वविद्यालय, अनिरुद्ध एकेडमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सुयधा (सोशल अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन), सी एस के फाउंडेशन, निम्हान्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, परिचय फाउंडेशन एंड केन्सर पैशेंट ऐड एसोसिएशन शामिल है।

#### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

The Company has adopted the CSR Policy as the per guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it is required to spend at least 2% of its last three

years' average net profit every year for various activities under CSR as per Section 135 of the Companies Act, 2013. The Company's CSR activities relate to health, nutrition, primary education, skill development, ensuring livelihood, environment, sustainable development, women empowerment, strengthening services for the differently abled and support to Scheduled Tribe community. An aggregate amount of ₹10.86 crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2021-22. Further, allocation of ₹0.38 crore has been made in the UCSR account for the projects already initiated and an amount of ₹0.09 crore has been paid to the Swachha Bharat Kosh (SBK) for the FY 2021-22.

The major implementation partners for CSR activities are Office of the District Collector, Rajgarh, Madhya Pradesh (Aspirational District), the TATA Institute of

> Social Sciences (TISS), Vivekananda Kendra, Snehalaya, SOS Village Children's of India, Voice of world, **Development Education** Empowerment of Disadvantaged in Society (DEEDS), Concern India Foundation, Shanti Seva Nidhi, Rojavanam Trust, Shri Chaitnya Seva Trust, Aakar-Mumbai University, Anirudda

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, दिव्यांगो को सहायता, सशस्त्र

सेना झंडा दिवस निधि में योगदान, स्वच्छ गंगा निधि एवं स्वच्छ भारत कोष में कई सी एस आर पहल की गई। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस) के ज़रिये एम वार्ड, वाशी नाका, मुंबई छात्रवृत्ति प्रदान साम दायिक शिक्षा केंद्र हेतु निधि का योगदान करना जारी रखा। आनंदालय को चलाने के लिए



आसाम एवं अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र को भी अपना समर्थन प्रदान कर रही है।

98

100

Academy of Disaster Management, SUADHA (Social Upliftment and Development of Human), CKS foundation, NIMHANS, Christian Medical College, Parichay

## ई सी जी सी लिमिटेड

conduct workshops for brokers which help in educating

them about the features of various Policies, to enable

them to effectively market the Company's insurance

covers, thereby protecting and promoting India's exports

During the FY 2021-22, the premium earned under the business procured through the alternate marketing and

distribution channel was ₹140.86 crore which constituted

29.01% of the Short-Term policy premium income of

#### राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्य प्राप्त किये है। कंपनी को वित्त वर्ष 2020–21 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित तथा राजभाषा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास – उपक्रम) द्वारा कंपनी के प्रधान कार्यालय को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पानीपत शाखा, सूरत शाखा एवं चेन्नई शाखा का माननीय संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के उपरांत समिति द्वारा दिये गए निर्देशों का यथासमय अनुपालन किया गया। 64th Annual Report - 2021-2022

Foundation and Cancer Patients Aid Association. A number of initiatives have been undertaken in the field of education, health care, nutrition, skill development, support to differently abled, contribution to the Armed Forces Flag Day Fund, Clean Ganga Fund and to Swachh Bharat Kosh. The Company continued to support the implementing agency TISS for its project related to distribution of scholarships and running of community study centres in M-Ward area of the Municipal Corporation of Greater Mumbai. Support is also provided to various centres of Vivekananda Kendra in the North East and Odisha for running Anandalaya and providing free primary medical assistance.

# IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Limited is proactive in the implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Company has achieved all the targets laid down in the Annual Rajbhasha Programme for the FY 2021-22 by the Department of Official Language, Ministry of Home

कंपनी द्वारा सितंबर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अनुकरण में हिन्दी माह (1 सितंबर से 30 सितंबर, 2021 तक हिन्दी माह मनाया गया) के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 14 सितम्बर 2021 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों के



Affairs, Government of India. The Company was conferred the 3rd prize of the Rajbhasha Kirti Puraskaar, by the Department of Official Ministry Language, of Home Affairs for the FY 2020-21. The Company was also awarded а special prize, by the Mumbai Town Official Language Implementation (TOLIC-Committee PSU) effective for

दिनांक 14 सितम्बर 2021 को हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों के लिए वर्चुअल "अखिल भारत कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया जिसमें कंपनी के शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा स्वरचित एवं अन्य कवियों द्वारा रचित कविताओं का पठन किया गया।

हिन्दी माह के समापन के उपलक्ष्य में "हिन्दी माह समापन समारोह" का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारत वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 113 अधिकारियों ने भाग लिया।

कंपनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें लागू हैं। कंपनी के अधिकारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्यों के लिए नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। कंपनी की गृह पत्रिका में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लिए कंपनी के अधिकारियों को विशेष पुरस्कार प्रदान किए गए एवं इसमें लेख प्रदान कर योगदान देने वाले अधिकारियों को नकद प्रोत्साहन प्रदान किए गए ।

कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष दिए implementation of the official language policy.

During the financial year 2021-22, the third Sub-Committee of the Parliamentary Committee on Official Language had inspected Panipat, Surat and Chennai Branches. The directions given by the above committee have been complied with.

The Company has been celebrating the month of September as the Hindi month. In pursuance of the Hindi month (that was celebrated from 1 September to 30 September, 2021) various competitions were held and officers of all levels have participated in the competitions enthusiastically. On 14<sup>th</sup> September 2021 on the occasion of the Hindi Day, a virtual all India "Kavi Sammelan" was organised wherein officers from all Branch Offices, Regional offices and Departments of the Head Office recited poetry, either their own poetry or poetry written by other authors.

On the occasion of conclusion of the Hindi Month, "Hindi Mah Samapan Samaroh" was organised, during which an all-India level virtual conference was organised in which 113 officers have participated.



## 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

जाने वाले "अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार" योजना में उनके संबन्धित कार्यालयों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले हिन्दी पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को राजभाषा में कार्य करने में काफफ़ी सुविधा हो रही है। सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते है। कंपनी का वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सब–स्टाफ सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए वर्चुअल माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो कि सभी द्विभाषी थे। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति के लिए एक अलग सत्र शामिल था।

कंपनी की सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा उसमें विस्तृत रूप से सम्बंधित शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है। जहाँ भी कमियां पायी गयी जाती है उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं। शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर समुचित ध्यान देने हेतु कंपनी के प्रधान कार्यालय के अधिकारियों (राजभाषा अधिकारियों) द्वारा निरीक्षण किया जाता है एवं प्रत्येक तिमाही में अखिल भारतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कंपनी के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा प्रधान कार्यालय के विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्च की जाती है एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

प्रधान कार्यालय एवं कंपनी की विभिन्न शाखा कार्यालयों जैसे ठाणे, लुधियाना, पानीपत, जालंधर, इंदौर, विशाखापट्टनम, कोची, सेलम, बंगलूरु शाखा कार्यालय एवं द क्षे – II को गृह मंत्रालय एवं संबन्धित न रा का स द्वारा पुरस्कृत किया गया है

#### अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध

वर्ष 1957 से, ईसीजीसी बर्न यूनियन (ऋग तथा निवेश बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ), निर्यात ऋग तथा निवेश बीमाकर्ताओं के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संध ,का एक सक्रिय सदस्य रहा है। ईसीजीसी बर्न यूनियन में शामिल होने वाला पहला एशियन सदस्य है एवं इसकी गतिविधियों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। आपसी समझ बढ़ाने, निर्यात ऋग बीमा में मूल सिद्धांतों को विकसित करने एवं उत्पाद ज्ञान, तकनीकी सहित अन्य क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सदस्यों के बीच बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व व्यापार में बर्न यूनियन सदस्यों द्वारा 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि विश्व व्यापार का लगभग 13% है को भुगतान जोखिम से सुरक्षा प्रदान की गई। ईसीजीसी द्वारा बी यू की अल्पावधि समिति की प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व किया गया।

कंपनी, बर्न यूनियन के अल्पावधि, मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) व निर्यात ऋण एजेंसी (ई सी ए) समिति की सदस्य है। इसके अतिरिक्त,

## ई सी जी सी लिमिटेड

Various incentives have been introduced by the Company to encourage and motivate the employees for furtherance of the use of Hindi in their daily office work. There is a provision to provide cash rewards to the officers of the Company for the work done by them in Hindi. The employees were awarded special prizes for best articles published in the Company's inhouse magazine and cash incentives were given to all officers who have contributed with their articles in the magazine.

To encourage employees to use Rajbhasha in their day-to-day official work, employees at Branch Offices, Regional Offices and at Head Office Departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Rajbhasha with its customers has shown a steady growth. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, Branch Offices have started sending emails in Hindi to exporters and bankers. Also, the Website of the Company is available in bilingual.

During the FY 2021-22 various training programs, including a training program for sub-staff, were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. In all training programs conducted by the Company, a separate session on the Official Language Policy is also included.

The meetings of the Official Language Implementation Committee are organized regularly in all the branch offices, regional offices and head office of the Company and the current position of implementation of Official Language Policy is discussed in detail in the respective branch offices, regional offices and departments of the head office. Wherever deficiencies are found, measures are taken to rectify them. In order to give due attention to the implementation of the Official Language Policy in the branch offices and regional offices, inspections are done by the officers of the head office (official language officers) of the Company and the meeting of the all-India Official Language Implementation Committee is also organized in every quarter wherein official language review is done by the senior-most officers of the Company. The implementation of Official Language Policy is discussed by officers in the Head Office Departments, Regional Offices and Branch Offices and proper guidance is provided by senior officials.

The Head Office and various branch offices of the Company such as Thane, Ludhiana, Panipat, Jalandhar, Indore, Visakhapatnam, Kochi, Salem, Bengaluru branch office & S R – II have been awarded by the Ministry of Home Affairs and respective TOLICs.

#### INTERNATIONAL RELATIONS

Since 1957, the Company has been an active member of the Berne Union (BU), also known as the International Union of Credit and Investment Insurers, a leading international association for the export credit and



#### 64th Annual Report - 2021-2022

#### **ECGC** Limited

कंपनी क्षेत्रीय सहायता समूह (आर सी जी), एशिया–पेसिफिक क्षेत्र से सदस्यों की विशेष परिषद, की भी सदस्य है। श्री सुनील जोशी कार्यपालक निदेशक बर्न यूनियन की अल्पावधि समिति के वर्तमान उपाध्यक्ष है।

कोविड – 19 आपदा के कारण बी यू द्वारा आभाषी माध्यम से अपनी बैठकें आयोजित की गई। कंपनी द्वारा एम एल टी समिति की अप्रैल 2021 में आयोजित बैठक, मई 2021 में आयोजित स्प्रिंग बैठक एवं जुलाई 2021 में आयोजित प्रबन्धन समिति की बैठक में भाग लिया गया है।

72वीं आर सी जी बैठक सितंबर 2021 में आयोजित की गई एवं कंपनी का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया। बैठक के दौरान कोविड 19 से प्रभावित व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई।

ईसीजीसी वैश्विक स्तर पर ईसीए के साथ निकटता से कार्य करता है। दिनांक 20 । 21 अक्टूबर 2021 के दौरान जी –12 की आभाषी बैठक आयोजित की गई जिसमें कंपनी की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। इस बैठक में ईसीए के प्रमुखों को कारोबार परिचलन, आपदा के बाद जी 12 ईसीए के बीच आपसी सहयोग, कोविड 19 का वैश्विक असर एवं आपदा से निपटने के लिए नई पॉलिसियों जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा के अवसर प्रदान किए।

कंपनी ब्रिक्स निर्यात ऋण एजेंसी फॉरम जिसमें ए बी जी फ (ब्राज़ील), एक्सियार (रशिया), ईसीजीसी (भारत), सिनोश्युर (चीन) एवं ई सी आई सी एस ए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल है। कंपनी 2012 में गठित निर्यात ऋग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यसमूह का भी सदस्य है।

दिनांक 8 जून 2021 को, कंपनी एवं उज़बेकइन्वेस्ट, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट इन्शुरेंस कंपनी जे एस सी, उज्बेकिस्तान संघ की आधिकारिक निर्यात ऋग एजेंसी के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर अप्रनि, ईसीजीसी एवं श्री आर खालिकोव, फर्स्ट डेप्युटी डाइरेक्टर जनरल, उज़्बेकइन्वेस्ट एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट इन्शुरेंस कंपनी जे एस सी, उज्बेकिस्तान संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य निर्यात ऋग बीमा एवं अन्य संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में साझेदारी एवं सहयोग स्थापित करना एवं निर्यातकों एवं वित्तीय संस्थानों, जो एक-दूसरे देशों को वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात की सुविधा प्रदान करते है, को निर्यात ऋग बीमा सहायता प्रदान करके संयुक्त सहयोग को मजबूत करना है।

दिनांक 27 जुलाई 2021 को, कंपनी ने मोज़ाम्बिक सरकार के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनी, एम्प्रेसा मोकैम्बिकाना डी सेगुरोस (ईमोसे), मोज़ाम्बिक के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस एम ओ यू पर अप्रनि, ईसीजीसी एवं श्री जोआकिम मान्नेटो लांगा, अध्यक्ष एवं सी ई ओ, ईमोसे, मोजाम्बिक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कंपनी एवं ईमोसे के बीच संबंधों के लिए एक सामान्य ढांचा तैयार करना एवं भारत एवं मोजाम्बिक के बीच व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग बढ़ाना है एवं किसी तीसरे investment insurers. The Company was the first Asian member to join the BU and has been closely associated with its activities. The members benefit from continual interaction, exchange of notes, examples of best practices etc., which has been instrumental in enhancing common understanding and developing sound principles in export credit insurance. Collectively, the members provide around USD 2.5 trillion of payment risk protection annually amounting to more than 13% of global cross-border trade.

The Company is a member of the Short-Term (ST), Medium and Long-term (MLT) and Export Credit Agency (ECA) committees of the BU. Additionally, the Company is a member of the Regional Co-operation Group (RCG), a special forum of the BU members from the Asia-Pacific region. Mr. Sunil Joshi, Executive Director is the current Vice-Chair of the ST Committee of the Berne Union.

The BU held its meetings over a virtual platform during the year due to the COVID-19 pandemic. The Company participated in the MLT Committee meeting held in April 2021, Spring Meeting held in May 2021 and Management Committee Meeting held in July 2021.

The 72<sup>nd</sup> RCG meeting was conducted online in September 2021 and the Company was represented by the CMD. The meeting enabled the members to discuss how the outbreak of the COVID-19 pandemic has affected businesses and economies. Further, the measures adopted by the individual members to cope with the increased business risks were discussed.

The Company works in close association with ECAs globally. The virtual meeting of the G-12 Heads of ECAs was held on October 20 & 21, 2021 and the Company was represented by CMD. The meeting provided an opportunity for the Heads of the ECAs to discuss the business trends, post-pandemic cooperation initiatives between G12 ECAs, COVID-19's global impact and new ECA policies introduced to tackle the crisis.

The Company is a member of the BRICS Export Credit Agencies Forum which includes ABGF (Brazil), EXIAR (Russia), ECGC (India), SINOSURE (China) and ECIC SA (South Africa). It is also a member of the International Working Group on export credit which was created in 2012.

On 8<sup>th</sup> June 2021, a cooperation agreement was signed between the Company and UZBEKINVEST Export-Import Insurance Company JSC, the official Export Credit Agency of the Republic of Uzbekistan. The MoU was signed by the CMD, ECGC and Mr. R Khalikov, First Deputy Director General, UZBEKINVEST Export-Import Insurance Company JSC, Republic of Uzbekistan. The subject of this agreement was to establish partnership and cooperation in a wide range of export credit insurance and other related activities and to strengthen joint cooperation by providing export credit insurance support to exporters and financial institutions, which facilitates the export of goods and services to each other's countries.



## 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

देश के लिए परियोजना के रूप में, जहां उपयुक्त हो, अपने संबंधित देशों से वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करना है।

दिनांक 30 दिसंबर 2021 को, कंपनी ने निजी संयुक्त स्टॉक कंपनी 'एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी' (पी जे एस सी ई सी ए), यूक्रेन जो कि यूक्रेन की आधिकारिक निर्यात ऋण एजेंसी है के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर अप्रनि, ईसीजीसी एवं श्री रुस्लान हाशेव, प्रबंधन बोर्ड, पीजेएससी ईसीए, यूक्रेन के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों कंपनियों के बीच संबंधों के लिए एक ढांचा तैयार करना एवं भारत एवं यूक्रेन के बीच व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग बढ़ाना है।

श्री एम सेंथिलनाथन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (अप्रनि), ईसीजीसी, वर्तमान में अप्रीकी व्यापार बीमा (ए टी आई) एजेंसी के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी द्वारा भारत सरकार की ओर से ए टी आई की इक्विटी में लगभग 12 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया गया है। यह निवेश अप्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने में भारत सरकार के रणनीतिक हितों को सुगम बनाता है।

व्यापार को बढ़ावा देने एवं समग्र कारोबारी वातावरण तैयार करने के लिए, कंपनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं ऋण बीमा डोमेन से संबंधित विषयों पर बीयू द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों एवं कार्यशालाओं में भाग लिया गया। इसमें अप्रैल 2021 में अमेरिका में दावों एवं वसूली पर वेबिनार, जून 2021 में कैपेसिटी शेयरिंग मार्केटप्लेस वर्कशॉप, जुलाई 2021 में आयोजित एम एल टी टेक्निकल पैनल वेबिनार, सितंबर 2021 में आयोजित एसएमई स्पेशलिस्ट वेबिनार एवं अक्टूबर 2021 में आयोजित एसटी कमेटी वेबिनार शामिल थे।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा निर्यात ऋग बीमा से संबंधित मुद्दों पर निर्यात विकास कनाडा (मुंबई कार्यालय) के अधिकारियों के साथ एक आभासी मंच के माध्यम से द्विपक्षीय चर्चा की गई।

#### मानव संसाधन व औद्योगिक संबंध

दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी में कुल 569 कार्मिक कार्यरत थे जिनमें 544 कार्यपालक तथा 25 गैर कार्यपालक शामिल हैं। इसमें 152 महिला कर्मचारी शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल के 27% हिस्सा है।

बदलते कारोबारी माहौल एवं बेहतर लागत एवं परिचालन तालमेल के साथ एक शीर्ण सेवा नेटवर्क बनाने के लिए, चेन्नई एवं बेंगलुरु में दक्षिणी क्षेत्र के कार्यालयों को समेकित कर एकल क्षेत्रीय कार्यालय बनाने के लिए विलय कर दिया गया जो बेंगलुरु में स्थित है। दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालयों के इस विलय से दक्षिणी क्षेत्र में हितधारकों एवं ग्राहकों के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पेश कर कंपनी के समग्र प्रदर्शन के एवं बेहतर होने की आशा है।

वर्ष के दौरान, अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा अप्रेंटिशिप योजना का अनुपालन किया गया जहां स्नातक

#### ई सी जी सी लिमिटेड

On 27<sup>th</sup> July 2021, the Company signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Empresa Mocambicana de Seguros (EMOSE), Mozambique, a Government of Mozambique owned general insurer. The MoU was signed by the CMD, ECGC and Mr. Joaquim Maqueto Langa, Chairman & CEO, EMOSE, Mozambique. The objective of this MoU is to create a general framework for the relations between the Company and EMOSE and increase cooperation for stimulating trade and investment between India and Mozambique and, where appropriate, the supply of goods and services from their respective countries as part of a project to a third country.

On 30<sup>th</sup> December 2021, the Company signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Private Joint Stock Company "Export Credit Agency" (PJSC ECA), Ukraine, the official export credit agency of Ukraine. The MoU was signed by the CMD, ECGC and Mr. Ruslan Hashev, acting Chairman of the Management Board, PJSC ECA, Ukraine. This MoU aims to create a general framework for the relations between both the companies and increase cooperation for stimulating trade and investment between India and Ukraine.

Mr. M Senthilnathan, Chairman-cum-Managing Director (CMD), ECGC, presently represents the Republic of India as a Director on the Board of the African Trade Insurance (ATI) Agency. The Company has invested around USD 12 million in the equity of ATI on behalf of the Government of India. This investment facilitates the strategic interests of the Government of India in promoting trade and cooperation with the nations of the African continent.

With a view to fostering trade and supporting the overall business environment, the Company participated in various meetings and workshops organised by the BU on topics related to the international trade and credit insurance domain. This included webinars on Claims and Recoveries in the USA in April 2021, Capacity Sharing Marketplace Workshop in June 2021, MLT Technical Panel Webinar held in July 2021, SME Specialist Webinar held in September 2021 and ST Committee Webinar held in October 2021.

During the financial year, the Company held bilateral discussions, through a virtual platform, with the officials of Export Development Canada (Mumbai Office) on the issues related to export credit insurance.

#### **HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS**

The employee strength of the Company as of March 31, 2022 was 569 which consisted of 544 executive-level and 25 non-executive level employees. This includes 152 women employees constituting almost 27 percent of the total work force.

In light of the changing business environment and to create a leaner service network with improved cost and operational synergy, the Southern Region Offices at Chennai and Bengaluru were merged to create a single regional office which is located at Bengaluru. This merger of the Southern Regional Offices is expected to enhance



#### 64th Annual Report - 2021-2022

#### **ECGC** Limited

प्रशिक्षुओं को औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय परिचालन कार्यपालक (बैक ऑफिस) के स्तर पर कार्य पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई तथा वर्ष के दौरान समूह ख के अंतर्गत 59 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने कार्यग्रहण किया। वित्त वर्ष 2022–23 में कंपनी द्वारा पुनः भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है। कंपनी द्वारा अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत कंपनी में समूह ग के छह उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है।

औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून संबंधी सभी सांविधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया। कंपनी में वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध बने रहे। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने कर्मियों के लिए उनके स्वास्थय, आर्थिक उन्नत्ति सम्बन्धी व्यापक कल्याणकारी सुविधाएँ जारी राखी गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 एवं कंपनी की कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पॉलिसी के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियाँ (आई सी सी सी) उन सभी शाखाओं / कार्यालयों में जहां 10 से अधिक कार्यरत है कार्य कर रही है । एक आई सी सी का गठन प्रका में किया गया है जिसमें प्रका के सभी विभाग, मुंबई स्थिति वे शाखाएँ शामिल है जहाँ कर्मचारी की संख्या 10 से कम है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, इस अधिनियम के तहत दायर मामलों की संख्या शून्य है।

#### प्रशिक्षण

इस परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रशिक्षण की भूमिका काफ्फ़ी म हत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ कारोबार आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों को प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता प्राप्त हो। ये बेहतर निष्पादन के लिए नए कौशल की प्राप्ति तथा वर्त्तमान क्षमता में विकास में सहायतक साबित होती है। वित्त वर्ष 2021 – 22 के दौरान , सभी स्तरों के कर्मचारियों को विभिन्न इन हाउस तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नामित किया गया। समूह क व ख के अधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान पॉलिसी एवं ई सी आई बी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग दावा एवं बीमांकन कार्यशालाओं का अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान शाखा प्रबन्धकों एवं क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। गया। इसके अतिरिक्त कार्मिकों को उनके कार्य के अनुरूप स्पोंसरशिप प्रशिक्षण में नामित किया गया। समूह ग व समूह घ के कर्मियों के लिए मानसिक एवं भौतिक स्वास्थ्य विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

#### दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के रोल्स में 18 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत है। the overall performance of the Company by presenting a unified approach to stakeholders and clients in the Southern region.

During the year, as per the provisions of the Apprentices Act, 1961, the Company implemented a scheme of Apprenticeship where graduate apprentices will be imparted On-the-job training under the trade of Office Operations Executive (Back Office) to prepare them to meet the requirements of the industry.

Recruitment examination to onboard probationary officers for Financial Year 2021-22 was conducted and 59 Probationary Officers in Group B cadre joined the Company during the year. The Company has once again initiated the process of Recruitment of Probationary Officers in the Financial Year 2022-23. The Company also appointed six candidates in Group C cadre under the scheme of compassionate appointment.

All statutory provisions pertaining to industrial relations and labour laws were complied with during the Financial Year 2021-22. Harmonious and cordial industrial relations were maintained throughout the year in the Company. During the year, the Company continued, where necessary, the existing facilities to take care of the employees' health, economic wellbeing, etc.

In accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Company's Policy on prevention of sexual harassment of women at the workplace, the Internal Complaints Committees (ICC) have been functioning in all the branches/offices, employing at least 10 employees. One ICC is functioning at the Head Office which includes all the departments at the Head Office and Mumbaibased branches wherever employee strength is fewer than 10. During the Financial Year 2021-22 no cases were filed under this Act.

#### TRAINING

The role of training has assumed critical importance in today's competitive environment in strengthening and upgrading the skills of officers for efficient performance in their roles. During the Financial Year 2021-22, employees at all levels were nominated to various in-house and sponsored training programs. Claim and Underwriting Workshops were separately organized for both Policy and ECIB sectors at All-India level in the online mode for Group A and Group B employees.

Training Programs were conducted for the Branch Managers and Field Officers during the year. Apart from this, employees were sponsored for various trainings as per their functional area of work. Training to Group C and Group D employees of the Company on mental and physical well-being and stress management was also conducted.

#### **REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY**

The Company endeavours to provide employment to Persons with Disabilities. As of March 31, 2022, the Company had 18 employees on its roll belonging to the



## 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

दिव्यांगजन समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भीगीदारी) ) अधिनियम 1995 के अधीन प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी की सेवा में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण अनुलग्नक V में उल्लिखित है।

#### अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व:

कंपनी में अनु .जा./अजजा. की नियुक्ति तथा आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने 'पद– आधारित रोस्टर प्रणाली' अपनाई गयी है। सीधी भर्ती द्वाराअजा, अजजा, अपिजा एवं ई डब्ल्यू एस कोटे के अंतर्गत भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक VI में उल्लिखित है। अजा, अजजा, अपिजा एवं ई डब्ल्यू एस के प्रतिनिधित्व का विवरण अनुलग्नक VII में उल्लिखित है।

#### सामान्य प्रशासन

- कंपनी का राजस्व एवं पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित एवं संचालित हुआ है.
- सभी शाखा कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार 2. की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी जो अप्रैल, 2012 में समस्त एमएसएमई के लिए बनाई गयी है के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं एवं सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के 25% की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसई से करना आवश्यक है। सरकार ने इस 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों तथा 4% अ.जा. एवं अजजा के स्वामित्व वाली एमएसई से खरीद का उप-लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2021–22, के दौरान, कंपनी द्वारा मार्च 2022 के अंत तक कुल 14.11 करोड़ रु की खरीद की गई जिसमें से 6.02 करोड़ रु (42.66%) की खरीद एम एस एम ई की गई जिसमें से 24.09 लाख रु (4%) की खरीद अजा/अजजा उद्यमियों एवं 54.01 लाख रु (8.97%) की खरीद महिला उद्यमियों के जरिए की गई।
- कंपनी द्वारा वस्तुओं की एक सूची बनाई तैयार की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर एम एस एम ई से खरीदीं जा सकती हैं। एमएसएमई को भुगतान में देरी की कोई भी मामला नहीं है।
- 4. कंपनी ने ई-प्रकाशन नीति का भी अनुपालन किया है जो भारत सरकार की 2012 की ई-खरीद नीति का एक हिस्सा है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से खरीद के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए

## ई सी जी सी लिमिटेड

category of Persons with Disabilities. Details of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under The Rights of Persons with Disabilities, 2016, are furnished in **Annexure V.** 

#### REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND ECONOMICALLY WEAKER SECTION

The Company strictly adheres to rules relating to Reservation for SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In adherence to the relevant instructions from the Government of India, the Company has adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment at different level under reservation for SC, ST, OBC, EWS are furnished in **Annexure VI.** Representation of SCs, STs, OBCs, and EWSs in the total manpower in various cadres as of March 31, 2022 is furnished in **Annexure VII.** 

#### **GENERAL ADMINISTRATION**

- 1. Revenue and Capital expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the annual budget approved by the Board of Directors.
- 2. All the Branch Offices / Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement the Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India Public Procurement Policy framed in April 2012, for all MSMEs mandates that 25% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprises (MSEs). The Government of India has also prescribed a sub-target of 3% procurement of goods and services from women enterprises and 4% from SC/ST entrepreneurs. During the Financial Year 2021-22, the total procurement of the Company at the end of March 2022 stood at ₹14.11 crore, out of which ₹6.02 crore (42.66%) was procured through MSMEs and within MSME procurement worth ₹24.09 lakh (4%) was done through SC/ST entrepreneurs and ₹54.01 lakh (8.97%) was done through women entrepreneurs.
- 3. The Company has identified a list of goods and services which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.
- 4. The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e-procurement policy of 2012 of the Government of India. As per the directions received from the Ministry of Commerce & Industry regarding procurement through Government e-Marketplace (GeM), the Company



जेम (GeM) पोर्टल के साथ पंजीकरण किया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से ₹5.04 करोड़ की खरीद की गई, जो कि वित्तीय वर्ष 2021– 22 के दौरान कंपनी द्वारा ₹14.11 करोड़ की कुल खरीद का 35.72% अधिक है। निर्देशानुसार, मार्च, 2022 तक मासिक खरीद डेटा एमएसएमई संबंध पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

#### भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन

आई आर डी ए आई द्वारा दिनांक 21जनवरी 2020 के परिपत्र सं IRDAI/F&A/CIR/ACTS/023/01/2020 द्वारा सूचित किया गया है कि इंड ए एस 109 जो कि भारत में आई एफ आर एस 17 का अभिमुखी लेखांकन मानक है, बीमा क्षेत्र पर अन्य इंड ए एस के साथ लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आई ए एस बी) द्वारा आई एफफ आर एस 17 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अनुपालन की इसके प्रभावी तिथि पर निर्णय लिया जाएगा। तदनुसार, कंपनी इस विषय पर आई आर डी ए आई के अगले निर्देशों हेतु प्रतीक्षारत है।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

has registered with the GeM portal for on-line procurement of commodities and services. During the FY 2021-22, procurement through the GeM Portal amounted to ₹5.04 crore which is 35.72% of the total procurement done by the Company during the Financial Year 2021-22 amounting to ₹14.11 crore. As per the directive, the monthly procurement data up to March, 2022 is uploaded on MSME Sambandh Portal.

# IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

The IRDAI has vide its circular reference No. IRDAI/ F&A/CIR/ACTS/023/01/2020 dated 21st January 2020, informed that insurers should implement Ind AS 109 and Ind AS equivalent of IFRS 17 simultaneously along with all other applicable Ind AS. The effective date of implementation shall be decided after the finalization of IFRS 17 by the International Accounting Standards Board (IASB). Accordingly, the Company awaits further instructions from IRDAI in this regard.

#### कृते निदेशक मंडल की ओर से

एम सेंथिलनाथन अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डी आई एन – 07376766

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022

#### For and on behalf of the Board of Directors

M. Senthilnathan Chairman-cum-Managing Director DIN 07376766

Place: Mumbai Date: May 25, 2022



## 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

## लंबित सी ए जी पैरा एवं प्रबंधन के प्रत्युतर

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
1.	भाग – ॥ख, वर्ष 2016– 17 के पैरा 1 का उप पैरा (2)	नई दिल्ली में कार्यालय परिसर के अधिग्रहण के लिए 9.36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करना।। (2015–16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा अनुपालन)	लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कंपनी ने एनबीसीसी को ₹55.17 करोड़ का भुगतान किया है। चूंकि वाणिज्यिक आबंटित भवन स्थान कम था तदनुसार वास्तव में देय राशि को कम किया जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा ₹9.36 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। कंपनी ने उत्तर दिया कि दिनांक 02/15/2017 की एनबीसीसी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, इसके पूर्ण होने की अनुमानित अनुबंध तिथि $30/11/2019$ थी। निर्धारित भुगतान अनुसूचित के अनुस– ार अगस्त $2016$ से पहले सभी किश्तों का भुगतान किया गया था एवं एन बी सी सी द्वारा सितंबर $2016$ में, स्थान की कमी के बारे में सूचित किया एवं अंतिम किस्त में समायोजन करने का अनुरोध किया गया। सीएजी द्वारा धन वापसी की स्थिति के बारे में पूछताछ करने पर, कंपनी द्वारा सीए– जी को सूचित किया कि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली ने उनके खाते का मिलान कर लिया है एवं कंपनी को विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में ₹26,74,436/– की कटौती के बाद ₹46,85,803/– वापस कर दिए है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, एनबीसीसी से कई बार मुला– कात की गई एवं इस मुद्दे पर चर्चा की गई। कंपनी के अधिकारियों द्वारा मुल्व के जी गई द्याज राशि की वापसी की मांग की वास्तविकता के बारे में बताया। एनबीसीसी ने तब मामला आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) को विचार के लिए प्रस्तुत किया। हालाँकि, एन बी सी सी ने अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि एमओएचयूए अनुरोध पर सहमत नहीं हुआ है। चूंकि एमओएचयूए ने अनुरोध पर विचार नहीं किया है, कंपनी द्वारा सीएजी से पैरा रद्व करने का अनुरोध किया गया है। इस पैरा पर सी ए जी का उत्तर दिनांक 31– 03–2022 तक प्रतीक्षित था।

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
2.	वर्ष 2016-	(एस ओ ए) भेजने में देरी	लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं को एसओए एक महीने की देरी से भेजा गया था एवं इस प्रकार निधियों का अवरोधन हुआ एवं परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई।

106

## ई सी जी सी लिमिटेड

#### PENDING CAG PARAS AND MANAGEMENT REPLIES

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
1.	Part – IIB, Para 1 Sub Para (2) of year 2016 – 17.	Release of excess amount of ₹9.36 crore for acquisition of office premises at New Delhi. (Com- pliance Audit for the period 2015-16)	Audit observed that the Company paid ₹55.17 crore to NBCC. How- ever, the amount actually payable should have been reduced since the allotted building space for commer- cial was reduced. This resulted into excess payment by the Company to the tune of ₹9.36 crore. The Company replied that as per status report dated 15.02.2017 from NBCC an indicated contractual date of completion was 30.11.2019. All the installments were paid prior to August 2016 as per the prescribed payment schedule and only in Sept 2016, NBCC informed about the re- duction in space and requested to make adjustment in the final install- ment. Upon further queries from the CAG about the status of the refund, the Company informed the CAG that NBCC(India) Ltd., New Delhi had reconciled their account and refund- ed ₹46,85,803/- to the Company af- ter deducting ₹26,74,436/- towards interest on delayed payment. The Company officials met Chief Gen- eral Manager, NBCC on multiple occasions and discussed the issue. The Company officials explained the genuineness of seeking the refund of interest amount charged from the Company. NBCC then had put up the case to the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA) for consider- ation. However, the MoHUA has not agreed to the request as had been informed by NBCC vide their letter. Since the MoHUA has not consid- ered the request, the Company has requested the CAG to drop the para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
2.	Part – IIB, Para1	Delay in sending Statement of Account (SOA) and	Audit observed that SOA for the quar- ter ending March 2017 was sent to the reinsurers with a delay of one month and thus resulted in the block-up of funds and consequent loss of interest.

夏 夏夏夏

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
		करने में देरी एवं विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज नहीं वसूलना। (2016–17 की अवधि के लिए संव्यवहार लेखापरी– क्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	इसके अलावा, कंपनी ने पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा राशि के भुगतान में देरी के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं से ब्याज नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की एवं हानि हुई। कंपनी ने उत्तर दिया कि कंपनी की व्यवसायिक इकाइयों एवं पुनर्बीमा विभाग द्वारा उपयोग किए जा रहे वर्तमान एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर को 2002 में विकसित किया गया था एवं प्रौद्योगिकी के मामले में पुराना एवं अप्रचलित है। जब सिस्टम 2001 में डिजाइन किया गया था, तब पुनर्बीमा लेखांकन एवं पुनर्बीमा से संबंधित रिपोर्टों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कंपनी ने 'प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) के साथ पुनर्बीमा सॉफ्टवेयर सहित 'मुख्य बीमा सॉफ्टवेयर के सुधार' की प्रक्रिया शुरू की है एवं ऐसी सभी विस्तारित कार्यक्षमताओं को सी-डैक द्वारा संशोधित मुख्य बीमा सॉफ्टवेयर में प्रदान किया जाएगा। लेखापरीक्षा द्वारा इसके बाद अपने पत्रों के जरिए कंपनी से नए सॉफ्टवेयर के विकास की स्थिति के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया। कंपनी ने अपने पत्रों के माध्यम से सीएजी को अपडेट किया है कि नया सॉफ्टवेयर विकास उन्नत चरणों में है एवं सॉफ्टवेयर के चरण – 1 के दिसंबर 2022 तक लाइव होने की उम्मीद है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
3.	भाग – ॥ख, वर्ष 2017– 18 का पैरा 2	पुनर्बीमाकर्ता से ₹171.79 करोड़ का पुनर्बीमा हिस्सा प्राप्त करने में विलम्ब। (2016–17 की अवधि के लिए संव्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने ईसीआईबी के तहत विभिन्न बैंकों को एक खाते पर ₹275.22 करोड़ के दावे का भुगतान किया। कंपनी ने उस वित्तीय वर्ष के दौरान ₹40 करोड़ से अधिक के नुकसान को कवर करने के लिए एक पुनर्बीमाकर्ता के साथ अतिरिक्त हानि संधि की थी। कंपनी ने पुनर्बीमाकर्ता से ईओएल संधि के तहत ₹171.48 करोड़ का भुगतान करने की मांग की। कंपनी ने पुनर्बीम कर्ता के साथ कई दौर की चर्चा एवं कई पत्राचार किए एवं सभी दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण उन्हें प्रस्तुत किए। लेकिन, राशि नहीं मिली। कंपनी ने भुगतान में देरी के लिए न तो कोई जुर्माना लगाया एवं न ही राशि की वसूली के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की ।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

S.	Name	Brief	Reporting Status
No.	of the	of the	Reporting Status
110.	Audit	Para	
	Para	i uiu	
	of	delay in	Further, the Company did not charge
	year 2016 – 17.	receiving reinsur- ance balances and not charging	interest to the reinsurers for the de- lay made by reinsurers in paying the amounts which resulted in further loss of interest. The Company replied that the current
		interest for delayed payments. (Transac- tion Audit Inspection Report for the period 2016-17)	Enterprise Resource Planning (ERP) software being used by the Compa- ny's business units and also the Re- insurance department was developed in 2002 and is outdated and obsolete in terms of technology. There was no provision for Reinsurance Accounting and Reinsurance related reports when the system was designed in 2001. The Company has initiated the process of "revamping of the core insurance soft- ware" including the reinsurance soft- ware with "Center for Development of Advanced Computing (C-DAC)" and all such extended functionalities shall be
			delivered in the revamped core insur- ance software by C-DAC.
			Audit vide its letters have thereafter re- quested the Company about the status of the development of the new soft- ware. The Company vide its letters has updated the CAG that new software development is in advanced stages and leg-1 of the software is expected to Go-live by December 2022.
			Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.
S.	Name	Brief	Reporting Status
No.	of the	of the	
	Audit	Para	
	Para		
3.		Delay in receiving the rein- surance share of ₹171.79 crore from Reinsurer. (Transac-	Audit observed that the Company paid a claim on one account under ECIB to various banks amounting to ₹275.22 crore. The Company had Excess of Loss Treaty with a Reinsurer to cover a loss in excess of ₹40 crore during that financial year. The Company demand- ed Reinsurer to pay ₹171.48 crore un- der EOL Treaty. Company had several rounds of discussions and many com-

107

tion Audit

Inspection

Report for

the period

2016-17)

rounds of discussions and many com-

munications with Reinsurer and has

submitted all the documents and clar-

ification to them. However, the amount

has not been received. The Company

has neither imposed any penalty for delaying the payment nor initiated any legal action to recover the amount.
# 64<sup>मं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

. . . .

ľ

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
			कंपनी ने उत्तर दिया कि पुनर्बीमाकृत ने हमेशा पुनर्बीमाकर्ता के साथ सहयोग किया है एवं दावे के निपटान के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण दिए हैं। उपरोक्त के अलावा, कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने पुनर्बीमाकर्ता के अध्यक्ष से मुलाकात की एवं मामले पर विचार किया। तदोपरांत में मामले की सूचना अध्यक्ष, आईआरडीएआई को दी गई एवं कंपनी पुनर्बीमाकर्ता के साथ–साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी कर रही है। वित्तीय सेवा विभाग से एमओसी पत्र की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। कंपनी पुनर्बीमाकर्ता के साथ दावे के निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है एवं सीएजी को सूचित किया गया है कि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा। कानूनी सहारा के विकल्प पर विचार नहीं किया गया है, जो कि कंपनी का अंतिम उपाय होगा एवं सीएजी से पैरा को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। इस पैरा पर सी ए जी का उत्तर दिनांक 31– 03–2022 तक प्रतीक्षित था

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
4.	भाग – ॥ख, वर्ष 2018– 19 का पैरा 5	बैंक कारोबार शाखा (बैंकाशा) एवं निर्यातक कारोबार शाखा (ईबीबी) की वसूली के लंबित बकाया दावों का भुगतान। (2017–18 की अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	सी ए जी ने पाया कि बैंकों एवं निर्यातकों को बैंकों को निर्यात ऋग बीमा/पॉलिसी रक्षा के तहत दावों के निपटान के बाद, कंपनी को निर्यातकों के बैंकों/बैंकों से उस अनुपात के अनुसार निपटान किए गए दावों की वसूली करनी होगी जिसमें कंपनी एवं बैंक / निर्यातक के बीच हानि का वहन किया गया था। । लेखापरीक्षा ने पाया कि दावा आंकड़ों की तुलना में वसूली के आंकड़े बीबीबी द्वारा 8.79% एवं ईबीबी द्वारा 3.20% थे। इसके अलावा, बीबीबी के तहत 80% मामले एवं ईबीबी के तहत 65% मामले 10 वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा ने कंपनी से 10 से अधिक वर्षों से लंबित दावों को बट्टे खाते में डालने, जहां कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है/ कोई संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध नहीं है एवं लंबित दावों की वसूली के लिए आगे कदम उठाए गए हैं, के लिए की गई कार्रवाई को साझा करने का अनुरोध किया। कंपनी ने उत्तर दिया कि बीबीबी से संबंधित मामलों के लिए, प्रत्येक वसूली मामले में तिमाही अनुस्मारक पत्रों एवं व्यक्तिगत बैठको के रूप में वसूली के लिए बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की प्रणाली है।

## ई सी जी सी लिमिटेड

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
			The Company replied that the rein- sured has always cooperated with the reinsurer and given all the documents and clarifications as required for settle- ment of claim. In addition to the above, the Company's Chairman-cum-Man- aging Director called on Reinsurer's Chairman and perused the matter. The matter was thereafter reported to the Chairman, IRDAI and the Company is also following up simultaneously with Reinsurer. The response to MOC letter is still awaited from the Department of Financial Services.
			The Company has been following up for settlement of claim with Reinsurer and informed the CAG that the matter will be resolved amicably. The option of legal recourse has not been exam- ined which will be the last resort for the Company and requested the CAG to drop the para.
			Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
4.	Part – IIB, Para 5 of the year 2018 – 19.	Outstand- ing claims paid pending recovery of Bank Business Branch (BBB) and Exporter Business Branch (EBB). (Com- pliance Audit In- spection Report for the period 2017-18)	The CAG observed that after the settlement of claims to banks and exporters under Export Credit Insurance to Banks / Policy covers, the Company has to recover the settled claims from the banks / banks of the exporters as per the proportion in which the loss was borne between the Company and the bank / exporter. Audit observed that the recovery figures compared to the Claim figures were 8.79% by the BBB and 3.20% by the EBB. Further, 80% of cases under BBB and 65% of cases under BBB were pending for recovery for more than 10 years. Audit requested the Company to share the Action taken to write-off claims pending for more than 10 years where no legal action is initiated/no collateral securities are available and further steps taken to recover the pending claims. The Company replied that for cases pertaining to BBB,



Ù.

1......

......

64 <sup>th</sup> Annual	Report - 2	021-2022

......

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
			वर्तमान में, कंपनी किसी भी दावे को तभी बट्टे खाते में डाल सकती है, जब संबंधित बैंक का प्रधान कार्यालय बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लेता है। इसी तरह, ईबीबी से संबंधित मामलों के लिए, किसी निर्यातक को दावे का भुगतान करने के बाद मामले को वसूली के लिए लिया जाता है। पुनर्विकय/पुन: आयात के कारण भुगतान किए गए दावे को तुरंत बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जबकि दिवाला अथवा चूक के मामले में शाखा मामले में प्रगति की प्रतीक्षा करती है एवं प्रभावी वसूली कार्रवाई के लिए सभी निर्यातकों को समय पर अनुस्मारक पत्र भेजकर निगरानी करती है। कंपनी ने सीएजी को यह भी सूचित किया कि सीएजी द्वारा दावों (10 वर्ष अथवा अधिक) को बट्टे खाते में डालने के लिए दिया गया सुझाव जहां कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है/कोई संपार्श्विक प्रतिभूतियां उपलब्ध नहीं है, आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय में दिशानिर्देश तैयार करने हेतु विचारधीन है। इसके बाद कंपनी ने सीएजी से प्राप्त पत्रों के जवाब में वसूली की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएजी को सूचित किया एवं उनसे पैरा को रद्द करने का अनुरोध भी किया गया। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
5.	भाग – ॥ख, वर्ष 2019– 20 का भाग 1	पुनर्बीमा – कर्ताओं से नकद मांग करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 11.67 करोड़ के ब्याज की हानि हुई (2017 – 18 की अवधि के लिए संव्यवहार लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने कई पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ स्वैच्छिक कोटा शेयर संधियां कीं। जैसा कि अनुबंधों में निर्धारित है, कोटा संधियों के तहत संबंधित पुनर्बीमाधारक के प्रीमियम, कमीशन एवं तिमाही के दावे सहित खातों का विवरण (एसओए) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर पुनर्बीमाकर्ताओं को भेजा जाना है। कैश कॉल पर आर्टिक्ल (संख्या 24) में आगे कहा गया है कि यदि बीमा दावे की राशि 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो पुनर्बीमाकर्ता दस कार्य दिवसों के भीतर पुनर्बीमाकर्ता से भुगतान के लिए अनुरोध कर सकता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निपटाए गए दावों के लिए कोटा शेयर संधि के अधीन कैश कॉल नहीं की,

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
			it had a system of following up with the banks for recovery with quarter- ly reminder letters on each recovery case and personal visits. Presently, the Company can write off any claim only if concerned Bank's Head Office decides to write off the dues. Simi- larly, for cases pertaining to EBB, after the claim is paid to an export- er the case is taken up for recovery. Claim paid on account of resale/ reimport are written off immediately while in case of insolvency or default the branch waits for the progress in the matter and monitors by sending timely reminder letter to all exporters for effective recovery action.
			The Company also informed the CAG that the suggestion given by the CAG for writing off claims (10 years or more) where no legal action is initiated/no collateral securities are available is taken up with the Head Office of the Company for framing necessary guidelines.
			The Company, thereafter, in reply to letters received from the CAG, has updated the CAG about the current status of the recovery and also re- quested them to drop the Para.
			Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
5.	Part – IIB, Para 1 of the year 2019 – 20.	Delay in calling cash from reinsurers resulting into loss of interest amount- ing to ₹11.67 crore (Transac- tion Audit Inspec- tion Report for the period 2017-18)	The Audit observed that the Com- pany entered into Voluntary Quota Share Treaties with multiple reinsur- ers. As stipulated in the agreements, the Statement of Accounts (SOA) including amounts of the respec- tive reinsured's share of premium, commission and compensation of a quarter under Quota Treaties are to be sent to the reinsurers within 60 days from the close of each quarter. It was further stated in article (No. 24) on Cash Call that if the amount of insurance compensation exceeds ₹10 crore, the reinsured may ask the reinsurer for payment within ten working days.

109

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	
सं.	पैरा का नाम			
			हालांकि तिमाही एसओए में भुगतान किए गए दावों के पुनर्बीमा हिस्से को शामिल किया। पुनर्बीमाकर्ताओं पर कैश कॉल के लिए अनुच्छेद 24 को लागू करने में विफलता के परिणाम स्वरूप देय राशि की प्राप्ति में देरी हुई एवं ₹11.67 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सॉफ्टवेयर सहायता के बिना एसओए मैन्युअल रूप से तैयार किए जाते हैं एवं यदि निगम कैश कॉल का विकल्प चुनता है, तो उस विशेष खाते को कोटा शेयर से निकालना पड़ेगा एवं लेखांकन उद्देश्य के लिए अलग से बनाए रखा जाना होगा। स्वचालित कंप्यूटर सिस्टम/सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में प्रत्येक खाते को अलग से बनाए रखना एवं तदोपरांत कोटा शेयर की गणना करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। आगे यह उत्तर दिया गया कि पुनर्बीमा व्यवसाय प्रक्रिया एवं लेखांकन को नई ईआरपी प्रणाली में शामिल किया जा रहा है। ईआरपी सिस्टम के लागू होने पर एसओए समय पर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा, जैसा कि सीएजी ऑडिट टीम द्वारा सलाह दी गई है, कंपनी ने 2018–19 से 10 करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्बीमा दावों के लिए कैश कॉल लागू करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने अपने पत्रों के माध्यम से सीएजी को आगे अद्यतन किया कि आज की तारीख में पुनर्बीमाकर्ताओं से कैश कॉल करने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं हुई है एवं कंपनी ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों एवं पुनर्बीमा टीम को नियमित आधार पर स्थिति की निगरानी करने के लिए सचेत किया गया है। इसलिए कंपनी ने सीएजी से पैरा को हटाने का अनुरोध किया है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।	

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
6.	वर्ष 2019– 20 के लिए भाग IIख, का पैरा 2	निर्यातक द्वारा ऋगदाता बैंक की जानकारी के बिना तीसरे पक्ष को संपार्श्विक प्रतिभूति के हस्तांतरण के कारण	कंपनी द्वारा एक लीड बैंक के साथ 14 बैंकों के एक संघ के लिए पीसी एवं पीएस सहित कुल 813.85 करोड़ रुपये की सीमा को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद कंसोर्टियम बैंकों ने एनपीए एवं आरओडी की रिपोर्ट पहले एनपीए के साथ एक बैंक द्वारा रिपोर्ट की थी, पहला आरओडी एक अलग बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया था एवं पहला दावा दूसरे बैंक द्वारा दर्ज किया गया था। कंपनी की प्रधान कार्यालय दावा समिति द्वारा

## ई सी जी सी लिमिटेड

. . . .

		_	
S.	Name	Brief	Reporting Status
No.	of the	of the	
	Audit	Para	
	Para		
			The Audit further observed that the Company did not make cash calls under quota share treaty for the claims settled during FY2017-18 however included the reinsurance share of the paid claims in the quar- terly SOAs. Failure to invoke Article 24 for raising cash calls on the rein- surers resulted in delay in receipt of the dues and further loss of interest of ₹11.67 crore.
			Management replied that SOAs are prepared manually without software assistance and if the Company is opting for cash call, that particular account should be taken out of the quota share and maintained sepa- rately for the accounting purpose. In the absence of automated computer systems / software it is practically not possible to maintain each account separately and then calculate quota share. It was further replied that the reinsurance business process and accounting is included in the new ERP system and is being developed by C-DAC. On implementation of the ERP system the SOAs would be pre- pared in time.
			Further, as advised by the CAG Au- dit Team the Company has started implementing cash calls for reinsur- ance claims for more than ₹10 crore from 2018-19. The Company further updated the CAG vide its letters that as on date there is no delay in seek- ing Cash Call from the Reinsurers and that the Company has sensitized all its Field Offices and Reinsurance Team to monitor the position on reg- ular basis. The Company therefore requested the CAG to drop the Para.
			Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.
S.	Name	Brief	Reporting Status

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
6.	Part IIB, Para 2 of the year 2019 – 20.	Loss of recovery of ₹47.25 crore due to transfer of collateral security to the	The Company had approved total limit including PC and PS of ₹813.85 crore to a consortium of 14 banks with one lead bank. The consortium banks had thereafter reported NPA and ROD with first NPA reported by a Bank, the first ROD reported by a different Bank and the first claim lodged by another Bank.

Ù.



-

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	
सं.	पैरा का नाम			
		₹294.72	कंसोर्टियम बैंकों द्वारा ₹852.15 करोड़ के	
		करोड़ की	कुल दावे मे से ₹294.72 करोड़ के दावे को	-
		राशि के	ू मंजूरी दी गई थी।	
		निर्यातक पर	इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया	
		दावा भुगतान	कि :	
		में ₹47.25	1. कंसोर्टियम द्वारा ₹225.96 करोड़ के	
		करोड़ की	े लिए कुल संपार्श्विक सुरक्षा प्राप्त की , जिसमें	
		वसूली की	निर्यातक के स्वामित्व वाली दो पवन चक्कियां	
		हानि।	शामिल हैं, जिनकी कीमत ₹63 करोड़ है।	
		(वर्ष	हालांकि, निर्यातक ने बैंकों के साथ पवन	
		2015-18	चक्रियों को कंसोर्टियम बैंकों की जानकारी	
		की अवधि	के बिना एक अलग कंपनी में स्थानांतरित	
		के लिए	कर दिया। चूंकि निर्यातक द्वारा संपार्श्विक	
		लेखापरीक्षा —	परिसम्पत्तियों को लीड बैंक की जानकारी के	
		निरीक्षण अन्यपन्तन	बिना स्थानांतरित कर दिया गया था, इसके	
		अनुपालन रिपोर्ट)	परिणामस्वरूप ₹47.25 करोड़ की वसूली	
		18410)	की संभावना समाप्त हो गई।	
			2. उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य जुलाई 2016	
			में ही प्रकाश में आया; हालांकि, कंपनी ने	
			दावे का अनुमोदन करते समय इस तथ्य	
			पर ध्यान नहीं दिया। इस पर स्पष्टीकरण की	
			आवश्यकता है।	
			3. उपरोक्त तथ्य इंगित करता है कि बैंकों	
			ने उक्त आस्तियों पर साम्यिक बंधक प्रभारों	
			का सृजन नहीं किया। इसके अलावा,	
			र्रे प्रथा प्रथा इराय जलापा, ₹395.82 करोड़ की कुल निवल संपत्ति	
			वाले 15 व्यक्तियों की व्यक्तिगत गारंटी एवं	
			वाला 13 व्यालवा का व्यालगत गारेंदा रव 31.03.2012 को ₹28.51 करोड़ की कुल	
			निवल संपत्ति वाली चार कंपनियों की कॉर्पोरेट	
			गारंटियों को निष्पादित नहीं किया गया था।	
			इस प्रकार, बैंकों की ओर से चूक के कारण,	
			वसूली की संभावना धूमिल है।	
			4. पेशेवर मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन	
			प्रमाण पत्र के अभाव के कारण जीजेडी के	
			निर्यात की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा	
			सकी। बैंकों ने निर्यातक को सरफ्फ्रेसी नोटिस	
			जारी किया जिसके परिणाम प्रतीक्षित था। वही	
			लेखापरीक्षा को सूचित किया जाना है।	
			कंपनी का उत्तर निम्नानुसार है :	
			1. सभी साम्यिक बंधक के मूल स्वत्व विलेख	
			ा. समा साम्यिक बयक के मूल स्वत्य विलख एवं संबंधित दस्तावेज लीड बैंक के पास	
			रप संबाधत दस्तावज लाड बये ये पास उपलब्ध थे। प्रतिभूर्ती पर दावा लागू करने	
			योग्य था। यह भी बताया गया कि लीड	
			याग्य था। यह भा बताया गया कि लाड बैंक ने निर्यातक के खिलाफ बैंकों के पास	
			गिरवी रखी संपत्ति बेचकर धोखाधड़ी करने	
			के लिए आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत	
			दर्ज की थी।	ιL

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

1......

. . . .

S.	Name	Brief	Reporting Status
No.	of the	of the	Reporting Status
	Audit	Para	
	Para		
		third party by the exporter without- knowl-	The Head-Office Claim Committee of the Company approved the claim for ₹294.72 crore against the total claim lodged by consortium banks for ₹852.15 crore.
		edge of lender's	In this connection, audit observed that:
		bank in claim payment against an exporter amount- ing to ₹294.72 crore. (Com- pliance Audit In-	1.The Consortium has obtained aggregate collateral security for ₹225.96 crore including two wind- mills owned by the exporter worth ₹63 crore. However, the exporter transferred windmills with the banks to a different company without con- sortium banks' knowledge. Since the collateral assets were transferred by the exporter without the knowledge of the lead bank, the same resulted in loosing chances of recovery of ₹47.25 crore.
		spection Report for the period 2015-18)	2.The above vital fact came into light in July 2016 itself; however, the Company did not take into consid- eration this fact while approving the claim. This needs justification.
			3. The above fact indicates that the Banks did not create the equitable mortgage charges on said assets. Further, the Personal Guarantees of 15 individuals with aggregated net worth of ₹395.82 crore and Corporate Guarantees of four companies having an aggregate net worth of ₹28.51 crore as on 31.03.2012 were not executed. Thus, due to lapse on the banks side, the recovery chances are bleak.
			4. Due to absence of valuation cer- tificate from the professional val- uers, the authenticity of export of GJD could not be ascertained. The banks issued a SARFAESI notice to the exporter for which outcome was awaited. The same to be intimated to the audit.
			The Company replied as under:
			1. Original title deeds and related documents of all the equitable mort- gage were available with lead bank. Charges on the security were en- forceable. It was also reported that the Lead Bank had filed a complaint with the Economic Offences Wing against the exporter for defrauding them by selling assets mortgaged with the banks.



क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
			<ol> <li>दावों को मार्च 2016 में कंपनी की प्रधान कार्यालय दावा समिति (एचसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था। सितंबर 2016 को दावे के प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी जो एक सतत प्रक्रिया है। यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि लीड बैंक द्वारा सी बी आई को की गयी शिकायत के अनुसार, उधारकर्ता (निर्यातक) ने धोखाधड़ी से संपत्ति बेच दी। उपरोक्त उदाहरण में न तो बैंक एवं न ही कंपनी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।</li> <li>यह नोट किया जा सकता है कि बैंकों के पास अभी भी गिरवी रखी गई प्रतिभूति पर उनके प्रभार है एवं बकाया की वसूली के अधिकार को सुरक्षित है।</li> <li>बैंकों द्वारा स्टॉक ऑडिट किया था एवं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। लेखा परीक्षकों द्वारा कोई बड़ी विसंगतियां नहीं पाई गई। कंपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं करती है; हालांकि, बैंक मंजूरी के समय मूल्यांकन रिपोर्ट लेते हैं। इसके अलावा, निर्यात की प्रामाणिकता का पता शिपिंग बिल, भा रि बैं के एक्स ओ एस / ई डी पी एम एस विवरण एवं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजी प्रमाणों से लगाया गया था। कंपनी द्वारा आगे सीएजी को सूचित किया गया कि उसने लीड बैंक के साथ पुष्टिकी है। लीड बैंक ने पवन चक्की परियोजनाओं के संबंध में सेबी के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है एवं इसके लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद डीएफएस के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसलिए कंपनी द्वारा सीएजी से पैरा रद्व करने का अनुरोध किया गया । दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।.</li> </ol>

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
7.	वर्ष 2019– 20 के लिए भाग IIख, का पैरा 2	कुल वसूली एवं कंपनी को वसूली के आनुपातिक हिस्से की जानकारी के बिना बैकों से प्रेषण। (वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए	लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी के दिशानिर्दे शों के अनुसार, किसी बीमित ऋग के संबंध में वसूली की किसी भी राशि, चाहे वह निर्यातक से हो या किसी अन्य व्यक्ति से, ऐसी वसूली या तो निर्यातक द्वारा या उसकी ओर से की गई हो, को बीमित बैंक एवं कंपनी के बीच उसी अनुपात में है जिस अनुपात में उनके बीच हानि साझा की गई हो। तथापि, निम्नलिखित मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियों को नोट किया गया :

112

## ई सी जी सी लिमिटेड

. . . .

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
			2. The claims were approved by the Company's Head-Office Claim com- mittee (HCC) on March 2016. On September 2016 representation of claim was approved which is an on- going process. It is pertinent to note as per the lead bank complaint to CBI, the borrower (Exporter) fraudu- lently sold the property. In the above instance neither the banks nor the Company should be held account- able.
			<ol> <li>It may be noted that the banks still have their charges on the equitable mortgaged security and preserve the right for recovery of dues.</li> </ol>
			4. The banks had conducted stocks audit and submitted their reports. No major discrepancies were noticed by the auditors. The Company does not obtain valuation report; however, banks do take the valuation report at the time of sanction. Further, the authenticity of the export was ascer- tained from the Shipping bill, XOS / EDPMS statement of RBI and the documentary evidences provided by the banks.
			The Company further informed the CAG that it had confirmed with the Lead Bank. The Lead Bank has not filed any complaint with SEBI with respect to wind mill projects but has declared the account as Fraud and are in process to file complain with DFS after receiving necessary approval for the same. The Company therefore requested the CAG to drop the Para.
			Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.
c	Namo	Briof	Poporting Status

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
7.	2 of the	Remit- tance from Banks without infor- mation of total recovery and pro- portionate share of	The Audit observed that as per the Company guidelines, any amount of recovery in respect of an insured debt whether from the exporter or any other person from whom such recoveries are made either by or on behalf of the exporter is to be shared between the insured bank and the Company in the same proportion as the losses are shared between them. However, following observa- tions were noted during the audit of the following cases:

Ù.

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
		लेखापरीक्षा निरीक्षण अनुपालन रिपोर्ट)	<ol> <li>एक बैंक ने अपने दो खातों में ओ टी एस की सूचना दी। बैंक ने वसूली राशि साझा की है लेकिन वसूली राशि की गणना के लिए विवरण साझा नहीं किए गए है।</li> <li>इसी तरह, एक अन्य बैंक ने सूचित किया है कि उनके एक खाते का निपटान किया गया था एवं बैंक को भुगतान की गई दावा राशि का 40 प्रतिशत रद्द कर दिया गया था। वसूली के स्रोत एवं वसूली हिस्सेदारी की शुद्धता का अनुरोध 1 वर्ष 8 माह के बाद साझा किया गया था।</li> <li>इसी बैंक ने अपने दूसरे खाते में से एक पर वसूली साझा की है। कंपनी के हिस्सेदारी की वसूली का स्रोत एवं गणना पत्रक अभी तक बैंक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि शाखा ने सभी माम लों में बैंकों को वसूली के स्रोत एवं गणना के विवरण का पता लगाने के लिए कई अनुस्म रिक पत्र भेजे है जिसके आधार पर बैंक ने हमारे साथ वसूली साझा की है। कंपनी पत्र के साथ–साथ व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से बैंक के साथ मामले का सख्ती से पालन कर रही है। इसलिए कंपनी ने सीएजी से पैरा को हटाने का अनुरोध किया। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।.</li> </ol>

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
8.	वर्ष 2019– 20 के लिए भाग IIख, का पैरा 3	बैंक से ₹4.92 लाख की कम वसूली। (वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	बैंक द्वारा सूचित किया गया कि उसके एक उधारकर्ता के साथ ₹235.16 लाख की छूट प्रदान करते हुए ₹300.06 लाख की वसूली योग्य देय राशि के विरूद्ध ₹65.00 लाख पर एकमुश्त निपटान किया गया था। बैंक ने गणना पत्रक के साथ वसूली के हिस्से के रूप में कंपनी को ₹28.94 लाख वापस कर दिए। बैंक द्वारा प्रस्तुत गणना पत्रक के सत्यापन में कंपनी ने पाया कि उसके हिस्से की गणना सही नहीं थी। बैंक ने ₹28.94 लाख की राशि प्रेषित की है जबकि कंपनी की गणना के अनुसार यह ₹33.86 लाख थी। ₹4.92 लाख के इस कम भुगतान के बारे में बैंक को सूचित किया गया था एवं कंपनी द्वारा बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित ओटीएस की एक प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

_		_	
S. No.	Name of the	Brief of the	Reporting Status
NO.	Audit	Para	
	Para	. u.u	
		recovery to the Company. (Com- pliance Audit In- spection Report for the period 2018-19)	<ol> <li>A Bank informed about the OTS in two of its accounts. Bank has shared the recovery amount but has not shared the details calculation worked out to arrive at recovery amount.</li> <li>Similarly, another bank has in- formed that one of their account was settled and 40 percent of the Claim paid amount to the bank was refund- ed. Request of source of recovery and correctness of recovery share was called after 1 year 8 months.</li> </ol>
			3. The same bank has shared a re- covery on one of its other account. The source of recovery and calcula- tion sheet of the Company's share is yet to be furnished by the bank.
			Management replied that the branch has sent numerous reminder letters to the banks in all the cases to as- certain the source of recovery and details of calculation based upon which bank has shared the recovery with us. The Company is vigorous- ly following up the matter with the bank through letters as well as per- sonal visit. The Company therefore requested the CAG to drop the Para. Further response from the CAG on
			the para is awaited as on 31.03.2022.
S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
8.	Part IIB, Para 3 of the year 2019 – 20.	Short-re- covery of ₹4.92 lakh from Bank. (Com- pliance Audit In- spection	Bank informed that One Time Settle- ment with one of its borrowers had been done at ₹65.00 lakh against re- coverable dues ₹300.06 lakh, envis- aging waiver of ₹235.16 lakh. Bank refunded ₹28.94 lakh to the Compa- ny as a share of recovery with cal- culation sheet. In the verification of calculation sheet furnished by the Bank, the Company found that cal- culation of its share was not correct. The Bank has remitted an amount of ₹28.04 lakh while as part the Compa



filled in and signed.

Report for

a branch

Company

of the

for the

period

2018-19)

₹28.94 lakh while as per the Compa-

ny's calculation it was ₹33.86 lakh.

This short payment of ₹4.92 lakh

was intimated to the Bank and a re-

quest was made by the Company to submit a copy of OTS duly approved

by Competent Authority of the Bank.

The Company further requested the

Bank to submit recovery format duly

क्र. सं.	लेखा– परीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
			कंपनी ने आगे बैंक से अनुरोध किया कि वह विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित वसूली प्रारूप प्रस्तुत करे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी की उक्त शाखा को उचित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव में बैंक से ₹4.92 लाख की वसूली नहीं हुई है। यदि वसूली के मामलों को शाखा स्तर पर हल नहीं किया जाता है, तो उच्च प्रबंधन स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएजी ने आगे की कार्रवाई के लिए की गई कार्रवाई/उठाए जाने के लिए निर्देश दिए। कंपनी की शाखा द्वारा वसूली के स्रोत एवं गणना के विवरण का पता लगाने के लिए बैंक को कई पत्र एवं अनुस्मारक भेजे हैं, जिसके आधार पर बैंक ने हमारे साथ वसूली साझा की है। कंपनी बैंक के साथ भी संपर्क में है एवं व्यक्तिगत यात्राओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। मामले को आगे बढ़ाने के अनुरोध के साथ विषय मामले को एचओ (वसूली विभाग) को भी भेज दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संदर्भित ज्ञापन के तहत उत्तर को स्वीकार करने एवं उसे बंद करने का अनुरोध किया जाता है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
9.	वर्ष 2020– 21 के लिए भाग ॥ख, का पैरा 1	खरीदार की स्थिति के सत्यापन के संबंध में उचित सावधानी के अभाव के परिणाम स्वरूप दावा भुगतान के माध्यम से ₹107.77 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। (वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए	लेखापरीक्षा ने पाया कि एक पॉलिसी धारक (पीएच) ने रवांडा के एक खरीदार को किए गए पोतलदान के संबंध में दावा दायर किया था। कंपनी के क्षेत्रीय दावा प्रसंस्करण केंद्र (आरसीपीसी) द्वारा चूकों एवं ऋण की पावती के अभाव में, प्रभावी वसूली उपायों एवं वसूली के लिए पर्याप्त कानूनी कार्रवाई के अभाव में दावे को खारिज कर दिया गया था। पीएच द्वारा दावा पुनः प्रस्तुत किया गया। आरसीपीसी ने दावा देर से दाखिल करने, अतिदेय की रिपोर्टिंग में देरी के संबंध में चूक को नोट किया एवं स्वीकार्य राशि पर 25% की कटौती के साथ दावे की संस्तुति की। पीएच के औचित्य पर विचार किया गया क्योंकि यह देखा गया है कि अदालत के आदेश के अनुसार केन्या में स्थित एक कंपनी जो रवांडा में खरीदार की मूल कंपनी भी थी, को पॉलिसी धारक को पॉलिसी जारी होने से 14 दिन पहले दिवालिया घोषित किया गया था। पॉलिसी धारक ने मूल कंपनी के दिवालिया घोषित किए जाने से एक दिन पहले पॉलिसी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि न तो कंपनी एवं न ही पॉलिसी धारक

114

## ई सी जी सी लिमिटेड

S. No.	Name of the Audit Para	the Para	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			Audit observed that the said Branch of the Company has not realized ₹4.92 lakh from the Bank due to lack of proper follow up. If the cas- es of recovery are not resolved at the Branch level, follow up needs to be done at the higher manage- ment level. The CAG requested for Action taken/ proposed to be taken for further follow ups.
			The branch of the Company has sent multiple letters & reminders to the Bank to ascertain the source of recovery and details of calculation based upon which the Bank has shared the recovery with us. The Company is also in touch with bank and following up with the personal visits. The subject case has also been forwarded to HO (Recovery Department) with request to follow up the case.
			In view of the above, it is requested to accept the reply under the re- ferred memo and close the same.
			Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.
S. No.	Name of the	Brief of the	Reporting Status
	Audit Para	Para	
9.	Part IIB, Para 1 of the year 2020 – 21.	Lack of due diligence with respect to verifica- tion of buyer's status result- ed into avoidable expen- diture of ₹107.77 lakh by way of claim payment. (Com- pliance Audit In- spection	Audit observed that a Policy Hold- er (PH) filed a claim in respect of shipments effected to a buyer from Rwanda. The claim was rejected by the Company's Regional Claim Pro- cessing Centre (RCPC) in view of lapses and in absence of acknowl- edgement of debt, effective recovery measures and sufficient legal action for recovery. The PH represented their claim. RCPC noted lapses with respect to late filing of claim, delay in reporting of overdue and recom- mended for deduction of 25% on the admissible amount. Justification of the PH was considered because it has been noticed that as per court order a company situated in Kenya which was also the Parent Company of the buyer in Rwanda was declared insolvent 14 days before the policy was issued to PH.

a branch

Ù.

. . . . . .

क्र. लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप रिपोर्टिंग स्थिति S.	T	N	la
सं. पैरा का नाम No		0	f
स. पराक्षा नाम           अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)         को उक्त खरीदार या खरीदार की मूल कंपनी के बारे में कोई जानकारी थी जो वित्तीय / परिसापान मुद्रों का सामना कर रही थी। परिपोर्ट)           परिपोर्ट)         परिसापान मुद्रों का सामना कर रही थी। परिसापान मुद्रों का सामना कर रही थी। परिपोर्ट)           परिपोर्ट)         परिसाया पर के वाल खरीदार के किए, पांतिरसी धारक केवल खरीदार के कंपनी के आकलन पर निर्भर था क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि यदि खरीदार ठिका जा था था कि खरीदार जोदिमों की बीमांकन के संबंध में मूल निर्णय प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमांकन विभाग (बीयूडी) द्वारा किया जाता है। प्रका-खबीवि भारतीय बैंकों एवं विदेशी बैंकों, क्रण सूचना एजेंसियों, भारतीय दूतावारों / ज्वायोगों, विदेशों में निर्यात- प्रचार संगठनों के कार्यातयों, रेटिंग एजेंसियों अन्य एजेंसियों जैसे स्रोतों से खरीदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। खरीदार के साथ कंपनी के अनुभव, खरीदार के साथ कंपनी के अनुभव, खरीदार के साथ कंपनी के अनुभव, खरीदार के पालि की जी परिसी जारी करने के दौरान, कंपननि के यता निर्देशी जिसो निर्सा निर्देश वैराग, कंपनी के का वोतिसी जारी करने के दौरान, कंपनी के वाल हो (दे बी की रिपोर्ट पर निर्भर थी जिसने सही तस्वीर क्रा की पीर्ट पर निर्भर थी जिसने सही तस्वीनरेश का पालन करते हुए अन्य खोते से भी जानकारी लेनी चाहिए थी। इस्प कार, कंपनी की और से उचित तरपरता की कमी के परिणामस्वरूप पॉतिसी धारक के भुगतान किए गए त्यो के रूप में य107.77 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। कंपनी ने उत्तर दिया कि प्राप्त जिकारी जी और से उचित तरपरता की कमी के परिणामस्वरूप मों वेंसी ने उत्तर दिया कि प्राप्त जिका की और से उचित तरपरता की कमी के परिलाम परा कं पे ने अटन दिवा बा कारी किया गिरी होने के 3 दिन बाद की गईथी। दिवाला घोषणा के अधीन केन्या में स्थित मूल कंपनी ने जोबिकारिक परिसमापन को केन्या में या। उसके बीमाधारक के अधीन जोरिम के शुक्क होने की तारीख से बहुत बाद में था। उसके बाद, खरीदार रवां था एवं स्पी आधिकारिक परिसमापन को केया में मुल कंपनी द्वारा निष्यापित कि या गया जो		A	

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

1......

......

s not rotation between the state of the stat



क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
			अनुमति से परे अलग देश है। पॉलिसी धारक ने केन्या के कानून की अदालत के तहत वसूली के लिए एक डीसीए नियुक्त किया है, जो उसके द्वारा नियुक्त दिवाला के आधिकारिक प्रशासक के अधीन है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने सीएजी से पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया है दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
10.	वर्ष 2020- 21 के लिए भाग IIख, का पैरा 2	बीमित बैंक के साथ उचित संचार की कमी के परिणाम स्वरूप बैंक द्वारा 23.52 लाख रुपये की वसूली में हिस्सा नहीं भेजा गया। (वर्ष 20.18–19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	एक निर्यातक द्वारा की गई चूक के लिए कंपनी की शाखा द्वारा एक बैंक को एक दावे का भुगतान किया गया था, जिसके लिए बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई चूक की रिपोर्ट य1.01 करोड़ थी। कंपनी के दिशानिर्दे शों के अनुसार, दावों के भुगतान के बाद निर्यातक से वसूल की गई किसी भी राशि को कंपनी एवं बैंक के बीच उसी अनुपात में साझा किया जाएगा, जिसमें दावे के निपटारे के समय उनके द्वारा हानि का वहन किया गया था। अभिलेखों से यह पाया गया कि बैंक ने नियर्दातक से ₹1.08 करोड़ की वसूली की, तथापि कंपनी को ₹23.52 लाख का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ। कंपनी के प्रबंधन ने इस अवधि के दौरान बैंक द्वारा की गई कुल ₹1.08 करोड़ की डेटा–वार वसूली का विवरण मांगा। मामला कंपनी के प्रैरान बैंक द्वारा की गई कुल ₹1.08 करोड़ की डेटा–वार वसूली का विवरण मांगा। मामला कंपनी के प्रधान कार्यालय के ध्यान में लाया गया, हालांकि शाखा ने बैंक से वसूली के अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं । बैंक ने कंपनी को सूचित किया कि आज तक कोई वसूली नहीं हुई है, इसलिए वसूली साझा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेखापरीक्षा द्वारा आगे यह नोट किया गया कि बैंक की स्थानीय शाखा के साथ पत्राचार किया गया था। बैंक ने अपने जवाब में कहा कि चूंकि मामला 15 साल पुराना है एवं शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए दावे के बारे में विवरण जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बैंक ने कंपनी के शाखा कार्यालय से विवरण साझा करने का अनुरोध किया। हालांकि लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में कोई एवं विकास नहीं हुआ है। चूंकि बैंक से प्राप्त ₹1.08 करोड़ की वसूली को दर्शाने वाले दस्तावेज कंपनी की फफाइल में उपलब्ध है, इसे आगे की कार्रवाई के लिए बैंक को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

116

Ù.

## ई सी जी सी लिमिटेड

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
			which is a separate country beyond the legislature of Rwanda. The Republic of Rwanda is separate country beyond the permissible of law of Republic of Kenya. PH has appointed a DCA for recovery under the court of Law of Kenya under the Official administrator of Insolvency appointed thereof. Based on the above explanation the Company has request- ed the CAG to close the Para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S. No.	Name of the Audit	Brief of the Para	Reporting Status
	Para		
10.	Part IIB, Para 2 of the year 2020 – 21.	Lack of proper communi- cation with insured bank re- sulted into non-re- mittance of share in the recovery of ₹23.52 lakh by a Bank. (Compli- ance Audit Inspection Report for a branch of The Com- pany for the period 2018-19)	A claim was paid to a Bank by the Branch of the Company for a default made by an exporter against the Re- port of Default reported by the Bank for ₹1.01 crore. As per the Company's guidelines, any amount recovered from the exporter subsequent to payment of claims shall be shared between the Company and the Bank in the same ratio in which the loss was borne by them at the time of settlement of claim. From the records, it was found that the bank recovered ₹1.08 crore from the Exporter however, the Company did not receive its share of ₹23.52 lakh. The Company's management sought details of date-wise recovery made by the bank totaling ₹1.08 crore during the period. The matter was brought to the attention of the Company's Head Office however the Branch did not take any action to get its share of recovery from the Bank. The Bank intimated to the Company that till date no recovery has been effected, hence the question of sharing recovery does not arise. It was further noted by Audit that a cor- respondence was made with the local branch of the Bank. The Bank in its re- ply stated that since matter dates back to 15 years and that the branch has been shifted, the detailed information about the claim was not available. The Bank then requested the Company's Branch office to share the details. Au- dit however observed that no further development has taken in this regard. Since the documents indicating recov- ery of ₹1.08 crore received from Bank is available in the file of the Company, the same should be forwarded to the Bank for further action.

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
			प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि वसूली प्रक्रियाधीन है एवं बैंक को बकाया वसूली साझा करने के लिए पत्र जारी किए। कॉपरिट स्तर की वसूली आरंभ करने की प्रक्रिया के लिए मामले को कंपनी के उच्च प्राधिकारी को भी सूचित किया गया। कंपनी ने पत्र के माध्यम से सीएजी को यह भी सूचित किया कि कंपनी ने वसूली के हिस्से में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज के साथ ₹1,11,58,392/– की वसूली की है। कंपनी ने कैंग से लंबित पैरा को हटाने का भी अनुरोध किया है। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
11.	वर्ष 2020– 21 के लिए भाग IIख, का IIख, का पैरा 3	वसूल की गई राशि के हिस्से में विलम्ब के लिए दण्डात्मक ब्याज प्रावधान का अधिरोपण न करना (वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि एक निर्यातक की चूक पर बैंक को 8.13 लाख रुपये के दावे का भुगतान किया गया था। तत्पश्चात, बैंक द्वारा निर्यातक से ₹25.00 लाख की राशि वसूल की गई एवं कंपनी को ₹4.74 लाख के हिस्से का भुगतान 30 दिनों की निर्धारित अवधि की तुलना में 8 महीने के बाद किया गया। हालांकि, 30 दिनों से अधिक की देरी के लिए ₹4.74 लाख रुपये पर ब्याज राशि का न तो कंपनी द्वारा दावा किया गया एवं न ही बैंक द्वारा प्रेषित किया गया। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि भुगतान किए गए दावे पर कंपनी ने ₹436920/– की वसूली की है क्योंकि पूरी दावा राशि की वसूली नहीं की गई है, अनुस्मारक नोटिस / पत्र भेजा जा रहा है जिसमें कहा गया है कि प्रेषण में किसी भी देरी पर मौजूदा आधार दर पर बैंक ब्याज लग सकता है। शेष भुगतान किए गए दावे की वसूली हर तिमाही में की जाती है। इसी तरह, उसी बैंक की एक अलग शाखा को ≹2375112/– के दावे का भुगतान किया गया था। बैंक द्वारा एक वचनबद्धता पर भी हस्ताक्षर किए गए थे कि वसूली के मामले में, कंपनी के शेयरों का भुगतान बैंक द्वारा वसूली के सात दिनों के भीतर किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर बैंक दर से 5% ब्याज का भुगतान देरी की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर बैंक दर से 5% ब्याज का भुगतान देरी की अवधि के लिए किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने बैंक से विलंब की अवधि के लिए ब्याज के साध ₹10.71 लाख की वसूली राशि के अपने हिस्से को विप्रेषित करने का अनुरोध किया। प्रबंधन ने उत्तर दिया कि भुगतान किए गए दावा पर; कंपनी ने

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
			The Management informed the Audit that the recovery was under process and is- sued letters to the Bank to share the re- covery due thereof. The matter was also intimated to higher authority of the Com- pany for a corporate level recovery initi- ation process. The Company vide letter also informed the CAG that the Company has recovered ₹1,11,58,392/- with penal interest for delay in share of recovery. The Company has also requested the CAG to drop the pending para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
11.	Part IIB, Para 3 of the year 2020 – 21.	Non-impos- ing of penal interest provision for delay in share of recovered amount. (Compli- ance Audit Inspection Report for a branch of the Com- pany for the period 2018-19)	Audit observed that a claim of ₹8.13 lakh was paid to a Bank against the default of an exporter. Subsequently, an amount of ₹25.00 lakh was recovered by the Bank from the Exporter and a share of ₹4.74 lakh was paid to the Company after 8 months against the prescribed period of 30 days. However, interest amount for delay of more than 30 days on ₹4.74 lakh was neither claimed by the Company nor remitted by the bank. Management replied that against the paid claim the Company has recovered ₹4,36,920/- Since the entire claim amount has not been recovered a reminder notice / letter is being sent which states that any delay in remittance may attract interest, at the prevailing base rate of the bank. The recovery for the rest of the claim paid is followed up every quarter. Similarly, a claim of ₹23,75,112/-was paid to a different branch of the same Bank. An undertaking was also signed by the Bank that in case of recovery, share of the Company will be paid by the bank within seven days of recovery failing which interest of 5% over the bank rate will be paid for the period of delay. Audit noted that the Company requested the Bank to remit its share of recovery amounting to ₹10,71 lakh along with interest for the period of delay. Management replied that against the claim paid; the Company has recovered ₹10,71,110/ In order

117

\*\*\*\*\*

# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

## ई सी जी सी लिमिटेड

. . . . .

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	S.
प्र'. सं.	पैखापराक्षा पैरा का नाम			No.
<b>vi</b> .	931 971 919		दंडात्मक ब्याज की वसूली के लिए नोटिस	
			दडात्मक ब्याज को वसूला के लिए नाटिस / पत्र भेजा गया है एवं वसूली की प्रक्रिया	
			7 पत्र मजा गया हु एवं वसूला का प्राक्रया अभी भी बैंक की शाखा के साथ जारी है।	
			लेखापरीक्षा ने वसूली की वर्तमान स्थिति के	
			लखापराक्षा न पसूला का वलम्बित प्रेषण के साथ-साथ कंपनी को विलम्बित प्रेषण के	
			साय-साय फपना को पिलाम्बत प्रवर्ण के लिए ब्याज सहित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि	
			के लिए अनुरोध किया।	
			कंपनी ने अपने पत्र के माध्यम से यह भी उत्तर	
			पर्वेषनी ने अपने पत्र के मोध्यम से यह मा उत्तर दिया कि कंपनी ने निर्यातक के खाते में बैंक	
			ादया 10 प्रयंगा न निवासिय प्र खारा म बय की एक शाखा को ₹8,13,504.00 की राशि	
			के दावे का भुगतान किया है। भुगतान किए गए	
			यो दाव की मुंगतान किया हो मुंगतान कि गए दावे पर कंपनी ने केवल ₹4,36,920/-	
			दाय पर कपना न कपल र४,38,9207- की वसूली की है। चूंकि कंपनी को संपूर्ण दावा	
			निपटान राशि की वसूली नहीं हुई है, इसलिए कंपनी प्रत्येक तिमाही में बैंक से शेष राशि की	
			कपना प्रत्यक तिमाहा में बक से राष शाश का वसूली के लिए रिकवरी रिमाइंडर भेज रही है।	
			पसूला के लिए रिकेयरा रिमाइडर मज रहा हो रिमाइंडर नोटिस / पत्र में कहा गया है कि	
			प्रेषण में किसी भी देरी पर बैंक की मौजूदा	
			आधार दर पर ब्याज लग सकता है। वसूली	
			राशि को कंपनी के साथ उसी अनुपात में	
			साझा किया जाना है जिसमें दावा निपटान के	
			समय कंपनी द्वारा नुकसान उठाया गया था।	
			दावे के निपटान की तारीख के बाद की अवधि	
			के लिए वसूल किया गया ब्याज, यदि कोई	
			हो, को दावे के भुगतान की तारीख से प्रेषण	
			की तारीख तक आनुपातिक रूप से साझा	
			किया जाना है। शेष भुगतान किए गए दावे की	
			वसूली प्रक्रियाधीन है।	
			इसके अलावा, कंपनी ने बैंक की दूसरी शाखा	
			को ₹23,75,112/– के दावे का भुगतान	
			किया है, उक्त दावे भुगतान मूल्य पर कंपनी ने	
			र्रे ₹10,71,110/– की वसूली की है ताकि	
			कंपनी द्वारा भेजे जा रहे शेष दावों की वसूली	
			की जा सके। तिमाही आधार पर बैंक को	
			रिमाइंडर नोटिस / पत्र। दण्डात्मक ब्याज की	
			वसूली हेतु नोटिस/पत्र भेजा गया है। बैंक	
			से वसूली की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बैंक	
			शाखा कार्यालय ने ई–मेल के माध्यम से कहा	
			है कि ओटीएस के तहत उनका वास्तविक	
			् वहन ₹3.09 करोड़ है एवं संकल्पित वहन	
			₹1.20 करोड़ है जिसके लिए बैंक ने वसूली	
			की प्रक्रिया में दंडात्मक ब्याज की छूट का	
			अनुरोध किया है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के	
			आधार पर सीएजी से पैरा को रद्द करने का	
			अनुरोध किया गया था	
			्र दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी	
			से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।	
		I	I	

118

Brief	Reporting Status
of the	
Para	
	the Ormeren is and in a new index of
	the Company is sending reminder no- tice / letter to the bank on quarterly ba- sis. To recover the penal interest notice / letter has been sent and the process of recovery is still continuing with the Branch of the Bank. Audit requested for confirmation of facts and figures along with present status of recovery as well as interest for delayed remittance to the Company. The Company vide its let- ter also replied that the Company has paid claim to a branch of the Bank on account of the Exporter to the tune of amount ₹8,13,504/ Against the paid claim, the Company has recovered ₹4,36,920/- only. Since the Company has not realized the entire claim set- tled amount the Company is sending the recovery reminders to recover the balance amount from the Bank in every quarter. The Reminder notice / letter states that
	any delay in remittance may attract in- terest, at the prevailing base rate of the bank. The recovery amount is to be proportionately shared with the Compa- ny in the same ratio in which the loss was borne by the Company at the time of claim settlement. Interest recovered, if any for the period after the date of settlement of claim, is to be shared pro- portionately from the date of payment of the claim up to the date of remittance. The recovery of the rest of the claim- paid is under process.
	Further, the Company has paid claim to another branch of the Bank amounting to ₹23,75,112/- Against the said claim payment value the Company has recov- ered of ₹10,71,110/ In order to recover the rest of claim the Company is send- ing reminder notice / letter to bank on quarterly basis. To recover the penal in- terest notice / letter has been sent. The process of recovery is still continuing with the Bank. The Bank Branch office vide e-mail has stated that their actu- al sacrifice under OTS is ₹3.09 crore and notional sacrifice is ₹1.20 crore for which the Bank have requested for waiver of penal interest in the process of recovery. Based on the explanation above, it was requested to the CAG to close the para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.
	of the

......

64	<sup>th</sup> Annual	Report -	2021-2022
	Annual	Koport -	

. . . .

क्र. लेखा सं. परीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	S N
12. वर्ष 2020- 21 के लिए भाग IIख, का पैरा 4	टीडीएस/ टीसीएस रिटर्न दाखिल करने में देरी के परिणाम स्वरूप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 ई के तहत लगाया गया जुर्माना (वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी एक वित्तीय वर्ष की एक निश्चित तिमाही के लिए कंपनी की एक शाखा की दूसरी तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न /टीसीएस रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के 10 दिन बाद दाखिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2000/- के विलम्ब शुल्क का भुगतान किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 234ई के प्रावधान में कहा गया है कि कर कटौतीकर्ता (टीडीएस) या कर संग्रहकर्ता (टीसीएस) को निर्धारित नियत तारीखों के भीतर टीडीएस/टीसीएस रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। किसी भी देरी के मामले में, कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता आयकर अधिनियम की धारा 234ई के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस/टीसीएस रिटर्न न भरने/देरी से भरने के लिए विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, अर्थात इस अवधि के दौरान जितने दिन की देरी की जाती है उतने प्रत्येक दिन के लिए रिट्वा खुल्क होगा । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि टीडीएस / टीसीएस रिटर्न देर से दाखिल शुल्क के भुगतान के बिना दाखिल नहीं किया जा सकता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हालांकि, देरी से विवरण प्रस्तुत करने का शुल्क की राशि टीडीएस/ टीसीएस की राशि से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक दिन के लिए रि2000 की राशि देरी से विवरण प्रस्तुत करने का शुल्क है न कि पेनल्टी। इस प्रकार, आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कंपनी को रै2000/- की वित्तीय हानि हुई। प्रबंधन ने जन्तर दिया कि टीडीएस रिटर्न भरने की प्रक्रिया एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को आउट- सोर्स की गई थी। देरी सीए फर्म से हुई जिसके लिए कंपनी पर देर से फाइलिंग शुल्क लगाया गया था। कंपनी ने सेवा में लापरवाही के लिए आउट–सोर्स सीए फर्म को बदल दिया है एव कंपनी ऑडेटर को भविष्य में इस तरह के मुद्दों का ध्यान रखने का निर्देश भी देती है। उपरोक स्पष्टीकरण के आधार पर पैरा को बंद करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से	

Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
Part IIB, Para 4 of the year 2020 – 21.	Delay in fil- ing of TDS/ TCS return resulted into penalty under sec- tion 234 E of Income Tax Act, 1961 (Compli- ance Audit Inspection Report for a branch of the Com- pany for the period 2018-19)	Audit observed that TDS/TCS re- turn for second quarter of a branch of the Company for a certain quar- ter of a Financial year was filed 10 days after the due date for filing the return. This resulted in the payment of a late filing fee of ₹2000/ Provi- sions of Section 234E of Income Tax act states that the Deductor of Tax (TDS) or the Collector of Tax (TCS) is required to file the TDS/ TCS re- turns within prescribed due dates. In case of any delay, the deductor or the Collector would be liable to pay a late fee for non- filling / late filling of TDS/ TCS returns as per provisions of section 234E of the Income Tax Act i.e. at ₹200 for every day during which the failure continues. It is im- portant to mention that TDS/TCS return cannot be filed without pay- ment of late filling fees as discussed above. However, the amount of late filing fees shall not exceed the amount of TDS/TCS. The amount of ₹200.00 for every day is a late filling fees and not a Penalty. Thus, non-adherence of provisions of Income Tax Act resulted in to a fi- nancial loss to the Company to the tune of ₹2000/ Management replied that the pro- cess of TDS return filling was out- sourced to a Chartered Accountant firm. The delay had occurred at the CA firm end for which the late filing fees was levied on the Company. The Company has changed the out-sourced CA firm for negligence in service and the Company also assures the auditor to take care of such issues in future. Based on the above explanation it was requested to close the para. Further response from the CAG on the para is awaited as on

on the para is awaited as on 31.03.2022.

119

. . . .

## ई सी जी सी लिमिटेड

. . . .

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	S. No.	Name of the	Brie of th
13.	वर्ष 2020-	दावे का परिचर्प	दावा के तहत पोतलदान के दौरान एक कृषि उत्पाद निर्यातक के पास ₹12 करोड़		Audit Para	Par
	21 का भाग IIख, का पैरा 1	परिहार्य भुगतान – ₹33.70 लाख (वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	9/14 उत्पाद । नावात्व के पार ( रा. 2 कराइ अधिकतम देयता (एमएल) के साथ कंपनी से निर्यात टर्नओवर पॉलिसी (ईटीपी) जारी की गई थी। यह पॉलिसी 35 प्रतिशत के नो कलेम बोनस (एनसीबी) के साथ साख पत्र (एलसी) व्यापक जोखिम रक्षा के साथ जारी की गई थी। पॉलिसी धारक के पास दस्तावेज़ स्वीकृति पर डी ए 30 दिनों पर रा.00 करोड़ की ऋण सीमा थी। इसके बाद 2 महीने के बाद साख सीमा रद्द कर दी गई एवं खरीदार को कंपनी की खरीदार विशिष्ट अनुमोदन सूची (बीएसएएल) में रखा गया। इसके अलावा पॉलिसी धारक ने पोतलदान के 40 दिनों के बाद एवं कंपनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर चूक की रिपोर्ट प्रस्तुत की। खरीदार द्वारा माल की अस्वीकृति के कारण चूक की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके अलावा, पॉलिसी धारक ने माल के पुनर्विक्रय के लिए अपने एजेंट के माध्यम से दो नए खरीदारों की तलाश की। खरीदारों में से एक डीए की शर्तों पर माल लेने को तैयार था, हालांकि उक्त खरीदार की प्रतिकृल जानकारी के कारण वैकल्पिक खरीदार को पुनर्विक्रय पर कंपनी द्वारा कवर प्रदान नहीं किया गया, दूसरा खरीदार रियायती मूल्य पर एवं डीए की शतौं पर सामान लेने के लिए तैयार था लेकिन वह गुणवत्ता के बारे में सुनिश्चित नहीं था। इसलिए, पॉलिसी धारक ने उन खरीदारों को सामान बेचने का कोई जोखिम नहीं लिया। पॉलिसी धारक ने फिर से मूल खरीदार के साथ बातचीत की एवं खरीदार डी ए शर्तों पर माल की सुपुर्दगी लेने के लिए सहमत हो गया। पॉलिसी धारक ने के लिए सहमत हो गया। एवं भुगतान शर्तों को डी पी से डीए –30 में बदलने को कंपनी की शाखा द्वारा अनुमोदित किया गया। शिपिंग शुल्क का भुगतान करके सुपुर्दगी प्रप्ता की। खरीदार ने उत्पाद की गुणवत्ता के मुद्दों के कारण उक्त पोतलदान के लिए देयता का खंडन किया है एवं भुगतान करने से इनकार कर दिया है। पॉलिसी धारक ने खरीदार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की; हालांकि खरीदार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद खरीदार ने स्थानीय नरीक्षण एर्जेसी द्वारा अपने गोदाम में किए गए निरीक्षण के 2 महीने बाद गुणवत्ता के मुद्दों को उठाया। एर्जेसी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कंटेनरों को खोलते समय, कंसाइनी ने खरब माल एवं जीवित कीडे देखे थे एवं तुरंत निरीक्षण के लिए बुलाया। उक्त दोव को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि ईटीपी पॉलिसी के अपवर्जन 3 (एफ) के अनुसार 'कंपनी किसी भी कारण से उत्तन	13.	Part IIB, Para 1 of the year 2020 – 21.	Avoic able pay- ment claim ₹33.7 lakh (Corr Audit Inspector for a com- pany for the 2019 20)

120

Brief of the	Reporting Status
Para	
Avoid- able pay- ment of claim – ₹33.70 lakh (Com- pliance Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the period 2019- 20)	An agricultural product exporter was holding Export Turnover Policy (ETP) from the Company with Maximum Lia- bility (ML) under the policy of ₹12 crore when the shipment under claim took place. The policy was issued with Let- ter of Credit (LC) comprehensive risk coverage with No Claim Bonus (NCB) of 35 percent. The Policy Holder (PH) was having credit limit of ₹1.00 crore on document against Acceptence-30 (DA- 30) days. Subsequently the Credit Limit was cancelled after 2 months and the buyer had been placed in Buyer Spe- cific Approval List (BSAL) of the Com- pany. Further the policyholder submit- ted Report on default (ROD) 40 days after the shipment was effected and within the timelines prescribed by the Company. The ROD was filed due to non-acceptance of goods by the buyer. Further, the PH searched two new buy- ers through its agent for resale of the goods. One of the buyers was willing to take the goods on DA terms however cover was not provided by the Compa- ny on resale to alternate buyer due to adverse information of the said buyer. The other buyer was ready to take the goods with discounted price and on DA terms however he was not sure of quali- ty. Hence, the PH had not taken any risk to sell the goods to those buyers. PH again negotiated with the original buyer and the buyer agreed to take the deliv- ery of goods on DA Terms and conver- sion of the payment terms from DP to DA-30 was approved by the branch of the Company. As per the shipping line email, buyer (consignee) has taken de- livery after 4 months from the date of the Bill of Lading by paying demurrage and shipping charges applicable. The buyer has refuted the liability for the said ship- ment due to quality issues of the product and refused to make payment. PH had followed up with the buyer; however, no response from the buyer was received. Subsequently the buyer raised quality issues 2 months after inspection done in their warehouse by a local inspection agency. The Agency report clearly men- tioned that at the time of opening the container

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

.....

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	S.	Name
सं.	पैरा का नाम			No	
			होने वाले किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी		Audit
			नहीं होगी जो कि निर्यात किए गए माल की		Para
			प्रकृति में निहित है।' इसके बाद, पॉलिसी		
			धारक ने कंपनी को विभिन्न प्रतिनिधित्व (03		
			प्रतिनिधित्व) प्रस्तुत किए एवं सूचित किया		
			कि खरीदार ने कुल 04 परेषणों में से 03		
			परेषणों की सुपुर्दगी को बिना किसी भी प्रकृति की शिकायत के स्वीकार कर लिया था एवं		
			इसके अलावा सुपूर्दगी आदेशों के अधीन		
			कार्गो को प्राप्त करने के लिए अदायगी भी कर		
			दी गई तथा कंपनी के अनुमोदन से भुगतान		
			की शर्तों को सशोधित कर डी ए-30 दिन		
			किया गया। पॉलिसी धारक ने आगे दोहराया		
			कि बिक्री अनुबंध के अनुसार गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या नहीं थी। इस प्रकार, पॉलिसी		
			काइ समस्या नहां था। इस प्रकार, पालिसा धारक ने कड़ी आपत्ति जताई एवं खरीदार		
			द्वारा की गई गुणवत्ता रिपोर्ट पर अपवाद		
			प्रस्तुत किया, जिसने बिना किसी सूचना		
			एवं/अथवा हमारी सहमति के एकतरफा		
			सर्वेक्षक नियुक्त किया एवं इसलिए, बिक्री		
			अनुबंध के अनुसार कोई वैधता या		
			प्रवर्तनीयता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के तहत पॉलिसी धारक ने खरीदार द्वारा तैयार की गई		
			गुणवत्ता रिपोर्ट की ओर पक्षपाती हुए बिना		
			तत्काल दावे पर विचार करने का अनुरोध		
			किया क्योंकि उनके अनुसार यह रिपोर्ट		
			असंगत है एवं दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।		
			हालांकि, कार्यपालक निदेशक (प्रका) द्वारा		
			इसी आधार पर दावे को खारिज कर दिया गया था। आगे पॉलिसी धारक ने अपने पत्र		
			के माध्यम से चौथा प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया		
			एवं कंपनी से दावे पर पुनर्विचार करने का		
			अनुरोध किया। चूंकि उक्त दावे को दो बार		
			प्रका स्तर पर खारिज कर दिया गया था अतः		
			दावा प्रका (शिकायत) को उनकी आवश्यक		
			कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया गया। शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति (एसीजीसी) ने अपनी		
			बैठक में अस्वीकृति के उपरोक्त आधारों को		
			नोट किया एवं चर्चा की एवं इस आधार पर		
			निर्यातक के प्रतिनिधित्व की सिफारिश की कि		
			खरीदार ने अनुबंध के अनुसार दस्तावेजों को		
			स्वीकार नहीं किया था एवं काफी देरी के बाद		
			डीए शर्तों पर माल स्वीकार कर लिया गया। खरीदार ने श्रीलंका की एक स्थानीय एजेंसी		
			खरादार न श्रालको को एक स्थानाय एजसा द्वारा माल पर गुणवत्ता परीक्षण करवाया।		
			प्रारंभिक निरीक्षण में माल की गुणवत्ता संबंधी		
			कोई समस्या नहीं पाई गई। इसके अलावा		
			समिति का मत था कि निरीक्षण खरीदार द्वारा		
			एकतरफा किया गया था एवं निरीक्षण के लिए		
			चयनित एजेंसी बिक्री अनुबंध के अनुसार नहीं		
			थी। इसलिए, निर्यातक के विरुद्ध गुणवत्ता के पत्ने को नर्नी पाना ना गुकुना है। नाफोन		
			मुद्दों को नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त पर, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि माल की		
			पर, लखापराक्षा द्वारा पाया गया कि माल को गैर-स्वीकृति के बाद निर्यातक ने माल को		
			दूसरे खरीदार को		

e	Brief	Reporting Status
e	of the	
t	Para	
1		
		Subsequently, the Policy Holder made
		various representation (03 represen-
		tations) to the Company and stated
		that the buyer had accepted the deliv-
		ery of 03 consignments out of total 04
		consignments without any complain of whatsoever nature and further the pay-
		ments for the same were duly made to
		release the cargo under delivery order
		and requested for modification in pay-
		ments terms to DA-30 days which was
		made with approval of the Company.
		PH further repeated and reiterated that
		as per the sales contract there were no
		quality issues. Thus, PH strongly object-
		ed and took exception to the quality re-
		port made by the buyer who unilaterally appointed surveyor without any intima-
		tion and/or our consent and hence, has
		no validity or enforceability as per sales
		contract. Under the aforesaid facts the
		PH requested to consider the instant
		claim without being biased towards the
		quality report made by the buyer as the
		same suffers from inconsistency and is
		not in accordance with the guidelines. However, the claim was further rejected
		based on the same ground by ED (HO).
		Further the PH made fourth represen-
		tation vide his letter and requested the
		Company to reconsider the claim. Since
		the subject claim was rejected twice at
		HO level the claim was submitted to HO
		(Grievance) for their necessary action.
		The Apex Customer Grievance Com- mittee (ACGC) in its meeting noted and
		discussed the above grounds of rejec-
		tion and recommended the exporter's
		representation on the ground that Buy-
		er had not accepted the documents as
		per the contract and after considerable
		delay accepted the goods on DA terms.
		The buyer got quality test conducted
		on the goods by a local agency from Sri Lanka. The preliminary inspection
		had reported no quality issues on the
		goods. Further the Committee opined
		that inspection was carried out unilater-
		ally by the buyer and the agency select-
		ed for inspection was not as per sales contract. Therefore, the quality issues
		contract. Therefore, the quality issues cannot be held against the exporter.
		On the above, audit observed that after
		non-acceptance of goods the exporter

121

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	S.
. सं.	पैरा का नाम			No.
			बेचने की कोशिश की जो रियायती मूल्य के	
			साथ माल लेने के लिए तैयार था लेकिन डीए	
			की शर्तों के साथ एवं वह गुणवत्ता के बारे	
			में सुनिश्चित नहीं था। पॉलिसी धारक ने उक्त	
			ु खरीदार को माल बेचने का कोई जोखिम नहीं	
			लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल खरीदार	
			द्वारा किया गया निरीक्षण प्रामाणिक एवं सटीक	
			था। इस प्रकार, ईटीपी पॉलिसी के अपवर्जन	
			3(एफ) के अनुसार ₹33.70 लाख के दावे	
			पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। कपनी	
			ने उत्तर दिया कि निर्यातक ने एक ही आदेश	
			पर कुल चार पोतलदान किए एवं खरीदार	
			ने पहले तीन पोतलदान की सुपुर्दगी ली एवं	
			समय पर भुगतान भी किया गया। हालांकि,	
			खरीदार ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण चौथे	
			पोतलदान ₹37,45,232/- की सुपुर्दगी में	
			लेने में देरी की। चौथी पोतलदान के लिए भगनान की भर्नों को भी निष्ण की पर्व	
			भुगतान की शर्तों को भी निगम की पूर्व स्वीकृति से डीपी से डीए में परिवर्तित किया	
			गया। चौथे पोतलदान की सुपुर्दगी लेने के	
			बाद खरीदार ने एकतरफा रूप से श्रीलंका	
			के एक सर्वेक्षक द्वारा गुणवत्ता परीक्षण किया,	
			जो एक स्थानीय एजेंसी है, न कि अनुबंध में	
			उल्लिखित एजेंसी। उपरोक्त एजेंसी की प्रारंभिक	
			रिपोर्ट के हवाले से खरीदार ने इन्वाइस राशि	
			का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यहां	
			यह भी उल्लेखनीय है कि निर्यात की गई वस्तु	
			चावल थी, यदि गुणवत्ता मानव उपभोग के	
			लिए अनुपयुक्त थी, तो श्रीलंकाई सीमा शुल्क	
			विभाग ने अनुमति नहीं दी होती। चावल की	
			सेल्फ लाइफ भी 2 वर्ष से अधिक होती है।	
			निर्यातक ने बिक्री अनुबंध के अनुसार उसी	
			निरीक्षण एजेंसी द्वारा वजन एवं गुणवत्ता के	
			पूर्व–निरीक्षण प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए एवं	
			वह खरीदार एवं विक्रेता दोनों द्वारा मानक	
			एवं सहमत मापदंडों के अनुपालन में था। उपरोक्त तथ्यों से, यह बहुत स्पष्ट था कि	
			उपराक्त तथ्या स, यह बहुत स्पष्ट था ाक उनकी वित्तीय कठिनाई के कारण, खरीदार	
			जनका विसाय काठनाइ के कारण, खरादार ने गुणवत्ता के मुद्दों का हवाला देते हुए चौथे	
			पोतलदान के लिए भुगतान करने से बचने की	
			कोशिश की। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि	
			निर्यातक 4 वर्षों से हमारा पॉलिसी धारक है	
			एवं उसने कुल ₹60.57 लाख का प्रीमियम	
			का भुगतान किया था एवं यह उनका पहला	
			दावा था। तदनुसार, ₹33.70 लाख के दावे	
			का भुगतान उचित था। इसलिए कंपनी ने	
			सीएजी से इस पैरा को हटाने का अनुरोध	
			किया है।	
			दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी	
			से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।	

122

## ई सी जी सी लिमिटेड

Name	Brief	Reporting Status
of the	of the	Reporting Status
Audit	Para	
Para	. uiu	
		tried to sell the goods to another buyer
		who was ready to take the goods with discounted price but DA terms and he was not sure of quality. The PH had not taken any risk to sell the goods to the said buyer. It seems that the inspection carried out by the original buyer was authentic and accurate. Thus, the claim amounting to ₹33.70 lakh should not have been considered as per the Exclusions 3(f) of ETP Policy.
		The Company replied that Exporter had effected a total of four shipments against the same order and buyer had taken delivery of first three shipments and also realized payments in time. However, the buyer had delayed in taking delivery of the fourth shipment for ₹37,45,232/- due to financial difficulties. The terms of payment for the fourth shipment was also converted from DP to DA with prior approval of the Company. The buyer after taking delivery of the fourth shipment unilaterally got the quality test done by a surveyor from Sri Lanka, a local agency and not the agency mentioned in the contract. On the pretext of the above agency's preliminary report, the buyer declined to honor the invoice amount. It may also be mentioned here that with the exported commodity being rice, had the quality been unfit for human consumption, the Sri Lankan customs would not have allowed customs clearance. The shelf life of Rice is also more than 2 years. Exporter also obtained pre-inspection certificates of weight and quality by the same inspection agency as per sales contract and the same was in compliance to the standard and agreed parameters by both the buyer and seller. From the above facts, it was very clear that due to their financial difficulty, the buyer tried to avoid making payment for the fourth shipment by citing quality issues. It may also be mentioned here that the exporter had been our policy holder for 4 years and had remitted a total premium of ₹60.57 lakh and this was their first claim. Accordingly, the payment of claim of ₹33.70 lakh was in order. The Company therefore requested the CAG to drop the para.

Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

.....

क्र. सं.	लेखापरीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	S. No.	Name of the	Brief of the	
14.	वर्ष 2020- 21 का भाग	11.76 लाख रुपये की	पोतलदान के समय एक निर्यातक के पास अधिकतम देयता 10 करोड़ रु के निर्यात		Audit Para	Para	
	11ख, का पैरा 2	राशि के लिए एक निर्यातक को परिहार्य दावा भुगतान। (वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए कंपनी की एक शाखा के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	पण्यावर्त पॉलिसी (ईटीपी) पॉलिसी थी। पॉलिसी साख पत्र व्यापक जोखिम के साथ 25 प्रतिशत अदावा छूट (एन सी बी) के साथ जारी की गई थी। पॉलिसी धारक के पास कंपनी अनुमोदित दस्तावेज़ स्वीकृति पर 90 दिन (डी ए –90) भुगतान शर्तों पर 20 लाख रु की साख सीमा उपलब्ध थी। निर्यातक द्वारा चूक की रिपोर्ट दर्ज करने पर उक्त सीमा को रद्द कर दिया गया। पॉलिसी धारक द्वारा 90 दिनों की खुली सुपुर्दगी की शर्तों पर कुल 15.47 लाख रूपये के मिश्रित बुने वस्त्रों के चार पोतलदान किए गए। पॉलिसी धारक द्वारा खरीदार के आयात विभाग के कर्मचारी से ईमेल के जरिये चार इनवॉइस पर भुगतान की मांग की गई जिसे सम्बंधित कर्मचारी द्वारा आगे की पुष्टि हेतु लेखा विभाग को अप्रेषित किया गया। आगे, उक्त इन्वाइस का भुगतान प्राप्त न होने पर पॉलिसीधारक द्वारा ऋग वसूलीकर्ता एजेंसी एम एन एस क्रेडिट (डी सी ए) से संपर्क किया एवं डी सी ए द्वारा पुष्टि की गई कि खरीदार की कंपनी व्यवसाय में सक्रिय है परंतु डी सी ए के जरिए कोई वसूली नहीं की जा सकी। इसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा पुनः मामले पर विचार हेतु कंपनी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया एवं बहैक द्वारा भुगतान निर्देशों के साथ इन्हें सीधे ग्राहक को अग्रेषित किए गए। यह पर्याप्त रुपते की बक्त की र'उक्त दावे संबंधी शिपिंग दस्तावेजों को बैक को प्रस्तुत किया गया। '' आगे, निर्यातक के खाते के स्थान पर किसी अनजान व्यक्ति किए गए। यह पर्याप्त रुप से प्रमाणित है कि खरीदार द्वारा ब्रैक के निर्देशों का उल्लंघन किया गया एवं हैकर द्वारा दिए गए अनुरोध पर भुगतान किया गया।'' आगे, निर्यातक के खाते के स्थान पर किसी अनजान व्यक्ति तारेक अल्लोनी के खाते में अंतरित कर दी गई है। उपरोक्त से, यह निष्कर्ष निकाला गया कि खरीदार द्वारा भुगतान हैकर के खाते में किया गया इसलिए निर्यातक को संबन्धित कर्मचारी का इमेल हैक हो गया था एवं निर्यात के भुगतान किसी अन्य खाते में अंतरित कर दी गई है कि निर्यात्तक के संबन्धित कर्मचारा ना कि खरीदार द्वारा भुगतान निर्ं मां की या नि खरीदार द्वारा भुगतान निर्ं मा गा कि खरीदार द्वारा भुगतान निया गया हे। उपरोक्त के साधार पर, यह पाया गया के खरेदार द्वारा भुगतान किया गया मा के खरेदार द्वारा भुगतान निय्ताक के भात ने भि के सात र दारा ने किया गया अतः भुगतान को प्राप्त दाने स्ही मा गया करा भुगतान के प्राहिस्त हो गए। इस खरेदार द्वारा भुगतान निया	14.	Part IIB, Para 2 of the year 2020 – 21.	Avoid- able claim pay- ment to an ex- porter for the amount of ₹11.76 lakh. (Com- pliance Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the period 2019- 20)	An er Turnor ny wir crore took   Letter 25 pe also   Docu 90) d the C again 90 d alakh. again 90 d 90 d 90 d 90 d 90 d 90 d 90 d 90 d

;	Brief	Reporting Status
)	of the	
	Para	
	Avoid- able claim pay- ment to an ex- porter for the amount of ₹11.76 lakh. (Com- pliance Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the period 2019- 20)	An exporter was holding an Export Turnover Policy (ETP) with the Compa- ny with a Maximum Liability (ML) of ₹10 crore when the shipment under claim took place. The policy was issued with Letter of Credit (LC) comprehensive risk coverage with No Claim Bonus (NCB) of 25 per cent. The Policy Holder (PH) was also having credit limit of ₹20 lakh on Document against Acceptance - 90 (DA- 90) days which were duly approved by the Company. The limit was cancelled on submission of Report on Default (ROD) by the Exporter. The PH has effected four shipment of Mixed Woven made ups to the buyer against term of Payment (TOP) OD- 90 days for total gross value of ₹15.47 lakh. The PH has asked for payment against the outstanding 04 invoices via email and the same was received by one employee of the import department of the buyer and sent the same to their accounts department for further con- firmation. Further, after non-receipt of payment of the said four invoices the PH contacted the Debt Collecting Agen- cy (DCA) - MNS Credit and the DCA has confirmed that the buyer company is active as on date but no recovery has been made by the DCA. Further, the PH again represented the case to the Company for consideration and stated that "the shipping document covering the above claim was lodged to the Bank for discount and they have forwarded it to the customer directly along with their instruction for mode of payment. It is quite evident now that the customer has violated the Bank's instruction and made the payment as requested by the Hack- er". Further, the exporter vide their email to the DCA also pointed out that the buy- er had actually remitted the amount to some unknown person called Tarek Al- louni instead of the exporter's company. From the above, it was evident that the payment was made by the buyer to the account provided by the hacker and the amount was not received by the export- er. Several e-mail correspondences also indicated that the email of the designated employee of the exporter had been hacked and the export proceed



### 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

क्र.

सं.

#### S. लेखापरीक्षा पैरा का संक्षेप रिपोर्टिंग स्थिति No. पैरा का नाम मास्करेडिंग, ईव्सड्रॉपिंग, फिशिंग आदि जैसी घटना को व्यापक रूप से साइबर अपराध जाना जाता है। चूंकि साइबर अपराध को 'ऑम्निबस क्लॉज' के तहत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इन घटनाओं को उचित फायरवॉल सिस्टम एवं बीमित व्यक्ति एवं/ अथवा खरीदार के उचित सावधानी बरतने पर इसे होने से रोका जा सकता था' एवं पॉलिसी बांड की धारा12 (घ) (ii) के अनुसार भी इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। उपरोक्त शर्तों लागू करके पॉलिसीधारक को किए गए 11.76 लाख रु के दावे के भुगतान से बचा जा सकता था। कंपनी द्वारा पत्र के माध्यम से सीएजी को उत्तर दिया गया कि निर्यातक ने खरीदार को कुल ₹2.76 करोड़ के कुल मूल्य के लिए 57 पोतलदान किए एवं चूकाधीन पोतलदान से पहले सभी के भुगतान प्राप्त किए थे। खरीदार को निर्यातक के बैंक से अपने खाते में भुगतान करने के निर्देश के साथ सभी शिपिंग दस्तावेज भी प्राप्त हुए थे, जिसका बैंक के बिल आवरण अनुसूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। खरीदार द्वारा डीसीए को प्रदान किए गए प्रथम अनुलग्नक (स्विफ्ट संदेश) से, यह पाया गया कि लाभार्थी विवरण नहीं दिए गए हैं एवं केवल खाता संख्या का उल्लेख किया गया है जबकि किसी भी भुगतान निर्देश के लिए लाभार्थी का नाम एवं खाता संख्या लिखना अनिवार्य है। खरीदार द्वारा डीसीए को प्रदान किए गए दूसरे अनुलग्नक से, जहां खरीदार एक अलग बैंक से राशि वापस मांग रहा है, खरीदार ने फ़ील्ड संख्या 59 में तारेक अलौनी के रूप में नाम लिखा है। जो दर्शाता है कि खरीदार ने तारेक अलौनी नाम के एक अज्ञात व्यक्ति को भुगतान किया था एवं इस तथ्य से अवगत था। खरीदार द्वारा अपने विधिक विभाग के पत्र के माध्यम से धोखाधड़ी के तथ्य को भी स्वीकार कर लिया एवं खरीदार ने साउथ वेल्स पुलिस में भी ऐसी शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि खरीदार भुगतान करने से पहले सामान्य सावधानी एवं विवेक का पालन करने में विफल रहा एवं निर्यातक को भुगतान करने में चूक की गई। आगे यह भी नोट किया जा सकता है कि निर्यातक 15 वर्षों से हमारा पॉलिसी धारक है एवं उसने कुल ₹2.25 करोड़ का प्रीमियम प्रेषित किया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष ग्राहक शिकायत समिति द्वारा ₹11.76 लाख के दावे का निपटान उचित है। कंपनी ने लेखापरीक्षा से उपरोक्त तथ्यों एवं टिप्पणियों को स्वीकार करने का भी अनुरोध किया एवं संबंधित लेखापरीक्षा पैरा को रद्द का अनुरोध किया है।

दिनांक 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

124

### ई सी जी सी लिमिटेड

	News	Duist	Demonstring Otation
	Name of the	Brief of the	Reporting Status
	Audit	Para	
	Para	I ala	
			Further, if the amount has been fraud-
			ulently paid to someone by the buyer, it might be considered as cyber fraud. Hence, the claim should not have been considered as per the Clause 4.21.2 (Om- nibus Clause-Interpretation) of the Com- pany guidelines which inter-alia state that "the occurrence of event such as hacking, masquerading, eavesdropping, phishing etc. broadly known as Cyber-crime is not
			to be considered under 'Omnibus Clause' as these events could have been prevent- ed from its occurrence with proper firewall systems and by due diligence of the in- sured and/or the buyer" and also as per clause 12(d)(ii) of the policy bond. The payment of claim amounting to ₹11.76 lakh to the PH could have been avoided by invoking the above clauses.
			The Company vide letter replied to the CAG that the Exporter had effected a to- tal of 57 shipments to the buyer for a total value of ₹2.76 crore and realized payment prior to shipment under default. The buyer had also received all shipping documents from The Exporter's bank with instructions to pay to their account which was clear- ly mentioned in the bank's bill covering schedule.
			From the 1 <sup>st</sup> attachment (swift message) as provided by the buyer to DCA, it was observed that the Beneficiary details are missing and only the account number is mentioned when it is mandatory to write the beneficiary name and account number for any payment instruction. From the 2nd attachment as provided by buyer to DCA where the buyer is calling back the fund from a different bank, the Buyer has written the name as Tarek Allouni in the field no. 59, which shows that the buyer had made payment to an unknown person named Tarek Allouni and was aware of the fact. The buyer had also accepted the fact of fraud via their legal department letter and as such The Buyer had lodged a complaint with South Wales Police also. It seems the buyer had failed to take normal care and prudence before remitting the payment and defaulted in paying the exporter. It may further be noted that the exporter had been our Policy holder for 15 years and had remitted a total premium of ₹2.25 crore. Keeping in view of above facts, the settlement of claim of ₹11.76 lakhs by the Apex Customer Grievance Committee is in order. The Company also requested audit to accept the above facts and comments and requested for drop-
			ping of related audit para.
J			Further response from the CAG on the

Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

......

......

64 <sup>th</sup> Annual Re	port - 2021-2022

.....

. ....

100

Ŧ	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति	S.	Name	Brief	
क्र. 		परा का संक्षप	रिपाटनस्थात	-	of the	of the	
सं.	पैरा का नाम				Audit	Para	
15.	वर्ष 2020-	प्रदत्त दावे	लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्रदत्त दावों पर		Para		
	21 के पैरा 3	की वसूली के	की गयी वसूलियों को उसी अनुपात में कंपनी	15.	Part	Out-	Audit
	भाग <b>।।</b> ख,	लिए बकाया।	के साथ साझा किया गया है जिस अनुपात में हानि साझा की गयी थी। कंपनी द्वारा शामिल		IIB,	stand-	made
		(2019-20	जोखिमों के उचित विस्तार की अपेक्षा की		Para	ing for	shared
		की अवधि के	जाती है। अतः निर्यातक के लिए आवश्यक		3 of	recov-	propor
		लिए कंपनी	है कि वह उसके द्वारा अग्रिम भुगतान एवं		the year	ery of Claim	The C risks ir
		की शाखा	भारत में पुष्टि किए जाने वाले साख पत्र पर		2020	paid.	require
		के लिए	किए गए भुगतानों के अलावा पॉलिसी अवधि		- 21.	(Com-	may b
		अनुपालन	के दौरान किए गए सभी पोतलदानों पर बीमा			pliance	period
		लेखापरीक्षा	रक्षा प्राप्त करे। जब वस्तुएँ एक समान प्रकृति			Audit	vance
		निरीक्षण	की न हो तो अपवर्जन संभव है। जब निर्यातक			Inspec-	of crea Exclus
		रिपोर्ट)	प्रीमियम दरों की पुष्टि करता है एवं अधिकतम			tion Report	items
			देयता के आधार पर निर्धारित अनुसूची के अनुसार वापस न लौटाए जाने वाले शुल्क			for a	Comp
			अनुसार पापस न लोटोए जान वाल शुल्क की अदायगी करता है तो कंपनी पॉलिसी			branch	porter
			जारी करती है। दावा तब उत्पन्न होता है जब			of the	mium
			पॉलिसी के अधीन बीमाकृत जोखिम उत्पन्न			Com-	policy ing to
			हो। सामान्यतया हानि के घटित होने के चार			pany for the	when a
			माह के पश्चात दावा देय होता है। कुछ मामलों			period	policy
			में दावे को हानि के 60 प्रतिशत तक अनुग्रह			2019-	is pay
			आधार पर अदा किया जाता है जब पॉलिसी			20)	date o
			के अधीन कुछ आवश्यकताओं पर छूट प्रदान				cases,
			किया जाना आवश्यक हो।				tia bas the los
			कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय के लेखा परीक्षा				quired
			के दौरान, लेखा परीक्षक द्वारा पाया गया				, During
			कि कंपनी के निर्यातक शाखा एवं बैंक				gional
			कारोबार शाखा के विभिन्न प्रकार के ग्राहकों				Audit
			से पोतलदान आधारित पॉलिसियों के अधीन				standi
			प्रदत्त दावों पर बड़ी मात्रा में वसूलियाँ की जानी हैं। लेखा परीक्षकों ने पाया कि निर्यातक				under
			आना हा लखा पशक्षका न पाया कि नियातक शाखा में तत्काल अगले वित्त वर्ष तक ग्राहकों				the dif
			से की जाने वाली वसूलियों में ₹54.06				Export Branch
			करोड़ रु से बढ़ कर ₹113.68 करोड़ रु होने				claims
			की संभावना है। आगे तीन वर्ष पुराने ग्राहक से				the cu
			प्राप्त किया जाने वाला शेष ₹31.17 करोड़				crore t
			बकाया है। लेखा परीक्षकों द्वारा यह भी पाया				next F
			गया कि 12 महीनों के लिए ₹32.12 करोड़				Brancl
			के दावा बकाया शेष हैं। बैंक कारोबार शाखा				tomers
			के संबंध में कुल ₹14.08 करोड़ के दावा				also o
			बकाया शेष हैं जिसमें से ₹12.04 करोड़ ₹1				claims
			से 6 माह, एवं ₹2.08 करोड़ ₹1 वर्ष के हैं। लेखा परीक्षक द्वारा प्रबंधन से अनुरोध किया				12 mc
			लखा पराक्षक द्वारा प्रबंधन स अनुराध किया गया कि निर्यातक शाखा एवं बैंक कारोबार				ness E ₹14.08
			गया कि नियातक शाखा एव बक काराबार शाखा से इतनी बड़ी मात्रा में बकाया दावों की				is betw
			गैर वसूली का क्या कारण है। आगे प्रबंधन				crore
			द्वारा बकाया दावों की राशि की वसूली के लिए				manag
			किए जाने वाले उपायों को लेखा परीक्षकों के				reasor
			साथ साझा करने का अनुरोध किया गया।				standi
			कंपनी के प्रबंधन का उत्तर था कि उक्त आंकड़े				Export Brancl
			वास्तव में बकाया दावों की अवधि के आधार				to be t
			पर है यथा लंबित दावे, जिन पर निर्णय अभी				covery
			शेष है।				may b

Brief of the	Reporting Status
Para	
Out- stand- ing for recov- ery of Claim paid. (Com- pliance Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the period 2019- 20)	Audit observed that the recoveries made after the payment of claim are shared with the Company in the same proportion in which the loss was borne. The Company expects a fair spread of risks involved. Therefore, an exporter is required to insure all the shipments that may be made by him during the policy period except those made against ad- vance payment or irrevocable letters of credit - confirmed by banks in India. Exclusions are however possible where items are not of an allied nature. The Company issues the policy after the ex- porter conveys his consent to the pre- mium rates and pays a non-refundable policy fee as per schedule fixed accord- ing to maximum liability. A claim arises when any of the risks insured under the policy materializes. Generally, a claim is payable after four months from the date of the event causing loss. In some cases, claims will be paid on an ex-gra- tia basis to the extent of 60 percent of the loss where some requirement is re- quired to be waived. During the course of audit of a Re- gional Office of the Company, the Audit found that there were huge out- standing for recovery of claims paid under shipment-based policies from the different types of customers of an Exporter Branch and Bank Business Branch. Audit observed that the total claims outstanding for recovery from the customers increased from ₹54.06 crore to ₹113.68 crore in the immediate next Financial year of the Exporter's Branch. Further, an amount of ₹31.17 crore was outstanding against the cus- tomers which are three years old. Audit also observed that the Total amount of claims outstanding of ₹32.12 crore is for 12 months. In case of the Bank Busi- ness Branch, total claims outstanding is ₹14.08 crore out of which ₹12.04 crore is between 1 and 6 months and ₹2.04 crore is for 1 year. Audit requested management of the Company to share reasons for non-recovery of huge out- standing claims from the exporters of Exporter's Branch and Bank Business Branch. Further, steps taken / proposed to be taken by the Management for

125

सं.       पैरा का नाम       आगे, बैंक कारोबार शाखा की बकाया दावा राशि को निर्यातक शाखा के आंकड़ों के साथ दर्शाया गया है। बैंक कारोबार शाखा द्वारा प्रदत्त दावों की कुल राशि एवं वसूली के लिए लंबित राशि 907.20 करोड़ रु है। जिसमें से 536.23 करोड़ रु केवल एक समूह से वसूली हेतु लंबित है। सी बी आई / ई डी की वर्तमान जांच के कारण खातों में उपलब्ध प्रतिभूतियों को कुर्क कर लिया गया है जिसके कारण बैंक खातों से पर्याप्त वसूली करने में सक्षम नहीं है। तथापि कंपनी द्वारा नियमित		
राशि को निर्यातक शाखा के आंकड़ों के साथ दर्शाया गया है। बैंक कारोबार शाखा द्वारा प्रदत्त दावों की कुल राशि एवं वसूली के लिए लंबित राशि 907.20 करोड़ रु है। जिसमें से 536.23 करोड़ रु केवल एक समूह से वसूली हेतु लंबित है। सी बी आई / ई डी की वर्तमान जांच के कारण खातों में उपलब्ध प्रतिभूतियों को कुर्क कर लिया गया है जिसके कारण बैंक खातों से पर्याप्त वसूली करने में	0.	of th
रूप से वस्पूली हेतु नियमित / तिमाही आधार पर पत्रों एवं व्यक्तिगत दौरों / फोन कॉल्स के जरिये बैंकों के साथ संपर्क किया जा रहा है। पिछले वर्षों के कुल 587 लंबित प्रदत्त दावा फाइलें ( वसूली हेतु लंबित ) है। कुछ प्रदत्त दावा फाइलें 40 वर्ष पुरानी है परंतु बैंकों से एन पी ए खातों को बंद करने / बट्टे खाते में डाले जाने वी पुष्टिन होने के कारण अभी भी खुली रखी गयी है। जिसके परिणाम स्वरूप बकाया राशि एवं वसूली के लिए लंबित संख्याओं में निरंत्त वर्षवार वृद्धि हो रही है। खातों की फाइलां को खुला रखने का एक अन्य कारण यह है कि चाहे बहुत कम संभावना हो परंतु वसूली की संभावना के कारण फाइलें खुली रखी गयी है। कुछ मामलों में शाखा कार्यालयों द्वारा दावा निपटान की तारिख के 20 वर्षों के उपरांत भी वसूली प्राप्त हुई है। कृपया यह नोट करें कि एन पी ए खातों पर बैंकों द्वारा की जाने वाली वसूलियों बहुत हद तक गिरवी रखी गयी सम्पत्तियों की बिक्री / समझौता निपटान / आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को आस्तियों की बिक्री / अन्य विधिक पद्धति से किए जाने वाले निपटान के आधार पर वसूली की जाती है जिसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता रहता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान, शाखा कार्यालय, निरंतर कार्यवाही के जरिये उन सभी प्रदत्त दावा खातों पर वसूली की जाती है जिसमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता रहता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान, शाखा कार्यालय, निरंतर कार्यवाही के जरिये उन सभी प्रदत्त दावा खातें पर वसूली करने में सफल हुए हैं जिन पर बैंकों द्वारा आंधिक वसूली / एक मुश्त नियटान के जरिये पृर्थ वसूली / अमझौता निपटान / परिसंपत्तियां की बिक्री के जरिये वसूली करने में सफल हुए हों। शाखाओं द्वारा वस्तूती प्रबंधन शाखाओं (ए आर एम बी) / दबावयस्त परिसंपत्ति ग्रबंधन शाखा जों एवं आस्ति वसूली ग्रबंधन शाखाओं (ए आर एम वी) / दबावयस्त परिसंपत्ति ग्रिवंघन शाखा (एस ए एम बी – एन पी ए खातों वालि विधिष्ट बैंक शाखाओं) आदि को शाखा द्वारा निपटान किए गए विशिष्ट रूप से बड़े मूल्य वाले प्रदत्त वार्ये एवं वसूली के लिए लंबित मामलों के संबंध में निरंतर पत्राचार एवं साध ही साध फोन कॉल्स		of th Auc Par

126

### ई सी जी सी लिमिटेड

.....

lame	Brief	Reporting Status
f the	of the	
Audit	Para	
Para		
		Management of the Company replied that the above data is actually ageing of claims outstanding i.e. pending claims for which decision is yet to be taken. Further, the claim outstanding amount of the Bank Business Branch has been shown in Exporter Branch's figures. Total amount of claims paid and pend- ing for recovery for the Bank Business Branch is ₹907.20 crore. Out of which ₹536.23 crore is pending for recovery on account of only one group. Due to ongoing CBI/ED inquiry the security available in the account have been at- tached and therefore banks could not make any substantial recovery in the account. However, the Company is con- tinuously following up with the Banks for recovery on the matter through reg- ular quarterly letters & personal visits' phone calls. There are total 587 claim paid files (pending for recovery) which were paid during the years. The claim files paid more than 40 years ago are also kept open in absence of confirma- tion / information from Banks in respect of closure / write off of NPA accounts. As a result, numbers and amounts outstanding and pending for recovery have increased year-by-year. Another reason for keeping the files open is the chance of recovery, even remote, in the account. In some cases, Branch Offices have received recovery even after 20 years from the date of claim settlement. It may please be noted that recovery under Bank Business depends a lot on recoveries made by banks on NPA ac- counts through the sale of mortgaged properties /compromise settlement / sale of assets to Asset Reconstruction companies / other legal means which varies every year. During the last three FY's, the Branch, through rigorous fol- low up, have been able to make recov- ery on all the claim paid accounts on whom Banks made any part / full recov- ery through OTS / compromise / sale of assets etc. Branch regularly follows up with the respective Bank Branches and Asset Recovery Management Branches (ARMBs) / Stressed Assets Manage- ment Branch (SAMBs - specified bank branches dealing in NPA acc

......

. . . .

----

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
			वसूली मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए एवं बैंक अधिकारियों/बाज़ार सूचना पर प्राप्त जानकारी के आधार पर कंपनी द्रारा उन संभावित मामलों की सूची तैयार की जाती है जहां वसूली की संभावना अधिक हो। आगे, पॉलिसी धारकों के किसी भी दावे के निपटान के पहले, इस प्रकार के दावों को ऋग वसूलिकर्ता एजेंसियों (डी सी ए) जैसे एम ए एच इंटरनेशनल, एम एन एस ऋण आदि को सौंपा जाता है। डी सी ए द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के उपरांत एवं यदि आगे वसूली प्राप्त न हो तो केवल तब ही पॉलिसीधारकों के दावों का निपटान किया जाता है। अतः कंपनी द्वारा सी ए जी से अनुरोध है कि इस संबंध में दिये गए उत्तरों को स्वीकार करें एवं पैरा को रद्द कर दें। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम		
16.	वर्ष 2020– 21 के पैरा 4 के भाग IIख,	कंपनी के बैंक कारोबार शाखा एवं निर्यातक शाखा का निष्पादन (वर्ष 2019– 20 के लिए कंपनी की शाखा के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	लेखा परीक्षकों द्वारा पाया गया कि कंपनी मुख्य रूप से निर्यातकों को ऋग बीमा रक्षा प्रदान करते हुए निरंतर भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। कंपनी, बैंक कारोबार से संबन्धित अपनी शाखा के जरिये बैंकों की सीमा को अधिसूचित / अनुमोदित कर, मासिक आधार पर उनसे प्रीमियम एकत्र कर उसे समायोजित करती है, बैंकों से प्राप्त एकल रक्षाओं के प्रस्तावों पर प्रक्रिया करती है, किसी भी बैंक से प्राप्त चूक की रिपोर्ट / वि अ सू (एस ए एल) में निर्यातक के नाम का सम्मिलन / अपवर्जन करती है, वसूली संबंधी आनुस्मारक प्रेषित करती है एवं वसूली संबंधी आनुस्मारक प्रेषित करती है एवं वसूली संबंधी आनुस्पारक प्रेषित करती है, दावों पर प्रक्रिया हेतु केन्द्रीय कार्यालय यथा क्षेत्रीय कार्यालय को दावा प्रस्ताव भेजने के पूर्व दावा संबंधी दस्तावेज़ों की जांच कर आवश्यक दस्तावेज़ों को एकत्र करती है, एवं बैंक को कंपनी की रक्षा के अनुपालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कारोबार विकास कार्यक्रम के अधीन बैंकों के साथ बैठकों का आयोजन करती है। वित्तीय वर्ष विशेष के दौरान बैंक कारोबार के प्रमुख निष्पादन के क्षेत्रों की समीक्षा पर पाया गया कि कथित बैंक का निष्पादन कुछ प्रोत्साहक नहीं रहा। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में जोखिम मूल्य रक्षा के ग्रदिशत में 20.45% की गिरावट दर्ज की गई।

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

1......

S. No.	Name of the Audit Para	 Reporting Status
		While following up the recovery cases and on the basis of discussion with Bank officials / market information, the Com- pany prepares and identify the list of prospective cases for rigorous follow up where chances of recovery are high.
		Further, before settlement of any claim to policyholders, such claims are assigned to the Company's nominated debt col- lection agencies like MAH Internation- al, MNS Credit etc. Only after effort has been made by DCA and further recovery if any is not received, claim is settled to the Policy Holders. The Company there- fore requested the CAG to accept the re- plies sent and to drop the Para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S.	Name	Brief	Reporting Status
No.	of the	of the	
	Audit	Para	
	Para		
16.	Part IIB, Para 4 of the year 2020 – 21.	Perfor- mance of a Bank Busi- ness Branch & Ex- porter Branch of the Com- pany. (Com- pliance Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the pany for the period 2019- 20)	tion related to Notification / Approval of limit from banks, collects and adjusts premium on a monthly basis, processes Individual cover proposal received from any Bank, processes report of default application / SAL inclusion & exclusion cases from any Bank, handles recovery related cases / sending recovery reminders & processing of recovery proposals, deals with entry of claims & preparation of claim file including preliminary scrutiny of claim documents be- fore forwarding the same to the Company's Regional Claim Processing Centre for pro- cessing and under business development activities makes arrangement for bankers'



-

. . . .

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति	S.
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप		No.
			संरक्षित लेखों, प्रमुख निर्यातकों की सं, प्रीमियम आय आदि में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में गिरावट पायी गयी। वस्तुतः, कंपनी द्वारा उसके लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में मात्र 79.05% का लक्ष्य प्राप्त करने में ही सफल हो पायी है।	
			इसी प्रकार, कंपनी की अन्य शाखा जो केवल पॉलिसी कारोबार से ही संबन्धित है एवं जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कंपनी के उत्पादों एवं सेवाओं को नए निर्यातकों तक पहुंचाना है। यह शाखा के पॉलिसीधारकों तक अपनी सेवाओं पहुंचाने एवं उनके पॉलिसी दावा मामलों पर प्रक्रिया करने के लिए प्रयत्नशील है। इसके द्वारा कंपनी के अन्य कार्यालयों (क्षे का / प्र का / अन्य शा का) के साथ संपर्क कर अपने पॉलिसी धारकों को सामयिक सेवाएँ पहुंचाया जाता है। समान वित्तीय वर्ष के लिए इस शाखा के प्रमुख कारोबार के क्षेत्रों की समीक्षा पर पाया गया कि इस शाखा का निष्पादन भी कुछ खास नहीं रहा है। पॉलिसी प्रीमियम, निर्यातकों की सं, नए निर्यातकों, प्रभावी पॉलिसियों एवं नयी पॉलिसियों की सं में तीव्र गिरावट दर्ज की गयी है। यह पाया गया कि कथित वित्तीय वर्ष के दौरान यह शाखा भी कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रही है। यह पाया गया है कि इस शाखा द्वारा कथित वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निर्धारित प्रमुख लक्ष्य प्राप्त नहीं किए है। लेखा परीक्षक द्वारा प्रबंधन से , प्रमुख लक्ष्यों की अप्राप्ति के संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत करने का अनुरोध किया गया है।	
			प्रबंधन वर्ग का उत्तर है कि, कथित वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक कारोबार शाखा को कुल 328.60 करोड़ रु की कुल राशि के लिए कुल 32 चूक रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। इन 32 खातों में से शाखा के लिए प्रीमियम/ जोखिम मूल्य (आर वी) की दृष्टि से चार महत्वपूर्ण खाते है जिनके लिए कुल 265.49 करोड़ रु के लिए चूक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आगे एक खाते पर 206.50 करोड़ रु की चूक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रीमियम एवं जोखिम मूल्य की दृष्टि से शाखा के लिए यह मुख्य खातों में से एक है। इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय के स्तर पर दो बैंकों को जारी ईसीआईबी – डबल्यूटीपीसी को बंद किए जाने पर शाखा के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ( जोखिम मूल्य हानि 25.00 करोड़ रु, प्रीमियम हानि 85.00 लाख रु एवं 40 खातों की हानि)। आगे, 12 प्रमुख खातों द्वारा निर्यात ऋग का गैर उपयोग / न्यून उपयोग भी कारोबार में कमी का कारण बना। इसके अतिरिक्त, कई अच्छे खातों का गैर ईसीआईबी खाताधारक बैंकों में स्थानांतरित हो जाने के कारण जोखिम मूल्य एवं प्रीमियम में कमी का कारण साबित हुए हैं। (निर्यात वित्त का उपयोग न करने, खातों के बंद करने एवं अन्य बैंकों में स्थानांतरित होने के कारण 119 खातों की हानि)।	

128

## ई सी जी सी लिमिटेड

-			
-		-	Reporting Status
No.	of the	of the	
	Audit	Para	
	Para		
S. No.		Brief of the Para	Reporting Status The Accounts covered, Count of Distinct Exporter, Premium Income were all sig- nificantly short compared to the previous FY. In fact, the said Branch could achieve only 79.05% of the target assigned by the Company. Similarly, another Branch of the Company handling only Policy Business provides its services to exporter clients lo- cated in the states of West Bengal, Bihar, Jharkhand and North East Region. It aims to market the Company's products & ser- vices to new exporters. It strives to provide service related to policies to the branch's policy holders and process policy claims of branch policy holders. It also undertakes to liaise with other offices of the Compa- ny (RO/HO/other BO) to provide timely service to its policy holders. On review of key Business Performance areas of this branch for the same Financial Year (FY), it was also seen that the performance was not very encouraging. There were significant declines in the Policy Premi- um, Count of Distinct Exporters, Policies in force, New Exporters and New Poli- cies. It was observed that the Branch did not achieve any of the major targets set by the Company during the said FY. Audit requested the comments of the Manage- ment along with reasons for non-achieve- ment of the major targets and steps taken to achieve the same. Management replied that Bank Business branch received a total of 32 Report of Defaults for a total amount of ₹328.60 crore during the said FY. Out of these 32 accounts, four accounts which were major in terms of premium income/RV for the Branch office reported a default of ₹265.49 crore. Further, one account reported a default of ₹206.50 crore. This said account was the top account of the Branch in terms of Premium lncome and RV. Also, closure of ECIB-WTPC from
			Management replied that Bank Business branch received a total of 32 Report of Defaults for a total amount of ₹328.60 crore during the said FY. Out of these 32 accounts, four accounts which were major in terms of premium income/RV for the Branch office reported a default of ₹265.49 crore. Further, one account reported a default of ₹206.50 crore. This said account was the top account of the
			RV. Also, closure of ECIB-WTPC from the Head Office level issued to two banks has adversely affected the performance of the Branch (RV loss- ₹25.00 crore, Premium loss- ₹85.00 lakhs and loss of 40 accounts). Further, reduction in RV is also owed to non-utilization/less utiliza- tion of export credit on 12 major accounts has also contributed immensely in the downfall. Moreover, many good accounts have shifted to banks not covered un- der ECIB resulting into considerable re- duction in Risk Value and premium loss. (119 accounts loss due to non-availing of export finance, closure of accounts and shifting to other banks).

#### S. लेखापरीक्षा पैरा का रिपोर्टिंग स्थिति क्र. No. सं. पैरा का नाम संक्षेप इसके अतिरिक्त शाखा द्वारा बाज़ार सेवा का प्रमुख भाग बनाने वाले बैंकों के लिए प्रीमियम दर में कटौती के कारण भी बैंक कारोबार के अधीन आने वाली शाखा के लिए प्रीमियम हानि एवं जोखिम मूल्य में कटौती का कारण बना। प्रबंधन द्वारा यह भी सूचित किया गया कि हालांकि किसी भी शाखा का निष्पादन, ईसीआईबी रक्षा के अधीन बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे निर्यात ऋगों एवं चूकाधीन खातों की सं एवं अच्छे खातों की निरंतर धारण क्षमता जैसे साधारण बाज़ार स्थिति पर आधारित होती है परंतु शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 30 दिनों के भीतर सीमा अधिसूचना आवेदनों के निपटान, 60 दिनों के भीतर सीमा अनुमोदन आवेदनों का निपटान, संरक्षित लेखों की गहन निगरानी एवं मासिक घोषणाओं का एकत्रण एवं समय पर समायोजन पर निगरानी आवश्यक है। प्रबंधन ने सी ए जी से अनुरोध किया कि उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करें। कंपनी के निर्यात कारोबार में कमी के संबंध में कंपनी ने स्पष्ट किया कि कथित वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय निर्यातों में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में रुपया मूल्य में 3.52% की कमी हुई है। वर्ष के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन क्षेत्र द्वारा संरक्षित जोखिम मूल्य ( जो मू ) में 10.53% की गिरावट दर्ज की गयी। घोषणा आधारित पॉलिसियों में जोखिम मूल्य ( जो मू ) में 7.78% की कमी हुई है जबकि जोखिम आधारित पॉलिसियों के जोखिम मूल्य ( जो मू ) में 12.93% की गिरावट हुई है। कारोबार में गिरावट का मुख्य कारण प्रमुख वस्तुओं जैसे इंजीनिरिंग माल, चाय, चमड़ा एवं मरीन उत्पाद आदि के निर्यातों में कमी है। चाय का कारोबार करने वाले सभी पॉलिसी धारकों द्वारा निर्यातों में कमी के कारण चाय बागानों की बिक्री के कारण जोखिम मूल्य ( जो मू ) गिरावट दर्ज की गयी। एक निर्यातक की एम बी ई पी पॉलिसी को न्यून पण्यावर्त के कारण 150.00 करोड़ रु की समग्र हानि सीमा ( ए एल एल ) के साथ नवीकृत की गयी जबकि उसकी पूर्व की समाप्त पॉलिसी 300.00 करोड़ रु की समग्र हानि सीमा ( ए एल एल ) के साथ थी। ऊपर उल्लिखित कारक प्रमुख लक्ष्यों की अप्राप्ति के कारण साबित हुए। इसके अतिरिक्त लक्ष्य विशेष की प्राप्ति सार्वभौमिक कारोबार दशा, स्थानीय बाज़ार दशा एवं अन्य घटकों पर भी आधारित होता है। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के कारण कई कारोबार बंद कर दिये गए । कथित वित्तीय वर्ष के दौरान कारोबार पर इसका भी प्रभाव पड़ा। तथापि शाखा कार्यालय द्वारा उसके उपलब्ध स्रोतों के जरिये अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त तथ्यों एवं टिप्पणियों को कृपया स्वीकार करें एवं अनुरोध किया जाता है कि कृपया संबन्धित पैरा को रद्द करें। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया

प्रतीक्षित थी।

1

#### 64th Annual Report - 2021-2022

Name Brief			Reporting Status
	of the	of the	
	Audit	Para	
	Para		
			Also, reduction in premium rates for those Banks which are holding major share of market serviced by the Branch also contrib- uted to the low premium income and less RV coverage of the Branch under the Bank Business. Management also informed that although the performance of the Branch considerably depends on general market conditions like growth in credit off-take & less number of defaults and retention of good export accounts by the Banks under ECIB cover, Branches and Regional Of- fices have been instructed to monitor dis- posal of limit notification applications within 30 days, disposal of limit approval applica- tions within 60 days, close monitoring of accounts covered and close monitoring of monthly declaration collection and adjust- ment of the same from all the bank branch- es on regular basis to achieve the targets. Management also requested the CAG to accept the above clarification. With respect to the decline in the Export Business the Company clarified that the In- dian Exports during the said financial year were lower by 3.52% when compared with previous FY in Rupee Terms. During the year, the risk value (RV) covered by the Region under short term policies had de- creased by 10.53%. The declaration-based Policies RV declined by 7.78% whereas the exposure-based Policies RV dropped by 12.93%. The main reasons for drop in business was due to lower exports of major commodities like Engineering Goods, Tea, Leather & Marine goods. All Policy Hold- ers doing Tea Business had shown a drop in the RV due to sale of estates resulting in drop in exports. The MBE Policy of one of the exporters was renewed with an Ag- gregate Loss Limit (ALL) of ₹150.00 crore when compared with the expired policy ALL of ₹300.00 crore due to lower turnover. Above mentioned factors have attributed to non-achievement of major targets. Further, achievement of specified target is subject to global trade trend, local market condi- tion, commodity trend and various other factors. Also, due to COVID-19 pandemic the business was closed.

Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

129

130

## ई सी जी सी लिमिटेड

	Name	Brief	Reporting Status	
•	of the	of the		
	Audit	Para		
	Para Part IIB, Para 1 of the year 2020 – 21.	Non settle- ment of lega case even after com- pletion of fifty years. (Trans- action Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the period 2018- 19 & 2019- 20)	Audit observed that a PSU had taken the Packing Credit Guarantee on account of an exporter for ₹30 lakh. The PSU was also required to take a policy for liability for ₹10 lakh from a first-class Insurance Company. Accordingly, the PSU took a policy from an Insurance Company. The Insurance cover was taken by PSU for advance money given to the exporter to finance his contract valued at ₹81 lakh for supply of groundnut extractions to a buy- er in England. On failure of the exporter, the PSU suffered a loss and filed the suit in Court against the exporter and Insur- ance Company and simultaneously pur- sued the claim of ₹16.56 lakh being 2/3 of the loss of ₹24.84 lakh with the Company. The Company paid a sum of ₹8.89 lakh being 2/3 of the loss of ₹13.34 lakh after setting off the Insurance Company's lia- bility amounting to ₹6.66 lakh. The Com- pany had not filed their written statement to the suit lodged by the PSU. Audit observed that as inferred from the records there was delay in submitting the written statement by more than 13 years. The CMD of the Company has ordered for fixation of responsibility for the lapse. Responsibility and action thereon initiat- ed may be intimated to audit. Audit also observed that a period of more than 50 years elapsed however the case had not been disposed of. This showed that the Company has not taken earnest for early settlement of the case. Further, it is mentioned in the note that the Solicitors representing the PSU, was pleading the case for the Company. This may please be clarified whether the same solicitors representing for PSU and the Company. The Management replied that the remarks of the Company's CMD were merely ob- servation that too regarding payment of claim to the PSU without asking the PSU to withdraw the suit against the Compa- ny. These observations were not about filing of written statement with delay. It is pertinent to note that when the claim was received, filing of the Company's written statement was kept pending till examina- tion and settlement of the cla	

......

......

क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा का नाम	पैरा का संक्षेप	रिपोर्टिंग स्थिति
	परीक्षा     रांक्षेप       पैरा का        नाम     इ       प्        नाम     इ       प्        ग		इसके अतिरिक्त संबन्धित मामले में कंपनी मात्र प्रतिवादी है। इस संबंध में नोट किया जाये कि मामले के निपटान हेतु कार्यवाही वादी द्वारा की जानी चाहिए। तथापि इस संबंध में हमारे अन्य मामलों का संचालन करने वाले वकील के जरिये हमें ज्ञात हुआ है कि इस मामले को चूक के कारण एक बार खारिज कर दिया गया था। आदेश की प्रति हेतु अनुरोध किया गया है। आगे, प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि एक ही शहर में वकीलों द्वारा कई मामलों में कंपनी का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।तथापि इस चालू मामले में वकील पी एस यू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अतः इसके लिए कंपनी द्वारा अलग वकील नियुक्त किए गए। तत्पश्चात वकीलों के जरिये ही कंपनी द्वारा अलग वकीलों की नियुक्ति की गयी एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें किसी प्रकार हितों का टकराव नहीं है। उक्त स्पष्टीकरणों के आधार पर यह अनुरोध किया जाता है कि इस लेखा परीक्षा पैरा को रद्द करें। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी।

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप	
18.	वर्ष 2020– 21 के पैरा 4 के भाग IIख,	एक मुश्त निपटान में कंपनी को हानि (2018– 19 एवं 2019 – 20 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	कंपनी द्वारा एक निर्यातक के लिए सम्पूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋग गारंटी (डबल्यू टी पी सी जी) जारी की गयी थी। 3 वर्षों के पश्चात निर्यातक के ₹5.00 करोड़ रु की मूलधन राशि के लिए चूक किए जाने के कारण बैंक द्वारा दावा दायर किया गया। निर्यातक द्वारा ₹15.00 करोड़ रु के प्राथमिक प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ एवं व्यक्तिगत गारंटियाँ रखी गयी थीं। कंपनी द्वारा ₹4.15 करोड़ रु की हानि को स्वीकार किया गया एवं बैंक के पास उपलब्ध रक्षा के प्रतिशत के अनुसार बैंक को ₹2.76 करोड़ रु की अदायगी की गयी। निर्यातक ने बैंक से एक मुश्त भुगतान निपटान ( ओ टी एस ) हेतु संपर्क किया एवं ₹7,17,31,696/– के कुल बकाए के एवज में ₹2.50 करोड़ रु के निपटान के लिए बैंक सहमत हो गया। एकमुश्त भुगतान निपटान ( ओ टी एस )के पश्चात बैंक द्वारा कंपनी को , वसूली में उसके हिस्से के रूप में ₹82,09,000/– रु की राशि का डी डी अग्रेषित किया गया। लेखा परीक्षक द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या बैंक द्वारा निर्यातक के एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) के प्रस्ताव के अनुमोदन के पूर्व कंपनी की अनुमति प्राप्त की गयी थी, यदि हाँ तो संबन्धित दस्तावेज़ लेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया जाये।

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

1......

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
			However, we have been informed by our Lawyer handling other mat- ters that this has been dismissed for default once. Copy of the order has been requested. Further, the Management also clarified that the Solicitors were already represent- ing the Company in several matters in the same city. However, in this current matter the Solicitors were representing the PSU. Thus, the Company had appointed a differ- ent advocate. Later on, a different set of Lawyers and Counsels was appointed by the Company through the solicitors and it was confirmed that there was no conflict of interest. Based on the above clarifications, it is requested for dropping of the Au- dit para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
18.	Para Part IIB, Para 3 of year 2020 – 21.	Loss to the Com- pany in OTS settle- ment (Trans- action Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the period 2018 - 19 & 2019 - 20)	The Company had issued the Whole Turnover Packing Credit Guarantee (WTPCG) to a Bank for one of the Ex- porter. The Bank had lodged the claim after 3 years as the exporter was on default for principal amount of ₹5.00 crore. The exporter had kept the Se- curity deposit with Bank in form of Pri- mary Securities, Collateral Securities and Personal Guarantees amounting to ₹15.00 crore. The Company admitted a loss of ₹4.15 crore and according to the cover percentage available to the Bank, a sum of ₹2.76 crore was paid to the Bank. The Exporter approached the Bank for a One Time Settlement, which was agreed by the Bank for ₹2.50 crore against the dues outstanding of ₹7,17,31,696/ After the OTS settle- ment the Bank had forwarded a DD amounting to ₹82,09,000/- being the Company's share in the recovery. Audit requested clarifications on Whether the bank had taken the concurrence of the Company before granting the OTS pro- posal of the Exporter, if yes, the docu- ment may be furnished to Audit.



# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति	S.	Na
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप		No.	of
		सक्षप	लेखा परीक्षक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि ₹7.17 करोड़ के बदले ₹2.50 करोड़ के लिए एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) के प्रस्ताव को स्वीकार करना कंपनी के वित्तीय हित के लिए सही निर्णय नहीं है जबकि उनके पास ₹7.34 करोड़ रु की प्राथमिक एवं सम पार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध है, इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। लेखा परीक्षक का मत है कि कंपनी द्वारा चूकाधीन ₹5.00 करोड़ के पैकिंग ऋग (पी सी) पर अपात्र अग्रिमों को घटाकर ₹2,76,84,205 रु के दावे की अदायगी की गयी थी, अतः कंपनी द्वारा ₹2.50 करोड़ के ओ टी एस निपटान पर पहले ही प्राप्त राशि का समायोजन करने के उपरांत 63.06% की समान वसूली हिस्से की मांग की जानी चाहिए थी। अतः ₹72,14,000/–. की मांग की जानी थी। तथापि कंपनी द्वारा य2.50 करोड़ के 42.18% के रूप में ₹19,94,000/– की मांग की गयी , जिससे कंपनी को एक बड़ी राशि की हानि हुई। इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। कंपनी द्वारा अभी तक राशि की वसूली नहीं की गयी है। उच्च अधिकारियों तक मामले को न ले जाने के कारण स्पष्ट करें। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार वसूली की गणना करने का फॉर्मूला है प्रदत्त दावा / कुल देयता *शुद्ध वसूली। अतः शाखा द्वारा करने के पूर्व कंपनी का पूर्व अपनी के कारण स्पष्ट करें। प्रस्ताव को स्वीकार करने के पूर्व कंपनी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त क्सि की आधार पर की गयी। बैक द्वारा एक मुश्त भुगतान निपटान ( ओ टी एस ) प्रस्ताव को स्वीकार करने के पूर्व कंपनी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैक द्वारा कई अन्य घटकों जैसे ऋग पुत्री दी गयी। शाखा द्वारा निरंतर मामले की निगरानी की जा रही है। उक्त के तुरंत बाद कोविड की दूसरी लहर से राज्य एवं हमारे कार्यातहारी कादनी रास्थित सामान्य हो रही है, कंपनी की शाखा द्वारा अन्वर्ती कार्यवाही को गुरी दी गयी। शाखा द्वारा जे की जार्ववा को शाखा का विलय मुख्य बैंक के साथ हो गया है एवं अब कंपनी की शाखा द्वारा औत के साथ हो गया हो त्सी है। मामले को शाखा द्वारा बैंक की शाखा को वसूती में हमारे हिस्से के विषय में पत्र जारी किया गया है। कंपनी की शाखा द्वारा बैंक की शाखा को वसूती में हमारे हिस्से के विषय में त्वारी को शाखा का विलय मुख्य तैक के साथ हो गया है एवं अब कंपनी की शाखा द्वारा बैंक के शाखा को वस् ती में सान है। मामले को बैक के स्थानीय मुख्यालय से जर्प प्		

132

## ई सी जी सी लिमिटेड

	Name	Brief	Poporting Status
			Reporting Status
•	Audit	Para	
	Para	Faid	
	Para		
			The Audit also suggested that accept- ing the OTS proposal for ₹2.50 crore
			against the outstanding of ₹7.17 crore
			and having the Primary and collater-
			al Security of ₹7.34 crore is not in the
			best financial interest of the Company, this needs justification. Audit was of
			the view that the Company had settled
			Claim amounting to ₹2,76,84,205 on the
			Defaulted PC of ₹5.00 crore after de-
			ducting ineligible advances, Therefore
			the Company should have asked for similar percentage in the recovery being
			63.06% of OTS amount of ₹2.50 crore
			after adjusting already received amount.
			Hence the demand should have raised
			for ₹72,14,000/. However, the Company has raised the demand of ₹19,94,000/-
			being the 42.18% of ₹2.50 crore, which
			was irregular and loss to the Company
			by a big amount. This needs justifica-
			tion. The Company could not recover the amount so far. The reasons for not
			taking up the matter with higher authori-
			ties may be intimated.
			The management replied that as per the
			guidelines the formula for calculating the
			recovery is Claim paid / Total liability *
			Net recovery. Hence the branch has tak- en the total recovery while calculating
			the share of the Company from the re-
			covery. The Bank had not taken concur-
			rence of the Company before granting
			the OTS Proposal. It is also stated that the bank had agreed to the OTS con-
			sidering several other factors like the
			delay in settlement from DRT, practical
			difficulty in disposal of properties etc.
			The Branch is pursuing the matter regu- larly. The second wave of Covid-19 had
			swept the state and our office, shortly
			after the above letter hence The Branch
			of the Company was not able to actively
			follow-up the case as one would have
			liked. However now since the things are slowly returning to normal, The Branch
			of the Company has started following
			up the matter. It was found that the said
			Bank Branch has merged with its parent
			Company and the Company has now written to the bank branch with regard to
			our share of recovery. The Branch of the
			Company is expecting the reply from the
			bank shortly. The matter is also taken up
			with the bank's Local Head Office and a
			reply in this regard is awaited.
			Further response from the CAG on the

Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

.....

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति	S.	Name	Brie
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप		No.		of th
19	वर्ष 2020-	एक मुश्त	कंपनी द्वारा एक निर्यातक के लिए सम्पूर्ण		Audit	Para
ľ	21 के पैरा 4	~	पण्यावर्त पैकिंग ऋग गारंटी ( डबल्यू टी पी सी		Para	
	के भाग IIख,		जी ) जारी की गयी थी। बैंक के एक निर्यातक	19.	Part IIB,	Loss to the
	,	हानि	ग्राहक द्वारा ₹3,70,88,126/ की मूलधन		Para	Com-
		-	राशि के चूक के कारण बैंक द्वारा दावा दायर		4 of	pany
		(2018- 19 एवं	किया गया।		year	in OT
		2019	निर्यातक द्वारा ₹9.76 करोड़ के		2020	settle
		– 20 की	प्राथमिक प्रतिभूतियाँ, संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ एवं		– 21.	ment
		अवधि के	व्यक्तिगत गारंटियाँ रखी गयी थीं। कंपनी द्वारा ₹1,65,50,497/– की अदायगी की गयी।			(Tran actior
		लिए कंपनी				Audit
		की शाखा	बैंक ने निर्यातक पर सरफेसी एवं अन्य			Inspe
		के लिए	कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन वसूली तथा ₹383.86 लाख मूल्य की सांपार्श्विक संपत्ति			tion
		संव्यवहार	पर भौतिक कब्जा करने हेतु ज़िला मेजिस्ट्रेट			Repo
		लेखा परीक्षा	से आदेश प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आरंभ की।			for a branc
		निरीक्षण	इस बीच बैंक द्वारा ₹1 करोड़ से अधिक एवं			of the
		रिपोर्ट)	₹5 करोड़ तक के एन पी ए वाले खातों के			Com-
			लिए "शताब्दी निपटान योजना" नामक एक			pany
			मुश्त भुगतान निपटान योजना (ओ टी एस)			for the period
			आरंभ की गयी। बैंक के पत्र के अनुसार कुल बकाया ₹5,03,65,811.11 था। बैंक ने			2018
			उल्लेख किया की यह खाता बैंक के योजना			- 19 8
			के अधीन निपटान करने योग्य है। योजना के			2019
			अनुसार बैंक द्वारा एक मुश्त भुगतान निपटान			20)
			(ओ टी एस) हेतु 68.38 प्रतिशत की राशि			
			की गणना की गयी। कंपनी द्वारा अपने ईमेल			
			के जरिये बैंक द्वारा किए जाने वाले ₹295.55			
			लाख की एक मुश्त भुगतान निपटान (ओ टी एस) के निर्णय का विरोध जताया गया एवं सूचित			
			किया गया कि जबकि बैंक के पास ₹383.86			
			लाख की परिसंपत्तियाँ उपलब्ध हैं तो कम राशि			
			के एक मुश्त निपटान ( ओ टी एस ) के लिए			
			स्वीकृति का क्या कारण है। अपने उत्तर में बैक			
			द्वारा सूचित किया गया कि "अशोध्य एवं हानि			
			वाली आस्तियों के लिए शताब्दी निपटान योजना			
			( सी एस एस डी एल ) रनिंग लेजर में खाते में बकाया शेष राशि को तीन श्रेणियों में विभाजित			
			बकाया शब शाश का तान श्राणया म विमाजित किया गया है यथा डी1, डी2, एवं डी3, जिसमें			
			निपटान की जाने वाली सुरक्षित राशि कुल			
			बकाया के 80% से 70% तक होती है एवं			
			असुरक्षित राशि का हिस्सा अनुमानित 60%			
			तक होता है एवं अतः अंतिम निपटान की जाने			
			वाली राशि की गणना एन पी ए की कुल राशि के			
			सुरक्षित एवं असुरक्षित राशि के योग से की जाती			
			है।" अतः बैंक द्वारा ₹2,95,55,950.65 करोड़ को एक मुश्त निपटान ( ओ टी एस )			
			कराड़ का एक मुश्त निपटान ( आ टा एस ) के रूप में स्वीकार किया गया है। कंपनी द्वारा			
			एक मुश्त निपटान ( ओ टी एस ) प्रस्ताव			
			को बकाया ₹3,61,04,443/- के शुद्ध			
			मूलधन में प्रदत्त दावे के अनुपात के आधार			
			पर ₹1,34,41,723.55 के उसके हिस्से			
			की मांग करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।			
			तथापि कंपनी को कुल ₹40,09,956.04 एवं ₹21,39,793 प्राप्त हो गए है।			
L			וא אוג גבוי,בכיו דע			

	Brief	Reporting Status				
of the Para						
	Fala					
	Loss to the Com- pany in OTS settle- ment (Trans- action Audit Inspec- tion Report for a branch of the Com- pany for the period 2018 - 19 & 2019 - 20)	The Company has issued a Whole Turnover Packing Credit Guarantee (WTPCG) to a Bank. The Bank has lodged a claim since one of their exporter-client defaulted for principal amount of ₹3,70,88,126/ The exporter had kept the Security deposit with Bank in form of Primary Securities, Collateral Securities and Personal Guarantees amounting to ₹9.76 crore. The Company paid the claim of ₹1,65,50,497/- The bank has initiated recovery proceeding against the exporter under SARFAESI and all other legal actions to recover the dues and obtained District Magistrate's order for taking physical possession of the collateral property valued at ₹383.86 lakh. Meanwhile the Bank had introduced a One Time Settlement scheme "Centenary Settlement Scheme" for NPAs above ₹1 crore up to and including ₹5 crore. As per the Bank's letter the total outstanding was ₹5,03,65,811.11. The Bank stated that the account is eligible under the settlement scheme of the bank. The bank has also calculated the 68.38 percent of the OTS amount as per the scheme. The Company vide email questioned the bank for accepting OTS for ₹295.55 lakh when collaterals worth ₹383.86 lakh is in hand. In reply the bank stated that "the Centenary Settlement Scheme for Doubtful and Loss Assets (CSSDL) running ledger outstanding balance the account is classified in three categories i.e. D1, D2 and D3, wherein settlement amount for secured portion is ranging for 80% to 70% of the total outstanding and settlement amount of unsecured portion is approx. 60% and thus the figure for the final settlement amount is arrived by totaling the secured and unsecured portion of NPA". The bank has therefore accepted the OTS for ₹2,95,55,350.65. The Company has given approval to the OTS proposal with request to remit its share of ₹1,34,41,723.55 at the ratio of claim paid to net Principal amount outstanding of ₹3,61,04,443/ However, the Company has received ₹40,09,956.04 and ₹2,1,39,793/ The bank vide email intimated that the OTS stands cancelled, as the exporter has not paid the amount				



\*\*\*\*\*

### ई सी जी सी लिमिटेड

. . . .

_	<u>&gt; 0.</u>	<u> </u>			S.	Name
क्र. 	लेखापरीक्षा	पैरा का —ंके—	रिपोर्टिंग स्थिति		ъ. No.	
स.	परा का नाम	सक्षप				Audit
सं.	<u>पैरा का नाम</u>	संक्षेप	निर्यातक द्वारा एक मुश्त भुगतान निपटान ( ओ टी एस ) की पूर्व शर्त के रूप में राशि की अदायगी न किए जाने के कारण बैंक ने अपने ईमेल के जरिये सूचित किया कि एक मुश्त भुगतान निपटान ( ओ टी एस ) को रद्द कर दिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया कि शताब्दी निपटान योजना बैंक की एक योजना थी जो बैंक के एनपीए के ओटीएस निपटान के लिए थी इसलिए योजना के अधीन हानि को कंपनी द्वारा नहीं बैंक द्वारा वहन किया जाना चाहिए था। साथ ही जब बैंक के पास मूल बकाया (₹3.61 करोड़) से अधिक संपार्श्विक प्रतिभूति (₹383.86 लाख) हो एवं जिसमें संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त हुआ हो ऐसी स्थिति में कम राशि (₹295.55 लाख) पर एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) के प्रस्ताव को स्वीकार करना सही नहीं है एवं यह कंपनी के सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं है। इस पर स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसके अलावा, बैंक से कम से कम ₹3,61,04,443/– की बकाया मूल राशि के लिए एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) पर बातचीत करनी चाहिए थी क्योंकि बैंक के पास ₹ 383.86 लाख की संपार्श्विक प्रतिभूति है, ताकि कंपनी को उसके द्वारा अदा की गयी पूर्ण दावा राशि प्राप्त हो सके। संपार्श्विक प्रतिभूति है, ताकि कंपनी को उसके द्वारा अदा की गयी पूर्ण दावा राशि प्राप्त हो सके। संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य से कम राशि के एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव को स्वीकार करने क परिणामस्वरूप कंपनी को ₹31,08,774/– की हानि हुई है। प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि संपत्ति स्वीकृत सुविधाओं जैसे पैकिंग ऋग, पोतलदानोत्तर ऋग एवं सावधि ऋग आदि के लिए उपलब्ध कारवाई गयी एक सामान्य संपार्श्विक प्रतिभूति थी। बैंक का एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) प्रस्ताव केवल पैकिंग ऋग के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण हानि के लिए था। भले ही बैंक ऋग संवितरण के लिए जमानत के रूप में संपार्धिक लेते हैं, संपत्त के परिसमापन / बिक्री की प्रक्रिया में समय		No.	of the Audit Para
			निपटान (ओटीएस) आरंभ किया गया है। जल्द वसूली की प्रत्याशा में एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) को कम मूल्य पर स्वीकार करने की बैंक की कार्रवाई उस समय सबसे अच्छा व्यवहार्य विकल्प थी एवं तदानुसार कंपनी भी एक मुश्त भुगतान निपटान (ओटीएस) के लिए सहमत हो गई थी।			

134

Ù.

e	Brief	Reporting Status
е	of the	
it	Para	
a		
		Audit observed that The Centenary Settlement Scheme was a scheme of the bank meant for the OTS settlement of bank's NPA hence the loss under the scheme should have been borne by the bank and not by the Company. Also accepting the OTS proposal at lower amount (₹295.55 lakh) when the bank is having collateral security (₹383.86 lakh) greater than principal outstanding (₹3.61 crore) and wherein the order of DM has been received for taking physical possession of the Property is incorrect and not in the best financial interest of the Company. This needs justification. Further, The Bank should have negotiated the OTS for at least Principal amount outstanding of ₹3,61,04,443/- as the Bank is having a Collateral Security of ₹383.86 lakh, so that the Company could also get the full claim amount. Accepting the OTS proposal of lesser amount than the value of Collateral Security has resulted in loss to the Company by ₹31,08,774/-
		The Management replied that the property was a common collateral ob- tained for the sanctioned facilities like Packing Credit, Post Shipment and Term Loan etc. The bank's OTS was for the full loss into consideration, not the packing credit alone. Even though the banks take collateral as security for the loan disbursement, the process of liquidation / selling the property is time consuming and exhaustive exercise and the realization of sale proceeds depends on external factors like availability of buyer, distress factors, market condition etc. Hence, One Time Settlement (OTS) has been introduced by the lenders within the regulatory framework to encourage quick settlements instead of long & lengthy legal battles in order to bring back the liquidity in the system. The bank's action in accepting the OTS for a lesser value in anticipation of fast recovery was the best viable option at that time and accordingly the Company had also agreed for the OTS. Moreover, the Bank said OTS is now failed and the Hon'ble DRT had authorized the Bank to take possession of the mortgaged property available to the bank for disposal.

-

......

64 <sup>th</sup> Annua	Report - 20	21-2022
------------------------	-------------	---------

.....

.....

Name of the Audit ParaBrief of the Audit ParaReporting StatusParaEven in the failed OTS, the Company has already received its due share of ₹61,49,749/- and further recovery is expected either through sale of assets or through fresh settlement and hence, there is no loss to the Company. The Company has been informed by the bank that the Bank has declined the second OTS offer of the borrow- er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the bank to obtain prior approval of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option to evaluate the OTS proposal and to decide in the best interest of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option to evaluate the OTS proposal and to decide in the best interest of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option to evaluate the OTS proposal and to decide in the best interes	of the Audit Paraof the ParaParaEven in the failed OTS, the Company has already received its due share of ₹61,49,749/- and further recovery is expected either through sale of assets or through fresh settlement and hence, there is no loss to the Company.The Company has been informed by the bank that the Bank has declined the second OTS offer of the borrow- er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the contract. Further cover provided by the Company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the cognizance of the pony and the Company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the bank to obtain prior approval of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option
Audit ParaParaAudit ParaEven in the failed OTS, the Company has already received its due share of \$61,49,749/- and further recovery is expected either through sale of assets or through fresh settlement and hence, there is no loss to the Company.The Company has been informed by the bank that the Bank has declined the second OTS offer of the borrow- er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the company to the bank is no threevprime of the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the borrower only and the Company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the bank to obtain prior approval of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option to evaluate the OTS proposal and to decide in the best interest of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option to evaluate the OTS proposal and to the is worth to mention that any OTS, implemented so, facilitates ear- ly settlement of dues which will help the bank to boost recovery in NPA and in turn results into recovery in NPA and in	Audit ParaParaParaEven in the failed OTS, the Company has already received its due share of $₹61,49,749/-$ and further recovery is expected either through sale of assets or through fresh settlement and hence, there is no loss to the Company.The Company has been informed by the bank that the Bank has declined the second OTS offer of the borrow- er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the contract. Further cover provided by the Company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the cognizance of the robust banking system. In fact, obten- tion of collaterals and settlements are carried out between the bank and the borrower only and the Company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the Somi pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option
ParaImage: Construct of the second second of the second second the	ParaEven in the failed OTS, the Company has already received its due share of $\xi 61, 49, 749$ /- and further recovery is expected either through sale of assets or through fresh settlement and hence, there is no loss to the Company.The Company has been informed by the bank that the Bank has declined the second OTS offer of the borrow- er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the company is always having the option
has already received its due share of ₹61,49,749/- and further recovery is expected either through sale of assets or through fresh settlement and hence, there is no loss to the Company. The Company has been informed by the bank that the Bank has declined the second OTS offer of the borrow- er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the contract. Further cover provided by the Company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the cognizance of the robust banking system. In fact, obten- tion of collaterals and settlements are carried out between the bank and the borrower only and the Company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the bank to obtain prior approval of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option to evaluate the OTS proposal and to decide in the best interest of the Com- pany based on the merit of the case. Overall, it is worth to mention that any OTS, implemented so, facilitates ear- ly settlement of dues which will help the bank to boost recovery in NPA and in turn results into recovery of the claims paid by the Company. With the	has already received its due share of ₹61,49,749/- and further recovery is expected either through sale of assets or through fresh settlement and hence, there is no loss to the Company. The Company has been informed by the bank that the Bank has declined the second OTS offer of the borrow- er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the contract. Further cover provided by the Company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the cognizance of the robust banking system. In fact, obten- tion of collaterals and settlements are carried out between the bank and the borrower only and the Company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the bank to obtain prior approval of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option
er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the contract. Further cover provided by the Company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the cognizance of the robust banking system. In fact, obten- tion of collaterals and settlements are carried out between the bank and the borrower only and the Company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the bank to obtain prior approval of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option to evaluate the OTS proposal and to decide in the best interest of the Com- pany based on the merit of the case. Overall, it is worth to mention that any OTS, implemented so, facilitates ear- ly settlement of dues which will help the bank to boost recovery in NPA and in turn results into recovery of the claims paid by the Company. With the	er since the offered amount was not meeting the requirement of the bank. Further the Company has also been informed by the bank that as on date the Bank has not taken possession of the property. In DRT the last date of hearing was adjourned due to Covid-19. There is no other recovery from any other source as on date. Lending to the borrower is a mutual contract between the bank and the borrower without involvement of the Company. Accordingly, the recovery, if any, is also to be decided by the bank in the light of the contract. Further cover provided by the Company to the bank is not merely on the strength of the collateral but on the overall as- sessment by the bank on the borrower together with our experience with the bank and taking the cognizance of the robust banking system. In fact, obten- tion of collaterals and settlements are carried out between the bank and the borrower only and the Company, as an insurer, that too up to the principal out- standing under export facilities only, does not have much saying and can- not influence the settlement. However, it is obligatory on the part of the bank to obtain prior approval of the Com- pany in case of any OTS. Thus, the Company is always having the option
requested the CAG to drop the Para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.	pany based on the merit of the case. Overall, it is worth to mention that any OTS, implemented so, facilitates ear- ly settlement of dues which will help the bank to boost recovery in NPA and in turn results into recovery of the claims paid by the Company. With the above factual position, the Company requested the CAG to drop the Para. Further response from the CAG on the

135

. . . .

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति	S.	ľ
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप		No.	
20	वर्ष 2020-	कंपनी द्वारा	लेखापरीक्षक द्वारा पाया गया कि कंपनी भारत से		
	21 के पैरा 4	पुनर्बीमा	निर्यात को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को आगे	20	Ī
	के भाग <b>।।</b> ख,	कमीशन पर	बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यातकों एवं बैंकों को		
		जीएसटी की	निर्यात ऋग बीमा रक्षा प्रदान करती है। कंपनी		
		गैरअदायगी	सामान्य बीमा श्रेणी (विविध) के अधीन भारतीय		
		(2018-	बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई		
		19 एवं	आर डी ए आई) के साथ पंजीकृत है। कंपनी		
		2019 - 20 की	जोखिम प्रबंधन के उपाय के रूप में राष्ट्रीय एवं		
		- 20 पग अवधि के	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनियों से पुनर्बीमा सहायता		
		लिए कंपनी	प्राप्त करती है। कंपनी द्वारा बीमांकित किए गए कार्यचार का एक निराय पार्चीय कंपनियों के		
		की शाखा	कारोबार का एक हिस्सा पुनर्बीमा कंपनियों के साथ साझा किया जाता है (जिसे बीमा कारोबार		
		के लिए	को सौंपना कहा जाता है)। पुनर्बीमाकर्ता कंपनी		
		संव्यवहार	द्वारा अर्जित प्रीमियम में आनुपातिक हिस्सा प्राप्त		
		लेखा परीक्षा	किया जाता है अथवा वे प्रदान किए गए पुनर्बीमा के		
		निरीक्षण रिपोर्ट)	प्रकार के आधार पर एक निश्चित दर उद्धत किया		
			जाता है। प्रीमियम का एक हिस्सा, जिसे सीडिंग		
			कमीशन (पुनर्बीमा कमीशन) कहा जाता है,		
			कंपनी द्वारा धारित किया जाता है। सौंपा गया		
			कमीशन, कंपनी एवं पुनर्बीमाकर्ता के बीच		
			प्रशासनिक व्ययों को को साझा करने के		
			लिए होता है। जुलाई 2017 में जीएसटी		
			शासन की स्थापना से लेकर मार्च 2021		
			तक कंपनी द्वारा प्राप्त कुल पुनर्बीमा		
			कमीशन की राशि ₹191.39 करोड़ है।		
			वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा निर्यात		
			त्रग्र बीमा से प्राप्त प्रीमियम को माल एवं सेवा		
			कर (जीएसटी) से छूट (जून 2017) दी गई है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा		
			पुनर्बीमा सेवाओं पर जीएसटी से भी छूट		
			(जनवरी 2018) दी गई थी। इसके अलावा,		
			सेवा कर व्यवस्था के अधीन पुनर्बीमा सीडिंग		
			कमीशन को सेवा कर के दायरे से विशेष रूप		
			से छूट दी गई थी (अप्रैल 2010)। हालांकि,		
			जीएसटी प्रशासन के अधीन पुनर्बीमा आयोग		
			पर जीएसटी की प्रयोज्यता को आज तक		
			विशेष रूप से छूट प्रदान नहीं की गई है।		
			लेखापरीक्षक द्वारा पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी		
			से संबंधित निम्नानुसार कंपनी की प्रथा को नोट		
			किया; कंपनी द्वारा जुलाई 2017 में जीएसटी		l
			व्यवस्था शुरू होने के बाद से प्राप्त पुनर्बीमा		
			कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया		
			जा रहा है। इसके अलावा, यह भी पाया गया		
			कि कंपनी द्वारा पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी		
			की प्रयोज्यता के मुद्दे पर जीएसटी सलाहकार/		
			विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउंटेंट से कोई विशेषज्ञ राय		
			प्राप्त किए बिना ही इस प्रथा को अपनाया गया है।		

136

## ई सी जी सी लिमिटेड

Name	Brief	Reporting Status
of the	of the	
Audit	Para	
Para		
Para Part IIB, Para 1 of the year 2021- 22.	Non-Pay- ment of GST on reinsur- ance commis- sion by the Company. (Transac- tion Audit Inspection Report for a branch of the Company for the period 2020-21)	Audit observed that the Company provides export credit insurance covers to Indian exporters and banks in furtherance of its objective to promote exports from India. The Company is registered with Insur- ance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) under General Insurance Category (Mis- cellaneous). The Company avails reinsurance support from national as well as international reinsurance companies as a measure of risk management. A part of the busi- ness underwritten by the Company is shared (called cession) with the reinsurance companies. The rein- surers charge proportionate share in premium earned by the Company or quote a fixed rate depending on the type of reinsurance provided. A portion of the premium, referred to as ceding commission (reinsurance commission), is retained by the Company. The ceding commission is in the nature of sharing of adminis- trative expenses between the Com- pany and the reinsurer. The total reinsurance commission received by the Company since the incep- tion of GST regime in July 2017 up to March 2021 amounts to ₹191.39 crore. The premium received from the export credit insurance was ex- empted (June 2017) from Goods and Service Tax (GST) by the De- partment of Revenue, Ministry of Finance. The GST on reinsurance services was also exempted (Janu- ary 2018) by the Department of Rev- enue, Ministry of Finance. Further, under the Service Tax regime, the reinsurance ceding commission was exclusively exempted (April 2010) from the purview of the Service Tax. However, under the GST regime, applicability of GST on the rein- surance commission has not been specifically exempted till date. Audit observed the following regarding the practice of the Company pertaining to GST on reinsurance commission received since the commencement of GST regime in July 2017. Further,

<b>Б</b> .	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति	
я <b>.</b>	पैरा का नाम	संक्षेप		1
			जीएसटी प्राधिकारियों द्वारा पुनर्बीमा आयोग	
			पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में किसी	-
			विशेष छूट न होने के बावजूद, कंपनी ने	
			पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी का भुगतान न	
			करने की अपनी प्रथा को बनाए रखा एवं	
			आज तक उसे जारी रखा है, कंपनी द्वारा	
			अपनाई गयी इस प्रथा का कारण, पूर्ववर्ती	
			सेवा कर व्यवस्था के अधीन बीमा कंपनियों	
			द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्बीमा सेवा के	
			लिए प्राप्त पुनर्बीमा कमीशन को सेवा कर के	
			दायरे से मुक्त रखा जाना। हालांकि, पूर्ववर्ती सेवा कर व्यवस्था के दायरे से किसी सेवा की	
			सवा कर व्यवस्था क दायर स किसा सवा का छूट का मतलब यह नहीं है कि संबन्धित सेवा	
			छूट का मतलब यह नहा हा के संबान्धत संवा स्वतः जीएसटी प्रशासन के अधीन भी छूट	
			स्पतः जाएसटा प्रशासने ये अयोग मा छूट के लिए पात्र होगी एवं आगे निर्देश दिये गए की	
			जीएसटी परिषद से इस संबंध में स्पष्टीकरण	
			प्राप्त किया जाये। यह तथ्य कि कंपनी द्वारा	
			इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञ राय प्राप्त नहीं की	
			गयी पुनर्बीमा कमीशन पर जीएसटी का भुगतान	
			न करने की कंपनी की प्रथा का कोई अन्य	
			औचित्य नहीं है। कंपनी द्वारा वाणिज्य विभाग	
			से पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकर्ताओं को	
			भुगतान किए गए सीडिंग कमीशन पर जीएसटी	
			छूट के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से स्पष्ठीकरण	
			प्राप्त करने का अनुरोध किया। पाया गया कि	
			सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ऐसे स्पष्ठीकरण	
			प्राप्त करने की सलाह दिए जाने के उपरांत	
			ही ही कंपनी ने स्पष्टीकरण मांगा गया अतः ,	
			कंपनी ने जुलाई 2017 में जीएसटी प्रशासन	
			की स्थापना के बाद से 4 वर्षों की अवधि	
			के दौरान जीएसटी अधिकारियों से किसी	
			प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास	
			भी नहीं किया एवं बिना किसी स्पष्टीकरण/ छूट के पुनर्बीमा आयोग पर जीएसटी का	
			भुगतान नहीं करने की प्रथा को जारी रखा।	
			प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि कंपनी जुलाई	
			2017 में जीएसटी प्रशासन की स्थापना के	
			पश्चात अपनी सभी जीएसटी अनिवार्यताओं	
			का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी	
			द्वारा बिना किसी महत्वपूर्ण अवलोकन के वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2020–	
			वत्त वर्ष २०१७- १८ स वित्त वर्ष २०२०- २१ तक अपना जीएसटी लेखा परीक्षा पूर्ण	
			21 तक अपना जाएसटा लखा पराक्षा पूर्ण की गयी है। कंपनी द्वारा सांविधिक लेखा	
			को गया हा कपना द्वारा सावायक लखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए संबन्धित प्रश्न के लिए	
			थरान्नयों द्वारा उठाएँ गए सवान्यत प्रश्न यो लिए 27.10.2021 को एक जीएसटी सलाहकार	
			/ सनदी लेखकर से एक राय ली गयी है।	

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

......

. . . . .

Name	Brief	Reporting Status
of the	of the	Reporting Status
Para	i uiu	
Audit Para	Para	it was observed that the Company had adopted the practice without obtaining any expert opinion from GST Consul- tant/expert/Chartered Accountant on the issue of applicability of GST on reinsurance commission. Despite the lack of any specific exemption towards the applicability of GST on reinsurance commission by GST authorities, the Company adopted and has continued till date with its practice of not paying GST on reinsurance commission based on the reason that the reinsurance com- mission received by insurance compa- nies was exempted from the purview of service tax under the erstwhile service tax regime as no service was provided by insurer to the reinsurer. However, exemption of a service from the purview of erstwhile service tax regime does not imply that the service would automati- cally qualify for exemption under GST regime. The same is also evident from the fact that the Statutory Auditor of the Company had opined that exemption of reinsurance commission from purview of service tax under the erstwhile ser- vice tax regime, may not be accepted automatically by GST authorities and further advised to obtain clarification from the GST council. Taking this into consideration along with the fact that the Company for not paying GST on reinsurance commission lacked justi- fication. The Company requested the Department of Commerce for obtaining clarification from the Ministry of Finance on the issue of GST exemption on ced- ing commission paid by reinsurers to insurers. It was observed that the Com- pany sought clarification from the GST authorities over the period of 4 years since the inception of GST regime in July 2017 and continued the practice of not paying GST on reinsurance com- mission without any clarification / ex- emption. The Management replied that the Company is complying with all its OCT enterviewers disce the incention enterviewer disce th
		fication. The Company requested th Department of Commerce for obtaining clarification from the Ministry of Finance on the issue of GST exemption on cert ing commission paid by reinsurers to insurers. It was observed that the Com- pany sought clarification only after the advice to obtain such clarification was advised by the Statutory Auditor. Thus the Company did not even attempt to obtain any clarification from the GS authorities over the period of 4 years since the inception of GST regime July 2017 and continued the practice of not paying GST on reinsurance com- mission without any clarification / ex- emption. The Management replied that

137

. . . .

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप	
			परामर्शदाता की राय दर्शाती है कि जी एस टी के अधीन सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन कर के अधीन नहीं आता है। साधारण बीमा निगम (जीआईसी), नोडल एजेंसी द्वारा पहले ही इस मुद्दे को उठाया गया है एवं कंपनी द्वारा पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकर्ताओं को भुगतान किए गए सीडिंग कमीशन पर जीएसटी छूट के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए वाणिज्य विभाग से अलग से अनुरोध किया गया है (दिसंबर 2021)। कंपनी द्वारा बित्ता मंत्रालय से पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए पुनर्बीमा सीडिंग कमीशन पर जीएसटी प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अपने मूल मंत्रालय के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। चूंकि सेवा कर व्यवस्था के दौरान सेवा कर की प्रयोज्यता को माफ कर दिया गया था एवं सामान्य बीमा की नोडल एजेंसी द्वारा स्पष्टीकरण के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही थी इस कारण कंपनी सीडिंग कमीशन पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थी। दिनांक 31.03.2022 तक सीएजी की

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप	
21.	वर्ष 2020– 21 के पैरा 2 के भाग IIख,	कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब (2020– 21 की अवधि के लिए कंपनी की शाखा के लिए संव्यवहार लेखा परीक्षा निरीक्षण रिपोर्ट)	प्राम गुंडावली, एम.वी. रोड अंधेरी (पूर्व) मुंबई में कंपनी के कॉपोरेट कार्यालय के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ टर्न की आधार पर कंपनी के कॉपोरेट कार्यालय के विनिर्मान हेतु (जून 2016) को समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए। कंपनी द्वारा सीपीडब्ल्यूडी को रे111.24 करोड़ की अपनी प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति से अवगत कराया (जून 2016) गया। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मेसर्स सैम इंडिया बिल्ट वेल प्रा लि को कंपनी के कार्यालय भवन के निर्माण का ठेका सौंपा गया (फरवरी 2017)। समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) की शर्त 9 के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने अथवा परियोजना आकिंटेक्ट द्वारा संविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से 26 महीनों, इसमें से जो भी बाद में हो, के भीतर कार्य को पूरा करना था। वर्तमान मामले में, फरवरी 2017 में सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य सौंपे जाने से 26 माह

## ई सी जी सी लिमिटेड

S.	e Brief	S.	Reporting Status
No.	e of the	No.	
	it Para		
	a		
			The Company has completed its GST audit from FY 2017-18 to FY 2020-21 without any major observations. The Company has obtained an opinion from a GST consultant/Chartered Accountant on 27.10.2021 after receiving a query from the Statutory Auditors. The expert opinion indicates that commission on reinsurance ceded is not liable to tax under GST. The General Insurance Council (GIC), the nodal agency has already taken up this issue and the Company has separately requested (December 2021) Department of Commerce for obtaining clarification from the Ministry of Finance on the issue of GST exemption on ceding commission paid by reinsurers to insurers. The Com- pany is continuously following up with its parent Ministry to obtain the clarification on GST applicability on the reinsurance ceding commission paid by reinsurers to insurers, from the Ministry of Finance. Since applicability of service tax was waived off during the Service Tax regime and nodal agency of General Insurance was following up for the clarifications, the Company was not paying GST on ceding commission. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

S. No.	Name of the Audit Para	Brief of the Para	Reporting Status
21.	Part IIB, Para 2 of the year 2021 – 22.	Inor- dinate delay in com- pletion of con- struc- tion of Cor- porate Office building (Trans- action Audit Inspec- tion Report for a branch	The Company entered (June 2016) into Memorandum of Understanding (MoU) with Central Public works Department (CPWD) for construction of corporate office building on turnkey basis at village Gundavali, M.V. Road Andheri (East) Mumbai. The Company conveyed (June 2016) to CPWD its administrative approval and expenditure sanction for ₹111.24 crore. CPWD had awarded (February 2017) the contract for construction of office building to M/s. SAM India Builtwell Private Ltd. As per the clause 9 of MoU, CPWD was to complete work within 26 months from date of signing of MoU or submission of tender documents by the Project Architect, whichever is later. In the instant case, even by taking the completion period of 26 months from award of work by CPWD in February 2017,

Ù.



......

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

ame	Brief	Reporting Status
f the	of the	Roporting Otatus
udit	Para	
Para		
	of The Com- pany for the period 2020 - 21)	the work should have been completed by March 2019. However, the building work has not been completed as on date (January 2022) by CPWD. The Company has released an amount of ₹111.24 crore to CPWD up to December 2021. As per the MoU entered by the Company with CDWD there is no
		2021. As per the MoU entered by the Company with CPWD, there is no provision for recovery of penalty/ damages from CPWD for delay in completion of the work. The Company has taken on rent premises at Express Towers and Dalamal House at Nariman point. The rent paid for the aforesaid rented premises for the year 2020-21 was ₹7.98 crore. Thus, due to inordinate delay by CPWD in completing the work entrusted to them, the Company had to incur avoidable expenditure of ₹7.98 crore towards rent for rented premises. Management replied that the main reasons for delay was in receipt of duly vetted IIT Architectural, structural, conceptual drawing, Covid 19 situation and shifting of location of data centre. CPWD has withheld an amount of ₹284.64 lakh of the Contractor for the delay in achievement of the milestone. As reported by CPWD most of the work has been completed and the final finishing work is in progress. The process for obtaining the Occupation Certificate (OC) from MCGM has been initiated and some of the major OC compliances (like Structural stability certificate, Lifts certificate, Set back handing over to MCGM, Sewerage connection with municipal lane, Carriage entrance, GVK verification, Water proofing pond test, Storm water drain remark, Drainage completion certificate, Rain water harvesting, Vermiculture bins, No dues certificate, Smoke test, Zero waste u/t, etc.) have been received for the project. However, there are a few more OC compliances viz. Chief Fire Officer's NOC, NOC from Suptd. Of Gardens,
		etc. which are in the process and it may take one- or two-months' time to get the OC compliances. After receiving the above from MCGM, the process for other statutory compliances will be initiated for the shifting of office. In view of the above the Company requests the CAG to kindly drop the subject Para. Further response from the CAG on the
		para is awaited as on 31.03.2022.

139

.....

# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

. . . .

.....

क्र. सं. 22

140

Ù.

## ई सी जी सी लिमिटेड

.....

Name	Brief	Reporting Status
of the	of the	
Audit	Para	
Para		
Part IIB, Para 3 of the year 2021 – 22.	Non-mon- itoring of recovery towards claims set- tled by the Company. (Transac- tion Audit Inspection Report for a branch of the Compa- ny for the period 2020 - 21)	Audit observed that as per the Master Manual for processing of claims, the Company may decide to take recovery action on its own in some cases after obtaining the necessary mandate from the Poli- cyholders. Further, in other cases, the Company will be advising the Policyholder to take appropriate action to effect recovery through a debt collection agent and filing a suit against the buyer, if advised by such agent. As and when any amount is recovered in a case where the Company had settled a claim, the amount would be shared with the Company in the same pro- portion in which the loss was borne. Audit observed that the recovery in Policy and ECIB business as of December 2021 was only ₹1296.23 crore as against the total claim payment of ₹11730.87 crore up to December 2021. Further, it may also be seen that as of December 2021, recovery in Policy segment was only 5.15 percent whereas recovery in ECIB segment was only 12.66 percent. In view of the fact that recoveries to the tune of ₹10423.54 crore was still pending as of December 2021, the process of recoveries of claims paid by the Company was not commensurate with the claims paid by the Compa- ny. Audit further observed the fol- lowing with regard to the recovery efforts towards the claims paid by the Company: The recovery efforts of the Company were mainly driven by the actions indicated in the policy documents / ECIB bond for the poli- cyholder and the master manual for processing of claims of the Compa- ny. However, it was observed that the Company had not formulated any Standard Operating Procedure to be adopted at branch / Head Of- fice level for effecting and follow- ing-up on recovery of claims set- tled as well as sharing of amounts recovered by the policyholders/ banks. Thus, the Company had not put in place an appropriate system to minimize moral hazard on ac- count of banks / policyholders / banks on a regular basis for recov- ering the amounts lost. The branch- es of the Company do not have an independent recovery department.

सं.     पैरा का नाम     संक्षेप       एवं उचित प्रयास करने के लिए न तो श स्तर पर वसूली हेतु किसी स्वतंत्र वि की स्थापना की गयी है व न ही कंपनी शाखाओं में उचित श्रम बल ही प्रदान वि गया है। कंपनी की शाखाओं की नवीन्		No.	oft
स्तर पर वसूली हेतु किसी स्वतंत्र वि की स्थापना की गयी है व न ही कंपनी शाखाओं में उचित श्रम बल ही प्रदान वि			
निरीक्षण / आंतरिक लेखा परीक्ष की सि के अनुसार , इन शाखाओं में वसूली संबंध में की जाने वाली टिप्पणियों में मान्न दर्शाया गया है कि इस प्रकार की अवधि दौरान वसूल की गयी राशि , शाखाओं भेजे गए वसूली जे तिए नोटों की तैयारी एवं प्रग्नि का ही उद्घेख मिलता है। तथापि इन शाख को लेखा परीक्षा रिपोर्टों में शाखा स्तर वसूलियों की साखाएं उन निर्यातकों एवं क्रैंक इंमेल/पत्र भेज रही थी जिन्हें दावों भुगतान किसा गया था। इसके अल कंपनी के शाखाएं उन निर्यातकों एवं कैंक मुंगतान किसा गया था। इसके अल कंपनी के आधकारियों द्वारा उन निर्यात एवं बैंकों का भी दौरा किया गया कंपनी के आधकारियों द्वारा उन निर्यात एवं बैंकों का भी दौरा किया गया त मुंगतान किए गए दावों पर की गयी वस् एवं बैंकों का भी दौरा किया गया त सुंगतान किए गए दावों पर की गयी वस् पर नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा र लेखा परीक्षक द्वारा नमूना आधार पर दावों के वसूली आंकडों की जांच की जिसमें यह पाया गया कि सात दावों में बैं पॉलिसीधारकों द्वारा की गयी वसूली की ता उपलक्य नहीं थी। इसके अलावा, छह व में, कंपनी द्वारा खिन गयी कि सात उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, छह व में, कंपनी द्वारा कि गया वस्तुलि की ता उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, छह व में, कंपनी द्वारा कि गया वस्तुली की ता उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, छह व में, कंपनी द्वारा कि नी या कि स्वोध्त लोरिख प्रदान नहीं किया है। अतः ज्ञात ह है कि कंपनी द्वारा किसी प्रकार की निम्म तंत्र को स्थापित नहीं किया है। अतः जात ह है कि कंपनी द्वारा किसी प्रकार की निम्म तंत्र को स्थापित वहीं किया है। अतः क्रात ह में कंपनी दास सिक पॉलिसीधारकों / इं को प्रेषित वसूली के विषय में स्वयालित रु जानकारी प्राप्त हो सको। ऐसी किसी व्यवस्थ अभाव में, कंपनी यहा आकालन करने की सि में नहीं होगी कि संबंधित पॉलिसीधारकों / दो को प्रेषित वसूली या दे को द्युति का रही मं नहीं होगी कि पॉलिसीधारकों / दो को प्रेषित वसूली या दे को द्यति करने ती सि में नहीं होगी कि पॉलिसीधारकों / दो को प्रेषित वसूली या स्व सुंग रिया कि या के ल्यूततम नीतिक जोखित को बढ़ाकर वर्गनी के स समय पर साझा की जाती हो आतः कंपनी के लिए जा रहे है अथवा नहीं, के लिए प नहीं है। इसके अतिरिक्त कंपनी को अम क समेकित प्रयासों को बढ़ाकर वस्युति	मा की ग्या स टिंके स के रा की ग्रे के पर है। के का ब, के कि लि के 10 यि ं वियो रा ति नि नि के स के ति के या ति रा था रा के नि की स म बर हु है। ————————————————————————————————————		

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

. . . . .

ame	Brief	Reporting Status
f the	of the	-
udit	Para	
Para		
		Further, the officer responsible for claim settlement at branch level was also responsible for recov- ery work and coordination with exporter, Debt Collection Agency and banks. Thus, neither separate recovery department was estab- lished at branch level nor separate manpower was deployed at branch level at any of the branches of the Company to put in concerted ef- forts towards recovery from the policyholders, banks and default- ing buyers in foreign countries. As per the latest post inspection / internal audit reports of the Com- pany's branches, the observations with respect to recovery in these branches mainly stated the amount recovered during the period of such audit, recovery reminders sent by branches, preparation of notes and the processing of such recover- ies at the branch level. The Com- pany branches were sending mails / letters to the exporters and bank- ers to whom the claims were paid. Further, visits were also conduct- ed to these exporters and bank- ers to whom the claims paid. Audit scrutinized the recover- ies against the claims paid. Audit scrutinized the recovery by banks / policyholders was not available in seven claims. Further, in six claims, it was stated by the Company had not established any tracking mechanism under which it would be automatically informed / intimated of the remittance of re- coveries by the defaulting buyers / liquidators / administrations / agen- cies directly to the policyholders / banks. In the absence of any such mechanism, the Company would not be in a position to assess wheth- er the recoveries have been made by the concerned policyholders / banks and also to evaluate that the recoveries, if any, received by the policyholders / banks are remitted to the Company in a timely manner. Thus, the recovery mechanism put in place by the Company was not adequate to ensure minimization of



## ई सी जी सी लिमिटेड

. . . ..

. . . .

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति		S.	Name	
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप			No.	of the	
			लेखापरीक्षक द्वारा उल्लेख किया गया कि एक			Audit	
			उपयुक्त ट्रैकिंग प्रणाली के साथ कंपनी यह			Para	
			आकलन करने की स्थिति में होगी कि क्या				
			संबंधित पॉलिसीधारकों/बैंकों द्वारा वसूली की				
			गई है अथवा नहीं एवं इसके जरिये यह मूल्यांकन				
			भी किया जा सकता है कि पॉलिसीधारकों/बैंकों				
			द्वारा प्राप्त वसूली, यदि कोई हो, तो, कंपनी				
			को समय पर प्रेषित की जाती है। वसूली				
			की स्थिति एवं शाखा स्तर पर वसूलियों की पर्याप्तता एवं प्रभावपूर्णता पर दी गयी सलाह को				
			आंतरिक लेखापरीक्षा के सीमा क्षेत्र में शामिल				
			किया जाये एवं विकसित कार्यप्रणाली को लेखा				
			लेखा परीक्षा विभाग के साथ साझा किया जाये।				
			इस पर प्रबंधन द्वारा उत्तर दिया गया कि				
			पॉलिसी के अधीन चूक की अवस्था यथा यदि				
			खरीदार द्वारा देय तारीख को निर्यातक को				
			अदायगी न की गयी हो तो पॉलिसी के अधीन				
			दिशानिर्देशों के आधार पर पॉलिसी धारक				[
			द्वारा कंपनी इसकी सूचना दी जाती है। उसके				[
			आधार पर कंपनी द्वारा पॉलिसी धारक को				
			सलाह दी जाती है कि कंपनी द्वारा सूचीबद्ध				
			ऋग वसूलीकर्ता एजेंसी (डीसीए) के माध्यम से खरीदार के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा				
			निर्णीत अनुसार वसूली कार्रवाई की जाए अथवा				
			कानूनी कार्रवाई जैसा भी मामला हो, की जाये।				
			पॉलिसीधारक के पास पैनल में शामिल डीसीए				
			अथवा कानूनी कार्रवाई से स्वतंत्र होकर स्वयं				
			कोई कार्रवाई करने का विकल्प उपलब्ध है।				
			पॉलिसीधारक को खरीदार के विरुद्ध वसूली				
			कार्रवाई आरंभ करने के लिए डीसीए के साथ				
			समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं डीसीए द्वारा पॉलिसी धारक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर				
			होने के तुरंत बाद वसूली कार्रवाई आरंभ की				
			जाती है एवं डीसीए द्वारा समय–समय पर				
			पॉलिसीधारक एवं कंपनी को ईमेल के माध्यम				
			से स्थिति की सूचना दी जाती है। यदि खरीदार				[
			सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए तैयार नहीं हो तो				
			कभी–कभी डीसीए द्वारा कानूनी कार्रवाई की				
			भी सलाह दी जाती है। डीसीए द्वारा पॉलिसी				
			धारक एवं कंपनी को कानूनी प्रक्रिया की संभावित लागत एवं संभावना के विषय में भी				[
			समावित लोगत एव समावना क विषय म मा सलाह दी जाती है। संभावित लागतों, जीतने				[
			की संभावना एवं किसी भी डिक्री को लागू करने				[
			की संभावना के आधार पर, पॉलिसी धारक द्वारा				
			कानूनी कार्यवाही के विकल्प का चुनाव किया				
			जाता है। हमारे अनुभव से यह देखा गया है कि				[
			अधिकांश मामलों में हानि एवं दावों के निपटारे				
			की तुलना में कानूनी व्यय बहुत अधिक होता है। पन भी देखा गुगा है कि पश्चिमी प्रयोग पनं				[
			है। यह भी देखा गया है कि पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में कुछ मामलों में ऐसे खरीदार				[
			जो राजकोषीय दबाव के कारण दिवालिया हो				[
			गए थे एवं इनके संबंध में वसूली की संभावना				
			न्यूनतम है। ईसीआईबी के अधीन बैंकरों द्वारा				
			निर्यातक के विरुद्ध वसूली कार्रवाई तब आरंभ				
			की जाती है जब बैंकों की मंजूरी शर्तों, आंतरिक				[
				I			L

142

Ù.

Brief	Reporting Status
of the	
Para	
	moral hazard of banks / policyholder and to ensure that concerted efforts are being made by the policyholders / banks on a regular basis for recovering the amounts lost. Further, the Company also needs to step up its efforts for recovery by enhancing manpower concerted efforts so as to ensure its long run sustenance without additional assistance from the Government in the future. The audit observed that with a tracking system the Company would be in a position to assess whether the recoveries have been made by the concerned policyholders/banks and also to evaluate that the recoveries, if any, received by the policyholders/ banks are remitted to the Company in a timely manner. The status of recoveries, advice given to Internal Audit Department to include the points regarding adequacy and efficacy of recoveries at BO level in their scope of Audit, development of tracking system may be intimated to Audit. Management replied that under Policy at the default stage, i.e. if the buyer has not paid his dues to the Policy Holder (PH) on the due date, the PH reports default to the Company as per the extant guidelines. On the basis of that the Company advises the PH that recovery action against the buyer be taken through Debt Collecting Agency (DCA) empaneled by the Company or legal action as the case may be as decided by the competent authority. The PH has the option of pursuing action on their own independent of the empaneled DCA or Legal action. The PH has the option of pursuing action if the buyer is not ready for an amicable settlement. The DCA also advises the PH and the updates the status through email to the PH and the Company, from time to time. Sometimes the DCA advises, for legal action if the buyer is not ready for an amicable settlement. The DCA also advises the PH and the Company the possible costs and the probability of winning and possibility of enforcing any decree, the PH takes a call on pursuing the legal option. From our experience it is observed that the legal expenses are much higher as compared to t
	ciaims settled, in most of the cases.

64 <sup>th</sup> Annual Report - 2021
---------------------------------------

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति	S.	Name	Brief	Reporting Status
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप		No.	of the	of the	
			दिशानिर्देशों एवं आरबीआई दिशानिर्देशों के		Audit	Para	
			अनुसार निर्यातक को जारी अग्रिम चूकाधीन		Para		
			हो जाते हैं। उधारकर्ता–निर्यातक का दिवालिया				It is also observed that in quite a few cases in western Europe and North
			होना, निर्यात आदेशों को निष्पादित करने में निर्यातक की विफलता एवं देय राशि को अदा				America the buyers who had defaulted
			करने स्थानीय स्रोतों की असमर्थता अथवा				due to fiscal stress file for insolvency
			खरीदार से देय राशि की अप्राप्ति एवं बकाया				and the chances of recovery are minimal. Under ECIB the bank starts
			राशि की अदायगी में में असमर्थता आदि चूक				recovery action against the exporter
			का कारण साबित हो सकते हैं। सामान्यतया				when the advances released to the exporter becomes default as per
			बैंकों द्वारा हेतु सरफेसी के अधीन वसूली की				banks' sanction conditions, internal
			कार्यवाही की जाती है परंतु हाल ही में बैंकों द्वारा आईबीसी के अधीन भी वसूली की कार्यवाही				guidelines and RBI guidelines. The
			प्रारम्भ किया जा रहा है। बैंकों द्वारा अपनाई				reason for the default might be insolvency of the borrower - exporter,
			जाने वाले वसूली के अन्य तरीकों में भ रि बैं				the failure to execute export orders
			के दिशानिर्देशों के आधार पर एकमुश्त भुगतान				and inability to liquidate the dues by Local sources or non-receipt of dues
			निपटान (ओटीएस) एवं ए आर सी को अशोध्य				from the buyer and inability to liquidate
1			ऋगों के पोर्टफोलियो की बिक्री के जरिये ऋगों का प्रतिभूतिकरण भी शामिल हैं। किसी भी				dues etc. The Banks typically resort to SARFAESI and lately resorting to
			पद्धति से निधियों की प्राप्ति पर प्राप्त हुई राशि				proceeding under the IBC to effect
			का कंपनी के साथ उसी अनुपात में साझा किया				recovery. The other methods for
			जाता है जिस अनुपात में दावे का निपटान				effecting the recoveries pursued by the banks are One Time Settlement
			किया गया था। आम तौर पर शाखाओं में दावे				(OTS) as per the RBI guidelines and
			पर प्रक्रिया करने करने वाला अधिकारी वसूली				through securitization of debt by sale of bad debt portfolios to ARC. On
			प्रक्रिया भी करता है। चूंकि भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए लंबित दावों की संख्या कम				receipt of funds in any of the methods,
			होती है, वहाँ उसी अधिकारी द्वारा वसूली की				the same is to be shared with the
			कार्यवाही की जाती है जिस अधिकारी द्वारा				Company on the same proportion in which the claim was settled.
			दावे पर प्रक्रिया की गयी थी। एवं जहां कहीं				Normally in branches the officer who
			भी भुगतान किए गए दावे के मामले अधिक हैं,				processes the claim does the recovery
			अन्य कार्यों के अलावा, वसूली अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक अतिरिक्त अधिकारी तैनात किया				process also. Since the number of claims paid and pending for recovery
			गया है। अधिकारी द्वारा निर्यातक एवं बैंकों को				is lesser/minimal. However, wherever
			नियमित रूप से पत्र भेजा जाता है एवं भुगतान				the claim paid cases are high, an additional officer will be posted for
			किए गए दावे की वसूली के लिए प्राप्त वसूली का				recovery follow up, in addition to other
			विवरण साझा करने का अनुरोध किया जाता है				works. The official sends regular letters
			तथा निर्यातक अथवा बैंकर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वसूली के हिस्से की गणना कर, सहायक				to the exporter and banker requesting them to share the details of recovery
			दस्तावेजों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है।				received if any, of recovery of claim
			उसके द्वारा ईसीआईबी के अधीन निर्यातक एवं				paid and on receipt of proposal from the exporter or banker he computes
			पॉलिसी के अधीन खरीदार से वसूली प्राप्ति हेतु				the recovery share and follow-up for
			डीसीए के साथ एवं निर्यातक के बैंक के साथ				the supporting documents and the
			संपर्क किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र अधिकारी (एफ ओ) के साथ प्रदत्त एवं वसूली				recovery proceeds. He coordinates with the exporter banker as well as
1			के लिए लंबित दावों की सूची को साझा किया				with the DCA for recovery receipt
1			जाता है एवं एफ ओ द्वारा निर्यातक एवं बैंक के				from buyer under policy and exporter under ECIB. In addition to the above,
			साथ वसूली हेतु निरंतर पत्राचार किया जाता है।				the list of paid claims and pending for
			लेखा परीक्षक (सीएजी) के निर्देशानुसार कंपनी				recovery is being shared with our field officer (FO) and he visits the exporter
1			द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को शाखा स्तर पर वसूलियों की पर्याप्तता एवं प्रभावपूर्णता				and banker regularly for recovery
			स्तर पर वसूलिया का पंयाप्तता एव प्रमावपूर्णता संबंधी मदों को अपनी लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र				follow-up. As advised / suggested by
			में शामिल करने के लिए निर्देश दिये जाएँगे।				Audit (the CAG) the Company shall advise the Internal Audit department
			पॉलिसी एवं ईसीआईबी के अधीन क्रमशः				to include the points regarding
1			पॉलिसी धारक एवं बैंक को दावे की अदायगी				adequacy and efficacy of recoveries at BO Level in their scope of Audit.
1			के पश्चात, कंपनी की शाखा द्वारा नियमित रूप से वपनी की नवीनवुप फिश्चित की जुपनकारी				After payment of claim to PH and bank
			से वसूली की नवीनतम स्थिति की जानकारी				under Policy and ECIB respectively,


# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

क्र.	लेखापरीक्षा	पैरा का	रिपोर्टिंग स्थिति
सं.	पैरा का नाम	संक्षेप	
			हेतु पॉलिसीधारक एवं बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है एवं पॉलिसीधारक अथवा बैंक से किसी भी प्रकार की वसूली प्रस्ताव की प्राप्ति पर एक अधिकारी द्वारा वसूली में कंपनी के हिस्से की गणना की जाती है एवं उन्हें तत्काल कंपनी के साथ उसके हिस्से को तत्काल साझा करने हेतु मांग की जाती है। जहां तक ट्रैकिंग सिस्टम आदि का संबंध है, पॉलिसी के अधीन वसूली अधिकतर डीसीए के माध्यम से प्राप्त होती है जैसा कि उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया गया है। डीसीए द्वारा कंपनी को वसूली की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है एवं इसकी प्राप्ति पर एक अधिकारी द्वारा पॉलिसी धारक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है एवं वसूली में से कंपनी के हिस्से की मांग कर उसे वसूला जाता है। बैंक से वसूली के संबंध में, बैंक के पास देय राशि की वसूली के लिए अपना तंत्र है, एवं वसूली की प्राप्ति पर कंपनी द्वारा बैंक को जारी किए गए ईसीआईबी रक्षा के निबंधनों एवं के अनुसार कंपनी को उसका हिस्सा प्राप्त हो जाता है। बैंक द्वारा वसूली की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर वसूली में से कंपनी का हिस्सा कंपनी को अदा करना होता है अन्यथा, वसूल की गयी राशि पर सामान्य बैंक ब्याज लगाया जाएगा। उक्त के आधार पर कंपनी सीएजी से अनुरोध करती है कि कृपया विषय पैरा को को रद्द कर दें। 31.03.2022 तक पैरा पर सीएजी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

#### सूचना का अधिकार (आरटीआई)

कंपनी के पास मुंबई में प्रधान कार्यालय में स्थित एक आरटीआई कक्ष है जिसका नेतृत्व सहायक महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। मुंबई में प्रधान कार्यालय में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफ ए ए) का नेतृत्व उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। आरटीआई अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति पर आवेदनों का उत्तर आरटीआई अधिनियम के अधीन अनुमत समय सीमा के भीतर दिया जाता है। संचालित आवेदनों की संख्या की रिपोर्ट तिमाही आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर अद्यतित की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 184 आवेदनों पर कार्यवाही की गयी। कंपनी द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों के संबंध में सभी नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

#### अनुलग्नक V

दिनांक 31.03.2022 तव	न कंपनी कें	री सेवा में ज	सेवारत वि	देव्यांग क	र्मियों
का प्रतिनिधित्व					

	ईसीजीर्स	ो में दिव्य	कुल		
समूह	दृ बा	श्र बा	अ वि	चतुर्थ श्रेणी	दृ बा  + श्र बा + अ वि + चतुर्थ श्रेणी
क	3	1	5	0	9
ख	2	3	2	1	8
ग	0	0	0	0	0
घ	1	0	0	0	1
कुल	6	4	7	1	18

# ई सी जी सी लिमिटेड

S. No.	Name of the Audit Para	 Reporting Status
		the Company's branch follows up with PH and banks for latest position of recovery regularly and on receipt of any recovery proposal either from PH or from bank an official works out the recovery share to be shared with the Company and informs them to remit it immediately. As regards to the tracking system etc. the recovery under policy is mostly received through DCA as explained in para above. The DCA updates the recovery position to the Company and on receipt of the same an official follows up with PH and receive our share of recovery. With regard to recovery from the bank, the bank is having their own mechanism to recover the dues, and on receipt of the recovery the Company gets their share as per the terms and condition of ECIB cover issued to the bank. Bank has to remit the recovery share within 7 days from the receipt of the recovery otherwise, the normal bank interest will be levied on the recovery. In view of the above the Company requests the CAG to kindly drop the subject Para. Further response from the CAG on the para is awaited as on 31.03.2022.

#### **RIGHT TO INFORMATION (RTI)**

The Company has an RTI Cell situated at the Head Office in Mumbai which is headed by an Assistant General Manager. The First Appellate Authority (FAA) at the Head Office in Mumbai is headed by a Deputy General Manager. The applications received under the RTI Act are responded as and when received within the timeline permitted under the RTI Act. The report of number of applications handled is updated on the Central Information Commission's (CIC) website on quarterly basis. A total of 184 applications were handled during the FY 2021-22. The Company has complied with all the regulatory requirements in respect of the RTI applications received.

#### Annexure V

Representation of Persons with Disabilities in the Services of the Company as of 31/03/2022.

Group	Data o	f pers ities	Total		
Group	VI	н	ос	4th Cate- gory	VI+ HI+OC + 4th Category
A	3	1	5	0	9
В	2	3	2	1	8
C	0	0	0	0	0
D	1	0	0	0	1
Total	6	4	7	1	18

दृ बा	दृष्टिं बाधित
श्र बा	श्रव्य बाधित
अ वि	अस्थि विकलांगता
4थी श्रेणी	(i) सीखने की विशिष्ट अक्षमता (एसएलडी)
	अथवा दृ बा, श्र बा, अ वि अथवा चौथी
	श्रेणी सहित एकाधिक अक्षमता

#### अनुलग्नक VI

वर्ष 2021-22 में भर्ती से संबन्धित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व

ईसीजीसी लिमिटेड, समूह	नियुक्त कुल कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अनु जन जा के कर्मियों की सं	नियुक्त अ पि व के कर्मियों की सं	नियुक्त आ पि व के कर्मियों की सं
समूह क	0	0	0	0	0
समूह ख	59	9	3	16	5
समूह ग	6	0	0	1	0
समूह घ	0	0	0	0	0
कुल	65	9	3	17	5

नोटः (i) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान समूह ख संवर्ग के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई एवं 59 उम्मीदवारों की परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती की गयी।

(ii) समूह ग के अधीन अनुकंपा आधार पर नियुक्ति योजना के के अधीन छह उम्मीदवारों की भर्ती की गयी।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

VI	Visually Impaired
ні	Hearing Impaired
OC	Orthopaedically Challenged
4th Category	(i) Specific Learning Disability (SLD) or Multiple disabilities including VI, HI, OC and 4th Category

Annexure VI

Representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Section pertaining to recruitment in the Company 2021-22

ECGC Ltd. Group	Total no of Em- ployees recruited	No. of SC Em- ployees recruited	No. of ST Em- ployees recruit- ed	No. of OBC Em- ployees recruited	No. of EWS Em- ployees recruited
Group A	0	0	0	0	0
Group B	59	9	3	16	5
Group C	6	0	0	1	0
Group D	0	0	0	0	0
TOTAL	65	9	3	17	5

Note: (i) Recruitment examination has been conducted for Group B cadre in FY 2021-22 and 59 candidates were recruited as Probationary Officers.

(ii) Six candidates were appointed under Scheme of Compassionate Appointment under Group C cadre.

#### Annexure VII

#### अनुलग्नक VII

दिनांक 31.03.2022 तक कंपनी के श्रम बल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व Representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes in the Company's workforce as on 31/03/2022

समूह Group	कुल कर्मी Total Number of Employees	कुल अनु जा के कर्मी No. of SC Employees	अनु जा के कर्मियों का % % of SC em- ployees	कुल अनु जन जा के कर्मी No. of ST Employees	अनु जन जा के कर्मियों का% % of ST employees	कुल अ पि व के कर्मी No. of OBC Employees	अ पि व के कर्मियों का % % of OBC employees
समूह क Group A	261	47	18%	19	7%	61	23%
समूह ख Group B	283	51	18%	20	7%	74	26%
समूह ग Group C	20	3	15%	3	15%	2	10%
समूह घ Group D	5	1	20%	0	0%	1	20%
कुल TOTAL	569	102	18%	42	7%	138	24%

100



# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

# वित्तीय विवरण FINANCIAL STATEMENTS

#### वित्तीय विवरणों पर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनाने एवं अनुमोदन हेतु निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की गलत अथवा भ्रामक बयान अथवा आंकड़े नहीं हैं एवं न ही किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा गया है जो उसमें निहित बयानों अथवा आंकड़ों को भ्रामक बना सकता है।

#### **Certificate on Financial Statements**

This is to certify that the financial statements of the company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2022 placed before the Board of Directors for adoption and approval do not contain any false or misleading statements or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

(निर्दोष चोपड़ा) मुख्य वित्तीय अधिकारी

(एम सेंथिलनाथन ) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (Nirdosh Chopra) Chief Financial Officer (M Senthilnathan) Chairman-cum Managing Director

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022

Place : Mumbai Date : 25<sup>th</sup> May, 2022



64th Annual Report - 2021-2022

147

#### **फॉर्म बी- आर ए / FORM B-RA ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited** सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

# 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता

### **REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2022**

पंजीकरण संख्या 124 Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002 Date of Registration : 27th September, 2002

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
Sr.	Particulars	Schedule	लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
No.			Current Period	<b>Previous Period</b>
			Audited (₹'000)	Audited (₹'000)
1.	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	1	882,16,36.22	827,30,63.57
	Premiums earned (Net)			
2.	निवेश की बिक्री/शोधन से लाभ		67,61,43.47	108,92,91.45
	Profit on Sale/Redemption of Investment			<i>/</i>
3.	निवेश की बिक्री/शोधन से हानि		-	(30,25,69.93)
	Loss on Sale/Redemption of Investment			
4.	अन्य / Others			
	– शुल्क / Fee		1,36,13.14	92,07.61
	– विविध आय / Miscellaneous Income		95,52.89	9,59.10
	– संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset		74,46.41	9,07.89
5	ब्याज, लाभांश एवं किराया – सकल		532,13,84.24	498,42,64.58
	Interest, Dividend & Rent - Gross			
	कुल (क) / TOTAL (A)		1484,97,76.37	1405,51,24.27
1	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	546,19,29.35	884,52,05.49
2	कमीशन / Commission	3	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय			
	Operating Expenses related to Insurance Business	4	281,51,56.59	270,92,57.55
4	अन्य / Others			
	–प्रीमियम की कमी / Premium Deficiency		(8,02,00.00)	106,24,00.00
	– निवेश पर व्यय		44.07.40.40	10 00 75 04
	Expenses towards Investments		11,97,43.10	10,92,75.81
	– प्रावधान, निवेशों पर बट्टे खाते में डाली गई राशि		(18,75.48)	-
	Provision, Write Off towards Investments			
	कुल (ख) / TOTAL (B)		800,09,69.17	1246,41,52.86
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख)			
	Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous Business		684,88,07.20	159,09,71.41
	C =(A-B)			
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholder's		684,88,07.20	159,09,71.41
	Account		004,00,07.20	100,00,71.41
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण / Transfer to Catastrophe		_	_
	Reserve			
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves		-	-
	कुल (ग) / TOTAL (C)		684,88,07.20	159,09,71.41

64<sup>वी</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

ई सी जी सी लिमिटेड

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों की टिप्पणियाँ राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं ।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account.

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है ।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

(एम. सेंथिलनाथन) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (M. SENTHILNATHAN) Chairman-cum-Managing Director DIN - 07376766 **(देवेश श्रीवास्तव)** निदेशक **(DEVESH SRIVASTAVA)** Director DIN - 08646006

**(ए शक्तिवेल )** निदेशक

(A SAKTHIVEL) Director DIN - 00027485

(सुनील जोशी) कार्यपालक निदेशक (SUNIL JOSHI) Executive Director DIN - 08778530 (अमित कुमार अग्रवाल) निदेशक (AMIT KUMAR AGARWAL) Director DIN - 05333909

> (निर्दोष चोपड़ा) मुख्य वित्तीय अधिकारी (NIRDOSH CHOPRA) Chief Financial Officer

(प्रतिभा कुशवाहा ) निदेशक (PRATIBHA KUSHWAHA) Director DIN – 09395541

> (स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (SMITA PANDIT) Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

100

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015 For abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015

> **(अनिल चिकोडी )** भागीदार – M.No. 107659 पुणे **(ANIL CHIKODI)** Partner - M.No. 107659 Pune

कृते एस एन के एंड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 109176W For SNK & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W

(अंकित डी.दानावाला) भागीदार – M. No. 119972 (ANKIT D. DANAWALA) Partner - M.No. 119972

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022 Place : Mumbai Dated : 25<sup>th</sup> May, 2022

64th Annual Report - 2021-2022

149

# फॉर्म बी− पी एल / FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

# 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा

# PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2022

पंजीकरण संख्या 124 Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002 Date of Registration : 27th September, 2002

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period
			Audited (₹'000)	Audited (₹'000)
1	परिचालन लाभ / (हानि) OPERATING PROFIT/(LOSS)			
	(क) अग्नि बीमा / (a) Fire Insurance		-	-
	(ख) मरीन बीमा / (b) Marine Insurance		-	-
	(ग) विविध बीमा / (c) Miscellaneous Insurance		684,88,07.20	159,09,71.41
2	निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS			
	(क) ब्याज व लाभांश- सकल (a) Interest, Dividends & Rent-Gross		435,38,59.84	376,00,59.24
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments		55,32,08.29	82,17,46.18
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments		-	(22,82,54.51)
3	अन्य आय / OTHER INCOME			
	(क) एन ई आई ए आय / (a) NEIA Income		2,81,42.42	2,65,29.75
	(ख)  किराया व अन्य आय (b)  Rent & Other receipts		17,42.99	18,32.03
	(ग) अन्य व्याज आय / (c) Other Interest Income		1,36,31.44	1,52,22.60
	(घ) विविध आय एवं फैक्टरिंग आय (d) Other Miscellaneous Income and Factoring Income		2,58,60.00	1,30,22.49
	कुल (क) / TOTAL (A)		1182,52,52.18	600,11,29.19
4	प्रावधान (कराधान के अलावा)			
	PROVISIONS (Other than Taxation)			
	(क) निवेशों के मूल्यह्रास के लिए (a) For diminution in the value of investments		-	-
	(ख) प्रावधान, निवेशों को बट्टे खाते में डालना (b) Provision, Write Off - Investments			
	– मानक आस्ति / Standard Asset		-	-
	– निम्न मानक आस्ति / Sub Standard Asset		-	-
	–सदिंग्ध आस्ति / Doubtful Asset		(15,34.48)	-
	– हानि संपत्ति / Loss Asset		-	-
	(ग) सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		35.60	(30.80)
	(c) Provision for Doubtful Debts			

# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

# ई सी जी सी लिमिटेड

5	अन्य व्यय / OTHER EXPENSES		
	<ul> <li>(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय</li> <li>(a) Expenses other than those related to Insurance Business</li> </ul>		
	निवेश के लिए व्यय	0 70 74 00	0.04.00.44
	Expenses towards Investments	9,79,71.62	8,24,36.14
	कॉपॉरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	11,90,09.34	2 77 62 40
	Expenses towards Corporate Social Responsibility	11,90,09.34	3,77,53.48
	विविध व्यय	11,25.42	(0.05)
	Miscellaneous Expense	11,20.42	(0.03)
	(ख) अन्य – फैकटरिंग व्यय (b) Others - Factoring expenses	1.26	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)	21,66,08.76	12,01,58.77
	कर पूर्व लाभ (क- ख) / Profit Before Tax (A - B)	1160,86,43.42	588,09,70.42
	घटाएँ / Less:		
	(क) कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation		
	आस्थगित कर / Deferred Tax	35,79.89	(2,95,89.55)
	वर्तमान कर / Current Tax	255,00,00.00	127,00,00.00
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments	29,84,55.51	5,44,88.94
	(ग) कर समायोजन – पूर्व के वर्षों के (c) Tax Adjustments - Earlier years	49,88.17	(1,69,77.93)
	विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for appropriation	875,16,19.85	460,30,48.96
	विनियोग / APPROPRIATIONS		
	(क) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividends Paid During the Year	-	-
	(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend	-	-
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed Final Dividend	-	-
	(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर (d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend	-	-
	(ड़) फैक्टरिंग योजना के लिए प्रारक्षित निधि में अंतरण (e) Transfer to Reserve for Factoring Scheme	-	-
	(च) सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरण (f) Transfer to General Reserve	598,66,19.85	300,80,48.96
	पिछले वर्ष से आगे लाया गया लाभ/हानि का तुलन पत्र में आगे		
	लाया गया शेष Balance of profit/loss brought forward from last year	-	-
	Balance carried forward to Balance Sheet	276,50,00.00	159,50,00.00



(एम. सेंथिलनाथन) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (M. SENTHILNATHAN) Chairman-cum-Managing Director DIN - 07376766 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

(देवेश श्रीवास्तव) निदेशक (DEVESH SRIVASTAVA) Director DIN - 08646006

**(ए शक्तिवेल )** निदेशक **(A SAKTHIVEL)** Director DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल) निदेशक (AMIT KUMAR AGARWAL) Director DIN - 05333909

(प्रति /AL) (PRATIBI

(प्रतिभा कुशवाहा ) निदेशक (PRATIBHA KUSHWAHA) Director DIN – 09395541

(सुनील जोशी) कार्यपालक निदेशक (SUNIL JOSHI) Executive Director DIN - 08778530 (निर्दोष चोपड़ा) मुख्य वित्तीय अधिकारी (NIRDOSH CHOPRA) Chief Financial Officer (स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (SMITA PANDIT) Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015 For abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015

> (अनिल चिकोडी) भागीदार – M.No. 107659 पुणे (ANIL CHIKODI) Partner - M.No. 107659 Pune

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022 Place : Mumbai Dated : 25<sup>th</sup> May, 2022 कृते एस एन के एंड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 109176W For SNK & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W

(अंकित डी.दानावाला) भागीदार – M. No. 119972 (ANKIT D. DANAWALA) Partner - M.No. 119972



64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

ई सी जी सी लिमिटेड

#### फॉर्म बी-बीएस / FORM B-BS ईसीजीसी लिमिटेड /ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

### 31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र BALANCE SHEET AS AT 31<sup>ST</sup> MARCH 2022

पंजीकरण संख्या 124 Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002 Date of Registration : 27th September, 2002

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
I. निधियों के स्रोत/ SOURCES OF FUNDS			
शेयर पूंजी / Share Capital	5	3950,00,00.00	3190,00,00.00
प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	6	3890,88,49.12	3175,22,29.27
Reserves and Surplus			
उचित मूल्य परिवर्तन खाता – शेयरधारक		311,87,02.01	276,04,67.00
Fair Value Change Account - Shareholder			
उचित मूल्य परिवर्तन खाता – पॉलिसीधारक		381,17,46.89	365,92,24.23
Fair Value Change Account - Policyholder			
त्रग / Borrowings	7	-	-
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability		-	-
कुल (क) / TOTAL (A)		8533,92,98.02	7007,19,20.50
ll. निधियों का प्रयोग/ APPLICATION OF FUNDS			
निवेश–शेयरधारक / Investments - Shareholder	8	6086,96,16.11	5347,30,07.86
निवेश–पॉलिसीधारक / Investments - Policyholder	8A	7439,61,97.47	7088,28,24.32
ऋण/Loans	9	-	-
अचल संपत्ति / Fixed Assets	10	326,53,19.69	303,63,70.76
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		40.00.07	44 04 70 70
Deferred Tax Assets		43,88,90.87	44,24,70.76
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
Current Assets			
नकद व बैंक शेष			
Cash and Bank Balances	11	1980,35,51.53	1551,46,00.97
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ	10		000 07 40 00
Advances and Other Assets	12	1052,35,47.40	968,67,46.93
उप कुल (क)/ Sub Total (A)		3032,70,98.93	2520,13,47.90
वर्तमान देयताएँ / Current Liabilities	13	7440,37,09.63	7354,55,68.58
प्रावधान / Provisions	14	955,41,15.42	941,85,32.52
उप कुल (ख)/ Sub Total (B)		8395,78,25.05	8296,41,01.10
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ ( ग )= (क−ख) Net Current Assets ( C )= (A-B)		(5363,07,26.12)	(5776,27,53.20)
विविध व्यय/ Miscellaneous Expenditure	15	-	-



#### 64th Annual Report - 2021-2022

(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा			
समायोजित न किया गया हो)			
लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष			
(to the extent not written off or adjusted)			
Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
TOTAL		8533,92,98.02	7007,19,20.50
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	16		
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES			
लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ			
NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(एम. सेंथिलनाथन) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (M. SENTHILNATHAN) Chairman-cum-Managing Director DIN - 07376766 (देवेश श्रीवास्तव) निदेशक (DEVESH SRIVASTAVA) Director DIN - 08646006

(ए शक्तिवेल ) निदेशक (A SAKTHIVEL) Director

DIN - 00027485

(सुनील जोशी) कार्यपालक निदेशक (SUNIL JOSHI) Executive Director DIN - 08778530 (अमित कुमार अग्रवाल) निदेशक (AMIT KUMAR AGARWAL) Director DIN - 05333909

> **(निर्दोष चोपड़ा)** मुख्य वित्तीय अधिकारी (NIRDOSH CHOPRA) Chief Financial Officer

(प्रतिभा कुशवाहा ) निदेशक (PRATIBHA KUSHWAHA) Director DIN – 09395541

> (स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (SMITA PANDIT) Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015 For abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015

> (अनिल चिकोडी ) भागीदार – M.No. 107659 पुणे (ANIL CHIKODI) Partner - M.No. 107659 Pune

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022 Place : Mumbai Dated : 25<sup>th</sup> May, 2022

कृते एस एन के एंड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 109176W For SNK & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W

(अंकित डी.दानावाला) भागीदार – M. No. 119972 (ANKIT D. DANAWALA) Partner - M.No. 119972

153

0

# वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

### अनुसूची - 1 / SCHEDULE - 1

### अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रत्यक्ष कारोबार से प्रीमियम	1106,61,67.81	1062,28,19.61
Premium from Direct Business Written		
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम	-	-
Add : Premium on Reinsurance Accepted		
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम	204,61,27.27	199,95,87.70
Less: Premium on Reinsurance Ceded		
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	902,00,40.54	862,32,31.91
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	(19,84,04.32)	(35,01,68.34)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	882,16,36.22	827,30,63.57

#### अनुसूची - 2 / SCHEDULE - 2 उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रदत्त दावे / Claims Paid			
प्रत्यक्ष / Direct		687,20,43.27	1046,74,05.69
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Reinsurance accepted		-	-
घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा		182,93,54.59	290,65,78.90
Less : Reinsurance ceded			
घटाएँ : / Less :			
वर्ष के दौरान वसूल किए गए	109,97,13.90		117,46,79.60
Recovered during the year			
जोड़ें : प्रदत्त दावों की वसूली पर प्राप्त ब्याज	23,47.71		24,51.76
Add : Interest received on Recovery of Claims Paid	20,47.71		24,01.10
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता का हिस्सा	44,49,90.14		34,97,37.04
Less : Share of reinsurer	44,49,90.14		54,57,57.04
	65,70,71.47	65,70,71.47	82,73,94.32
शुद्ध प्रदत्त दावे <b>(क)</b> / Net Claims paid <b>(A)</b>	(क) / (A)	438,56,17.21	673,34,32.47
जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance)		6992,96,58.43	6885,34,79.90



#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

155

 

# **ECGC Limited**

विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus provision for recovery (net of reinsurance)		-	1,33.61
	(ख) / (B)	6992,96,58.43	6885,33,46.29
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsur- ance)		6885,34,79.90	6674,15,73.27
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Minus Provision for recovery (net of reinsurance)		1,33.61	-
	(ग) / (C)	6885,33,46.29	6674,15,73.27
कुल उपगत दावे (क + ख – ग) Total Claims Incurred  ( A + B - C)		546,19,29.35	884,52,05.49

#### अनुसूची - 3 / SCHEDULE - 3

.....

#### कमीशन / COMMISSION

विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
प्रत्यक्ष / Direct	13,45,84.63	11,28,78.42
कुल (क) / TOTAL (A)	13,45,84.63	11,28,78.42
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा Add : Commission on Reinsurance Accepted घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन Less: Commission on Re-insurance Ceded	44,83,69.02	37,48,64.41
शुद्ध कमीशन / Net Commission	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)
नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप. Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-ins figures. Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business below:	surance accepted	or Re-insurance ceded
एजेंट / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	13,45,83.39	11,18,54.07
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	1.24	10,24.35
अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) / TOTAL (B)	13,45,84.63	11,28,78.42
नोट: उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए Note: Total (A) and (B) above should tally.		

# 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

# ई सी जी सी लिमिटेड

# अनुसूची - 4 / SCHEDULE - 4

# बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय/OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं	176,69,37.71	172,37,03.13
	Employees' Remuneration and Welfare benefits		
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय	9,21,48.00	5,79,50.57
	Travel, Conveyance and Vehicle running expenses		
3	प्रशिक्षण व्यय / Training expenses	38,23.51	15,11.27
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	27,36,04.27	26,54,00.75
5	मरम्मत / Repairs	22,58,74.46	20,74,45.21
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,72,48.96	1,62,77.84
7	सूचना व्यय / Communication	1,18,23.07	1,07,84.81
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional charges	9,28,65.06	7,00,60.92
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses etc.		
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As auditor	79,24.41	70,27.08
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में		
	(b) As adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले / (i) Taxation matters	14,82.16	15,23.30
	(ii) बीमा मामले / (ii) Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ  / (iii)  Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (c) In any other capacity	70,90.46	65,00.27
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	5,87,71.72	5,10,39.78
11	ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	5,96.44	5,29.56
12	अन्य – विविध व्यय व अन्य व्यय	18,79,37.12	22,29,34.76
	Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses		
13	मूल्यह्रास / Depreciation	6,70,29.24	6,65,68.30
	कुल / TOTAL	281,51,56.59	270,92,57.55



......

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

. . . . .

## अनुसूची - 5 / SCHEDULE -5 शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital		
	100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर		
	50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each	5000,00,00.00	5000,00,00.00
	(पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Period 50,00,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each)		
2	निर्गमित पूंजी / Issued Capital 100 रु प्रत्येक के 3,950,00,000 इक्विटी शेयर	3950,00,00.00	3190,00,00.00
	3,950,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर)		
3	(Previous Period 31,90,00,000 Equity Shares of Rs 100 each) अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital 100 रु प्रत्येक के 3,950,00,000 इक्विटी शेयर	3950,00,00.00	3190,00,00.00
	3,950,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर)		
4	(Previous Period 31,90,00,000 Equity Shares of Rs 100 each) मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital 100 रु प्रत्येक के 3,950,00,000 इक्विटी शेयर	3950,00,00.00	3190,00,00.00
	3,950,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each (पिछले वर्ष 100 रु प्रत्येक के 31,90,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Period 31,90,00,000 Equity Shares of Rs 100 each) जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)	-	-
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सममूल्य	-	-
	Less : Par Value of Equity Shares bought back		
	घटाएँ : आरंभिक व्यय / Less : Preliminary Expenses	-	-
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय	-	-
	Expenses including commission or brokerage on Underwriting or		
	subscription of shares		
		-	-
	कुल / TOTAL	3950,00,00.00	3190,00,00.00



# 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

#### अनुसूची - 5 क / SCHEDULE - 5 A

#### शेयर धारण का नमूना / PATTERN OF SHAREHOLDING

(प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार) / (As Certified by the Management)

शेयरधारक Shareholder	वर्तमान अवधि Current Period		पिछली अवधि Previous Period	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित				
President of India & His Nominees	39,50,00,000	100.00	31,90,00,000	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	39,50,00,000	100.00	31,90,00,000	100.00

### अनुसूची ६ / SCHEDULE - ६ प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि – प्रारंभिक जमा General Reserve - Opening Balance	2955,72,29.27	2654,91,80.31
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during year	598,66,19.85	300,80,48.96
		3554,38,49.12	2955,72,29.27
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during year	-	-
		3554,38,49.12	2955,72,29.27
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	276,50,00.00	159,50,00.00
	कुल / TOTAL	3890,88,49.12	3175,22,29.27



ई सी जी सी लिमिटेड

1

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

159

----

### अनुसूची ७ / SCHEDULE - ७ ऋण / BORROWINGS

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	डिबेंचर/ बॉन्ड / Debentures / Bonds	-	-
2	बैंक Banks	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-

# अनुसूची ८ / SCHEDULE - ८ निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	2454,47,86.57	1850,83,62.33
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	209,80,57.95	182,65,04.89
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	838,68,67.12	746,06,31.60
	खख. अधिमानित शेयर / (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures / Bonds	757,19,16.37	561,41,33.72
	ड. अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities (CBLO)	-	-
	च. अनुषंगी (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1338,90,57.36	1363,09,06.96

# 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

. . .

# ई सी जी सी लिमिटेड

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
5	अन्य निवेश / Other than Approved Investments	76,37,84.63	57,00,77.33
	कुल (क) / Total ( A )	5675,44,70.00	4761,06,16.83
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	156,78,31.86	58,37,07.43
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Other Investments		
	क.   निवेश / (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	-	-
	खख. अधिमानित (bb) Preference Share	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड / (b) Mutual Funds	50,51,59.12	242,90,80.02
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र / (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड / (d) Debentures/Bonds	81,52,02.71	185,18,15.37
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities (CBLO)	-	10,74,50.40
	च. अनुषंगी (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	95,70,56.75	52,44,59.41
5	अनुमोदित निवेशों के अलावा / Other than Approved Investments	26,98,95.67	36,58,78.40
	कुल (ख) / Total ( B )	411,51,46.11	586,23,91.03
	कुल ( क + ख )/ TOTAL      ( A + B)	6086,96,16.11	5347,30,07.86
	नोट : अनुसूची 8 एवं 8 अ की परिसंपत्तियों के लिए अनुसूची 14 के अंतर्गत दर्शाए गए सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Note: Provision made for Doubtful Assets shown under Schedule 14 against Assets in Schedule 8 and Schedule 8A	105,46,29.56	109,97,70.60



......

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

.....

## अनुसूची ४ अ / SCHEDULE - 8 A निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	2999,91,83.58	2453,43,40.76
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	256,42,93.06	242,11,80.90
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	1025,06,15.37	988,96,74.45
	खख. अधिमानित शेयर / (bb) Preference Shares	-	-
	ख. म्यूचल फंड (b) Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र (c) Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड (d) Debentures / Bonds	925,45,64.45	744,19,91.20
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (सीबीएलओ) (e) Other Securities (CBLO)	-	-
	च. अनुषंगी (f) Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन (g) Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	1636,44,03.45	1806,88,76.66
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश / Other than Approved Investments	93,35,14.54	75,56,83.90
	कुल (क) / Total (A)	6936,65,74.45	6311,17,47.87
	अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिल सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government guaranteed bonds including Treasury Bills	191,62,38.94	77,37,51.70
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अन्य निवेश / Other Investments		
	क. शेयर / (a) Shares		
	कक. इक्विटी / (aa) Equity	-	-
	खख. अधिमानित शेयर / (bb) Preference Share	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड / (b) Mutual Funds	61,74,16.71	321,99,43.28
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र / (c) Derivative Instruments	-	-

161

 

# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

# ई सी जी सी लिमिटेड

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ें000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड / d. Debentures/Bonds	99,63,58.87	245,47,32.00
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ e. Other Securities (CBLO)	-	14,24,34.24
	च. अनुषंगी f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश–भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	116,97,36.02	69,52,13.63
5	अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त अन्य निवेश / Other than Approved Investments	32,98,72.48	48,50,01.60
	कुल (ख) / Total ( B )	502,96,23.02	777,10,76.45
	कुल ( क + ख )/ TOTAL      ( A + B)	7439,61,97.47	7088,28,24.32

# अनुसूची - 9 / SCHEDULE - 9

#### ऋण / LOANS

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY - WISE CLASSIFICATION		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
	(a) On mortgage of property		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities		
	(ग) अन्य	-	-
	(c) Others		
	गैर जमानती / Unsecured	-	-
	कुल / TOTAL	-	-



#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

.....

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
2	लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार	-	-
	(a) Central and State Governments		
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान	-	-
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(ग) अनुषंगी	-	-
	(c) Subsidiaries		
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	-	-
	(d) Industrial Undertakings		
	(ड़) अन्य	-	-
	(e) Others		
	कुल / TOTAL	-	-
3	निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE - WISE CLASSIFICATION		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(a) Loans classified as standard	_	_
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India		
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	(b) Non-performing loans less provisions		
	(कक) भारत में / (aa) In India	-	-
	(खख) भारत के बाहर / (bb) Outside India	-	-
	कुल / TOTAL	-	-
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण		
	MATURITY -WISE CLASSIFICATION		
	(क) अल्पावधि	-	-
	(a) Short Term		
	(ख) दीर्घावधि	-	-
	(b) Long Term		
	कुल / TOTAL	-	-



-10	ASSETS
Ц	S
1	∢
IEDU	Δ
Ш	Щ
₩.	FIXED
Ċ.	ш
SCH	/
10 /	संपतिया
Ē.	न्ह
गुसूची-	वल

100

64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

अनुर	अल्उसूची-10 / SCHEDULE -10	HEDULE -	10								
अचट	अचल संपत्तिया / FIXED ASSETS	FIXED ASS	ETS						आंक	आंकड़े ₹ ′000 में/Figures in ₹ '000	ures in ₹ '000
			सकल ब्लॉक / (	Gross Block			मूल्यहास / D	Depreciation		शुद्ध लॉक/Net Block	let Block
र. स <sup>. भ</sup> .	विवरण Particulars	प्रारंभिक Opening	परिवर्धन Additions	कटौतियाँ Deductions	आंतिम Closing	31.03.2021 तक Up to	ਕਾਬੀ ਕੇਸ ਰਿਧ੍ For the Year	बिक्री पर/ समायोजन On Sale /	दिनांक तक To date	31.03.2022 तक As at 31.03.2022	31.03.2021 तक As at
1 No.	साख / Good Will	1	'	1		-				'	31.03.2021 -
2	अमूर्त Intangibles	7,80,14.10	24,78.00	1	8,04,92.10	5,68,14.53	69,00.34	'	6,37,14.87	1,67,77.23	2,11,99.57
ς	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली / Land - Free Hold	74,81,52.33		'	74,81,52.33	1	'	,	'	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पहे पर ली गई संपत्ति / Lease- hold Property	60,58,30.10	1	'	60,58,30.10	5,95,42.73	1,87,01.64	'	7,82,44.37	52,75,85.73	54,62,87.37
5	ਖਬਜ/Building	43,61,13.69	-	'	43,61,13.69	15,93,31.68	78,19.75	'	16,71,51.43	26,89,62.26	27,67,82.01
9	फर्नीचर तथा फिटिंग Furniture and Fittings	18,09,06.73	3,44,57.88	29,31.78	21,24,32.83	15,37,80.89	57,51.79	18,31.70	15,77,00.98	5,47,31.85	2,71,25.84
2	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	20,02,83.29	58,61.49	16,56.06	20,44,88.72	16,90,02.96	1,31,54.83	12,45.30	18,09,12.49	2,35,76.23	3,12,80.33
ω	वाहन/Vehicles	10,69,90.00	4,85,68.71	5,96,13.64	9,59,45.07	6,97,03.56	95,55.75	5,96,13.64	1,96,45.67	7,62,99.40	3,72,86.44
ი	कार्यालयी उपकरण Office Equip- ment	8,25,96.29	86,53.01	24,91.44	8,87,57.86	7,34,09.54	51,45.14	24,75.05	7,60,79.63	1,26,78.23	91,86.75
कुल /	/ Total	243,88,86.53	10,00,19.09	6,66,92.92	247,22,12.70	74,15,85.89	6,70,29.24	6,51,65.69	74,34,49.44	172,87,63.26	169,73,00.64
प्रगतिर Work	प्रगतिरत कार्य Work in Progress									153,65,56.43	133,90,70.12
कुल य	कुल योग/Grand Total	243,88,86.53	10,00,19.09	6,66,92.92	247,22,12.70	74,15,85.89	6,70,29.24	6,51,65.69	74,34,49.44	326,53,19.69	303,63,70.76
पिछले वर्ष Previous	पिछले वर्ष Previous Year	183,19,22.66	61,92,34.52	1,22,70.65	243,88,86.53	66,12,59.85	6,65,68.30	(1,37,57.74)	74,15,85.89	303,63,70.76	293,49,15.15

ई सी जी सी लिमिटेड

. . . .

164

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

### अनुसूची - ११ / SCHEDULE - ११ नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	नकद (चेक, झ्रफ्ट व स्टैम्प सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps)	50,22.37	95,11.62
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते (a) Deposit Accounts		
	(कक) अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय): (aa) Short Term (due within 12 months):		
	बैंकों के पास/ With Banks	1968,07,00.00	1350,42,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institutions	-	59,99,99.00
	(खख ) अन्य / (bb) Others		
	बैंकों के पास/ With Banks	1,99,00.00	127,00,00.00
	वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institution	-	-
	(ख) चालू खाता (b) Current Accounts	9,78,29.16	13,07,90.35
	(ग ) अन्य – भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष (c ) Others - Balance with Reserve Bank of India	1,00.00	1,00.00
	कुल / TOTAL	1980,35,51.53	1551,46,00.97

# अनुसूची - 12 / SCHEDULE - 12

### अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ें'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान / Prepayments	11,83,63.51	11,11,30.12
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम / Advance to Directors	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर कटौती (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid and taxes deducted at source (Net of provision for taxation)	214,51,23.57	180,14,22.30
6	कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	23,92,52.76	26,81,58.54



----

# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

# ई सी जी सी लिमिटेड

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ॅ000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
7	व्ययों के लिए अग्रिम		12,42,45.43	25,27,49.99
	Advance for Expenses কুল (ক) / TOTAL (A)		262,69,85.27	243,34,60.95
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS			
1	निवेशों पर प्रौद्भूत आय Income accrued on Investments		347,61,58.44	324,69,88.06
2	बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums		-	-
3	एजेंटों के शेष / Agents' Balances		-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष / Foreign Agencies Balances		-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) इकाइयों से प्राप्य Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers)		256,38,10.25	254,78,34.31
6	गौण/धारक इकाइयों से प्राप्य Due from subsidiaries / holding		-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप) Deposit with Reserve Bank of India (Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938)		-	-
8	आवास ऋण  पर प्रौद्भूत ब्याज Interest accrued on Housing Loan		1,45,67.18	1,83,58.24
9	विविध देनदार− / Sundry Debtors-			
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset	1,37,91.11		48,91.24
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Asset	55.17		19.57
	(क) (।)	1,37,35.94		48,71.67
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ / Sub - Standard Asset	-		-
	घटाएँ : सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Asset	-		-
	(ख) / (॥)	-	-	-
	सदिंग्ध परिसंपत्तियाँ / Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँ : सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Asset	7,04,26.80		7,04,26.80
	(π) / (III)	-	-	-
	(क+ख+ग)/ (I+II+III)		1,37,35.94	48,71.67
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	23,18,60.59		22,62,74.71
	घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	94,71.30		94,71.30
	· · · · ·	22,23,89.29	22,23,89.29	21,68,03.41



-

......

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

167

 . . . . .

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
11	विविध जमाएँ / Sundry Deposits	73,79,44.90		37,53,74.39
	घटाएँ : सदिंग्ध ऋण ों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	-		-
		73,79,44.90	73,79,44.90	37,53,74.39
12	पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावित राशि Unclaimed Amount for Policyholder Assets जोड़ें : पॉलिसी धारकों की परिसंपत्तियों की अदावित राशि पर ब्याज Add: Interest earned on Unclaimed Amount for Policy-	1,54,94.64		1,49,70.60
	holder Assets	42,44.40		35,87.41
		1,97,39.04	1,97,39.04	1,85,58.01
13	भारत सरकार की ओर से ए टी आई भागीदारी ATI Participation on behalf of Govt. of India		84,82,17.09	82,44,97.90
	कुल (ख) / TOTAL (B)		789,65,62.13	725,32,85.98
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)		1052,35,47.40	968,67,46.93

#### अनुसूची -13 / SCHEDULE -13 वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars		वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	एजेन्टों का शेष / Agent's Balances		-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष		78,87,15.08	80,45,36.20
	Balances due to other Insurance Companies		70,07,10.00	00,40,00.20
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा / Deposits held on re-insurance		-	-
	ceded			
4	प्राप्त अग्रिम प्रीमियम / Premiums received in advance		223,81,05.16	219,68,70.77
5	अनाबंटित प्रीमियम / Unallocated Premium		46,64,70.20	40,17,53.94
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि	1,53,50.33		1,50,69.05
	Unclaimed Amount of Policyholders			
	जोड़ें : पॉलिसी दारकों की अदावित राशि से अर्जित ब्याज	39,87.39		34,69.27
	Add: Interest earned on Unclaimed Amount of			
	Policyholders		(	( 07 00 00
		1,93,37.72	1,93,37.72	1,85,38.32
7	विविध लेनदार / Sundry Creditors		64,91,70.98	37,04,00.43
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय/Due to subsidiaries/holding		-	-
	company			
9	बकाया दावे / Claims outstanding		6992,96,58.43	6885,33,46.28
10	कर्मचारियों को देय / Due to Employees		7,87,56.30	68,37,97.23
11	अन्य / Others			
	– एन ई आई ए / NEIA		19,01,86.33	18,48,85.20

64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

# ई सी जी सी लिमिटेड

– फ़ैक्टरिंग / Factoring	33,67.00	23,14.75
– विविध / Miscellaneous	2,69,32.74	2,11,53.03
– जी एस टी/ GST Liability	1,30,09.69	79,72.43
कुल / TOTAL	7440,37,09.63	7354,55,68.58

#### अनुसूची -14 / SCHEDULE -14 प्रावधान / PROVISIONS

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1 2 3	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency कराधान के लिए For Taxation - आय कर (अग्रिम कर को घटा कर ) - Income Tax (Net of Advance Tax) प्रस्तावित लाभांशों के लिए	451,00,20.27 308,52,00.00 -	431,16,15.96 316,54,00.00 -
4 5 6	प्रस्तावित लामाशा के लिए For Proposed Dividends लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits	-	-
7 8	<ul> <li>छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा</li> <li>Leave Encashment &amp; Long Service <ul> <li>उपादान / - Gratuity</li> <li>पेंशन / - Pension</li> </ul> </li> <li>कम कारोबार के शेयरों के लिए</li> </ul> <li>For Thinly Traded Shares <ul> <li>निवेश परिसंपत्तियां हेतु</li> </ul> </li> <li>For Investment Assets</li>	56,16,24.84 4,66,83.15 29,59,57.60 - 105,46,29.56	54,17,81.86 5,50,06.43 24,49,57.67 - 109,97,70.60
	कुल / TOTAL	955,41,15.42	941,85,32.52

### अनुसूची -15 / SCHEDULE -15 विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

क्र सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ें'000)	पिछले वर्ष लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹'000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed on issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	-	-



# अनुसूची 16 / SCHEDULE 16

# महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### 1. तेखा प्रणाली

1.1 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के नियामक प्रावधानों ; बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन निर्मित विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने ) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा एवं उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा कंपनी (लेखा) नियम के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 133 एवं ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

#### 1.2 अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा, जब इनके परिणाम ज्ञात होंगे / सामने आएंगे ।

#### 2. अचल संपत्ति तथा मूल्य हास

- 2.1 अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य हास को कम कर अंकन किया गया है।
- 2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्य हास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल की गई / निपटान की गयी परिसंपत्तियों के मूल्य हास की गणना उन्हें शामिल किए जाने / निपटान की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य हास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।
- 2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है ।
- 2.4 वह कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें कि सॉफ्टवेयर पहले से अपलोडेड है

#### 1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

#### 1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

#### 2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.
- 2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.
- 2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.
- 2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software



# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

वह हार्डवेयर का अभिन्न अंग होते है एवं नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

- 2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य, जो कंपनी के लेखा मानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस – 26 – अमूर्त परिसंपत्तियाँ – के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हे "अमूर्त" शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी कटौती प्रणाली पर परिशोधित किया गया है।
- 2.6 वह परियोजनाएँ जो चालू स्थिति में हैं उन्हे पूंजीकृत कार्य प्रगति पर (सीडबल्यूआईपी) के रूप में आगे लाया गया है जो कि अग्रिम एवं प्रत्यक्ष लागत सहित ठेकेदारों को किए गए भुगतान को दर्शाते हैं।

#### 3. हानि

हानि के किसी भी संकेत की जानकारी के लिए परिसम्पत्तियों पर ली जाने वाली राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तारीख पर समीक्षा की जाती है। यदि कोई संकेत मिलता है तो संपत्ति पर वसूली योग्य राशि की गणना की जाती है। यदि संपत्ति पर ली जाने वाली कोई भी राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो इसे हानि माना जाता है।

#### 4. निवेश

- 4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे कि वाणिज्यिक पत्रों एवं जमा प्रमाण पत्रों को उनकी छूट प्राप्त कीमत पर दर्शाया गया है एवं अर्जित आय में से अधिग्रहण लागत तथा छूट कीमत को समय के आधार पर विभाजित किया गया है।
- 4.2 शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर इत्यादि की खरीद एवं बिक्री के लिए संविदा को संव्यवहार की तारीख पर ''निवेश'' के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।
- 4.3 निवेश की लागत में अधिग्रहण पर प्रीमियम, दलाली, स्थानांतरण टिकट, स्थानांतरण शुल्क इत्यादि शामिल है एवं यह, उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क, यदि कोई हो तो, का निवल है।
- 4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।
- 4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्क्ता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।

# ई सी जी सी लिमिटेड

and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

- 2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.
- 2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

#### 3. IMPAIRMENTS

100.000

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

#### 4. INVESTMENTS

- 4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.
- 4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of Transaction.
- 4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.
- 4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.
- 4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/ loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).



- 4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋग प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।
- 4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

 ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है।

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित एवं अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए संव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

> ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा । इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई) जो कि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है , पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा । यदि किसी साधन को एन एस ई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई) ( गौण एक्सचेंज ) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया जाता है।

> 4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित / असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है अथवा विश्लेषित मूल्य ऋगात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है ।

4.10 सूचीबद्ध ईक्रिटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी हास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए

#### 64th Annual Report - 2021-2022

- 4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.
- 4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

- 4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the breakup value is negative then the provision is made for the entire cost.
- 4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are



# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/– रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

- 4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :
- क वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :- लागत मूल्य कि न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋगात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है।
- ख. वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋगात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया।
- ग. अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य हास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यहास के मूल्य की गणना की जाती है। तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/-रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा।
- ख) एक बार जब ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी ।
- 4.12 रिवर्स रेपो संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋग संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के प्रथम व द्वितीय चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।
- 4.13 ''ट्राई पार्टी रेपो प्रणाली (ट्रेप्स)'', जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया जाता है, को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार का उपकरण माना जाता है। ट्रेप्स के जरिये ऋग पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है एवं उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है ।
- 4.14 क) अप्राप्त लाभ, सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को "अंकित मूल्य परिवर्तन

considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

ई सी जी सी लिमिटेड

- 4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:
- a) In respect of Actively Traded Equity shares: Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs.1/- per Company.
- b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.
- c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/ which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to Re.1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of Re. 1/- per Company.
- B) Once the value of investment in listed equity/ equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.
- 4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> leg of the transaction is treated as income.
- 4.13 "TriParty Repo System (TREPS), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through TREPS is shown as income, which is apportioned on time basis.

# considered to have Impairment in val



खाता" शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

- ख) उगाही के लिए लंबित, "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता" में ऋग शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
- 4.15 "शेयरधारकों" एवं "पॉलिसीधारकों" की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति ( पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में कंपनी के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः "शेयरधारकों की निधियाँ" व "पॉलिसीधारकों की निधियाँ " शीर्ष "शेयरधारकों" व "पॉलिसीधारकों" की निधियाँ में आबंटित किया गया है।
- 4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋगों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में कंपनी बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

### 5. प्रीमियम आय

IRDAI के निर्देशों के अनुसार अपने पत्र संख्या। एफएनए/ जीईसी/एलआर/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी, 2014, के अनुसार मार्च के महीने में निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदान / बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋण से संबंधित जोखिम की धारणा एवं प्रीमियम आय को बाद के वर्ष में मान्यता दी जाती है एवं उसी का लगातार पालन किया जाता है।

#### असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% का प्रावधान किया गया है ।

#### 7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम में कमी उस समय पहचानी जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निशियों से अधिक हो।

#### बकाया दावों के लिए आरक्षित निधियाँ

- 8.1 लघु अवधि रक्षा (एसटी) के अंतर्गत संसाधित बकाया दावों एवं मध्यम एवं लंबी अवधि के रक्षा के अंतर्गत सभी बकाया दावों के मामले में रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया दावों के लिए आरक्षित राशि को देय अनुमानित राशि के रूप में मान्यता दी जाती है। एसटी रक्षा के अंतर्गत उन बकाया दावों के लिए जिन्हें प्रोसेस किया जाना बाकी है, पिछले वर्षों के दावे के भुगतान के अनुभव के बीमांकिक विश्लेषण के आधार, पर औसत आवक दर पर प्रावधान किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान को आगे की जानकारी/समर्थक दस्तावेजों की जांच की उपलब्धता पर उपयुक्त परिवर्तनों के लिए उत्तरोत्तर संशोधित किया जाता है।
- 8.2 इसके अतिरिक्त, दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान, दावे किए गए लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (IBNER) के लिए प्रावधान का वर्ष के अंत में

#### 4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.

- b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.
- 4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Company are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2
- 4.16 The Company follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/ debentures.

#### 5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk. The assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters/export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year as per the directions of IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, and the same is consistently followed.

#### 6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

#### 7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

#### 8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of actuarial analysis of earlier years claim paid experience. Such provision is



#### 64th Annual Report - 2021-2022

## ई सी जी सी लिमिटेड

# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार हिसाब लगाया जाता है।

- 8.3 निम्नलिखित दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है:
- क) कंपनी द्वारा खारिज किए गए एवं ऋग के रूप में स्वीकार नहीं किए गए ऐसे दावे, उन मामलों को छोड़कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है, जिनके संबंध में कानूनी कार्रवाई एवं/अथवा मध्यस्थता प्रारंभ की गयी है। ऐसे मामलों को वित्तीय विवरणों में दावों के तहत प्रदान किया गया है।
- ख) बैंकों द्वारा अधिमानित वो दावे जहां, जैसा कि उनके द्वारा पुष्टि की गयी, बकाया राशि की वसूली के लिये समझौता प्रस्तावों पर बातचीत चल रही है।

(क) एवं (ख) संदर्भित मामलों के संबंध में दावा किया गया ब्याज, यदि कोई हो न तो आकस्मिक दायित्व के प्रयोजन के लिए या प्रावधान के लिए विचार किया जाता है।

#### 9. पुनर्बीमा

- 9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से की गयी है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। सौंपे गए प्रीमियम में किसी भी अनुवर्ती संशोधन को ऐसे संशोधन के वर्ष में मान्यता दी जाती है। पॉलिसियों को रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें इसे रद्द किया जाता है।
- 9.2 सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें पुनर्बीमा प्रीमियम दिया जाता है।
- 9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदान सूचना के अनुसार गणना की गयी है।
- 9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्ति योग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

#### १०. प्रबंधन व्यय

- 10.1 कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त कंपनी द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।
- 10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः "शेयर धारक निधि" व " पॉलिसीधारक निधि" के रूप में प्रभाजित किया गया है। "शेयरधारक" निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ

progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/scrutiny of supporting documents.

- 8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.
- 8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:
- (i) Claims rejected by the Company and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.
- (ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

#### 9. REINSURANCE

- 9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.
- 9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.
- 9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.
- 9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

#### 10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Company, incurred by the Company are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the



शामिल हैं। "पॉलिसीधारकों" की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि, बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

#### 11. कर्मचारी लाभ

- 11.1 कंपनी सभी पात्र कर्मचारियों को कवर करते हुए एक परिभाषित लाभ योजना, ग्रेच्युटी, प्रदान करती है। यह योजना योग्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन एवं कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। कंपनी बीमा कंपनी द्वारा बनाए गए ग्रेच्युटी फ्फंड में योगदान करती है। योगदान की राशि वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस तरह के योगदान को राजस्व खाते में चार्ज किया जाता है।
- 11.2 परिकल्पित इकाई ऋग विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किए गए हैं ।
- 11.3 कंपनी की नीति के अनुसार , कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले कंपनी का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधिट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई कंपनी को करनी होगी।
- 11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। कंपनी , उन पात्र कर्मचारियों जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी ने भविष्य निधिट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधिट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

- 10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Unexpired Risk, Reserve for Outstanding Claims etc.
- 10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

#### 11. EMPLOYEE BENEFITS

- 11.1 The Company provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Company. The Company contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.
- 11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.
- 11.3 As per Company's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.
- 11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Company's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Company will have to fund the shortfall.
- 11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan,@ 10%, of the covered employees' basic salary. The Company contributes an equal amount in



# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

कंपनी आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है. प्राप्तियों में यदि कोई कमी हुई तो , उसकी भरपाई कंपनी करेगी।

- 11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कंपनी अपना अंशदान करते हैं । वे कर्मचारी जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र है । कंपनी ने पेंशनट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। कंपनी दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर जित्क लिए प्रावधान करेगी।
- 11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात कंपनी की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना ( नयी पेंशन योजना ) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते ( डी ए ) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते है। पात्र कर्मचारियों के मामले में कंपनी समान राशि का अंशदान करता है। कंपनी के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।
- 11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।
- 11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

#### १२. आय कर

- 12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी) नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे, व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि कंपनी यह विश्वास दिलाते हुए प्रमाण प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।
- 12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की

case of the eligible employees who have joined the Company on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Company has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Company will meet the shortfall in the return, if any.

- 11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Company contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Company on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Company has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Company will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.
- 11.7 Those employees who have joined the Company on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Company contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Company's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis
- 11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.
- 11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

#### 12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Company will pay normal tax

# ई सी जी सी लिमिटेड



अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यहास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो । अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

#### प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

- 13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए खोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधान करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।
- 13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब कंपनी की संभावित अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव है कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।
- 13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों की वित्तीय विवरणों में न तो पहचान की गयी है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

#### 14. फ्रैक्टरिग

- 14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न हुए हैं तब से की गयी है।
- 14.2 फैक्टर किए गए ऋगों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 14.3 फैक्टर किए गए ऋगों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।
- 14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

# 13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

- 13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.
- 13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Company has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.
- 13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

#### 14. FACTORING

- 14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.
- 14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDA. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDA.
- 14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.
- 14.4 Gain and loss arising on account of differences in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients



# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए मानदंडों के अनुसार फ़्फ्रैक्टरिंग ऋगों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल है। विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

निम्न मानक परिसंपत्तियाँ:	i. 10% का सामान्य प्रावधान
	ii. आरंभ में असुरक्षित जोखिमों के लिए
	10% का अतिरिक्त प्रावधान ( जहां
	वसूली योग्य प्रतिभूति का मूल्य आरंभिक
	मूल्य के 10% से अधिक न हो )
संदिग्ध परिसंपत्ति :	
–सुरक्षित अंश :	i. एक वर्ष तक 20%
–सुरक्षित अंश :	i. एक वर्ष तक 20% ii. एक वर्ष से तीन वर्षों तक 30%
–सुरक्षित अंश :	·
–सुरक्षित अंश : –असुरक्षित अंश	ii. एक वर्ष से तीन वर्षों तक 30%

#### 15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

#### विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 16.1 आरंभिक मान्यता विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।
- 16.2 संपरिवर्तन विदेशी मुद्रा राजकोषीय मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों, जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है, को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।
- 16.3 विनिमय अंतर मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है ।

### ई सी जी सी लिमिटेड

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA :

Substandard Assets:	i. A general provision of 10% ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10% ab-initio)
Doubtful Assets:	
-Secured portion:	i. Upto one year – 20%
	ii. One to three years – 30%
	iii. More than three years – 100%
-Unsecured portion	100%
Loss Assets:	100%

#### 15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

#### **16. FOREX TRANSACTIONS**

- 16.1 Initial Recognition Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.
- 16.2 Conversion Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- 16.3 Exchange Differences Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.



# अनुसूची 17 / SCHEDULE 17

# लेखों से संलग्न तथा उनका हिस्सा बनाने वाली टिप्पणियाँ

# NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

#### 1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 एवं वित्तीय विवरण तैयार के सम्बंध में जारी परिपत्र तथा/अथवा दिशानिर्देशों; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

#### 2. वर्णित राशियों की प्राप्ति

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋग एवं अग्रिमों के तहत मदें, व्यवसाय के सामान्य प्रवाह में वसूली पर मूल्य धारित करते है, कम से कम उस राशि के बराबर जिस पर उन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है एवं सभी ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया है तथा संदिग्ध संपत्तियां दर्शाई गई है।

#### 3. अचल सम्पत्तियाँः

- 3(क) अचल परिसंपत्तियों में, ₹398.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹398.47 हज़ार) के वे ''बिल्डिंग'' शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है जिसमें जुहु गीतांजलि वास्तुशिल्प सीएचएस के सदस्यों के साथ मिलकर प्रापर्टी डेवलपर के साथ पुनर्विकास समझौता भी शामिल है। इसके अतरिक्त, इसमें ₹5,77,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हज़ार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास को– ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- 3(ख) कंपनी द्वारा 'दलामल हाउस' को सम्विदा पर लिया था एवं समझौते के अनुसार उक्त संपत्ति को एक निश्चित दर पर खरीदने के लिए प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग किया था। हालांकि, पट्टादाता सहमत नहीं था एवं इस हेतु ईसीजीसी द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमा दायर किया। इस वाद में दिनांक 07/07/2016 का आदेश कंपनी के प्रतिकूल निर्णीत था जिसके विरुद्ध कंपनी ने अपील दायर की। अपील लंबित है। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त परिसरों को अभी तक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, हालांकि कंपनी उक्त संपत्ति की खरीद के प्रत्यावर्ती अधिकारों का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के समक्ष वाद द्वारा संघर्षरत है।

#### **1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 and circulars and/or guidelines issued in the context of preparation of the financial statements; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

#### 2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

#### 3. FIXED ASSETS:

- 3 (a) "Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹3,98.47 thousand (previous year ₹3,98.47 thousand) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending including redevelopment agreement entered into by the Company along with fellow society members of Juhu Geetanjali Vastushilp CHS with the property developer. Further, it includes, properties costing ₹5,77,43.90 thousand (previous year ₹5,77,43.90 thousand) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.
- 3 (b) The Company had taken the "Dalamal House" on lease and had exercised reversionary rights to purchase the said property at a given rate as per the Lease Agreement. However, the Lessor did not agree and ECGC filed a suit for specific performance. This suit was decided unfavourable to the Company vide Order dated 07/07/2016 against which Company filed an Appeal. The Appeal is pending. It is noted that the said premises are not yet classified as asset, however the Company is contesting the matter before a Court of Law to exercise reversionary rights to purchase the said assets.


#### 4. अग्रिम तथा अन्य आस्तियाँ:

10.00

### 4(क) अग्रिमों एवं अन्य आस्तियों में शामित है:

कंपनी के विरुद्ध दायर दावा वादों के लिए न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ऐसे वाद हेतु ₹60,42,83.49 हजार (पिछले वर्ष ₹24,17,68.89 हजार) की राशि अदालतों में जमा की गई है जिसके संबंध में अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। इसका विवरण विविध जमा के अंतर्गत किया गया है।

- 4(ख) कर्मचारियों को आवास ऋग पर ब्याज की गणना एक्चुरियल आधार पर की जाती है। आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, अंतिम निपटान के समय किया जाता है।
- 4(ग) समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों (अनुसूची 12) के लिए सू प्रौ विक्रेता से वसूली योग्य ₹17,23,92.70 हज़ार (पिछले वर्ष के लिए ₹17,23,92.70 हज़ार) का प्रावधान शामिल है जिसे ''अन्यों से वसूली योग्य राशि'' में दर्शाया गया है। मामला मध्यस्थता के अधीन है, क्योंकि विक्रेता ने कम्पनी के ₹29,17,48.42 की मांग के खिलाफ ₹146,98,02.40 हजार दावा दायर किया है। आकस्मिक देयता में ₹146,98,02.40 हजार को भी शामिल किया गया है। (निम्न नोट का अवलोकन करें)
- 4(घ) अग्रिमों एवं अन्य आस्तियों (अनुसूची 12) में पुनर्बीमाकर्ता के समक्ष प्रस्तुत दावों के संबंध में जून 2014 से अधिक हानि (एक्सओएल) संधि के कारण पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य के रूप में ₹161,89,42.95 हजार (पिछले वर्ष ₹171,78,48.42 हजार) शामिल हैं ।उक्त पुनर्बीमाकर्ता कंपनी को पुनर्स्थापन प्रीमियम भी देय है। कंपनी ने अपने ग्राहकों से वसूली की थी एवं इसे पुनर्बीमाकर्ता के साथ साझा किया जाना है। कंपनी ने पुनर्बीमा कंपनी के साथ कई दौर की सकारात्मक चर्चा की एवं इस बात की अत्याधिक संभावना है कि राशि की वसूली की जाएगी। ₹35,79,32.16 हजार के पुनर्स्थापन प्रीमियम को समायोजित करने के बाद शुद्ध प्राप्य राशि ₹126,10,10.79 हजार होगी।
- 4 (ड.) अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां (अनुसूची 12) में भारत सरकार की ओर से अफ्रीकी व्यापार बीमा (एटीआई) में पूंजीकृत ₹84,82,17.09 हजार (पिछले वर्ष ₹82,44,97.90 हजार) की राशि शामिल है। एटीआई ने ₹2,37,19.19 हजार (3,23.99 हजार अमेरिकी डॉलर) का लाभांश घोषित किया है एवं इसे चालू वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया है।

#### चालू देयताएं:

5 (क) चालू देयताओं में, कम्पनी के कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि योजना (पीएलएलआई) के लिए ₹2,80,10.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹70,20.00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ

180

100 100

### ई सी जी सी लिमिटेड

#### 4. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

#### 4 (a) Advances and other assets include:

An amount of ₹60,42,83.49 thousand (previous year ₹24,17,68.89 thousand) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

- 4 (b) Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.
- 4 (c) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹17,23,92.70 thousand for the year ended (previous year ₹17,23,92.70 thousand) recoverable from an IT Vendor and is mentioned as "Amount Recoverable from Others". This matter is under arbitration as the Vendor has filed a counter claim of ₹146,98,02.40 thousand as against Company's demand of ₹29,17,48.34 thousand. The amount of ₹146,98,02.40 thousand is also included in Contingent Liability (refer note below).
- 4 (d) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes ₹161,89,42.95 thousand (previous years ₹171,78,48.42 thousand) as receivables from a Reinsurer on account of Excess of Loss (XOL) Treaty since June 2014 in respect of a claim filed with them. The reinstatement premium is also payable to the said reinsurer company. The company had made recovery from its customers and the same needs to be shared with the Reinsurer. The Company had several rounds of positive discussions with Reinsurance Company and there is a high probability that the amount shall be recovered. The net amount receivable will be ₹126,10,10.79 thousand after adjusting Reinstatement premium of ₹35,79,32.16 thousand.
- 4 (e) Advances and Other Assets (Schedule 12) includes amount of ₹84,82,17.09 thousand (previous years ₹82,44,97.90 thousand) capitalised in African Trade Insurance (ATI) on behalf of the Govt. of India. ATI has declared dividend of ₹2,37,19.19 thousand (USD 3,23.99 thousand) and the same is capitalised during the current year.

#### 5. CURRENT LIABILITIES:

5 (a) Current Liabilities include ₹2,80,10.00 thousand (previous year ₹70,20.00 thousand) towards Productivity Linked Lump Sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of

हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन 31 मार्च 2019 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन(पीएलएलआई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

- 5 (ख) कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार, दावों के आकलन के आधार पर दावित एवं बकाया दावों के लिए देयता प्रदान की जाती है। ऐसे दावों के प्रति देयताओं को वर्ष के अंत तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मान्यता दी गई है। प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान सूचित न किये गए एवं अपर्याप्त रिपोर्ट किए गए (आईबीएनआर एवं आईबीएनईआर) दावों के समग्र प्रावधान एवं बकाया दावों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का आकलन करते समय उपरोक्त में से किसी के प्रभाव पर विचार किया गया है, जो नियुक्त बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निकाला गया है। तद्रुसार, ₹6168,23,49.47 हजार (पिछले वर्ष ₹5740,47,70.49 हजार) की राशि को गैर-रिपोर्ट किए गए एवं अपर्याप्त रिपोर्ट किए गए एवं आर्याप्त रिपोर्ट किए गर प् वर्चा के राश के प्रभाव पर दावों त्र है।
- 5 (ग) कंपनी ने एक पॉलिसी धारक के दावे को खारिज कर दिया है जिसके खिलाफ पॉलिसी धारक (पीएच) ने अनुबंध को पूर्ण करने के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है एवं दि. 31/03/2022 को मामला विचाराधीन है। अनुसूची 13 के तहत अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम – वर्तमान देयताओं में ₹2,32,44.55 हजार की राशि शामिल है जो पॉलिसी धारक से घोषणा की प्राप्ति न होने के कारण समायोजित नहीं की गई है। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गई है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, पॉलिसी धारक ने कंपनी को न्यूनतम प्रीमियम के रूप में ₹2,4,00.00 हजार का वचन दिया एवं शेष राशि को पॉलिसी धारक को वापस किया जाना है। मामले में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। चूंकि पॉलिसी दस्तावेज़ प्रीमियम की वापसी या समायोजन का विकल्प देता है एवं मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण, ₹2,32,44.55 हजार की पूरी राशि (न्यूनतम प्रीमियम के ऊपर एवं ऊपर ₹30,00.00 हजार की राशि सहित) को विविध लेनदारों-अनुसूची 13 के शीर्ष के तहत दिखाया गया है।
- 5 (घ) इसके अतरिक्त, 'विभिन्न लेनदारों' के तहत 'अनुसूची 13 वर्तमान देनदारियों' में विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के लिए ₹24,61.77 हजार (पिछले वर्ष ₹24,61.77 हजार) की राशि शामिल है, जो कि विभिन्न बैंकों को कम्पनी द्वारा निर्यातक– उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान की गई गारंटी के कारण दिए जाने वाली रक्षा के विस्तार के लिए है। कंपनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है एवं बैंकों को रक्षा बढ़ाने में असमर्थता के

#### 64th Annual Report - 2021-2022

the Company as on 31st March, 2022 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

- 5 (b) As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management, the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹6168,23,49.47 thousand (previous year ₹5740,47,70.49 thousand) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).
- 5 (c) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2022 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 - Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousand of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousand as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousand (including amount of ₹30,00.00 thousand being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors - Schedule 13.
- 5 (d) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 -Current Liabilities' includes an amount of ₹24,61.77 thousand (previous year ₹24,61.77 thousand) on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has



बारे में सूचित किया है। कंपनी ने उक्त प्रीमियम राशि बैंकरों को वापस कर दी है, कुछ बैंकों ने पुनर्भुगतान स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त राशि को 'विविध लेनदारों' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया है।

#### **6.** प्रावधान

डिबेंचर में निवेश राशि ₹105,00,00.00 हजार अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹110,00,00.00 हजार) एवं जिसका बुक वैल्यू ₹104,97,70.60 हजार (पिछले वर्ष ₹109,97,70.60 हजार) है जिसे आईआरडीएआई मानदंडों के अनुरूप पहले के वर्षों में बही खातों में संदिग्ध एवं पूरी तरह से प्रदान किया गया माना जाता है। इसे निवेश परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान – अनुसूची 14 के शीर्ष के तहत दिखाया गया है।

#### 7. फैक्टरिंग

कंपनी ने मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹55.17 हजार (पिछले वर्ष ₹19.57 हजार) का प्रावधान किया है, जबकि संदिग्ध संपत्तियों के संबंध में कंपनी ने पूर्व में आईआरडीएआई मानदंडों के अनुरूप ₹7,04,26.80 हजार का प्रावधान किया है।

### 8. पुनर्बीमा

कंपनी ने भारत की सामान्य बीमा कंपनी हेतु आएआरडीएआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक, कंपनी के संपूर्ण व्यवसाय (अल्पकालिक के साथ–साथ मध्यम एवं दीर्घकालिक व्यवसाय) का 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अधिवेशन सौप दिया है। पॉलिसी के अंतर्गत कोटा शेयर अर्पण 19.24% (पिछले वर्ष 15%) है – जहाँ जीआईसी री (6%), एससीओआर री (6%), हनोवर री (4%), सीसीआर री (3.24%) के साथ है तथा ईसीआईबी के अंतर्गत यह 8.85% है ( पिछले वर्ष 8%)–जहाँ जीआईसी री (1.5%), एससीओआर री (3%), हनोवर री (3%) एवं सीसीआर री (1.35%) के साथ है। कंपनी के पास उपरोक्त पुनर्बीमाकर्ता के साथ अल्पावधि (एसटी) रक्षा हेतु एक्सिस ऑफ लॉस (एक्सओएल) अनुबंध भी किया गया पिछले वर्ष हेतु पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नानुसार था:

	कोटा	। शेयर	a>
वित्तीय वर्ष	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि )	एक्स ओ एल (अल्पावधि)
2007–08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्सओएल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्सओएल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2010-11	10%	कुछ नहीं	एक्सओएल उपलब्ध नहीं

182

### ई सी जी सी लिमिटेड

refunded the said premium amount to the bankers some of the banks have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

#### 6. PROVISIONS

100.000

Investment in Debentures amounting to ₹105,00,00.00 thousand Face Value (previous year ₹110,00,00.00 thousand) and has a Book Value of ₹104,97,70.60 thousand (previous year ₹109,97,70.60 thousand) is treated as doubtful and fully provided in the Books of accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. It is shown under the head Provision for Investment Assets – Schedule 14.

#### 7. FACTORING

The Company has made provision of ₹55.17 thousand (previous year ₹19.57 thousand) on account of standard assets, whereas in relation to doubtful assets the company in the past has made a provision of ₹7,04,26.80 thousand in line with IRDAI norms.

### 8. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short-Term as well as Medium and Long-Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance company of India. Quota Share cession under Policy is 19.24% (previous year 15%) – with GIC Re (6%), SCOR Re (6%), Hannover Re (4%), CCR Re (3.24%) and under ECIB is 8.85% (previous year 8%) – with GIC Re (1.5%), SCOR Re (3%), Hannover Re (3%) and CCR Re (1.35%). The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for short Term (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance programme for the earlier year was as under:

	Quota		
Financial year	Obligatory	Treaty (ST)	XOL (ST)
2007-08 (Only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	NIL	No XOL available

100

#### 64th Annual Report - 2021-2022

2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available
2015-16 (Policy)	5%	25%	XOL available
2015-16 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2016-17 (Policy)	5%	25%	XOL available
2016-17 (ECIB)	5%	25%	XOL available
2017-18 (Policy)	5%	27%	XOL available
2017-18 (ECIB)	5%	23%	XOL available
2018-19 (Policy)	5%	26%	XOL available
2018-19 (ECIB)	5%	21.5%	XOL available
2019-20 (Policy)	5%	26%	XOL available
2019-20 (ECIB)	5%	14.5%	XOL available
2020-21 (Policy)	5%	15%	XOL available
2020-21 (ECIB)	5%	8%	XOL available

# 9. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with the NEIA Trust set up by Government of India. The Company has obtained guarantee from the NEIA Trust for 34 MLT covers (previous year 46 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2021-22. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹3,75,04.65 thousand (previous year ₹4,88,44.53 thousand) to NEIA Trust.

2011-12	10%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्सओएल उपलब्ध
2013-14	5%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2014–15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्सओएल उपलब्ध
2014–15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्सओएल उपलब्ध
2015–16 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2015-16 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2016–17 (पॉलिसी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2016-17 (ईसीआईबी)	5%	25%	एक्सओएल उपलब्ध
2017–18 (पॉलिसी)	5%	27%	एक्सओएल उपलब्ध
2017–18 (ईसीआईबी)	5%	23%	एक्सओएल उपलब्ध
2018–19 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्सओएल उपलब्ध
2018–19 (ईसीआईबी)	5%	21.5%	एक्सओएल उपलब्ध
2019-20 (पॉलिसी)	5%	26%	एक्सओएल उपलब्ध
2019–20 (ईसीआईबी	5%	14.5%	एक्सओएल उपलब्ध
2020–21 (पॉलिसी)	5%	15%	एक्सओएल उपलब्ध
2020-21 (ईसीआईबी)	5%	8%	एक्सओएल उपलब्ध
			_

ECGC Limited

### वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (ए आर टी )

कंपनी के पास भारत सरकार द्वारा स्थापित एनईआईए ट्रस्ट के साथ मध्यम एवं लंबी अवधि (एमएलटी) रक्षा के अंतर्गत कुछ उच्च मूल्य के एक्सपोजर के लिए जोखिम साझा करने की व्यवस्था थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शुल्क के भुगतान पर 34 एमएलटी रक्षाओं (पिछले वर्ष 46 एमएलटी रक्षाओं) के लिए एनईआईए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने एनईआईए ट्रस्ट को ₹3,75,04.65 हजार (पिछले वर्ष ₹4,88,44.53 हजार) के गारंटी शुल्क का भुगतान किया है।



### 10. प्रीमियम आय

10.00

प्रीमियम आय को जोखिम की धारणा पर मान्यता दी जाती है। लेखा नीति के अनुसार, मार्च के महीने में निर्यातकों द्वारा किए गए पोतलदान / बैंकों द्वारा वितरित निर्यात ऋग से संबंधित जोखिम एवं प्रीमियम आय की धारणा को बाद के वर्ष में मान्यता दी जाती है। आईआरडीएआई ने दिनांक 30 जनवरी, 2014 के अपने पत्र संख्या एफ एन ए/जीईसी/एलआर/001/2013–14/12 के माध्यम से कंपनी द्वारा स्थापना के बाद से लगातार अपनाई जाने वाली प्रीमियम लेखा पद्धति से सहमति व्यक्त की है। कंपनी ने मार्च 2022 के माह में किए गए पोतलदान/अग्रिमों से संबंधित उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹44,41,22.62 हजार (पिछले वर्ष ₹49,52,47.60 हजार) प्रीमियम आय का अनुमान लगाया है, जिसे बाद के वर्ष में मान्यता प्रदान की गई है।

### 11. एनईआईए ट्रस्ट

एनईआईए ट्रस्ट से प्रशासनिक शुल्क के रूप में कंपनी को प्राप्त ₹2,81,42.42 हजार (पिछले वर्ष ₹2,65,29.75 हजार) की प्राप्तियो को अन्य आय में शामिल हैं। ₹19,01,86.33 हजार (पिछले वर्ष ₹18,48,85.20 हजार) के अग्रिम में प्राप्त प्रशासनिक शुल्क, वर्तमान देनदारियों – अन्य – एनईआईए ट्रस्ट में शामिल है।

#### 12. कोविड १९

महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, आरबीआई ने भारत में निर्यात आय की वसूली एवं प्रत्यावर्तन की अवधि को कम करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। सरकारी छूटों के अनुरूप कंपनी ने अपने ग्राहकों को जारी की गई रक्षा की शर्तों में भी ढील दी है। कंपनी ने आगे अपने व्यवसाय पर कोविड 19 के प्रभाव का संज्ञान लिया है एवं चालू वर्ष के लिए अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन किया है। कंपनी को विश्वास है कि परिणामी दावे प्रबंधनीय होंगे। बीमांकिक अनुमान के आधार पर, हमने अपने बहीखातों में उपयुक्त प्रावधान प्रदान किए हैं एवं इसे आईबीएनआर एवं आईबीएनईआर प्रावधान में शामिल किया गया है। चूकों एवं अपेक्षित दावों में परिणामी वृद्धि के कारण आईबीएनआर एवं आईबीएनईआर प्रावधान को पिछले वर्ष के 5740.48 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6168.23 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आईबीएनआर अनुमानों के लिए, इस्तेमाल की गई धारणाओं में कोविड जोखिम से उत्पन्न होने वाली किसी भी अनिश्चितता को दर्शाने के लिए विवेकपूर्ण मार्जिन उपलब्ध है।

13. कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली मानक प्रथाओं के अनुसार, दावों का निपटारा कंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रधान कार्यालय दावा समिति (एचसीसी) भी शामिल है, जो अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर प्रस्तुत दावों में कुछ खामियों को माफ कर देता है। निपटाए गए इन सभी दावों को कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में निपटाया गया माना जाता है।

# ई सी जी सी लिमिटेड

#### **10. PREMIUM INCOME**

Premium income is recognised on assumption of risk. As per the accounting policy, the assumption of risk and the premium income, relating to shipments made by the exporters / export credits disbursed by banks in the month of March is recognised in the subsequent year. IRDAI vide its letter No. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception. The Company has estimated such premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2022 at ₹44,41,22.62 thousand (previous year ₹49,52,47.60 thousand) which is recognised in subsequent year.

#### 11. NEIA TRUST

The administrative charges receivable by the Company from the NEIA Trust of ₹2,81,42.42 thousand (previous year ₹2,65,29.75 thousand) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹19,01,86.33 thousand (previous year ₹18,48,85.20 thousand), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

#### 12. COVID 19

In order to reduce the impact of pandemic, RBI has brought in certain measures relaxing period of realisation and repatriation of export proceeds to India. In line with the Govt. relaxations the Company has also relaxed its terms of covers issued to its clients. The Company has further taken cognizance of the impact of COVID 19 on its business and made assessment of the situation on its financials for the current year. The Company is confident that the resultant claims will be manageable. On the basis of actuarial estimation, we have provided the suitable provisions in our books of accounts and same is included in IBNR & IBNER provision. The IBNR & IBNER provision has been increased to Rs.6168.23 crore from Rs.5740.48 crore previous year due to resultant increase in defaults and expected claims. For the IBNR estimates, the assumptions used have prudent margins to reflect any uncertainty arising out of COVID exposure.

**13.** As per the Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Head Office Claims Committee (HCC) within their delegated powers by condoning some lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.



(7 (AAA)

- - -

### 14. पूर्व अवधि समायोजन में शामिल है:

		(て '000)
विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	64,80.76	52,12.36
अन्य	30.07	1,55.88
मूल्यहास	-	2,57,50.98
मरम्मत एवं रखरखाव	-	1,34.05
संपत्ति कर-अँधेरी संपत्ति	-	2,32,35.67
कर देयता हेतु प्रावधान	29,19,44.68	-
कुल पूर्व अवधि समायोजन	29,84,55.51	5,44,88.94

### 15. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय:

		(₹ '000)
आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
पुनर्बीमा*	55,80,54.88	39,08,29.67
अन्य प्राप्तियां	22,37.09	46.56

व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क एवं अन्य व्यय	57,83.48	24,15.22
स्थिति पूछताछ शुल्क	1,71,81.59	1,30,39.93
किताबें एवं पत्रिकाएं	-	40,79.79

\* पुनर्बीमा अर्जन, पुनर्बीमा प्रीमियम से निवल भुगतान किए गए दावों के लिए विदेशी मुद्रा में वसूली है।

16. कंपनी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एवं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एक्पोज़र/कार्य नहीं है। कंपनी का विदेशी मुद्रा (बिना हेज) में कोई एक्सपोजर नहीं है।

#### 17. खंडवार रिपोर्ट (लेखा मानक 17)

कंपनी एकल खंड 'निर्यात ऋग बीमा' में कार्यरत है। कंपनी निर्यातकों को फैक्टरिंग गतिविधियां भी प्रदान करती है। वर्ष के दौरान अनुमानित कुल बिल ₹6,61,02.39 हजार (पिछले वर्ष ₹5,02,35.43 हजार) था जिसमें वर्ष के दौरान कुल राजस्व ₹9,73.56 हजार (पिछले वर्ष ₹6,80.40 हजार) रहा। चूंकि फैक्टरिंग राजस्व, लाभ या हानि एवं संपत्ति कुल खंड गतिविधि के 10% से कम है, इसलिए, यह एएस 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

### 64th Annual Report - 2021-2022

#### 14. Prior Period Adjustments Include:

		(< 1000)
Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	64,80.76	52,12.36
Others	30.07	1,55.88
Depreciation	-	2,57,50.98
Repair and Maintenance	-	1,34.05
Property Tax - Andheri Premises	-	2,32,35.67
Provision for Tax Liability	29,19,44.68	-
Total Prior Period Adjustments	29,84,55.51	5,44,88.94

# 15. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

/<del>7</del> (000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Re-insurance*	55,80,54.88	39,08,29.67
Other Receipt	22,37.09	46.56

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	57,83.48	24,15.22
Status Enquiry Fees	1,71,81.59	1,30,39.93
Books and periodicals	-	40,79.79

\*Reinsurance earning is the recoveries in foreign currency for claims paid net off reinsurance premium.

**16.** The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (unhedged).

# 17. Segmental Reporting (Accounting Standard 17)

The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. The Company also provide factoring activities to exporters. Total bill factored during the year amounting to ₹6,61,02.39 thousand (previous year ₹5,02,35.43 thousand) Total revenue during the year is ₹9,73.56 thousand (previous year ₹6,80.40 thousand). Since factoring revenue, profit or loss and assets are less than 10% of total segment activity, therefore, it is not reportable segment as per AS 17.



# 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

### ई सी जी सी लिमिटेड

### 18. तेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन:

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

### 18. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:

(i) Key Management Personnel:

क्र सं	नाम	पदनाम	श्रेणी	दि. 31/03/2022 को
Sr. No.	Name	Designation	Category	As of 31/03/2022
1	श्री एम सेंथिलनाथन	अध्यक्ष सह प्रबंध	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	29-04-2020 से नियुक्त
	Shri M. Senthilnathan	जय्यदा सह प्रबंध निदेशक	Chief Executive Officer	Appointed w.e.f.
		Chairman-cum-	Chief Executive Onicer	29-04-2020
		Managing Director		23-04-2020
2	श्री सुनील जोशी	कार्यपालक निदेशक	कार्याकारी निदेशक– कार्यपालक	21-05-2020 से नियुक्त
<u> </u>	Shri Sunil Joshi	(पॉलिसी मामले)	Functional Director -	Appointed w.e.f.
		Executive Director	Executive	21-05-2020
		(Policy Matters)	Excounte	21 00 2020
3	श्री सी एन ए अन्बरासन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक (परिचालन)	23-09-2020 से नियुक्त
	Shri C. N. A.	Executive Director	Executive Director	Appointed w.e.f. 23-09-2020
	Anbarasan		(Operations)	
4	श्री निर्दोष चोपड़ा	महाप्रबंधक	(i) मुख्य वित्तीय अधिकारी;	21-05-2020 से नियुक्त
	Shri Nirdosh Chopra	General Manager	(ii) मुख्य जोखिम अधिकारी;	02-05-2019 से नियुक्त
			तथा	16.08.2021 से प्रभार समाप्त
			(iii) पारदर्षिता अधिकारी	Appointed w.e.f. 21-05-2020
			(i) Chief Financial Officer;	Appointed w.e.f. 02-05-2019
			(ii) Chief Risk Officer; and	Ceased w.e.f. 16.08.2021
			(iii)Transparency Officer	
5	श्री पी एल ठाकुर	महाप्रबंधक	मुख्य बीमांकन अधिकारी	24–09–2020 से नियुक्त
	Shri P. L. Thakur	General Manager	(ईसीआईबी–अल्पावधि)	16-08-2021 से मुख्य बीमांकन अधिकारी
			Chief Underwriting Officer	(एमएलटी) के रूप में प्रभार समाप्त
			(ECIB-ST)	Appointed w.e.f. 24-09-2020
				Ceased to be Chief Underwriting Officer
				(MLT) w.e.f. 16-08-2021
6	श्री सृष्टिाज अम्बष्ठ	महाप्रबंधक	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख तथा	21–05–2020 से नियुक्त
	Shri Sristiraj	General Manager	मुख्य सतर्कता अधिकारी	Appointed w.e.f.
	Ambastha		Chief of Internal Audit & Chief	21-05-2020
			Vigilance Officer	
7	श्री ईशनाथ झा	महाप्रबंधक	महाप्रबंधक-मानव संसाधन	21-05-2020 से नियुक्त
	Shri Ishnath Jha	General Manager	विकास एवं प्रशासन विभाग	Appointed w.e.f.
			General Manager Human	21-05-2020
			Resource Development and	
			Administration Department	
8	श्री सुबीर कुमार दास	महाप्रबंधक	(i) मुख्य बीमांकन अधिकारी	21–05–2020 से नियुक्त
	Shri Subir Kumar Das	General Manager	(पॉलिसी); तथा (;;) एक्स नीपांकन	16-08-2021 से नियुक्त American dama f
			(ii) मुख्य बीमांकन अधिकारी (एमएलटी)	Appointed w.e.f.
			. ,	21-05-2020
			(i) Chief Underwriting Officer	Appointed w.e.f. 16-08-2021
			(Policy); and (ii) Chief Underwriting	10-00-2021
			(II) Chief Onderwhung Officer (MLT)	
	1	1		



### 64th Annual Report - 2021-2022

### **ECGC** Limited

	1	r		
9	श्रीमती स्मिता वी. पंडित	महाप्रबंधक	(i) कम्पनी सचिव एवं मुख्य	04–06–2013 से नियुक्त
	Smt. Smita V. Pandit	General Manager	अनुपालन अधिकारी; तथा	16-08-2021 से नियुक्त
			(ii) पारदर्शिता अधिकारी	Appointed w.e.f.
			(i)Company Secretary &	04-06-2013
			Chief Compliance Office; and	Appointed w.e.f.
			(ii)Transparency Officer	16-08-2021
10	श्री आनंद सिंह	महाप्रबंधक	मुख्य विपणन अधिकारी	16–08–2021 से नियुक्त
	Shri Anand Singh	General Manager	Chief Marketing Officer	Appointed w.e.f.
				16-08-2021
11	सुश्री प्रिसिला सिन्हा	नियुक्त बीमांकिक	नियुक्त बीमांकिक	27–01–2020 से नियुक्त
	Ms. Priscilla Sinha	Appointed Actuary	Appointed Actuary	Appointed w.e.f.
				27-01-2020
12	सुश्री अर्पिता सेन	उप–महाप्रबंधक	मुख्य निवेश अधिकारी	26–11–2019 से नियुक्त
	Ms. Arpita Sen	Deputy General	Chief Investment Officer	09-09-2021 से प्रभार समाप्त
		Manager		Appointed w.e.f.
				26-11-2019
				Ceased w.e.f.
				09-09-2021
13	श्री यशवंत बी ब्रीद	उप–महाप्रबंधक	मुख्य निवेश अधिकारी	09–09–2021 से नियुक्त
	Shri Yashwant B.	Deputy General	Chief Investment Officer	Appointed w.e.f.
	Breed	Manager		09-09-2021

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियां :

		(₹ '000)
विवरण	विवरण चालू वर्ष पिछले	
वेतन एवं भत्ते	6,99,07.35	4,15,26.96
नियुक्त बीमांकिक	90,19.05	85,43.28

### (iii) वर्ष के दौरान सम्बंधित पक्षों के साथ किये गए संव्यवहार

(क) एन ई आई ए ट्रस्ट <b>(₹ '00</b>			
क्र	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सं			
1	वर्ष के दौरान प्राप्त	2,81,42.42	2,65,29.75
	प्रशासनिक प्रभार		
2	अग्रिम रूप में प्राप्त	19,01,86.33	18,48,85.20
	प्रशासनिक प्रभार (आज		
	की तारीख तक शेष)		
3	एन ई आई ए ट्रस्ट को	7,42,37.76	7,37,88.39
	अदा किया गया (आज		
	की तारीख तक शेष)		
4	वर्ष के अंत तक बकाया	3,26,83.71	3,23,53.19
	राशि – डेबिट शेष		
5	गारंटी शुल्क का भुगतान	3,75,04,65	4,88,44.53

(ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year :

(₹ **'000**)

Particulars	Current year	Previous Year	
Salary and Allowances	6,99,07.35	4,15,26.96	
Appointed Actuary	90,19.05	85,43.28	

(iii) Transactions during the year with related parties:
 NEIA Trust (₹ '000)

S. No.	Nature of Transactions	Current year	Previous Year
1	Administrative Charges Received for the Year	2,81,42.42	2,65,29.75
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	19,01,86.33	18,48,85.20
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	7,42,37.76	7,37,88.39
4	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	3,26,83.71	3,23,53.19
5	Guarantee Fees paid	3,75,04,65	4,88,44.53



1

(₹ '000)

#### 19. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर की गणना की गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान ₹35,79.89 हजार (पिछले वर्ष डेबिट ₹2,95,89.55 हजार) की राशि का शुद्ध आस्थगित कर ऋण हुआ है।वर्ष के अंत में शुद्ध आस्थगित कर संपत्ति ₹43,88,90.87 हजार (पिछले वर्ष आस्थगित कर संपत्ति ₹44,24,70.76 हजार) थी। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं:

			(\ 000)
विवरण	01-04-2021 से प्रारम्भ	वर्ष के दौरान प्रभारित / जमा	31-03-2022 तक समाप्त
देयता			
मूल्यहास	2,22,38.88	48,82.77	2,71,21.65
कुल	2,22,38.88	48,82.77	2,71,21.65
परिसंपत्तियाँ			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	13,63,55.66	49,94.08	14,13,49.74
संदिग्ध ऋग हेतु प्रावधान	29,69,03.94	(1,13,52.13)	28,55,51.81
उपदान हेतु प्रावधान	1,38,44.02	(20,94.80)	1,17,49.22
कर देयता हेतु प्रावधान	-	2,03,12.19	2,03,12.19
पी एल एल आई	17,66.79	52,82.77	70,49.56
वेतन के संशोधन ( भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण )	1,58,39.23	(1,58,39.23)	-
कुल	46,47,09.64	13,02.88	46,60,12.52
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	44,24,70.76	(35,79.89)	43,88,90.87

20. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई:

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक : लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ '000)	875, 16, 19.85	460,30,48.96
ख)	हर : वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	34,20,52,055	28,74,82,192
ग)	प्रति शेयर अर्जन : मौलिक (₹)	25.59	16.01
घ)	शेयरों का अंकित मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविषय में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान है।

### ई सी जी सी लिमिटेड

#### 19. DEFFERED TAX ACCOUNTING

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Credit during the year amounting to ₹35,79.89 thousand (previous year debit ₹2,95,89.55 thousand). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹43,88,90.87 thousand (previous year Deferred Tax Assets ₹44,24,70.76 thousand). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(7 '000)

			(₹ 000)	
Particulars	Opening at 01-04-2021	Charge/Credit during the year	Closing at 31-03-2022	
Liability				
Depreciation	2,22,38.88	48,82.77	2,71,21.65	
Total	2,22,38.88	48,82.77	2,71,21.65	
Assets				
Provision for leave encashment	13,63,55.66	49,94.08	14,13,49.74	
Provision for doubtful debts	29,69,03.94	(1,13,52.13)	28,55,51.81	
Provision for gratuity	1,38,44.02	(20,94.80)	1,17,49.22	
Provision for Tax Liability	-	2,03,12.19	2,03,12.19	
PLLI	17,66.79	52,82.77	70,49.56	
Wage Revision (PF& leave encashment)	1,58,39.23	(1,58,39.23)	-	
Total	46,47,09.64	13,02.88	46,60,12.52	
Deferred Tax Asset/ (Liability)	44,24,70.76	(35,79.89)	43,88,90.87	

#### 20. Earnings Per Share is calculated as under:

	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator: Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	875,16,19.85	460,30,48.96
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	34,20,52,055	28,74,82,192
c)	Earnings per share: Basic (₹)	25.59	16.01
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.



### 21. आकस्मिक देयताएं

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋग के रूप नहीं माना गया है	172,66,40.00	172,65,64.00
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋग के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	2150,48,68.00	1053,66,45.00
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	आय कर	625,29,00.00	377,00,00.00

### 22. पूँजी दायित्व

कुल बकाया पूँजी दायित्व ₹112,16,58.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹205,38,10.02 हज़ार)

- आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त बीमांकिक द्वारा किये गए बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर ₹308,52,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹316,54,00.00 हज़ार) के प्रीमियम में कमी हेतु प्रारक्षण किये गए है.
- 24. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर) के लिए प्रारक्षित निधि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वर्ष 2021–2022 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षणों, किए गए भुगतानों तथा अंतिम आरक्षणों के विवरण निम्नानुसार हैं :

#### 64th Annual Report - 2021-2022

#### **21. CONTINGENT LIABILITIES**

S. No.	Particulars	Current year	Previous Year
1.	Partly paid-up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	172,66,40.00	172,65,64.00
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt	2150,48,68.00	1053,66,45.00
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Income Tax	625,29,00.00	377,00,00.00

#### 22. CAPITAL COMMITMENTS

Amount of capital commitments outstanding is ₹112,16,58.90 thousand (previous year ₹205,38,10.02 thousand).

23. Based on the actuarial valuations by the Appointed Actuary, premium deficiency reserve of ₹308,52,00.00 thousand (previous year ₹316,54,00.00 thousand) is provided as per IRDAI requirements.

#### 24. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

189

The Company has computed CSR provision for the year 2021-22 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

(क) (a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि: Gross amount required to be spent by the Company during the year:		
(ख) (b)		न द्वारा अनुमोदित वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि: proved by the Board to be spent during the year:	8,70,00.34
	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि : Amount spent during the year on:		
(ग) (c)	(i) निर्माण/ नई संपत्ति की खरीद Construction / acquisition of any asset		
	(ii)	उपरोक्त (i) के अतिरिक्त किसी एवं उद्देश्य से On purposes other than (i) above	10,85,79.14
(घ) (d)	संबंधित पक्षों के संव्यवहार यथा, धारा 8 के अनुसार लेखा मानक (ए एस) 18 के अनुसार सी एस आर से संबंधित कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट/सोसाइटी को अंशदान, संबंधित पक्ष उद्घोषणा. Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust/society/ section 8 company controlled by the company in relation to CSR expenditure as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures.		कोई नहीं NIL
(ड़) (e)		) एवं 135(6) के अनुसार विवरण निम्नानुसार है: as per section 135(5) and section 135(6) are given below:	

ई सी जी सी लिमिटेड

64<sup>वी</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

	धारा 135(5) व्यय न की गई राशि Section 135(5) Unspent Amount						
आरंभिक शेष Opening Balance		6 माह के भीतर अनुसूची VII में निर्धारित निधियों में जमा की गई राशि Amount Deposited in Specified Fund of Schedule VII within 6 Months		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि Amount Required to be Spent During the Year	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent during the Year	शेष राशि Closing Balance	
	3,20,09.	00	49,11	.00	8,70,00.34	10,36,68.14	1,04,30.20
			धारा 135(5) Section 135(5)	अधिक व्यय की ग Excess Amoui			
	आरंभिक शेष Opening Balance			i जाने वाली राशि d to be Spent e Year	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि Amount Spent During the Year		राशि Balance
				लागू नहीं Applicable			
			•	6) जारी परियोज 6) Ongoing Pr			
		रंभिक शेष ng Balance	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि		न व्यय की गई राशि शेष राशि ent During the Year Closing Balanc		
वर्ष Years	कंपनी के पास With Company	अलग सी एस आर राशि व्यय न किए गए खाते में In Separate CSR Unspent A/c	Amount Required to be Spent	कंपनी के बैंक खाते से From Company's Bank A/c	अलग सी एस आर खाते से From Separate CSR Unspent A/c	कंपनी के पास With Company	अलग सी एस आर राशि व्यय न किए गए खाते में In Separate CSR Unspent A/c
2020-21	-	2,70,98.00		-	2,14,16.99	-	56,81.01
2021-22	_	-	8,70,00.34	8,22,51.15	-	8,93.19*	38,56.00

\*व्यय न की राशि ₹8,93.1 हजार जो कि वर्तमान वर्ष की किसी परियोजना (स्वच्छता कार्य योजना एवं प्रशासनिक व्यय से संबंधित व्यय न की गई राशि) से संबंधित नहीं थी को वित्त वर्ष 2022–23 में स्वच्छ भारत कोश में हस्तांतरित किया गया ।

- 25. बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए है।
- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में शामिल निवेशों में शामिल है:
- (क) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹4,99,25.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,99,25.00 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड ) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।
- (ख) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹93,17.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हज़ार 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड ) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

190

\*Unspent amount of ₹8,93.19 thousand not relating to any project (Balance unspent amount related to Swachta Action Plan and Administrative Expenses) for the current year transferred to Swachh Bharat Kosh during the FY 2022-23.

25. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure – 1A & 1B.

# 26. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:

- (a) 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25.00 thousand (previous year ₹4,99,25.00 thousand 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.
- (b) 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17.00 thousand (previous year ₹93,17.00 thousand 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

(ग) कंपनी द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कोपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹40,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹40,00,00.00 हज़ार 7.06% वाले भारत सरकार के 2046 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.95% वाले भारत सरकार के 2032 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

### २७. निवेश

- (क) वर्ष 2018–19 में कम्पनी ने ₹290,58,37.42 हज़ार के बही मूल्य (₹275,00,00.00 हज़ार अंकित मूल्य ) को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन में से शेयरधारक निधि के लिए अलग वर्गीकृत किया. पैरा 4 (छ ) में उल्लिखित अनुसार अफ्रीकन ट्रेड इन्स्युरंस में अंतरित करने के उपरान्त दिनांक 31 मार्च 2022 को अतिरिक्त शोधन क्षमता मार्जिन के रूप में ₹253,08,95.60 हज़ार बही मूल्य (₹242,03,49.72 हज़ार अंकित मूल्य) शेष रहा ।
- (ख) आई आर डी ए आई के नियमों के अनुसार एमटेक ऑटो लिमिटेड के डिबेंचर में किए गए निवेश राशि ₹5,00,00.00 हजार को संदिग्ध माना गया एवं पिछले वर्षो में लेखा खातों में इनका पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया। माननीय एन सी एल टी द्वारा अनुमोदित संकलप योजना के अनुसार, कंपनी को ₹34,09.96 हजार (एमटेक ऑटो के ₹9,19.70 हजार के 0.1% डिबेंचर सहित) प्राप्त हो गए हैं एवं ₹48,58.96 हजार की राशि प्राप्ति योग्य है जिसका पूर्ण प्रावधान किया गया है तथा शेष राशि ₹4,17,31.08 हजार को वर्ष के दौरान निवेश संपत्ति प्रावधान में से बट्टे खाते में डाला गया है। एमटेक ऑटो से प्राप्त दे34,09.96 हजार के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिया गया है।

#### 28. कर्मचारी हितलाभः

- (क) कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना ( एन पी एस ) में शामिल किया गया है।
- (ख) कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।
- (ग) परिभाषित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।
- (घ) आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 ( 2005 में संशोधित ) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि , जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाये।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

(c) 7.95% 2032 Government of India bonds having face value of ₹40,00,00.00 thousand (previous year 7.06% 2046 Government of India Bonds ₹40,00,00.00 thousand) is charged to National Stock Exchange Limited towards margin for secondary market equity transactions entered into by the company as per the regulatory requirement.

#### 27. Investments

- (a) In the year 2018-19, Company has segregated ₹290,58,37.42 thousand Book Value (Face Value ₹275,00,00.00 thousand) for Shareholders Fund in excess of solvency margin. After transfer to the African Trade Insurance as mentioned in para 4(e), balance in the Shareholders fund in excess of Solvency Margin as on March 31, 2022 is ₹253,08,95.60 thousand Book Value (Face Value ₹242,03,49.72 thousand).
- (b) Investment in Debentures of Amtek Auto Limited of ₹5,00,00.00 thousand was treated as doubtful and fully provided in the books of accounts in the earlier years in line with IRDAI norms. As per the resolution plan approved by Hon'ble NCLT, the Company has received ₹34,09.96 thousand (including 0.1% debentures in Amtek Auto of ₹9,19.70 thousand) and entitled to receive an amount of ₹48,58.96 thousand which is fully provided for and remaining balance of ₹4,17,31.08 thousand has been written off during the year against existing provision for investment assets. Excess provision representing the amounts received from Amtek Auto of ₹34,09.96 thousand has been written back.

#### 28. EMPLOYEE BENEFITS:

- (a) The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by the New Pension Scheme (NPS) under the Defined Contribution Scheme.
- (b) The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each eligible employee.
- (c) In case of employees who are eligible for the Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.
- (d) The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.



- (ङ) भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि , भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है। तथापि कंपनी द्वारा पिछले वर्ष 2020–21 के लिए ब्याज की कमी से निपटने के लिए भविष्य निधि ट्रस्ट को वर्ष के दौरान ₹54,41.26 हज़ार की अदायगी की गयी है।
- (च) कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार अवकाश एवं दीर्घ सेवा के लाभ के हकदार है। लेखा वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति में संचित अवकाश एवं दीर्घ सेवा लाभों के कारण देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

क्र स	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	तुलन पत्र में स्वीकृत		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	56,16,24.84	54,17,81.86
	वर्ष के आरंभ में देयता	54,17,81.86	49,50,72.55
	तुलन पत्र में स्वीकृत अतिरिक्त देयता	(1,98,42.98)	(4,67,09.31)

#### (₹ '000)

(₹ '∩∩∩)

(छ) लेखावधि के लिए उपदान एवं सेवानिवृति के कारण वित्त पोषण योग्य 'परिभाषित कर्मचारी सुविधा योजना' के अधीन कर्मचारी सुविधाओं के विवरण निम्नानुसार है:

#### पेंशन

	(< '000			
क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
1	लाभ दायित्वों में परिवर्तन			
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व	384,12,45.20	364,75,12.12	
	ब्याज लागत	26,54,30.04	24,83,95.58	
	वर्तमान सेवा लागत	12,99,02.38	12,50,24.11	
	अंतरित देयता			
	प्रदत्त लाभ	(64,72,56.55)	(40,26,58.20)	
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	31,78,67.45	22,29,71.59	
	वर्ष के अंत तक अनुमानित लाभ देयताएं	390,71,88.52	384,12,45.20	

### ई सी जी सी लिमिटेड

- (e) As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the interest payable on the Provident fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account. However, the Company has paid ₹54,41.26 thousand during the year to the Provident Fund Trust to meet the shortfall of Interest for the previous year 2020-21.
- (f) The employees of the Company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the Company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Recognized in the Balance Sheet		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	56,16,24.84	54,17,81.86
	Liability at the beginning of the year	54,17,81.86	49,50,72.55
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	(1,98,42.98)	(4,67,09.31)

(g) The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

### Pension

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	Change in Benefit Obligations		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	384,12,45.20	364,75,12.12
	Interest Cost	26,54,30.04	24,83,95.58
	Current Service Cost	12,99,02.38	12,50,24.11
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(64,72,56.55)	(40,26,58.20)
	Actuarial (Gain) / Loss	31,78,67.45	22,29,71.59
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	390,71,88.52	384,12,45.20

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
2	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	359,62,87.53	314,56,62.58
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	24,85,03.47	21,42,19.62
	अंशदान	36,11,71.02	52,99,28.06
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(64,72,56.55)	(40,26,58.20)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	5,25,25.47	10,91,35.47
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	361,12,30.94	359,62,87.53
3	तुलन पत्र में स्वीकृत		
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	390,71,88.53	384,12,45.20
	वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	361,12,30.94	359,62,87.53
	तुलन पत्र में स्वीकृत देयता	29,59,57.59	24,49,57.67
4	वर्ष के लिए लागत		
	चालू सेवा लागत	12,99,02.38	12,50,24.11
	ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन सहित)	1,69,26.58	3,41,75.96
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	26,53,41.98	11,38,36.12
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	41,21,70.94	27,30,36.19

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

Sr.	Category	Current Year	Previous
No.	<u>-</u> ,		Year
2	Change in Plan		
	Assets		
	Plan Assets at the	359,62,87.53	314,56,62.58
	beginning of the		
	year at fair value		
	Expected return	24,85,03.47	21,42,19.62
	on Plan Assets		
	Contributions	36,11,71.02	52,99,28.06
	Assets	-	-
	Transferred in		
	Benefits paid	(64,72,56.55)	(40,26,58.20)
	Actuarial Gain /	5,25,25.47	10,91,35.47
	(Loss)		
	Plan Assets at the	361,12,30.94	359,62,87.53
	end of the year at		
	fair value		
3	Recognized in		
	the Balance		
	Sheet		
	Present Value of	390,71,88.53	384,12,45.20
	the Defined Ben-		
	efit Obligation		
	Plan Assets at the	361,12,30.94	359,62,87.53
	end of the year at		
	fair value		
	Liability rec-	29,59,57.59	24,49,57.67
	ognised in the		
	Balance Sheet		
4	Cost for the year		
	Current Service	12,99,02.38	12,50,24.11
	Cost		
	Interest Cost	1,69,26.58	3,41,75.96
	(Includes Expect-		
	ed return on Plan		
	Assets)		
	Actuarial (Gain) /	26,53,41.98	11,38,36.12
	Loss		
	Expense rec-	41,21,70.94	27,30,36.19
	ognised in the		
	Revenue account		

193

\*\*\*\*\*

### ई सी जी सी लिमिटेड

.....

#### उपदान

	,101	(₹ '000		
क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
	लाभ दायित्वों में परिवर्तन			
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व	43,84,86.43	44,17,03.76	
	ब्याज लागत	3,02,55.56	3,02,12.54	
	चालू सेवा लागत	67,39.63	82,27.00	
1	पिछली सेवा लागत निहित लाभ			
	प्रदत्त लाभ	(4,35,20.98)	(5,97,22.02)	
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1,92,21.75)	1,80,65.15	
	वर्ष के अंत तक अनुमानित लाभ दायित्व	41,27,38.89	43,84,86.43	
	योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन			
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	38,34,80.00	41,35,54.50	
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,64,60.12	2,82,87.13	
2	अंशदान	-	23,18.55	
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-	
	प्रदत्त लाभ	(4,35,20.98)	(5,97,22.02)	
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	(3,63.40)	(9,58.16)	
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	36,60,55.74	38,34,80.00	
	तुलन पत्र में उल्लिखित			
	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	41,27,38.89	43,84,86.43	
3	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	36,60,55.74	38,34,80.00	
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी (देयता)	4,66,83.15	5,50,06.43	
	वर्ष के लिए लागत			
	चालू सेवा लागत	67,39.63	82,27.00	
	ब्याज लागत (योजना आस्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित )	37,95.44	19,25.41	
4	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(1,88,58.35)	1,90,23.31	
	पिछली सेवा लागत–निहित लाभ			
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	(83,23.28)	2,91,75.72	

194

Ù.

### Gratuity

### /<del>7</del> (000)

	(₹ '00			
Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year	
1	Change in Benefit Obligations			
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	43,84,86.43	44,17,03.76	
	Interest Cost	3,02,55.56	3,02,12.54	
	Current Service Cost	67,39.63	82,27.00	
	Past Service Cost – Vested Benefit			
	Benefits paid	(4,35,20.98)	(5,97,22.02)	
	Actuarial (Gain) / Loss	(1,92,21.75)	1,80,65.15	
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	41,27,38.89	43,84,86.43	
2	Change in Plan Assets			
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	38,34,80.00	41,35,54.50	
	Expected return on Plan Assets	2,64,60.12	2,82,87.13	
	Contributions	-	23,18.55	
	Assets Transferred In	-	-	
	Benefits paid	(4,35,20.98)	(5,97,22.02)	
	Actuarial Gain / (Loss)	(3,63.40)	(9,58.16)	
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	36,60,55.74	38,34,80.00	
3	Recognized in the Balance Sheet			
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	41,27,38.89	43,84,86.43	
	Plan Assets at the end of the year at fair value	36,60,55.74	38,34,80.00	
	Liability recognised in the Balance Sheet	4,66,83.15	5,50,06.43	
4	Cost for the year			
	Current Service Cost	67,39.63	82,27.00	
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	37,95.44	19,25.41	
	Actuarial (Gain) / Loss	(1,88,58.35)	1,90,23.31	
	Past Service Cost – Vested Benefit			
	Expense Recognised in the Revenue account	(83,23.28)	2,91,75.72	

क्र. सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
5	अनुमान		
	भुनाने पर ब्याज दर	7.41% (6.91%)	7.33% (6.90%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर	7.41% (6.91%)	7.33% (6.90%)
	वेतन संवर्धन	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
	कर्मचारी पण्यावर्त की दर	0.50%	0.50%
6	मूल्यांकन की पद्धति	परियोजित इकाई जमा	पद्धति
	योजना आस्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	v	

#### 29. परिचालन पट्टे

कंपनी के पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे है जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविदा पर अलग होती हैं। परिचालन पट्टों के लिए ₹14,19,01.99 हज़ार (पिछले वर्ष ₹14,57,77.33 हज़ार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है। ए एस – 19 के अनुसार "पट्टों" के परिचालन के लिए भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की न्यूनतम राशि ₹22,59,57.64 हज़ार (पिछले वर्ष ₹34,80,26.79 हज़ार) है।

- एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार:
- क. बकाया राशि "कुछ नहीं" (पिछले वर्ष "कुछ नहीं")
- ख. सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किये गए देरी से भुगतान "कुछ नही" (पिछले वर्ष "कुछ नहीं")
- देय तारीख के पश्चात निपटान किये गए मूलधन देयों पर देय ब्याज "कुछ नहीं" (पिछले वर्ष "कुछ नहीं")
- 31. कम्पनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों (अनुसूची 2) की वसूलियों को किए गए व्यय जैसे कमीशन, बैंक प्रभार आदि को घटा कर निवल राशि, ₹109,97,13.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹117,46,79.60 हज़ार) को दर्शाया गया है।
- 32. आई आर डी ए आई के परिपत्र सं . 067/IRDA/F&A/CIR/ MAR-08 दिनांक 28/03/2008 के ज़रिये जारी विनियामक आवश्यकताओं के अधीन अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है :-

### 64th Annual Report - 2021-2022

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year	
5	Assumptions			
	Interest rate for Discounting	7.41% (6.91%)	7.33% (6.90%)	
	Estimated rate of return on Plan Assets	7.41% (6.91%)	7.33% (6.90%)	
	Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)	
	Rate of Employee Turnover	0.50%	0.50%	
6.	Method of Valuation	Projected Unit Credit Method		
	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.			

### 29. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹14,19,01.99 thousand (previous year ₹14,57,77.33 thousand). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹22,59,57.64 thousand (previous year ₹34,80,26.79 thousand).

#### 30. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

- (a) Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)
- (b) Delayed Payments made through-out

the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

- (c) Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL).
- 31. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹109,97,13.90 thousand (previous year ₹117,46,79.60 thousand) such as recovery commission, bank charges, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.
- **32.** Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:



(₹ '000)

_					
	क्र स	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	
	i	आउटसोर्सिंग व्यय	12,87,51.64	10,91,45.51	
	ii	कारोबार विकास	1,54,06.26	1,23,91.87	
	iii	विपणन समर्थन	4,33,65.46	3,86,47.91	

#### 33. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध – 2 में संलग्न है।

 निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

	अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण					
		प्री	मियम			
वित्तीय वर्ष	प्रीमियम प्रतिधारण % पुनर्बीमा को % सौंपना					
2021- 22	1106,61,67.81	902,00,40.54	81.51%	204,61,27.27	18.49%	
2020- 21	1062,28,19.61	862,32,31.91	81.18%	199,95,87.70	18.82%	

- 35. आई आर डी ए परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि / सी एम पी / 174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 के अनुसार पॉलिसी धारकों की दावा न की राशि का अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विविरण अनुबंध 3क एवं 3 ख में दर्शाया गया है।
- 36. आई आर डी ए के परिपत्र सं 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए
  / परि / मई 09 दिनांक 7.05.2009 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

क्र	प्राधिकारी	गैर अनु	₹	000 में रा	शि
सं		पालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी / कम
1.	बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

196

### ई सी जी सी लिमिटेड

#### **(₹ '000)**

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i	Outsourcing Expenses	12,87,51.64	10,91,45.51
ii	Business Development	1,54,06.26	1,23,91.87
iii	Marketing Support	4,33,65.46	3,86,47.91

#### 33. RATIOS FOR NON - LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

**34.** Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding catastrophe reinsurance)

	Premium Statistics for the Period April 2021 to March 2022					
	Premium					
FY	Premium	Retention	%	RI Ceding	%	
2021- 22	1106,61,67.81	902,00,40.54	81.51%	204,61,27.27	18.49%	
2020- 21	1062,28,19.61	862,32,31.91	81.18%	199,95,87.70	18.82%	

- 35. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Master Circular no. IRDA/F&A/CIR/Misc/282/11/2020 dated 17/11/2020 is given in Annexure – 3A & 3B.
- **36.** Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

Sr	Authority	Non-	Amount in ₹ '000		
No		Compliance/ Violation	Penalty Levied	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	GST/Service Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Income Tax Authorities.	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL

5	प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी /फेमा के अधीन नयायाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	कंपनी अधिमयम 1956 /2013 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार/एन सी एल टी /सी एल बी/कॉर्पोरेट मामलों का विभाग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	दावा निप– टान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड, जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8	सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया	कम्पनी सूचीबद्ध इकाः	ई नहीं है अतः	ः लागू नह	ť
9	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10	कोई अन्य केंद्र / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकारी	*ई पी एफ एवं एम पी अधिनियम 1952 की धारा 7 क्यू के अनुसार 01-04-2016 से 31-03-2017 तक अवधि में 57 अस्थायी कामगारों के संबंध में भुगतान, तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
		अधिनियम 1952 की धारा 6, 6 क, 6 ग व कर्मचारी जमा बीमा योजना 1976 एवं अन्य प्रावधानों के तहत भुगतान के आदेश			

#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

.....

5	Enforcement Directorate/ Adjudicatir Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	ng	N	IL NI	L	NIL
6	Registrar of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956/2013	NIL	N	IL NI	L	NIL
7	Penalty awarded by any Court/ Tribunal f any matter including claim settlement but excluding compen- sation	or	N	IL NI	L	NIL
8	Securities and Exchange Board of Inc	Not Appli dia is not a L			Con	npany
9	Competition Commission of India	NIL		NIL	NIL	NIL
10	Any other Central/ State/Local Gov- ernment / Statutory Authority	*Order for payment of Interest u/s of the EPF a MP Act, 195 for 01.04.20 to 31.03.20 <sup>-</sup> in respect o casual work and Section 6A and 6C o the Employe Provident Funds and Miscellaneo Provisions <i>A</i> ,1952, Section 8 (1 Employees Deposit Link Insurance Scheme 1976 and other releva provisions.	and 52 116 17 f 57 ers 6, of ees' uus Act ) keed	NIL	NIL	
			laha- tamp	4,46.71	NIL	. NIL

197

\*\*\*\*\*

### ई सी जी सी लिमिटेड

#### नोट

\*कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधान – ईसीजीसी को 1989 से 1996, 1996 से 2010 एवं 2010 से 2016 की अवधि के दौरान किए गए विलम्बित प्रेषण के लिए ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 की धारा 14 बी के तहत सुनवाई के लिए सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी) के समक्ष पेश होने के लिए एक समन (एवं धारा 7ट के तहत ब्याज के भुगतान का आदेश) प्राप्त किया गया।

सुनवाई के दौरान एपीएफफ़सी के निर्देशानुसार, 10.01.2019 को, ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जो यह प्रमाणित करते थे कि ईसीजीसी लिमिटेड का भविष्य निधि आयकर प्राधिकरण द्वारा एक मान्यता प्राप्त ट्रस्ट है। ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा कई अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जिसमें दिखाया गया था कि भविष्य निधि की राशि ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा विधिवत प्रेषित की गई थी।

एपीएफसी, ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (एवं उसी अधिनियम की धारा 7ट के तहत ब्याज के भुगतान के आदेश) की धारा 14 बी के तहत कंपनी को जुलाई 1989 से अगस्त 2016 की अवधि में देरी से भुगतान के मामले में दिनांक 12.03.2019 को तीन अलग– अलग नोटिस जारी किए गए। इस मामले में पिछली सुनवाई सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी), ईपीएफओ के समक्ष 02.07.2021 को हुई।

इसके बाद, एपीएफसी, ईपीएफओ द्वारा मैसर्स ईसीजीसी लिमिटेड एमएच/151783 एवं आदेश संख्या एमएच/बीएएन– 3[एनपी]/पीडी–III/1516783/एसओ/ 2021–22/ 65 एवं आदेश संख्या एमएच/बैन/1516783/नरीमन प्वाइंट/ डैमेज सेल/2021–22/66 दिनांक 30.07.2021 के अंतर्गत मामले को समाप्त किया गया।

तदनुसार, ऊपर उल्लेखित आदेशों का कंपनी द्वारा दिनांक 20-08-2021 को निम्नानुसार अनुपालन किया गया

कुल हानि लागू ब्याज सहित – ₹2,15,84,362/–

ए पी एफ सी, ई पी एफ ओ द्वारा हानि एवं ब्याज पर दी गई छूट – ₹52,97,153/–

कुल भुगतान की गई हानि ब्याज सहित – ₹1,62,87,209/–

तदनुसार मामला बंद हुआ एवं आज की तारीख तक कोई मामला लंबित नहीं है।

\*\*महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958ः स्टाम्प कार्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य ने 07.04.2012 को प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, यूनिटी

198

100

#### Note:-

\*Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act ,1952, Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976 and other relevant provisions – A summon to appear before the Assistant Provident Fund commissioner (APFC) for hearing under section 14B of the EPF and MP Act, 1952 (and order of payment of interest under Section 7Q) was received by ECGC for belated remittance made during the period 1989 to 1996, 1996 to 2010 and 2010 to 2016.

As instructed by the APFC during the hearing, on 10.01.2019, ECGC Ltd. had submitted documents establishing that the Provident Fund of ECGC Ltd. is a recognized Trust by the Income Tax Authority. ECGC Ltd. had also submitted various other documents showing that the provident fund amounts were duly remitted by ECGC Ltd.

APFC, EPFO had issued three separate notices dated 12.03.2019 to the Company under Section 14 B of The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (and order of payment of Interest under Section 7Q of the same Act) for belated remittances made during the period July 1989 to August 2016. The last hearing in this matter was held before the Assistant Provident Fund Commissioner (APFC), EPFO on 02.07.2021.

Thereafter, the matter was concluded by the APFC, EPFO vide speaking order bearing reference M/s ECGC Ltd. MH/151783 and order No. MH/BAN-3[NP]/PD-III/ 1516783/ SO/ 2021-22/65 and Order No. MH/BAN/1516783/Nariman Point /Damages Cell/2021-22/66 dated 30.07.2021.

Accordingly, the orders referred to above were complied with by the Company on 20.08.2021 as provided below -

Total Damages including interest levied - ₹2,15,84,362/-

Waiver of the damages and interest by APFC, EPFO - ₹52,97,153/-

Total Damages paid including interest -₹1,62,87,209/-

The matter is thus closed and no case is pending as on date.

\*\*The Maharashtra Stamp Act, 1958: Stamp Office, Mumbai, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of `4,46,710/-

इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ किए गए निर्माण अनुबंध समझौते पर देय ₹7,20,500 / – के स्टाम्प शुल्क की अदायगी न करने के कारण अपने दिनांक 06/01/2015 के पत्र के जरिये ₹4,46,710/– (चार लाख छियालीस हजार सात सौ दस रुपये मात्र ) का जुर्माना लगाया है।

हालांकि, कंपनी ने उप महानिरीक्षक के समक्ष 22 जनवरी, 2015 को पंजीकरण के दंड से छूट के लिए मामले का प्रतिवेदन किया एवं जल्द से जल्द मामले पर निर्णय हेतु संबंधित प्राधिकारी से नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है।

आज की तारीख तक अपील बहस के लिए लंबित हैं एवं अगली सुनवाई 25–05–2022 के लिए निर्धारित है।

#### 37. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 तथा वित्त वर्ष 2013–14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए / 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

- 38. निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन कंपनी के प्रति शेयर पर ₹7 के हिसाब से लाभांश का प्रस्ताव किया गया। कंपनी लेखा नियम 2016 में संशोधनों के जरिये कॉर्पोरेंट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसार संशोधित लेखा मानक AS-4 के शर्तों में तुलन पत्र की तारीख के पश्चात उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं एवं घटनाओं के लिए कंपनी द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते से ₹276,50,00.00 हज़ार की राशि के प्रस्तावित लाभांश का विनियोजन नहीं किया गया है।
- 39. पिछली अवधि/वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान अवधि/वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुन: वर्गीकृत किया गया है।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

(Rupees four lakhs forty-six thousand seven hundred ten only), for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, Unity Infra Projects Limited on 07/04/2012.

However, the Company had represented its case on January 22, 2015 to the Deputy Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision.

The Appeal is pending as on date for arguments and next date of hearing in the matter is 25.05.2022.

#### 37. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment incomes and expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and the Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/ CIR/F&A/231/10/2012 dated 5<sup>th</sup> October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3<sup>rd</sup> July, 2013 effective from FY 2013-14.

- 38. The Board of Directors at their meeting has proposed a dividend of ₹7 per share of the Company subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised Accounting Standard AS-4 'Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date' as notified by the Ministry of Corporate Affairs through the amendments to the Companies Accounting Standard Rules 2016, the Company has not appropriated proposed dividend amounting to ₹276,50,00.00 thousand from the Profit and Loss Account for the year ended on March 31, 2022.
- **39.** The figures for the previous period/year have been re-grouped/re-classified wherever necessary to make them comparable with the current period's/ year's figures.



**(एम. सेंथिलनाथन)** अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक **(M. SENTHILNATHAN)** Chairman-cum-Managing Director DIN - 07376766 ई सी जी सी लिमिटेड

(देवेश श्रीवास्तव) निदेशक (DEVESH SRIVASTAVA) Director DIN - 08646006

**(ए शक्तिवेल )** निदेशक **(A SAKTHIVEL)** Director DIN - 00027485

(अमित कुमार अग्रवाल) निदेशक (AMIT KUMAR AGARWAL) Director DIN - 05333909

**(प्रतिभा कुशवाहा )** निदेशक **(PRATIBHA KUSHWAHA)** Director DIN – 09395541

(सुनील जोशी) कार्यपालक निदेशक (SUNIL JOSHI) Executive Director DIN - 08778530 **(निर्दोष चोपड़ा)** मुख्य वित्तीय अधिकारी (NIRDOSH CHOPRA) Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (SMITA PANDIT) Company Secretary

हमारी समतारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015 For abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015

> (अनिल चिकोडी) भागीदार – M.No. 107659 पुणे (ANIL CHIKODI) Partner - M.No. 107659 Pune

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022 Place : Mumbai Dated : 25<sup>th</sup> May, 2022 कृते एस एन के एंड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 109176W For SNK & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W

(अंकित डी.दानावाला) भागीदार – M. No. 119972 (ANKIT D. DANAWALA) Partner - M.No. 119972





64th Annual Report - 2021-2022

### ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

### वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

### DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र.स. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under		
	क) भारत में a) In India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋण ों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for loans and investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances)	112,16,58.90	205,38,10.02
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less reinsurance, paid to claimants		
	क) भारत में a) In India	504,26,88.68	756,08,26.79
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
4	दावा देयता, जहां दावे की अवधि चार वर्षों से अधिक है Claim liabilities where claim payment period exceeds four years	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
5	छः महीनों से अधिक से बकाया दावे (सकल – भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या / Number of Claims	159	261
	राशि / Amount	588,60,03.59	921,22,31.31
	छः महीनों से कम से बकाया दावे (सकल – भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		



1

# 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

-----

### ई सी जी सी लिमिटेड

क्र.स. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
	दावों की संख्या / Number of Claims	229	429
	राशि / Amount	563,56,34.99	619,31,24.31
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल – भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross- Indian)	388	690
	राशि / Amount	1152,16,38.58	1540,53,55.62
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less reinsurance, written from business		
	भारत में In India	902,00,40.54	862,32,31.91
	भारत के बाहर Outside India	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium.	451,00,20.27	431,16,15.96
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		



#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

.....

क्र.स. Sr. No	विवरण Particular	वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना: सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company.		
12	निवेशों के मूल्यहास का आधार Basis of amortisation of debt securities	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की बिन्दु सं. 4.6 का संदर्भ लें Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy	महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की बिन्दु सं. 4.6 का संदर्भ लें Refer Point no. 4.6 of Significant Accounting Policy
	निवेशों के मूल्यो में कमी के लिए प्रावधान Provision for diminution in the value of the investments	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c	693,04,48.90	641,96,91.23
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है b) Pending realisation,credit balance in Fair value change a/c not available for distribution.	693,04,48.90	641,96,91.23
14	कंपनी ने 'रीयल ईस्टेट निवेश संपत्ति' में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Company does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		
15 क) a)	तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
	दावों की संख्या / Number of Claims	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
	राशि / Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ख) b)	वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई है All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed seprately.		



### ई सी जी सी लिमिटेड

क्र.स. Sr. No	विवरण Particular	वर्त्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)
ग) c) 1	वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में – बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 ( Face Value 1000.00 lacs)	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	लागू नहीं N.A	लागू नहीं N.A
2	निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	15391,15,54.62	13736,00,31.18
	अनर्जक निवेश Non Performing Investments	105,48,58.96	110,00,00.00
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	15496,64,13.58	13846,00,31.18
3	क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत Percentage of business sectorwise		
	जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है As the Company caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
4	5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है । A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	अनुबंध 1ख के अनुसार As per Annexure 1b	अनुबंध 1ख के अनुसार As per Annexure 1b

. . . .



#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

. . . . .

.....

क्र.स. Sr. No	विवरण Particular	वर्त्तमान वर्ष Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000)	वृद्धि % Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम/ Gross Premium	1106,61,67.81	1062,28,19.61	4.17
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	902,00,40.54	862,32,31.91	4.60
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	81.51	81.18	0.41
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Share Capital (%)	29.39	18.44	59.41
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit before Tax to Networth (%)	14.81	9.24	60.28
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit after Tax to Networth (%)	11.16	7.23	54.36
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	27.74	27.60	0.51
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	205,20.68	110,97.14	84.92
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण / Unexpired Risks Reserve	451,00,20.27	431,16,15.96	4.60%
	बकाया दावे / Outstanding Claims	6992,96,58.43	6885,33,46.28	1.56%
	प्रीमियम में कमी / Premium Deficiency	308,52,00.00	316,54,00.00	-2.53%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण / Total Technical Reserves	7752,48,78.70	7633,03,62.24	1.56%
	शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	902,00,40.54	862,32,31.91	4.60%
	अनुपात / Ratio	8.59	8.85	-2.90



206

. . . .

1

ई सी जी सी लिमिटेड

### ईसीजीसी लिमिटेड /ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई010918 /CIN: U74999MH1957GOI010918

### वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

### DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

क्र. सं. Sr. No	विवरण Particular	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	1106,61,67.81	1062,28,19.61	1075,47,39.68	1247,54,25.98	1240,41,70.70
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	902,00,40.54	862,32,31.91	792,28,95.24	870,02,07.14	838,82,48.95
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	587,77,84.61	566,17,10.29	507,97,46.56	484,33,90.96	421,18,52.23
4	अन्य आय (शुल्क एवं प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts )	3,06,12.44	1,10,74.60	2,04,07.18	2,34,38.90	3,85,05.23
5	कुल आय / Total Income	1492,84,37.59	1429,60,16.80	1302,30,48.98	1356,70,37.00	1263,86,06.41
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) ( Including Brokerage)	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)	(37,15,68.81)	(51,56,04.98)	(58,09,97.22)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	281,32,81.11	270,92,57.55	314,08,13.26	265,94,06.60	192,78,45.75
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	546,19,29.35	884,52,05.49	958,41,52.78	1141,16,19.58	1138,58,81.99
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन / Change in Unexpired Risk Reserve	(19,84,04.32)	(35,01,68.34)	38,86,55.95	(15,59,79.10)	41,21.21
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	684,88,07.20	159,09,71.41	86,91,07.70	(42,76,63.30)	(130,05,02.90)
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय / Total Income under Shareholders' account	475,98,36.22	428,99,99.01	313,10,81.51	357,15,43.20	253,46,72.77
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax	1160,86,43.42	588,09,70.42	400,01,89.21	314,38,79.90	123,41,69.87
13	कर के लिए प्रावधान Provision for tax	285,70,23.57	127,79,21.46	76,17,91.80	70,00,52.77	55,49,97.61

64th Annual Report - 2021-2022

### **ECGC Limited**

(**₹' 000)** 

क्र. सं. Sr. No	विवरण Particular	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
14	कर पश्चात लाभ/ (हानि) Profit / (Loss) after tax	875,16,19.85	460,30,48.96	323,83,97.41	244,38,27.13	67,91,72.26
	विविध MISCELLANEOUS					
	पॉलिसीधारकों खाता Policyholders' Account* कुल निधियाँ/Total Funds कुल निवेश # Total Investments # निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	8627,45,43.68	8027,76,02.10	7644,96,74.89	6923,69,85.54	6289,14,37.20
		8523,15,27.47	7892,22,17.77	7144,83,19.52	6722,76,41.55	5458,50,54.42
15		8.12	8.52	8.29	8.76	9.08
	शेयरधारकों का खाता* Shareholders Account* कुल निधियाँ/Total Funds	7058,82,63.01	6056,02,96.32	5312,60,45.27	4066,29,91.51	3854,63,64.73
		6973,48,86.11	5953,78,13.41	4965,05,27.13	3948,29,00.59	3345,53,55.94
16	कुल निवेश # Total Investments # निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	8.12	8.52	8.29	8.76	9.08
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	3950,00,00.00	3190,00,00.00	2500,00,00.00	2000,00,00.00	1500,00,00.00
18	निवल मालियत / Net Worth	7840,88,49.12	6365,22,29.27	5214,91,80.31	4463,41,14.66	3737,11,20.47
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	16929,71,23.07	15303,60,21.60	13422,97,91.57	11840,49,31.53	10447,07,12.65
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	8.12	8.52	8.29	8.76	9.08
21	प्रति शेयर आय (रु) Earnings Per Share (Rs.)	25.59	16.01	14.09	13.41	4.98
22	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु) Book Value per share (Rs.)	198.50	199.54	208.60	223.17	270.50
23	कुल लाभांश Total Dividend	-	159,50,00.00	-	60,00,00.00	15,00,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (रु) Dividend per share(Rs.)	-	5.00	-	3.00	1.00

\* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं। पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है।

\* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

अनुसूची 11 – नकद व बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं।

# Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.



ई सी जी सी लिमिटेड

)

64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

10.00

### ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

1

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

# 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि को विश्लेषक अनुपात

Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2022

अनुसूची 17 का संलग्न 2 / Annexure 2 to Schedule 17

क्र.सं Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च, 2022 31 March, 2022	31 मार्च, 2021 31 March, 2021
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर /Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Gross Direct Premium वृद्धि /Growth	1106,61,67.81	1062,28,19.61
2		4.17%	-1.23%
	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Total Gross Direct Premium	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	निवल मालियत (समापन) /Net Worth (Closing)	7840,88,49.12	6365,22,29.27
	अनुपात (गुना) /Ratio (times)	0.14	0.17
3	निवल मालियत की वृद्धि दर /Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) /Net Worth (Opening)	6365,22,29.27	5214,91,80.31
	निवल मालियत (समापन) /Net Worth (Closing)	7840,88,49.12	6365,22,29.27
	निवल मालियत की वृद्धि दर /Growth rate of Net Worth	23.18%	22.06%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात /Net Retention Ratio		
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	902,00,40.54	862,32,31.91
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर /Gross Direct Premium	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	- निवल प्रतिधारण अनुपात /Net Retention Ratio	81.51%	81.18%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात  /Net Commission Ratio		
	शुद्ध कमीशन /Net Commission	(31,37,84.39)	(26,19,85.99)
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात /Ratio	-3.48%	-3.04%
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय /Expenses of Management	306,94,84.32	293,14,11.78
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम /Gross Direct Premium	1106,61,67.81	1062,28,19.61
	अनुपात /Ratio	27.74%	27.60%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय /Expenses of Management	306,94,84.32	293,14,11.78
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम /Net Written Premium	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात /Ratio	34.03%	33.99%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे /Net Incurred Claims	546,19,29.35	884,52,05.49
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात /Ratio	61.92%	106.92%



#### 64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

209

. . . . .

.....

क्ररां Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च, 2022 31 March, 2022	31 मार्च, 2021 31 March, 2021
9	सम्मिलित अनुपात /Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे /Net Incurred Claims	546,19,29.35	884,52,05.49
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात (क) /Ratio (a)	61.92%	106.92%
	प्रबंधन व्यय / Expenses of management	262,11,15.30	255,65,47.37
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Written Premium	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात (ख) /Ratio (b)	29.06%	29.65%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) / Combined Ratio (a + b)	90.98%	136.57%
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि /Reserve for Outstanding Claims	6992,96,58.43	6885,33,46.28
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि /Reserve For Un-expired Risks	451,00,20.27	431,16,15.96
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि /Reserve for Premium Deficiency	308,52,00.00	316,54,00.00
	कुल /Total	7752,48,78.70	7633,03,62.24
	शुद्ध प्रीमियम/ Net Premium	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात (गुना) /Ratio (Times)	8.59	8.85
11	बीमांकन शेष अनुपात /Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ /Underwriting Profit	93,85,34.67	(408,18,13.48)
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात /Ratio	10.64%	-49.34%
12	परिचालन लाभ अनुपात /Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ /Underwriting Profit	93,85,34.67	(408,18,13.48)
	निवेश आय /Investment Income	587,96,60.09	566,17,10.29
	राजस्व खाते में अन्य आय /Other Income in Revenue account	3,06,12.44	1,10,74.60
	परिचालन लाभ /Operating Profit	684,88,07.20	159,09,71.41
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम /Net Earned Premium	882,16,36.22	827,30,63.57
	अनुपात /Ratio	77.64%	19.23%
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) / Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ /Liquid Assets	2894,82,20.66	2914,79,68.45
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ /Policy Holder Liabilities	7752,48,78.70	7633,03,62.24
	अनुपात (गुना) /Ratio (Times)	0.37	0.38
14	शुद्ध अर्जन अनुपात /Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ /Profit After Tax	875,16,19.85	460,30,48.96
	शुद्ध प्रीमियम /Net Premium	902,00,40.54	862,32,31.91
	अनुपात /Ratio	97.02%	53.38%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति /Return on net worth		
	कर पश्चात लाभ /Profit After Tax	875,16,19.85	460,30,48.96
	निवल मालियत /Net Worth	7840,88,49.12	6365,22,29.27
	अनुपात /Ratio	11.16%	7.23%

### <u>64<sup>र्वी</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022</u>

### ई सी जी सी लिमिटेड

क्र.स. Sr. No	विवरण Particular	31 मार्च, 2022 31 March, 2022	31 मार्च, 2021 31 March, 2021
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता /Available Solency Margin	7178,75,33.00	5745,67,36.00
	आवश्यक शोधन क्षमता /Required Solvency Margin	238,91,28.90	298,40,97.90
	अनुपात(गुना) /Ratio (Times)	30.05	19.25
17	अनर्जक खाता अनुपात /NPA Ratio		
	निवेश /Investment:	0.681%	0.787%
	फ़ैक्टरिंग /Factoring:	83.69%	93.53%

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के अनुपातों की गणना आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 दिनांक 5 अक्टूबर 2012 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 से प्रभावी, 3 जुलाई को जारी उसके उसके शुद्धि पत्र IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 के आधार पर की गयी है.

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/ F&A/231/10/2012 dated 5th October 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3<sup>rd</sup> July, 2013 effective from FY 2013-14.

(अमित कुमार अग्रवाल)

निदेशक

(AMIT KUMAR AGARWAL)

Director

DIN - 05333909

(निर्दोष चोपड़ा)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(NIRDOSH CHOPRA)

Chief Financial Officer

(एम. सेंथिलनाथन) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (M. SENTHILNATHAN) Chairman-cum-Managing Director DIN - 07376766

(ए शक्तिवेल ) निदेशक

(A SAKTHIVEL) Director DIN - 00027485

(सुनील जोशी) कार्यपालक निदेशक

(SUNIL JOSHI) Executive Director DIN - 08778530

हमारी समतारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015

For abm & associates LLP **Chartered Accountants** Firm Registration No. 105016W/W-100015

(अनिल चिकोडी )

भागीदार - M.No. 107659 पुणे

(ANIL CHIKODI) Partner - M.No. 107659 Pune

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022 Place : Mumbai Dated : 25th May, 2022

निदेशक (DEVESH SRIVASTAVA) Director DIN - 08646006

(देवेश श्रीवास्तव)

(प्रतिभा कुशवाहा ) निदेशक

(PRATIBHA KUSHWAHA) Director DIN - 09395541

> (स्मिता पंडित) कंपनी सचिव

(SMITA PANDIT) **Company Secretary** 

कृते एस एन के एंड कं सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 109176W

For SNK & Co. **Chartered Accountants** Firm Registration No. 109176W

(अंकित डी.दानावाला) भागीदार - M. No. 119972 (ANKIT D. DANAWALA) Partner - M.No. 119972

ईरगीजीरगी लिमिटेड / ECGC Limited

 सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

Statement showing the Age-wise Analysis of the Unclaimed Amount of the Policyholders as on 31<sup>st</sup> March, 2022 ३१-मार्च-२०२२ तक पॉलिसीधारकों द्रारा दावा न की गई राशि का समय वार विश्लेषण का विवरण

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क / Annexure 3(A) to Schedule 17

yiii

साशि ₹ '000 में/Amount in ₹ '000

<mark>8.</mark> 생. 8. 생.	विवरण Particulars	कुल सांशे Total Amount	0-6 ਸਾह 0-6 months	7-12 माह 7-12 months	13–18 ਸਾह 13-18 months	19-24 ਜਾ <u></u> 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 ਸਾह 31-36 months	37–120 ਸਾह 37–120 Months	120 माह से अधिक More than 120 Months
-	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकद्मेबाजी को छोडकर किन्हीं कारणों से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया । Claims settled but not paid to the policyholders/ beneficiaries due to any reasons except under litigation from the policyholders/ beneficiaries	1	1	1			1	1		
5	परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured/policyholders on maturity or otherwise	1	•	'	1	T	'	1	•	1
ო	प्रोमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शतौँ अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है / Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders/beneficiaries either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	98,31.68	2,35.96	8,69.49	2,33.07	31,40.06	1	43.38	53,09.72	
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं । / Cheques issued but not encashed by the policyholder/ beneficiaries	55,18.65	97.26	5,42.28	3.59	1,80.06	24.87	24.87 14,05.12	31,29.21	1,36.26
	Total	1,53,50.33	3,33.22	14,11.77	2,36.66	33,20.12	24.87	14,48.50	84,38.93	1,36.26
<b>नोट:</b> प्रबंधन	<b>नोट:</b> उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र हैं। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को ववा न की गई राशि के रूप में वर्गीकुत नहीं किया जा सकता है।	नाया नहीं गया है, रेक भुनाने के लि	जिसमें केवल <sup>;</sup> र कानूनी रूप से	वैधता समाप्त न 1 पात्र है। तदनु	जारी चेकों की रुसार ऐसे चेक	राशि शामिल है। की राशि को दाव	अन्य जारी वि ा न की गई र	र्क्त गए लेकिन राशि के रूप मे	गैर समाशोधित वर्गीकृत नहीं f	ि चेकों के संबंध में। केया जा सकता है

64th Annual Report - 2021-2022

Note : Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entitled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

2

Į.

ई सी जी सी लिमिटेड

64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

### ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

### 31 मार्च, 2021 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

### Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31<sup>st</sup> March, 2022

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख) / Annexure 3(B) to Schedule 17

राशि ₹ ′000 में/ Amount in ₹ '**000** 

)

	चालू वर्ष (2 Current Yea		पिछले वर्ष (2020−21) Previous Year (2020-21)	
विवरण Particular	पॉलिसी देय Policy Dues	अर्जित आय Income Accrued	पॉलिसी देय Policy Dues	अर्जित आय Income Accrued
आरंभिक शेष Opening Balance	1,50,69.05	34,69.27	1,51,38.81	31,86.08
जोडे: अदावित निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Fund	3,74.85	-	10,88.40	-
जोडे: अदावित राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए है (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने है) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	6,63.53	-	3,13.27	-
जोड़ें : अदावित निधि से अर्जित निवेश आय Add: Investment Income on Unclaimed Fund	-	6,18.88	-	4,27.04
घटाएँ : तिमाही के दौरान अदा किए गए दावे Less: Amount of claims paid during the quarter	4,06.74	10.48	9,34.50	18.03
घटाए : एस सी डबल्यू एफ को अंतरित राशि (पूर्व में अंतरित राशियों के संबंध में दावों का निवल) Less: Amount transferred to SCWF (net of claims paid in respect of amounts transferred earlier)	3,50.35	90.29	5,36.93	1,25.82
अदावित राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount Fund	1,53,50.33	39,87.39	1,50,69.05	34,69.27



64th Annual Report - 2021-2022

213

### ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सी आई एन : यू74999 एमएच1957जीओआई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान खाता / (नकद प्रवाह विवरण) Receipts & Payments Account / Cash Flow Statement - for the year ended 31st March, 2022 (₹'000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2021-22	2020-21
क A	परिचालन गतिविधि से नकदीप्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY		
1	अग्रिम रसीदों सहित पॉलिसीधारक से प्राप्त प्रीमियम Premium received from policyholder including advance receipts	1186,37,51.21	1086,95,13.07
2	अन्य रसीदें / वसूली / शुल्क / Other Receipts / Recoveries / Fees	89,74,01.73	108,23,09.82
3	कमीशन एवं दावों के शुद्ध पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान Payments to reinsurers net of commission and claims	(16,56,82.62)	24,65,58.26
4	दावों का भुगतान / Payments of Claims	(687,20,43.27)	(1046,74,05.69)
5	कमीशन एवं ब्रोकरेज के भुगतान Payments of Commission & Brokerage	(8,85,84.13)	(8,70,30.21)
6	अन्य परिचालन खर्चों का भुगतान Payments of Other operating expenses	(376,47,79.28)	(251,74,14.42)
7	जमा, अग्रिम एवं कर्मचारी ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	(4,46,46.09)	(5,80,41.70)
8	आयकर अदा (नेट) / Income Tax Paid (Net)	(289,45,45.68)	(69,00,00.00)
9	जीएसटी का भुगतान किया गया/ GST Paid	(2,71,42.49)	(3,27,22.93)
10	अन्य भुगतान / संग्रह (शुद्ध) / Other Payments/Collection (net)	(45,56,47.27)	(8,77,87.62)
	अतिरिक्त साधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items	(155,19,17.89)	(174,20,21.42)
11	अतिरिक्त साधारण संचालन से नकदी प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations	-	-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क) Net Cash Flow from Operating Activities (A)	(155,19,17.89)	(174,20,21.42)
ख B	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
1	अचल सम्पत्तियों को जोड़ना (प्रगति में पूंजीकार्य सहित) Addition to Fixed Assets (including capital work in progress)	(18,76,80.27)	(21,94,79.46)
2	अचल सम्पत्तियों की बिक्री से आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	63,98.46	9,10.43
3	निवेश की खरीद एवं बिक्री की शुद्धराशि Net of Purchase and Sale of Investments	(946,03,87.40)	(582,92,08.19)

### ई सी जी सी लिमिटेड

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2021-22	2020-21
4	किराया / ब्याज / लाभांश प्राप्त हुआ Rent / Interest / Dividends Received	948,01,73.70	861,14,52.41
5	मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एवं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में निवेश Investments in money market instruments and in liquid mutual funds	-	-
6	निवेश से संबंधित खर्च Expenses related to investments	(22,16.42)	(72,71.07)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख) Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(16,37,11.93)	255,64,04.12
ग C	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
1	शेयर पूँजी जारी करने की कार्यवाही Proceeds from issuance of share capital	760,00,00.00	390,00,00.00
2	ब्याज / लाभांश का भुगतान / Interest / Dividend paid	(159,50,00.00)	-
3	लाभांश वितरण कर / Dividend Distribution Tax	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग) Net Cash Flow from Financing Activities (C)	600,50,00.00	390,00,00.00
घ D	नकद एवं नकद समकक्ष, पर विदेशी मुद्रा दरों का प्रभाव Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net	(4,19.62)	(3,52.78)
	शुद्ध नकदी प्रवाह (क + ख + ग + घ ) / Net Cash Flow (A+B+C+D)	428,89,50.56	471,40,29.92
च E	नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि: Net increase in Cash and Cash equivalents:		
1	–– वर्ष के आरंभ में at the beginning of the year	1551,46,00.97	1080,05,71.05
2	–– वर्ष के आंत में at the end of the year	1980,35,51.53	1551,46,00.97
	नकद एवं नकद समकक्ष में परिवर्तन Change in Cash and Cash equivalent	428,89,50.56	471,40,29.92

. . . .



(एम. सेंथिलनाथन) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (M. SENTHILNATHAN) Chairman-cum-Managing Director DIN - 07376766 64th Annual Report - 2021-2022

(देवेश श्रीवास्तव) निदेशक (DEVESH SRIVASTAVA) Director DIN - 08646006

**(ए शक्तिवेल )** निदेशक

(A SAKTHIVEL) Director DIN - 00027485 (अमित कुमार अग्रवाल) निदेशक (AMIT KUMAR AGARWAL) Director DIN - 05333909

(प्रतिभा कुशवाहा) निदेशक (PRATIBHA KUSHWAHA) Director DIN - 09395541

(सुनील जोशी) कार्यपालक निदेशक (SUNIL JOSHI) Executive Director DIN - 08778530 (निर्दोष चोपड़ा) मुख्य वित्तीय अधिकारी (NIRDOSH CHOPRA) Chief Financial Officer (स्मिता पंडित) कंपनी सचिव (SMITA PANDIT)

Company Secretary

हमारी समतारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached

कृते ए बी एम एंड एसोशिएट्स एल एल पी सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं: 105016W/W-100015 For abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015

For SNK & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W

(अनिल चिकोडी ) भागीदार – M.No. 107659 पुणे (ANIL CHIKODI) Partner - M.No. 107659 Pune (अंकित डी.दानावाला) भागीदार – M. No. 119972 (ANKIT D. DANAWALA) Partner - M.No. 119972

कृते एस एन के एंड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं: 109176W

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022 Place : Mumbai Dated : 25<sup>th</sup> May, 2022


# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

# प्रबंधन की रिपोर्ट

#### **MANAGEMENT REPORT**

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन २००२ की अनुसूची 'ख' के भाग IV की आवश्यकता अनुसार प्रबंधन रिपोर्ट।

- हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2021-22 के लिए नवीकृत किया गया है।
- हम पुष्टि करते है कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है।
- हम पुष्टि करते है कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
- हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।
- 6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों– "ऋगों", "निवेशों", "विविध देनदारों", "नकद" तथा "चालू परिसंपत्तियों" के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।
- वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 09.03.2022 के पत्र के जरिये निगम की विस्तारित अधिकतम देयता ₹103879,88,43 हज़ार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम ₹150000,00,00 हजार है।
- हमारी कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान बकाया लंबित दावों का अवधि वार विवरण अनुलग्नक। के अनुसार है।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान की प्रवृत्ति के अनुसार लंबित दावों की अवधि अनुलग्नक II के अनुसार है।
- 11. हम प्रमाणित करते हैं कि भारतीय बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है।
- 12. आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है एवं उन्हें निष्पादन एवं गैर निष्पादन आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।
- 13. हम पुष्टि करते हैं कि:

 क. वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

#### MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

- 1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2021-22.
- 2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
- 3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
- 4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
- 5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
- 6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – "Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.
- 7. The overall exposure of the Company is ₹103879,88,43 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹150000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 09.03.2022.
- 8. We do not have any overseas operations.
- 9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per **Annexure I.**
- 10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per **Annexure II.**
- 11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.
- 12. All Investment assets are reviewed periodically and assets are classified into performing and nonperforming based on IRDAI norms.
- 13. We hereby confirm:

a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.



- ख. प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।
- ग. प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।
- घ. प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।
- ङ. प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है।
- 14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले समव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फर्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड

(एम. सेंथिलनाथन) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (M. SENTHILNATHAN) Chairman-cum-Managing Director DIN - 07376766

> (ए शक्तिवेल ) निदेशक

(A SAKTHIVEL) Director

DIN - 00027485

(प्रतिभा कुशवाहा ) निदेशक (PRATIBHA KUSHWAHA) Director DIN – 09395541

स्थान : मुंबई दिनांक : 25 मई, 2022 Place : Mumbai

Dated : 25th May, 2022

b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

64th Annual Report - 2021-2022

- c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.
- e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.
- 14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Limited.

(देवेश श्रीवास्तव) निदेशक (DEVESH SRIVASTAVA) Director DIN - 08646006

(अमित कुमार अग्रवाल) निदेशक (AMIT KUMAR AGARWAL) Director

DIN - 05333909

#### (सुनील जोशी)

कार्यपालक निदेशक (SUNIL JOSHI) Executive Director DIN - 08778530

# 64<sup>र्वी</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

Â.

<u>Àp</u>

अनुबंध I / Annexure I

# वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया लंबित दावे Ageing of Claim outstanding as on Financial Years

į.

(000, ≩)

		2021-22		2020-21		2019-20		2018-19		2017-18
अवधि Period	सं. No.	शामिल सांशि Amount Involved	ਲ਼ਾਂ. No.	शामिल सांशि Amount Involved	ਲਾਂ. No.	शामिल राशि Amount Involved	<sub>색.</sub> No.	शामिल राशि Amount Involved	ਜ਼ . No.	शामिल सांशि Amount Involved
30 ਵਿਜ 30 Days	80	111,06,18.22	107	105,22,75.43	102	144,39,15.20	137	433,26,82.28	152	222,40,53.78
30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	149	452,50,16.77	322	514,08,48.88	377	618,84,38.87	330	1511,19,49.84	257	912,16,99.19
6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	93	239,05,30.53	150	262,34,73.89	200	775,84,21.04	84	761,31,39.08	84	730,94,48.66
1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	63	334,26,02.09	111	658,87,57.42	132	1028,84,36.72	35	545,58,38.80	60	429,14,12.50
5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	3	15,28,70.97	•	•	'	•	'	1	•	
कुल योग / Total	388	1152,16,38.58	069	1540,53,55.62	811	2567,92,11.83	596	3251,36,10.00	553	2294,66,14.13

218

дe<sup>њ</sup>

.....

......

ई सी जी सी लिमिटेड

24

1

nexure II
An
1
H
अनुबंध

वित्तीय वर्षों के टौराज दावा जिपटाज के लंबित आमले Ageing of Claim settlement during Financial Years

-

-

(000, ≩)

yiii

	ECGC	Limi	ted				64 <sup>th</sup>
2017-18	शामिल राशि Amount Involved	20,10,79.22	262,48,56.37	847,69,72.78	152,87,47.54	ı	1283,16,55.91
	ਜ਼ . No.	62	481	91	27	I	678
2018-19	शामिल राशि Amount Involved	8,36,74.42	313,44,99.37	292,01,80.79	399,47,17.13	ı	1013,30,71.71
		48	538	88	51	1	725
2019-20	शामिल राशि Amount Involved	7,05,56.70	184,52,13.31	154,75,50.96	62,08,00.65	1	408,41,21.62
7	<sub></sub>	41	424	17	11	•	553
2020-21	शामिल सांशि Amount Involved	8,29,16.25	257,86,14.47	168,36,24.40	612,22,50.57	I	1046,74,05.69
	<sub>ਲੋਂ.</sub> No.	46	430	177	81	1	734
2021-22	शामिल राशि Amount Involved	11,89,46.04	142,32,75.88	258,49,51.22	274,48,70.13	I	687,20,43.27
	<sub>핵</sub> . No.	51	329	223	78	1	681
	अवधि Period	30 दिन 30 Days	30 दिनों से 6 माह 30 Days to 6 Months	6 माहों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year	1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years	5 वर्षों एवं उससे अधिक 5 years & above	<u>कुल योग / Total</u> 681 687,20,43.27 734 1046,74,05.69 553 408,41,21.62 7

-----

\*The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided. 'कम्पनी केवल एक खंड नियति ऋण बीमा मे परिचालन करती है । अतः किसी प्रकार की खंडवार रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

219

1

64th Annual Report - 2021-2022

чñ.

#### COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022

The preparation of financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 May 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of ECGC LIMITED for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the Comptroller & Auditor General of India

(P. V. Hari Krishna) Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai Date : 27.07.2022

220

#### 64th Annual Report - 2021-2022

# लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## **AUDITORS' REPORT**

#### एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफिस नं. 210, प्लॉट नं 9, शाह हेरिटेज सेक्टर 42 ए डी मार्ट के सामने सीवूड्स, वेस्ट ठाणे – 400706

**एसएलके एंड कंपली** चार्टेड अकाउंटेंट्स 303, 3री मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, 156, ताडदेव, मुंबई – 400034

#### स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

#### प्रति,

ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

#### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

#### राय

हमने ईसीजीसी के वित्तीय विवरणों के लेखा का परीक्षण किया है। ("कंपनी") जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ एवं हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्य एवं भुगतान खाता) एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत में स्थित छियालीस शाखाओं एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के विवरण शामिल हैं जिसमें से पैतालीस शाखाएँ एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रक व महालेखाकर , नई दिल्ली द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं मतानुसार तथा हमें दिये गए स्पष्ठीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण बीमा अधिनियम, 1938, यथा संशोधित बीमा कानून ( संशोधन ) अधिनियम 2015, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ('आईआरडीएआई') एवं उसके अधीन बने विनियम तथा 2013 अधिनियम ('अधिनियम') द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार आवश्यक जानकारी प्रदान करते है एवं मार्च 31, 2022 तक इससे संबन्धित नियमों को इस प्रकार बनाया गया है, कि जिस भी प्रकार से आवश्यक हो तथा कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही एवं निष्पक्ष दृष्ठिगेण उपलब्ध कराने में सक्षम हों।

- तुलन पत्र के मामले में दिनांक 31 मार्च 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति
- ii. राजस्व खातों के मामलों में उक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष हेतु अधिशेष से;
- iii. लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उस वर्ष के लिए लाभ का वर्ष समाप्त हो गया

abm & associates LLP	SNK & Co.
Chartered Accountants	Chartered Accountants
Office No. 210, Plot No.09,	303, 3 <sup>rd</sup> Floor,
Shah Heritage,	Konark Shram
Sector-42A Opp. D-Mart,	Building,156, Tardeo,
Seawoods, West,	Mumbai – 400034
Thane - 400706	

#### INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

#### To,

#### The Members of ECGC Limited,

#### **Report on Audit of Financial Statements**

#### Opinion

We have audited the financial statements of the ECGC Ltd. ("the Company") which comprise of the Balance Sheet as at March 31, 2022, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated returns of Forty six branches and Five regional offices situated in India out of which Forty five branches and Five regional offices appointed by Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 ("IRDAI") and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013 ("the Act"), in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022 in so far as it relates to:

- i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022;
- ii. In the case of Revenue Account, of the surplus for the year ended on that date;
- iii. In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date;



# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियों एवं भुगतान खाते) के मामले में, उस वर्ष की समाप्ति के दौरान प्राप्तियों एवं भुगतानों की तारीख।

#### राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्दिष्ट अंकेषण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में आवश्यक नैतिक आवश्यकताओं एवं नियम बनाए गए, बीमा अधिनियम, 1938 बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 एवं नियम, के साथ ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है, एवं हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते है कि जो लेखा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

#### मामले का विश्लेषण

#### हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगें:

- क. अनुसूची 17 के नोट 3(क) के अनुसार संपत्ति से संबंधी जहां उचित अधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई है एवं संपत्ति से संबन्धित समझौते खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, यद्यपि कंपनी मूल शेयर प्रमाणपत्रों के कब्जे में है जो संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व के साथ कंपनी को निहित करती है।
- ख. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 (डी) के अनुसार पुनर्बीमा कंपनी से प्राप्य राशि, जो कि जून 2014 से बकाया है।
- ग. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 12 के अनुसार अनिश्चितता एवं सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के कारण वित्तीय प्रभाव एवं शोधन क्षमता के प्रबंधन के आकलन एवं कोविड़–19 महामारी की स्थिति से संबंधित अन्य स्थितियाँ, जिनका निश्चित मूल्यांकन प्रमुख रूप से उस समय की विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस संबंध में , प्रबंधन ने कोविड़–19 के वित्तीय प्रभाव को अलग से ना दर्शाते हुए नियुक्त बीमांकिक के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि किए गए दावों के संबंध में देनदारियों का प्रावधान किया गया है लेकिन कोई देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर) एवं प्रावधान किया गया है लेकिन कोई पर्याप्त देनदारी रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनईआर) जिसमें कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोविड़ का प्रभाव शामिल है।
- इ. अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 (बी) व 23 के अनुसार दावों के संबंध में देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन में वृद्धि हुई है,

# iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

#### **Basis of Opinion**

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under provision of Act and the Rules made thereunder, the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

#### **Emphasis of Matter**

#### We draw attention to the following:

- a. Note no. 3(a) to Schedule 17 regarding properties where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests with the Company, with legal ownership of the properties.
- Note no. 4 (d) to Schedule 17 regarding amount receivable from Reinsurance Company, which is outstanding since June 2014.
- c. Note No.12 to Schedule 17 which explains the uncertainties and the management's assessment of the financial impact and the solvency position due to the lockdown and other restrictions imposed by the Government and conditions related to the COVID-19 pandemic situation, for which a definitive assessment of the impact is highly dependent upon circumstances as they evolve in the subsequent period. In this respect, the management has not separately disclosed the financial impact of COVID-19, but the Appointed Actuary has certified that the Provision of liabilities in respect of claims 'Incurred But Not Reported' (IBNR) and 'Incurred But Not Enough Reported' (IBNER) includes the impact of covid on financial statement of the Company.



## ई सी जी सी लिमिटेड

लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई (आईबीएनआर), पर्याप्त नहीं बल्कि रिपोर्ट की गई (आईबीएनईआर) एवं 31 मार्च, 2022 तक प्रीमियम कमी जो कि कंपनी के नियुक्त बीमांकिक ('नियुक्त बीमांकिक') का दायित्व है। नियुक्त बीमांकिक द्वारा 31 मार्च, 2022 तक इन देनदारियों, आईबीएनआर, आईबीएनईआर एवं प्रीमियम की कमी के कारण मूल्यांकन को विधिवत प्रमाणित किया है एवं उनके विचार में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए उनके द्वारा विचार की गई धारणाएं आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं मानदंडों एवं आईआरडीएआई के साथ सहमति में भारत के बीमांकिक संस्थान के अनुसार है। हमने निगम के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर विश्वास किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं है।

#### वित्तीय विवरणों एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है एवं हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है तथा ऐसा करने में, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि क्या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी अथवा हमें प्राप्त जानकारी कहीं मुख्य विषयों में असंगत तो नहीं है अथवा मुख्य विषयों में अन्यथा तो नहीं है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का महत्वपूर्ण विषय पर गलत विवरण है, तो हमें संबन्धित कार्यों के प्रबंधन से जुड़े प्राधिकारियों को इस विषय में सूचना देनी होगी एवं लागू कानूनों व विनियमों के अधीन निर्धारित कार्यवाही करनी होगी।

#### प्रबंधकीय दायित्व एवं वित्तीय विवरण हेतु शासन के साथ उनके प्रभार

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के धारा 134 (5), बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 (बीमा अधिनियम) एवं बीमा विनियामक व विकास अधिनियम 1999 (आईआरडीए अधिनियम) बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों एवं बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002

#### 64th Annual Report - 2021-2022

d. Note No. 5 (b) and 23 to Schedule 17 regarding the Actuarial Valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at 31st March, 2022 which is the responsibility of the Corporation's Appointed Actuary ('the Appointed Actuary'). The Appointed Actuary has duly certified the actuarial valuation of these liabilities IBNR, IBNER and Premium Deficiency as at March 31, 2022 and in her opinion the assumptions considered by her for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. We have relied upon the Appointed Actuary's Certificate in this regard for forming our opinion on the Financial Statements of the Company.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

# Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matters to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

# Management's Responsibility and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance



# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

(आईआरडीएआई) वित्तीय विवरण विनियमन ) कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक लेखा नीति के अनुपालन में कंपनी की उचित एवं सही वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह दान करने हेतु वित्तीय विवरणों की तैयारी में कंपनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी हैं। इन दायित्वों में , बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 व कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतू बनाए गए अधिनियम एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं की पहचान व बचाव के लिए बने गए अधिनियम; उचित लेखा नीतियों के चुनाव एवं अनुप्रयोग, निर्णय व अनुमान जो कि सही हों एवं पर्याप्त अन्तरिम वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है ताकि सही एवं उचित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जा सके एवं धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण किसी भी प्रकार के गलत बयानों,से मुक्त वित्तीय विवरणों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान, प्रबंधन, लाभकारी संस्थान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए, लेखांकन के आधार पर प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने अथवा परिचालन को रोकने अथवा ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, जैसा भी मामला हो, आवश्यकता होने पर संस्थान से संबन्धित मामलों को प्रकट करने का अधिकार रखता है।

कंपनी की वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया की देखरेख का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

#### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य है कि उचित आश्वासन के साथ , पूर्ण वित्तीय विवरण किसी भी धोखाधड़ी अथवा चूक से मुक्त रखते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है परंतु यह गारंटी नही है कि एस ए के अनुसार की गयी लेखा परीक्षा में गलत जानकारियों का पता लगाया जा सके। गलत जानकारियां प्रस्तुत करना किसी धोखाधड़ी अथवा गलती का नतीजा हो सकता है तथा यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे संदेहजनक माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर यह माना जा सकता है कि वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते।

सांविधिक लेखा परीक्षकों के अनुसार की जाने वाली लेखा परीक्षा का भाग होने के कारण हम सम्पूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय को बनाए रखते हैं व व्यवसायिक निर्णय लेते हैं। साथ ही हम :-

#### ई सी जी सी लिमिटेड

Laws (Amendment) Act, 2015 ('the Insurance Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 ('the IRDAI Act'), the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ('the IRDAI Financial Statements Regulations), the Companies Act, 2013 ('the Act') including the Accounting Standard specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Insurance Act 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

# Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we



- वित्तीय विवरण के झूठे विवरण के जोखिम को पहचानना व मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने एवं निष्पादित करने, एवं हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए उचित व पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करते हैं । चूक की अपेक्षा, धोखाधड़ी के कारण प्राप्त होने वाली झूठी जानकारी की समय पर पहचान न कर पाना अत्यधिक जोखिम का कार्य है क्यों कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली चूक, गलत बयानी, एवं आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकते हैं।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारण हेतु लेखा परीक्षा के लिए परिस्थितियों के अनुरूप प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत हम कंपनी में स्थापित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं इस प्रकार के नियंत्रण पर प्रभावशील परिचालन पर अपनी राय देने हेतु भी उत्तरदायी होते है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।
- व्याप्त अनिश्चितता एवं ऐसी घटनाएँ जो कंपनी का लाभकारी संस्थान बने रहने की क्षमता पर संदेह उत्पन्न होने पर प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर एवं लेखांकन को लाभकारी संस्था के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर, निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता व्याप्त है तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं । तथापि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा परिस्थितियों के कारण एक लाभकारी संस्था के रूप में कंपनी समाप्त हो सकती
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना व तथ्यों का मूल्यांकन करना, तथा यह निर्धारन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहार एवं घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रदान कर सके।

वित्तीय विवरण में गलत बयानी, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से की गयी हो अथवा समग्र रूप से, के कारण वित्तीय विवरण के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। हम, मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों को ध्यान में रखते हुए (i) अपने लेखा परीक्षा के कार्य के सीमाक्षेत्र का निर्धारण एवं अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन (ii) वित्तीय विवरणों में पाये गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and evaluating



# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

10.00

हम अन्य मामलों एवं महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षो के साथ साथ, प्रशासन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के साथ, लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध आयाम के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी म हत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हमने अपने लेखा परीक्षा के दौरान पाया हो, की चर्चा करते हैं।

हम प्रशासन हेतु प्राधिकृत लोगों को अपना विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें उल्लेख रहता है कि हमने स्वतन्त्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, एवं उन सभी सम्बन्धों व अन्य मामलों जिससे हमारी स्वतन्त्रता प्रभावित हो, एवं जहां भी ऐसा करना आवश्यक हो, के साथ संबन्धित विषय को साझा करने हेतु सुरक्षा उपाय किए हैं।

#### अन्य मामले

हमने, उन छियालीस शाखाओं (गोवाहाटी उपशाखा सहित) एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरणों की जांच नहीं की है जिनके विवरण 31 मार्च 2022 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी में परिलक्षित रु. 2124,82,96.72 की कुल परिसंपत्तियों तथा सम तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान प्रीमियम के रूप में रु. 1086,29,25.46 के कुल परिचालन राजस्व तथा कुल रु. 681,33,02.07 के प्रदत्त दावों को दर्शाते हुए तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण के रूप में छियालीस शाखाओं (गोवाहाटी उपशाखा सहित) एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है प्रबंधन द्वारा जिनकी रिपोर्टों को हमें प्रस्तुत किया गया था तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटन मुख्य रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं है।

#### अन्य कानूनी व विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

- (क) 31 मार्च 2022 तक वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
- (ख) विनियमों के अधीन आवश्यक अनुसार हमने 25 मई 2022 को अलग प्रमाण पत्र जारी करते हुए , आईआरडीएआई की अनुसूची सी के पैरा 3 एवं 4 में उल्लिखित विषयों को प्रमाणित किया है।
- (ग) इस रिपोर्ट में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143(11) की शर्तों में कंपनी ( लेखा परीक्षा रिपोर्ट ) आदेश 2016 के पैरा 3 में उल्लिखित मामलों पर किसी प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी राय में एवं हमें उपलब्ध कारवाई गयी जानकारी एवं स्पष्ठीकरणों के अनुसार यह आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

#### ई सी जी सी लिमिटेड

the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

#### **Other Matter**

We did not audit the financial statements/information of Forty-six branches (including Guwahati sub Office) and Five regional offices included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 2124,82,96.72 thousand as at 31st March, 2022, total operating revenues in terms of Premium of Rs. 1086,29,25.46 thousand and Claims paid of Rs. 681,33,02.07 thousand for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements / information of Forty-five branches and Five regional offices have been audited by the branch auditors, whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

#### **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

- a) The financial statements as at March 31, 2022 have been prepared in accordance with the requirements of the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the regulations made thereunder and the Companies Act, 2013.
- b) As required by the Regulations, we have issued a separate certificate on May 25, 2022 certifying the matters specified in paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the IRDAI Financial Statements Regulations.
- c) This report does not include a statement on the matters specified in paragraph 3 of the Companies (Auditors' Report) order 2020, ("the order"), issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, since in our opinion and according to the information and explanation given to us, the Order is not applicable to the Company.



#### अधिनियम की धारा १४३ (३) की आवश्यकतानुसार हम रिपोर्ट करते है कि:

- क. हमने, हमारी सर्वोताम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;
- ख. हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक सभी लेखा बहियों की जांच के उपरांत यह पाया गया है कि कंपनी द्वारा लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है; एवं जांच के पश्चात यह भी पाया गया है कि वे बहियाँ एवं उचित विवरण ( लेखापरीक्षित एवं प्रमाणित ) छियालीस शाखाओं एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की गयी है जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।
- ग. प्रबंधन द्वारा , शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कंपनी कि छियालीस शाखा कार्यालयों एवं पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है;
- घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) उन शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप है जिनका दौरा हमारे द्वारा नहीं किया गया है।
- इ. हमारी राय में वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है;
- च. सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते;
- छ. कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता की जानकारी हेतु हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक क" का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में कंपनी के वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता एवं परिचालन प्रभावशालीता पर स्वतंत्र राय व्यक्त की गयी है।
- ज. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम 2014 के नियम
   11 के अनुसार, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्ठीकरण के अनुसार हमारी राय में;
- कंपनी द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया गया है। कृपया वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद संख्या 21 का संदर्भ लें ;
- ii. कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नही है।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

# As required by section 143(3) of the Act, we report that;

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- b) In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, proper books of account, as required by law, have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books and proper returns (audited/certified) have been received from the Fortysix branches and Five regional offices, not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the Forty-five branches and Five regional offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us, have been properly dealt with by us in preparing this report;
- d) The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;
- e) In our opinion financial statements of the Company comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act;
- f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463(E) dated 05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company;
- g) With respect to the adequacy of internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over the financial statements.
- h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements. Refer note 21 to Schedule 17 to the financial statements;
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;



# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

- iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नही है;
- iv. (क) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की निधि का किसी ऐसे व्यक्ति ( यों ) अथवा विदेशी इकाइयों ( मध्यस्थों ) सहित किसी भी इकाइ (यों) में इस समझ के साथ कंपनी द्वारा ( अंतिम हिताधिकारी ) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अंतिम हिताधिकारी ( कंपनी ) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, में , अग्रिम तौर पर अथवा ऋग प्रदान नहीं किया गया है अथवा निवेश नहीं किया गया है।

(ख) प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित किया गया है कि उसके सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार कंपनी को किसी ऐसे व्यक्ति (यों) अथवा विदेशी इकाइयों (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी इकाइ (यों) द्वारा इस समझ के साथ फंडिंग पार्टी द्वारा (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से निर्धारित व्यक्ति अथवा ईकाइयों जिनके द्वारा लिखित रूप में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में फंडिंग पार्टी (अंतिम हिताधिकारी) की ओर से किसी भी प्रकार की सुरक्षा अथवा गारंटी दावा किया गया हो, अग्रिम तौर पर अथवा ऋग के रूप में अथवा निवेश के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

- (ग) हमारी राय तर्कसंगत एवं उचित परिस्थितियों उपयुक्त समझी जाने वाली लेखा परीक्षा पर आधारित है एवं हमारे समक्ष ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे हमें यह लगे कि उक्त उप शर्त (क) एवं (ख) में कोई गलत बयानी हुई हो।
- V. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा की गयी एवं अदायगी की गयी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :

## ई सी जी सी लिमिटेड

- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;
- iv. (a) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested by the company to or in any other person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other person or entities identified in any manner whatsoever by or in behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.
- (b) The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies) including foreign entities ("Funding Parties") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or like on behalf of the Ultimate Beneficiary.
- (c) In our opinion based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under the sub-clause (a) and (b) above contain any material misstatement.
- v. The dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with section 123 of Companies Act, 2013.

With regards to the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:



64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

1......

क्रम			Sr.	DIDECTIONS	
संख्या	লির্देश	उत्तर	No.	DIRECTIONS	ANSWER
2	प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहार को संसाधित करने के लिए सिस्टम है। यदि हाँ तो वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर सू प्रौ प्रणाली के बाहर लेखांकन संव्यवहार की प्रक्रिया के वित्तीय प्रभावों को, यदि कोई है तो, दर्शाएँ।. कर्या किसी वर्तमान ऋग पर कोई पुनर्गठन या कर्ज़ चुकाने	<ul> <li>→ पुनर्बीमा व्यवसाय का कार्य एवं अचल परिसंपत्तियों मे पूंजी के मूल्यह्वास की गणना। यद्यपि मैनुयल नियंत्रण उपलब्ध है परंतु ये पर्याप्त नहीं है एवं सिस्टम के माध्यम से पुनर्बीमा तथा अचल परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है।</li> <li>→ निवेश सॉफ्टवेयर मुख्य सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं है एवं निवेश विभाग के मुख्य परीक्षण शेष को सू प्रौ प्रणाली में समेकन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष को सू प्रौ प्रणाली में समेकन के लिए बनाए गए मुख्य परीक्षण शेष में मैनुअल रूप से शामिल किया जाता है । यद्यपि कंपनी का मुख्य परीक्षण शेष को शामिल करने मे नियंत्रण रखा गया है लेकिन यह भी पर्याप्त नही है एवं निवेश सॉफ्टवेयर का भी मुख्य सू प्रौ प्रणाली में विलय कर दिया जाना चाहिए।</li> </ul>	1	IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	has system in place to process all the accounting transactions through IT systems except for the following:- → Working of Reinsurance Business & Depreciation Working of Fixed Assets and Factoring. Though manual controls are available, they may not suffice and Reinsurance, Fixed Assets and Factoring are also required to be routed through system. → Investment software is not integrated with the main IT system, and the final Trial Balance of Investment Department is manually incorporated in the main trial balance, maintained in IT system for consolidation. Though the Company has control at the time of incorporation of the Investment Trial Balance in the Main Trail Balance in the Main Trail Balance, it may not suffice and Investment Software should also be merged with the main IT system. Not Applicable as the
3	अदायगी मे असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा दिये गए ऋग/ ब्याज आदि के छूट/ बही खाते में डाले जाने के मामलें हैं? यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। क्या इस प्रकार के मामलों को उचित रूप से दर्शाया गया है ? ( यदि ऋगदाता सरकारी कंपनी है, तब इस प्रकार के निर्देश ऋगदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होंगे। क्या केंद्रीय / राजस्व एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशी/ प्राप्य का उनके	प्रदान किया है। हाँ, केंद्र सरकार से शेयर पूंजी के रूप मे प्राप्त धनराशि का उसके कार्यकाल एवं शर्तों के अनुसार सही तरीके से निर्धारण/ उपयोग किया जाता है।	3	restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender Company). Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/	Company has not borrowed any money nor it has lended any money to other Company Yes, funds received from Central Government, in the form of share capital were properly accounted for/ utilized as per its term

.....



# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर , हम निम्नानुसार कंपनी के लेखों के वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-

क्रम संख्या	अतिरिक्त निर्देश	उत्तर	
1	उपलब्ध सी जी एस/ एसजीएस/ बोण्ड्स/ डिबैंचर आदि के संबंध मे स्वामित्वों की संख्या तथा इनमे से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों मे दर्शयी राशी से मेल नही खाती हो का सत्यापन किया जाए तथा यदि	सीजीएस/ एसजीएस मे सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते मे किए गए हैं एवं उनका रेकॉर्ड के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नाही पायी गई है। सीजीएस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा सीबीएसओ परिचालनों के लिए सीसीआईएल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए है। बॉन्डस/डिबेंचरों को आई सी आई सी आई बैंक (संरक्षक) के पास डीमेट रूप मे रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नही पायी गई है।	
2	रोकने की सीमा निर्धारित है? यदि हाँ तो क्या सीमाओं का	प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड टू मेच्योरिटी)/ ए एफ़ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। तदनुसार कंपनी के पास हानि को रोकने की पॉलिसी/हानि को रोकने की सीमा नहीं है।	
<b>एलएलर्प</b> चार्टेड अक फर्म रजिस्दे	ाउंटेंट्स फम्	ते एसएनके एंड कंपनी र्टेड अकाउंटेंट्स f रजिस्टेशन संख्या 19176w	l
(अनिल चिकोडी) (अ भागीदार भा		कित डी. दानावाला) गीदार स्यता सं. 119972	

स्थानः मुंबई

यूडीआईएन:

230

दिनांक: 25.05.2022

21038292AAAACN1909

स्थान: पुणे दिनांक: 25.05.2022

यूडीआईएन: 21107659AAAAEV2222

ई सी जी सी लिमिटेड

With respect to additional directions issued by Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Companies Act, 2013, based on our audit, we report hereunder on the action taken and the financial impact on the accounts of the financial statements of the Company:

Sr. No.	ADDITIONAL DIRECTIONS	ANSWER
1	ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown	with records and no discrepancies have been found. Two Centra Government Securities have been kept with CCIL for secondary market operations of Government Securities and TREPS operations & further one Security
2	Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given.	As informed by the Management of the Company, its entire investment Portfolic is under HTM (Held- to-Maturity) / AFS
<b>Char</b> Firm	tered Accountants Registration No.	for SNK & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W
Parti	ner	(Ankit D. Danawala) Partner Membership No. 119972
		Place: Mumbai Date : 25/05/2022
אוחוו	1.	אוסוו

UDIN: 21107659AAAAEV2222

UDIN: 21038292AAAACN1909

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी चार्टेड अकाउटेंट्स ऑफिस नं. 210, प्लॉट नं 9, शाह हेरिटेज सेक्टर 42 ए डी मार्ट के सामने सीवूड्स, वेस्ट ठाणे - 400706

एसएनके एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स ३०३, ३ री मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, १५६, ताडदेव, मुंबई - ४०००३४

#### स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

(25 मई 2022 की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अंश बनाने वाले "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा (ख) में संदर्भित)

प्रति,

#### ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,

#### अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

 यह प्रमाण पत्र ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") मुंबई के दिनांक 31.03.2022 तक के वित्तीय विवरणों के संबंध में विनियमों के विनियम 3 के साथ पढे जाने वाले बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) के विनियमों 2002, के अधीन अनुसूची ग के पैराग्राफ 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

#### प्रबंधन दायित्व

2. कंपनी का निदेशक मण्डल कंपनी अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938 यथा संशोधित बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा के रिपोर्ट की तैयारी) विनियमों 2002 ("विनियम") एवं बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश / परिपत्रों , जिसमें बही खातों की तैयारी एवं रखरखाव तथा प्रबंधन रिपोर्ट शामिल है के प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। इसमें ऊपर उल्लिखित अनुसार अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आकड़ों को एकत्र करना एवं सत्यापित करना एवं उनकी रूपरेखा का निर्धारण करना, आंतरिक नियंत्रणों को कार्यान्वित करना आदि शामिल है।

#### लेखा परीक्षक का दायित्व

3. विनियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक आश्वासन प्राप्त कर बहियों एवं रिकोर्डों की जांच एवं लेखा परीक्षा के आधार पर राय बनाना कि कंपनी द्वारा विनियमों के विनियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले विनियमों की अनुसूची ग के पैरा 3 व 4 में उल्लिखित मदों का पूर्ण अनुपालन किया गया है अथवा नहीं।

#### 64th Annual Report - 2021-2022

abm& associates LLP	SNK & Co.
Chartered Accountants Office No 210, Plot No 9, Shah Heritage, Sector 42A, Opp. D Mart, Seawoods West, Thane - 400706	Chartered Accountants 303, 3rd Floor, Konark Shram Building,156, Tardeo, Mumbai – 400034

#### INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE

(Referred to in paragraph (b) under "Report on other legal and regulatory requirements" forming part of our Independent Auditors' Report dated May 25<sup>th</sup>, 2022)

To,

#### The Members of ECGC Limited,

#### Report on other legal and regulatory requirements

 This certificate is issued to comply with the provisions of paragraphs 3 and 4 of Schedule C to the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, read with regulation 3 of the Regulations in respect of financial statements as at 31.03.2022, of ECGC Ltd ("the Company"), Mumbai.

#### **Management Responsibility**

2. The Company's Board of Directors is responsible for complying with the provisions of Companies Act, 2013, Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 ("the Regulations") and orders/ circulars issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) which includes the preparation and maintenance of books of accounts and the Management Report. This includes collecting, collating and validating data and designing, implementing and monitoring of Internal Controls suitable for ensuring compliance as aforesaid.

#### Auditors' Responsibility

3. Pursuant to the requirements of the Regulations, it is our responsibility to obtain reasonable assurance and form an opinion based on our audit and examination of books and records as to whether the Company has complied with the matters contained in paragraphs 3 and 4 of Schedule C of the Regulations read with Regulation 3 of the Regulations.



# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

100.000

100.000

- 4. हमने दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तत्काल समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है एवं हमने दिनांक 25 मई 2022 को हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है। हमने लेखा परीक्षा के मानकों एवं भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी अन्य प्राधिकृत निर्देशों के अनुसार ही इन वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अनुसार ही इस आश्वासन के साथ कि संबन्धित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी अथवा गलत प्रदर्शन नहीं किया गया है, हमने लेखा परीक्षा की योजना बनाई एवं उसे कार्यान्वित किया। हमने हमारी लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन उन संव्यवहारों के लिए नहीं किया था जिसमें तृतीय पक्ष का कोई संभावित हित निहित हो।
- 5. आई सी ए आई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए लेखा परीक्षा रिपोटौं एवं प्रमाणपत्रों पर दिशानिर्देश नोट के अनुकरण में हमने अपनी जांच पूरी की। दिशा निर्देशों के नोट में यह अनिवार्य होता है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आचार नीति का स्वतन्त्र रूप से अनुकरण करें।
- 6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) 1 के मानकों की लागू संगत आवश्यकताओं का पूर्ण अनुपालन किया है। किसी भी फर्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण वह पद्धति होती है जिसके जरिये लेखा परीक्षा एवं एटिहाइक वित्तीय जानकारी एवं अन्य आश्वासन एवं संबन्धित सेवा सहभागिताओं को पूरा किया जाये।

#### राय

- 7. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हमें प्रदान जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर एवं हमारे उत्तम ज्ञान एवं विश्वास एवं ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा तैयार लेखा बहियों एवं अन्य रिकॉर्डों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि :-
- (क) हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की एवं हमारी समीक्षा के आधार पर, प्रबंधन रिपोर्टों एवं स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।
- (ख) प्रबंधन प्रतिवेदनों पर एवं अनुपालन के लिए प्राधिकृत कंपनी के अधिकारियों द्वारा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जो आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित पंजीकरण निबंधनों एवं शर्तों के अनुकरण में न हो।
- (ग) हमने नकद शेष (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा संबन्धित शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है एवं संबन्धित

100 100

## ई सी जी सी लिमिटेड

- 4 We audited financial statements of the Company as of and financial year ended March 31, 2022 on which we issued an unmodified audit opinion vide our audit report dated May 25, 2022. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Our audits were not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that may be of potential interest to third parties.
- 5. We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes issued by the ICAI. The Guidance note requires that we comply with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
- We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC)-1, Quality control for Firms that performs audits and reviews of Historical Financial Information and Other Assurance and Related service engagements.

#### Opinion

- 7. In accordance with the information and explanations given to us and to the best of our knowledge and belief and based on our examination of the books of accounts and other records maintained by the ECGC Ltd., for the year ended March 31, 2022, we certify that:
- a) We have reviewed the Management Report attached to the financial statements for the year ended March 31, 2022 and on the basis of our review, there are no apparent mistakes or material inconsistencies between the Management Report and the standalone financial statements.
- b) Based on management representations and compliance certificates submitted to the Board of Directors by the officers of the Company charged with compliance and the same being noted by the Board, nothing has come to our attention that causes to believe that the Company has not complied with the terms and conditions of the registration stipulated by IRDA.
- c) We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and

नकद शेष का सत्यापन संबन्धित लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है तथा उन अलेखा परीक्षित शाखाओं के जहां की लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गयी हो) एवं कंपनी द्वारा किए गए ऋगों व निवेशों की वास्तविक निरीक्षणों अथवा कंपनी द्वारा नियुक्त संरक्षक तथा / अथवा निक्षेपागार भागीदार अथवा अन्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र / पुष्ठिरणों के सबूतों को सत्यापित किया है।

- (घ) हमें प्रदान की गयी उत्तम जानकारी एवं स्पष्ठीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर बीमा अधिनियम एवं उसके विनियमों के प्रावधानों के अनुकरण पर निवेशों को महत्व दिया गया है।
- (ङ) हमें प्रदान की गयी उत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार कंपनी किसी न्यास की न्यासी नहीं है।
- (च) कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों एवं पॉलिसी धारकों की निधियों को वर्गीकृत किया है एवं तदनुसार आय को राजस्व खाते व लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1बी) के अनुसार शेयरधारकों एवं पॉलिसीधारकों से संबन्धित अलग अलग खाते नहीं है एवं शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकोर्डों के अनुसार निधियों के उपयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। बही खातों के सत्यापन के आधार पर एवं हमें प्रदान की गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के आधार पर एवं उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर हमें ऐसे कोई मामले नहीं दिखे जहां पॉलिसी धारकों की आस्तियों के किसी भी अंश का , पॉलिसी धारकों की निधियों के उपयोग एवं निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विपरीत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपयोग किया गया हो।

#### कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टेड अकाउंटेंट्स फर्म रजिस्टेशन संख्या 105016w/w-100015

(अनिल चिकोडी) भागीदार सदस्यता सं. 107659

स्थानः पुणे दिनांक: 25.05.2022

यूडीआईएन:

21107659AAAAEV2222

10 10

100 100

कृते एसएलके एंड कंपली चार्टेड अकाउंटेंट्स फर्म रजिस्देशन संख्या 109176w

(अंकित डी. दानावाला) भागीदार सदस्यता सं. 119972

स्थान: मुंबई दिनांक: 25.05.2022

यूडीआईएन: **21038292AAAACN1909** 

100

for abm & associates LLP Chartered Accountants Firm Registration No. 105016W/W-100015

(Anil Chikodi) Partner Membership No. 107659

Place: Pune Date : 25/05/2022

UDIN: 21107659AAAAEV2222

#### 64th Annual Report - 2021-2022

securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates/confirmations received from the Custodian and/or Depository Participants appointed by the Company or the other documentary evidences.

- d) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, Investments have been valued in accordance with the provisions of the Insurance Act and its regulations;
- e) To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and
- f) The Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders' funds.

for SNK & Co. Chartered Accountants Firm Registration No. 109176W

(Ankit D. Danawala) Partner Membership No. 119972

Place: Mumbai Date : 25/05/2022

233

UDIN: 21038292AAAACN1909

# 64<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट - 2021-2022

एबीएम एंड असोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
ऑफिस नं. २१०, प्लॉट नं ९,
शाह हेस्टिज सेक्टर ४२ ए
डी मार्ट के सामने
सीवूड्स, वेस्ट
ठाणे - ४००७०६

एसएनके एंड कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स ३०३, ३ री मंजील, कोणार्क श्रम बिल्डिंग, १५६, ताडदेव, मुंबई - ४०००३४

#### लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए 'अनुलस्नक-क'

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने ईसीजीसी लिमिटेड ('कंपनी') के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का 31 मार्च, 2022 तक लेखा परीक्षण किया है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारा लेखा परीक्षण शामिल है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ("आई सी ए आई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को देखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव जिसमे अपने व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं रोकथाम करने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, शामिल है।

#### लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("दिशानिर्देश लेख") एवं आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षण जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं एवं आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं, के मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। उन मानकों एवं मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करने, योजना बनाने एवं इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट

## ई सी जी सी लिमिटेड

<b>abm&amp; associates LLP</b> Chartered Accountants Office No 210, Plot No 9, Shah Heritage, Sector 42A, Opp. D Mart, Seawoods West, Thane - 400706	SNK & Co. Chartered Accountants 303, 3rd Floor, Konark Shram Building,156, Tardeo, Mumbai – 400034
--	---

#### "Annexure-A" to the Independent Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls of **ECGC Limited** ("the Company"), as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

# Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

#### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of Internal Financial Controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal



#### 64th Annual Report - 2021-2022

#### **ECGC** Limited

करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित एवं बनाए रखा गया था एवं इस तरह के नियंत्रण सभी तथ्यात्मक रूप से प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं या नहीं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को वित्तीय रिपोर्टिंग, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई तथ्यात्मक कमी तो नहीं है, एवं मूल्यांकित जोखिम क एयाधर पर डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक इस बात पर निर्भर करती है कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के तथ्यों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

#### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि :

- (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कि, ये उचित प्रकार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं निपटान को सही एवं निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए दर्ज किया जाता है, एवं कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं एवं;
- (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के बारे में समय पर पहचान या रोकथाम जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है पर उचित आश्वासन प्रदान करना।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण तथ्यात्मक गलतियाँ हो सकती है एवं पता financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

# Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:-

- pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company and;
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

# Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur



# 64<sup>र्गं</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

10.00

नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभाविता अलग हो सकती है।

#### अन्य मामले

31 मार्च, 2022 तक उत्पन्न लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आई बी एन आर) एवं उत्पन्न लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) दावों तथा प्रीमियम की कमी के संबंध में देयता का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित है एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार हमारे द्वारा इस पर विश्वास किया गया है। तदनुसार, पूर्वोक्त बीमांकिक मूल्यांकन के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मूल्यांकन एवं सटीकता पर प्रबंधन के आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय शामिल नहीं है।

#### राय

हमारी राय में , कंपनी के पास, तथ्यात्मक रूप से, सभी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण. आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वित्तीय रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर मार्च 31, 2022 तक प्रभावी रूप से परिचालित की जा रही थी ।

कृते एबीएम एंड एसोसिएट्स एलएलपी	<b>कृते एसएनके एंड कंपनी</b> चार्टेड अकाउंटेंट्स	for abm & associates LLP Chartered Accountants	for SN Chart
चार्टेड अकाउंटेंट्स	फर्म रजिस्देशन संख्या	Firm Registration No.	Firm F 10917
फर्म रजिस्देशन संख्या	109176W	105016W/W-100015	10917
105016W/W-100015		(Anil Chikodi)	(Anki
(अनिल चिकोडी)	(अंकित डी. दानावाला)	Partner	Partn
भागीदार	भागीदार	Membership No. 107659	Memb
सदस्यता सं. 107659	सदस्यता सं. 119972		
स्थान: पुणे दिनांक: 25.05.2022	स्थानः मुंबई दिनांक: 25.05.2022	Place: Pune Date : 25/05/2022	Place: Date :
यूडीआईएन: 21107659AAAAEV2222	यूडीआईएन: 21038292AAAACN1909	UDIN: 21107659AAAAEV2222	UDIN: 21038

and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that

the degree of compliance with the policies or procedures

#### **Other Matter**

may deteriorate.

The actuarial valuation of liability in respect of Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31, 2022 is as certified by the Company's Appointed Actuary and has been relied upon by us as mentioned in our audit report on the financial statements for the year ended on March 31, 2022. Accordingly, our opinion on the internal financial controls over financial reporting does not include reporting on the operating effectiveness of the management's internal controls over the valuation and accuracy of the aforesaid actuarial valuation.

#### Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

NK & Co. rtered Accountants Registration No. 76W

(it D. Danawala) ner bership No. 119972

e: Mumbai : 25/05/2022

1: 8292AAAACN1909



#### ई सी जी सी लिमिटेड

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

# सेवा तंत्र / SERVICE NETWORK

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail	
पंजीकृत कार्यालय			
REGISTERED OFFICE	(022) 66500500/510	webmaster@ecgc.in	
एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021	(022) 66590500/510	webmaster@ecgc.m	
Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021			
विपणन विभाग			
MARKETING DEPARTMENT			
निर्मल बिल्डिंग, 5 वीं मंजिल, 241/242, बँकबाय रिक्लेमेशन, नरीमन पॉइंट,	(022) 66590700/10/11	marketing@ecgc.in	
मुंबई 400021	(022) 00000100/10/11	marketing@cogo.in	
Nirmal Building, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation,			
Nariman Point, Mumbai - 400 021			
नरीमन पॉइंट शाखा, मुंबई			
NARIMAN POINT BRANCH, MUMBAI	(022)		
दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई –400021	66138800	narimanpoint@ecgc.in	
Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai	00100000		
- 400 021			
बांद्रा शाखा, मुंबई			
BANDRA BRANCH, MUMBAI			
द मेट्रोपॉलिटन , 7 वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी –26 / 27, ई ब्लॉक, बांद्रा –	(022)	<u>bandra@ecgc.in</u>	
कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई – 400 051	6144 8110 / 8181	<u>bundid@oogo.in</u>	
The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, E Block, Bandra			
- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051			
नई दिल्ली, शाखा			
NEW DELHI BRANCH			
एनबीसीसी प्लेस, दक्षिण टावर, चौथी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग,	(011)	<u>newdelhi@ecgc.in</u>	
नई दिल्ली – 110 003	49284011	<u>nondonn(d)oogonn</u>	
NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma			
Pitamah Marg, New Delhi - 110 003			
पश्चिमी क्षेत्र / WESTER	N REGION		
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय			
WESTERN REGIONAL OFFICE			
506, टाउन सेंटर I, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के निकट, मरोल,	(022)	wro@ecgc.in	
अंधेरी पूर्व, मुंबई – 400 051	28597614/0907/3856		
506, Town Centre I, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri			
East, Mumbai-400059			



64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

238

. . . .

ई सी जी सी लिमिटेड

. . . .

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई−मेल / E-mail
अहमदाबाद शाखा		
AHMEDABAD BRANCH		
नागिनदास चैम्बर्स, प्रथम तल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड,	(079)	<u>ahmedabad@</u>
अहमदाबाद – 380 014	27544932	<u>ecgc.in</u>
Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380		
014		
गिफ्ट सिटी शाखा		
GIFT CITY BRANCH	(079)	
आईएफएससी बीमा कार्यालय, इकाई सं–304, तीसरा तल, हीरानन्दानी सिग्नेचर बिल्डिंग,	27545446	
ब्लॉक 13बी, ज़ोन 1, गांधीनगर– 382 355	9051610949	giftcityiio@ecgc.in
IFSC Insurance Office	5051010545	
Unit No. 304, 3rd Floor, Hiranandani Signature Building, Block 13 B, Zone 1,		
Gandhinagar-382 355		
इंदौर शाखा		
INDORE BRANCH	(0731)	
408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570, एम जी रोड, इंदौर – 452 001	2544215	indore@ecgc.in
408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road,	2011210	
Indore - 452 001		
नागपुर शाखा		
NAGPUR BRANCH		
प्लॉट न .317, दूसरी मंजिल, एम.जी. हाउस के बगल में, आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइंस,	(0712)	<u>nagpur@ecgc.in</u>
नागपुर – 440 001	2550504	nagpar@eoge.in
Plot No.317, 2nd Floor, Beside M.G. House, R N Tagore Marg, Civil Lines,		
Nagpur - 440 001		
पुणे शाखा		
PUNE BRANCH		
वास्तु चेंबर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर,	(020)	<u>pune@ecgc.in</u>
पुणे – 411 004	29950241/0226	puncteccyc.in
Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411		
004		
राजकोट शाखा		
RAJKOT BRANCH		
निर्मल – दूसरी मंज़िल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, नगर आयुक्त के बंगले के	(0281)	<u>rajkot@ecgc.in</u>
सामने, राजकोट – 360 001	2465162/169	
Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg,		
Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001		
सूरत शाखा		
SURAT BRANCH	(0261)	
503, 21 सेंचुरी बिज़ सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बगल में, रिंग रोड, सूरत– 395 002	2364074	<u>surat@ecgc.in</u>
503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road,	2001011	
Surat - 395 002		

. . . .

64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

239

.....

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
<b>ठाणे शाखा</b> THANE BRANCH कुसुमंजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम)– 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400 602	(022) 25347807	thane@ecgc.in
<b>वडोदरा शाखा</b> VADODARA BRANCH 504, कॉनकॉर्ड, 6 वीं मंजिल, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा – 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2353304/ 4728	vadodara@ecgc. in
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION	•	
<b>पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय</b> EASTERN REGIONAL OFFICE एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता – 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	<u>ero@ecgc.in</u>
कोलकाता शाखा KOLKATA BRANCH एसी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1, शेक्सपियर सरानी, कोलकाता – 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 40884999	<u>kolkata@ecgc.in</u>
भुवनेश्वर शाखा BHUBANESHWAR BRANCH प्लॉट नंबर 611, तीसरी मंजिल, साहिद नगर, भुवनेश्वर – 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Saheed Nagar, Bhubaneshwar -751 007	(0674) 2547772	<u>bhubaneshwar@</u> <u>ecgc.in</u>
गुवाहाटी उप कार्यालय GUWAHATI SUB-OFFICE शर्मा बिल्डिंग, एच.पी. ब्रम्हचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी.ओ. रेबारी, गुवाहाटी – 781 008 Sharma Building, H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635983	guwahati@ecgc. <u>in</u>
<b>रायपुर शाखा</b> RAIPUR BRANCH तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड संख्या 1, तेलीबांधा, रायपुर – 492 006 3rd Floor, Udyog Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Telebandha, Raipur - 492 006	(0771) 4918826/28	<u>raipur@ecgc.in</u>
<b>वाराणसी शाखा</b> VARANASI BRANCH पीसीएफ प्लाजा, वाणिज्यिक परिसर, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 1, नदेसर, वाराणसी-221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864	<u>varanasi@ecgc.</u> in

64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

# ई सी जी सी लिमिटेड

दक्षिणी क्षेत्र / SOUTHERN REGION			
पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई–मेल / E-mail	
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय			
SOUTHERN REGIONAL OFFICE			
रहेजा टॉवर, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एमजी रोड,	(080)		
बेंगलुरु – 560001	25591139/82575	<u>sro@ecgc.in</u>	
Raheja Tower, 11th Floor, West Wing, 26, M.G Road,			
Bengaluru - 560001			
चैन्नई शाखा			
CHENNAI BRANCH	(044)	abannai@aaga in	
ओवरसीज टावर, तीसरी मंजिल, 756–एल, माउंट रोड, चेन्नई – 600 002	42284488-99	<u>chennai@ecgc.in</u>	
Overseas Towers, 3rd Floor, L-756- Anna Salai, Chennai – 600002			
चैन्नई दक्षिण शाखा			
CHENNAI SOUTH BRANCH	(044) 22412540/	abannaiaauth@	
15, पहली मंज़िल, सरयू पार्क, दूसरी मेन रोड, नई कालोनी, क्रॉम्पेट, चेन्नई–600 044	(044) 22413540/ 4540/ 5540	<u>chennaisouth@</u>	
15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet,	4540/ 5540	<u>ecgc.in</u>	
Chennai - 600 044			
कोयम्बटूर शाखा			
COIMBATORE BRANCH	(0422)	<u>coimbatore@</u>	
चेन्नई प्लाजा, दूसरी मंज़िल, 1090 त्रिची रोड, कोयम्बटूर– 641 018	2304775/6/9	<u>ecgc.in</u>	
Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore- 641 018			
करूर शाखा			
KARUR BRANCH	(04324)	karur@ecgc.in	
तीसरी मंज़िल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेंगुंथपुरम, करूर-639 002	233911/ 244910	Karur@ecgc.in	
3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002			
मदुरै शाखा			
MADURAI BRANCH	(0452) 2525521/		
प्रथम तल, 69 पी.टी राजन सलाई, चोक्रिकुलम, केंद्रीय विद्यालय, मदुरै–625 002	0340	<u>madurai@ecgc.in</u>	
1st Floor, 69 P. T. Rajan Salai, Chokkikulam, Opp. To Kendriya Vidyalaya,	0040		
Madurai- 625 002			
सेलम शाखा			
SALEM BRANCH			
शांति प्लाज़ा, तीसरी तल, 1/5, वृन्दावन रोड, पोन्नुस्वामी गौंडर तिरुमना के सामने, मंडपम	(0427) 2442275	<u>salem@ecgc.in</u>	
फेयर लैंड्स, सेलम 636 004	(0427) 2442270	<u>salem@coge.m</u>	
Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp. Ponnusamy Gounder			
Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem, - 636 004			
तिरुपुर शाखा			
TIRUPUR BRANCH	(0421)	tirupur@ecgc.in	
137/2, सीजी कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर– 641 601	2232812		
137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601			

. . . . .



64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

241

.....

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई−मेल / E-mail
तूतिकोरिन शाखा		
TUTICORIN BRANCH		
209/ए– 1, वी ई रोड (पहला तल), बैक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, सुगम होटल के समीप,	(0461)	tuticorin@ecgc.in
तूतीकोरिन- 628 003	2324351	
209/A-1,V E Road, (1st Floor) Bank of Baroda Upstairs, Near Sugam Hotel,		
Tuticorin - 628 003.		
बेंगलुरू शाखा		
BANGALORE BRANCH	(080)	bangalore@ecgc.
रहेजा टावर्स, 11वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम.जी.रोड, बेंगलुरू– 560 001	25585375/	in
Raheja Towers, 11th Floor, East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	2578	
गुंटूर शाखा		
GUNTUR BRANCH		
कृष्णा प्लाज़ा, दूसरी मंज़िल, 26–21–22, नागारम पालेम, जी.टी.रोड,	(0863)	<u>guntur@ecgc.in</u>
गुंदूर-522 004	2337096	gunulugoogo
Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road,		
Guntur - 522 004		
हैदराबाद शाखा		
HYDERABAD BRANCH	(040)	by developed @
हाका भवन, दूसरी मंज़िल, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद – 500 004	23234334/	hyderabad@
HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	40833	<u>ecgc.in</u>
कोची शाखा		
KOCHI BRANCH		
एचडीएफसी हाउस, दूसरी मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम.जी.रोड, एर्नाकुलम,	(0484)	<u>kochi@ecqc.in</u>
कोची-682 015	2359437/ 57	<u>Noorm@coge.m</u>
HDFC House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi -		
682 015		
कोल्लम शाखा		
KOLLAM BRANCH	(0474)	
सेवेंथ डे चर्च के पास, रेसीडेंसी रोड, कड़प्पकड़ा, कोल्लम– 691 008	2748715	kollam@ecgc.in
Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008	2746715	
मैंगलूर शाखा	(0824)	
MANGALORE BRANCH	2444288/289,	<u>mangalore@</u>
1ली मंजिल, एस्सेल टॉवर्स ,बंट्स हॉस्टल सर्कल, मैंगलूर – 575 003.	8341626980	ecgc.in
1st floor, Essel Tower, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	0041020900	
विशाखापत्तनम शाखा		
VISAKHAPATNAM BRANCH		
प्रथम तल, शंकर प्लाज़ा, शंकर मठम के सामने, शंकरमठम रोड, द्वारकानगर,	(0891)	visakhapatnam@
विशाखापत्तनम–530 016	2748653/54	<u>ecgc.in</u>
1st Floor, Shankar Plaza, Opp Shankar Mattam Temple, Shankar Matham Road,		
	1	

64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

. . . .

# ई सी जी सी लिमिटेड

उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई-मेल / E-mail
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय		
NORTHERN REGIONAL OFFICE		
ब्लॉक 3, प्लेट ए, चौथी मंजिल, एनबीसीसी वाणिज्यिक परिसर, पूर्वी किदवई नगर, नई	(011)	<u>nro@ecgc.in</u>
दिल्ली–110 023	24346900	<u>IIIO@ecgc.III</u>
Block 3, Plate A, 4th Floor, NBCC Commercial Complex, East Kidwai		
Nagar, New Delhi- 110 023		
आगरा शाखा		
AGRA BRANCH	(0562) 2521676	<u>agra@ecgc.in</u>
दीपक वासन प्लाज़ा, 2री मंज़िल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा– 282 002	(0002) 2021070	agra@cogo.m
Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002		
चंडीगढ़ शाखा		
CHANDIGARH BRANCH	(0172)	<u>chandigarh@ecgc.in</u>
पी.एच.डी. चेम्बर्स हाउस, 1ली मंज़िल, सेक्टर 31 ए, चंडीगढ़– 160 031	5003628/27	<u>chandigam@ecgc.m</u>
PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh-160 031		
फ़रीदाबाद शाखा		
FARIDABAD BRANCH	(0129) 4315114/	
एससीओ– 149 दूसरी मंज़िल, सेक्टर–21–सी, फरीदाबाद, हरियाणा–121 001	115/ 116/ 117	faridabad@ecgc.in
SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad,		
Haryana - 121 001		
गुरूग्राम शाखा		
GURUGRAM BRANCH	(0124)	
प्लॉट नं. 470, उद्योग विहार, फेज़ 5, गुरुग्राम, हरियाणा– 122 016	4300603/04	<u>gurgaon@ecgc.in</u>
Plot No. 470, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram,		
Haryana -122 016		
जयपुर शाखा		
JAIPUR BRANCH	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
दूसरी मंज़िल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर–302 001	. ,	
2nd Floor, Anand Bhavan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302 001		
जालंधर शाखा		
ऑफिस सं–1, भूतल, मिडलैंड फाइनेंशियल सेंटर, आईसीआईसीआई बैंक के समीप, 21–	(0181) 2233235	jalandhar@ecgc.in
22 जी.टी. रोड, जालंधर, पंजाब–144 001		
Office No.1, Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI		
Bank, 21-22 G.T. Road, Jalandhar, Punjab -144 001		

. . . .



64<sup>th</sup> Annual Report - 2021-2022

243

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई−मेल ∕ E-mail
जोधपुर शाखा JODHPUR BRANCH 178, नारायणम, दूसरी मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्किल के समीप, जोधपुर-342 003 178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 2770302/ 03	jodhpur@ecgc.in
कानपुर शाखा KANPUR BRANCH 14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंज़िल, चुन्नीगंज, कानपुर – 208 001 14/147, Sky Lark Complex, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001	(0512) 2535855	<u>kanpur@ecgc.in</u>
<b>लुधियाना शाखा</b> LUDHIANA BRANCH 92, सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंज़िल दि मॉल रोड, पी.ओ. बॉक्स नं. 281, लुधियाना–141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082/ 2405684	<u>ludhiana@ecgc.in</u>
<b>मुरादाबाद शाखा</b> <b>MORADABAD BRANCH</b> पंडित शंकरदत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद – 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad-244 001	(0591) 2415476/2435395	moradabad@ecgc.in
<b>नोएडा शाखा</b> NOIDA BRANCH 1121, 11वां तल, वर्ल्ड ट्रेड टावर, सी-1, सेक्टर 16, नोएडा, उ.प्र201 301 1121, 11th Floor, World Trade Tower (WTT), C-1, Sector 16, Noida, UP - 201 301	(0120) 4249186	<u>noida@ecgc.in</u>
<b>पानीपत शाखा</b> PANIPAT BRANCH मलिक प्लाज़ा, 1ली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी.टी. रोड, पानीपत–132 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634933/ 3139	<u>panipat@ecgc.in</u>

------

# 64<sup>वां</sup> वार्षिक रिपोर्ट – 2021–2022

# ई सी जी सी लिमिटेड

. . . .

पता / Address	दूरभाष / Tel.	ई−मेल / E-mail
श्रीनगर शाखा SRINAGAR BRANCH दूसरी मंज़िल, जे.के. बैंक बिल्डिंग, सफ़ीना प्लाज़ा के निकट, हरि सिंह हाइ स्ट्रीट, श्रीनगर– 190 001 2nd Floor, JK Bank Building, Near Safina Plaza, Hari Singh High Street, Srinagar - 190 001	0194-2477947	<u>srinagar@ecgc.in</u>
पश्चिम दिल्ली शाखा WEST DELHI BRANCH 305–306, के एल जे टावर(पूर्व), 3री मंज़िल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142/ 43/ 44	<u>west.delhi@ecgc.in</u>







# ई सी जी सी लिमिटेड

#### (भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पाईन्ट, मुंबई – 400 021 टेलीः 6659 0500 / 6659 0510 • वेबसाइट: www.ecgc.in

#### IRDA Regn. No. 124

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिम से रक्षा प्रदान करेंगे.

# **ECGC** Limited

(A Government of India Enterprise) Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India. Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • Website: www.ecgc.in CIN No. U74999MH1957GOI010918 You focus on exports. We cover the risks.